



NIKE

कोड लीडरशिपि स्टैंडर

जुलाई 2025



वर्षिय-वस्तु

इस दस्तावेज़ का परिचय 3

संक्षेप

1. कोड पूरी तरह से लागू किया गया है 5
2. ट्रेसेबिलिटी 10
3. पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली 11
4. पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति 14

टिकाऊ

वायु उत्सर्जन और जलवायु के प्रभाव न्यूनतम किए गए हैं

5. वायु उत्सर्जन 18
6. ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन 20

अपशिष्ट को न्यूनतम किया जाता है और उचित तरीके से प्रबंधित किया जाता है

7. खतरनाक अपशिष्ट 26
8. ठोस अपशिष्ट (गैर-खतरनाक अपशिष्ट) 30
9. प्रकृत बहमूल्य है 33
10. रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है 36

सुरक्षा

कार्यस्थल सुरक्षा है

11. सामान्य कार्यस्थल सुरक्षा 42
12. मशीन सुरक्षा 44
13. मशीन की सुरक्षा 48
14. सीमिति स्थान 50

15. ठेकेदार सुरक्षा 52
16. खतरनाक ऊर्जा पर नियंत्रण (LOTO) 54
17. विद्युत सुरक्षा 56
18. गरिने से सुरक्षा 58
19. रखरखाव सुरक्षा 60
20. चोट और रोग प्रबंधन 62
21. दबाव वाहकिएं और संपीडित वायु 64
22. यातायात एवं मोटर चालित यात्री वाहन प्रबंधन 66
23. सामग्री प्रबंधन और भंडारण 70

कैंटीन, चाइल्डकेयर और डॉरमेटरी के सुविधा केंद्र स्वास्थ्य के लिए हितकर और सुरक्षित हैं

24. कैंटीन प्रबंधन 76
25. चाइल्ड केयर प्रबंधन 78
26. डॉरमेटरी प्रबंधन 81
27. पेय जल 84
28. स्वच्छता 86

इमारतें उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं

29. भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा 89
30. एम्बेस्टस 92
31. निर्माण सुरक्षा कार्यक्रम प्रबंधन 94

अग्नि एवं आपातकालीन कार्य योजनाएं मौजूद हैं

32. आपातकालीन कार्रवाई 98
33. अग्नि सुरक्षा प्रबंधन 100

व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी खतरों को नियंत्रित किया जाता है

34. श्वसन सुरक्षा 103
35. लेजर सुरक्षा 106

36. एर्गोनॉमिक्स 108
37. ताप तनाव निवारण 110
38. रेडिएशन सुरक्षा 113
39. व्यावसायिक जोखिम की सीमाएं 115
40. व्यावसायिक शोर जोखिम 119
41. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) 121
42. व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन 126
43. रक्त-जनित रोगजनक 129
44. चिकित्सा सेवाएं एवं प्राथमिक चिकित्सा 131

सम्मानन

45. रोजगार सौकर्य है 135
46. कार्य करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष है 143
47. सुविधा केंद्र भेदभाव नहीं करता है 145
48. संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान किया जाता है 147

निरूपण

49. उत्पीड़न और दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाता है 153
50. काम के घंटे अत्यधिक नहीं हैं 155
51. मुआवजा और लाभ का समय पर भुगतान किया जाता है 158
52. न्यमिति रोजगार उपलब्ध कराया जाता है 165

शब्दकोष

- 167

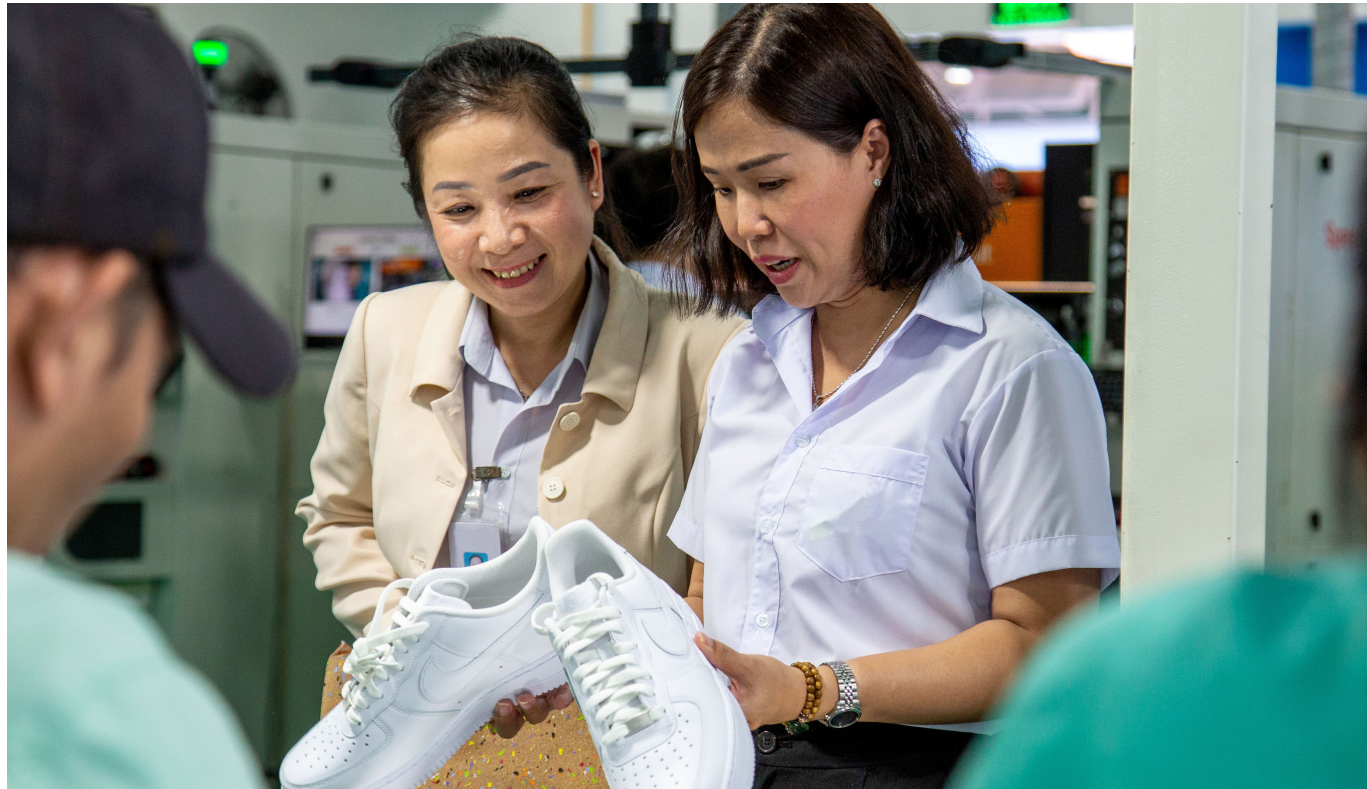


इस दस्तावेज़ का परिचय

पूरे दस्तावेज़ में:

- NIKE और Nike एफ़िलिएट्स को *Nike* कहा गया है।
- Nike Code of Conduct को *संहिता* कहा जाता है।
- Nike Code Leadership Standards को *CLS* कहा जाता है।
- विशिष्ट CLS का संदर्भ लिया गया है, उदाहरण के लिए, *संहिता को पूरी तरह से लागू किया गया है CLS*।
- विशिष्ट CLS आवश्यकताओं को *मानक* कहा जाता है।
- CLS न्यूनतम मानक तय करते हैं, सवाय उन मानकों के जिन्हें विशेष रूप से *अनुशंसित प्रक्रिया* के रूप में पहचाना गया हो।

मार्गदर्शन के लिए संहिता और CLS के नवीनतम संस्करणों का उपयोग किया जाना चाहिए, जो सभी पछिले संस्करणों की जगह लेंगे तथा सुविधा केंद्र के लिए जारी किए जाने की प्रभावी तथिसे प्रारंभ होंगे।





सक्रिय





1. कोड पूरी तरह से लागू किया गया है

1.1 मानक

Nike के साथ व्यवसाय करने की शर्त के रूप में, आपूर्तिकर्ता के सुवधि केंद्र को प्रभावी प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ सत्यापन और मॉनिटरिंग से गुजरने सहित, कोड, संबंधित CLS और स्थानीय कानूनों को अपने व्यवसाय में लागू करना और एकीकृत करना होगा।

सुवधि केंद्र को एक आंतरिक आचार संहिता विकसित करनी होगी जिसमें कम से कम संहिता की सभी आवश्यकताएं शामिल हों। सुवधि केंद्र को अपने परिसर में आचार संहिता को उन सभी भाषाओं में लगाना होगा, जिनमें कर्मचारी समझते हैं (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह समझी जाने वाली) तथा कर्मचारी प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन में अपनी आचार संहिता के बारे में जानकारी साझा करनी होगी।

सुवधि केंद्र में संभावित कोड और CLS से जुड़ी चिंताओं के लिए प्रभावी शिकायत तंत्र होना चाहिए और Nike को सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों और उपठेकेदारों को इसके अस्तित्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा, सुवधि केंद्र को Nike के स्पीक अप पोर्टल से परिचित होना चाहिए तथा पोर्टल को Nike को सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों और उपठेकेदारों के साथ साझा करना चाहिए।

1.2 आवश्यकताएं

1.2.1 प्रयोज्यता

यह संहिता Nike की आपूर्ति श्रृंखला के भाग के रूप में Nike उत्पाद का निर्माण और वितरण करने वाली सभी सुवधि केंद्रों (उपठेकेदारों सहित) पर लागू होती है। संहिता के अनुपालन का मूल्यांकन CLS की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

नियोज्यता के रूप में, यह सुवधि केंद्र श्रमिकों के साथ रोजगार संबंध और सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार है। सुवधि केंद्र को अधिक कठोर लागू स्थानीय कानून या CLS, जो भी अधिक सुरक्षा प्रदान करता हो उसका अनुपालन करना होगा और ऐसे तरीकों का विकास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो श्रमिकों और उन समुदायों की सुरक्षा करें जिनमें वे काम करते हैं।

CLS के सभी संबंधित प्रावधान इन पर लागू होते हैं:

- उत्पादन / परिचालन श्रमिक (तीसरे पक्ष या किसी अन्य संबंध के माध्यम से नियोजित श्रमिकों सहित), जिनमें इस दस्तावेज़ में “श्रमिक” और/या “सुवधि केंद्र के श्रमिक” के रूप में कहा जाता है। हालांकि विशेष ध्यान उत्पादन / परिचालन श्रमिकों पर है, फिर भी सुवधि केंद्र में कार्यरत सभी लोगों के मौलिक मानव अधिकारों को CLS के किसी भी लागू प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित किया जाना चाहिए।
- ऑन-साइट ठेकेदार, साइट पर मौजूद उपठेकेदार, तथा सुवधि केंद्र परिसर में मौजूद अन्य व्यक्तियाँ।
- भवन (नैर-निर्माण / भंडारण प्रतष्ठान, जैसे कि डॉरमेटरी, कैटीन, चाइल्ड केयर सेटर, तथा रासायनिक एवं अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र सहित)।
- साझा एवं बहुमंजिली वाला सुवधि केंद्र।

संसाधन

सुवधिओं को पूरी तरह से संहिता के मुताबिक बनाने में सहायता के लिए वसितृत मार्गदर्शन के मकसद से CLS में नमिन्लखिति शामिल है:

- संहिता, संबंधित CLS, तथा सभी लागू स्थानीय कानून



1.2.2 लाइसेंसधारी और एजेंट

लाइसेंसधारियों और एजेंटों को 1.2.1 प्रयोज्यता में बताई गई आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। उन्हें लाइसेंसधारी या एजेंट के अनुबंध, मैनुअल या नीति में निर्धारित अन्य आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा।

1.2.3 मानकों को सुवर्धिता केन्द्र के व्यावसायिक प्रक्रियाओं में शामिल करना

सुवर्धिता केन्द्र को रोजगार के उन नियमों और शर्तों को अपनाना और उनका पालन करना होगा, जो श्रमिकों का सम्मान करते हैं और कम से कम स्थानीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रत्येक CLS के आवश्यकता अनुभाग में अधिक विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन दिया गया है।

अनुशंसित प्रक्रिया

Nike सुवर्धिता केन्द्रों को नियमित आधार पर नीतियों, प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन रणनीतियों की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

1.2.4 रोजगार की नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवर्धिता केन्द्र को एक ज़िम्मेदार पक्ष को नामित करना होगा, जो मानव संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए शिक्षा और / या अनुभव के माध्यम से पर्याप्त रूप से योग्य हो।

सुवर्धिता केन्द्र में लिखित नीतियां होनी चाहिए तथा रोजगार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले उचित, सटीक रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए। इसमें भर्ती, नियुक्ति, अनुशासन, छटनी और सेवा समाप्ति की के अभ्यास शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

कृपया आवश्यकताओं के आगे स्पष्टीकरण तथा इन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए अनुशंसित अभ्यासों के लिए लागू CLS को देखें।

1.2.5 मॉनिटरिंग एवं उपचार

मॉनिटरिंग

सुवर्धिता केन्द्र को पूर्व सूचना के साथ या बिना पूर्व सूचना के, CLS और स्थानीय कानूनों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए Nike और / या नामित तृतीय-पक्ष प्रतियोगिता के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करना होगा।

सत्यापन और मॉनिटरिंग में ये शामिल हैं:

- अनुरोध करने पर तत्काल ही – लेखा परीक्षकों, सत्यापनकर्ताओं या अन्य नामित प्रतियोगिता के सुवर्धिता केन्द्र के परिसर में भौतिक पहुंच प्रदान करना। इसमें वनिर्माण और वितरण स्थल, कैटीन, डॉरमेटरी और भंडारण जैसे सहायक क्षेत्र, तथा ऐसे सभी स्थान शामिल हैं, जहां संबंधित दस्तावेज़ रखे जा सकते हैं। परिसर में कार्य स्थितियों का आकलन करते समय, लेखा परीक्षकों को कार्यस्थल के उन जगहों को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है जो सुरक्षा या बौद्धिक संपदा कारणों से आमतौर पर आगंतुकों के लिए प्रतिबंधित होते हैं।
- गोपनीय साक्षात्कार के उद्देश्यों से श्रमिकों को अप्रतिबंधित पहुंच की सुवर्धिता देना। प्रबंधन को कर्मचारियों को लेखा परीक्षा या सत्यापन की वज़िह के संबंध में संभावित सवालों के बारे में प्रशिक्षित नहीं करना चाहिए या काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अथवा उनके खिलाफ प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए।
- संहिता, CLS और लागू स्थानीय कानूनों के अनुपालन को देखने के लिए CLS के लिए अनिवार्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना।
- Nike-निर्दिष्ट प्लेटफॉर्मों पर मूल्यांकन और परीक्षण के परिणाम अपलोड करना।

पारदर्शिता

Nike को उम्मीद है कि संहिता और CLS के अनुपालन के संबंध में सुवर्धिता केन्द्र पारदर्शी (खुला और ईमानदार) होगा। रिकॉर्डों को उनकी मूल, बिना बदलाव वाली स्थिति में कायम रखा जाना चाहिए। सूचना और रिकॉर्डों में हेरफेर नहीं होना चाहिए या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रबंधन को भुगतान की गई मजदूरी या काम किए गए घंटों के संबंध में गलत या भ्रामक जानकारी वाले दोहरे बहीखाते के रखरखाव पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

उपचार

लेखापरीक्षा या सत्यापन के दौरान पहचानी गई गैर-अनुपालन संबंधी किसी भी चिंता को समय पर दूर करने के लिए सुवर्धिता केन्द्र को सद्भावनापूर्ण कोशिशें देखनी होंगी। ऐसा न करने पर लागू सुवर्धिता केन्द्र या सोर्सिंग समझौतों के फ़्रेमवर्क पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसमें ऑर्डर में कमी या संभावित डाइवैस्टमेंट भी शामिल हैं।



1.2.6 अनधिकृत उपअनुबंध

जब तक कि Nike लिखित में पूर्व अनुमति न दे, Nike उत्पाद के निर्माण या वितरण का उपअनुबंध तीसरे पक्षों या अन्य सुविधा केंद्र के स्वामित्व वाली संस्थाओं को देना प्रतबंधित है।

1.2.7 नैतिकता

सुविधा केंद्र को सभी लागू रश्वत-वरीधी और भ्रष्टाचार-वरीधी कानूनों और वनियमों का पालन करना होगा, जिनमें अमेरिकी वदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम शामिल है, लेकिन उस तक ही सीमित नहीं है।

- Nike के साथ किए गए व्यवसाय या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सुविधा केंद्र को किसी को भी धन या मूल्यवान वस्तु (पक्षपात सहित) की पेशकश, भुगतान, भुगतान का वादा, भुगतान को अधिकृत, अनुरोध, प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए या स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- सुविधा केंद्र को Nike के साथ किए गए व्यवसाय या दी गई सेवाओं के संबंध में रश्वत, कमीशन या अन्य अनुचित लाभ की मांग नहीं करना चाहिए या स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- भले ही रश्वतखोरी जैसा कि स्थानीय व्यवहार में आम बात है, सुविधा केंद्र के कर्मियों, Nike के कर्मचारियों और सभी तृतीय-पक्ष वाले प्रतिनिधियों को अब भी भ्रष्टाचार वरीधी कानूनों और CLS का अनुपालन करना ही होगा।

- भ्रष्टाचार वरीधी कानूनों के अनुपालन को सक्षम बनाने के लिए सुविधा केंद्र को एक प्रभावी रश्वत वरीधी कार्यक्रम बनाए रखना होगा।
- सुविधा केंद्र को सभी भुगतानों का विवरण और दस्तावेजीकरण करने वाली सटीक और पारदर्शी लेखा पुस्तकें और रिकॉर्ड का रखरखाव करना होगा। यदि प्रबंधन को Nike के साथ किए गए व्यवसाय या उसे दी गई सेवाओं के संबंध में पहले बताए गए या किसी रश्वत-वरीधी अथवा भ्रष्टाचार-वरीधी कानूनों के उल्लंघन के बारे में पता चलता है, तो प्रबंधन तुरंत Nike को सूचित करेगा।
- अनुरोध किए जाने पर, सुविधा केंद्र को Nike को रश्वत-वरीधी और भ्रष्टाचार-वरीधी आवश्यकताओं के अनुपालन में सहायता करने वाली गतिविधियों के संबंध में आश्वासन और प्रमाण प्रदान करना होगा।
- सुविधा केंद्र में संभावित संहिता और CLS से जुड़ी चर्चाओं के लिए एक मज़बूत रपॉर्टिंग प्रणाली होनी चाहिए, जैसा कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी CLS के अधिकार में प्रभावी शकियत प्रक्रिया अनुभाग में बताया गया है और यह सुनिश्चित करें कि Nike को सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी कर्मचारी और उपठेकेदार को इसके अस्तित्व के बारे में मालूम हो।

उपहार, आतथ्य और अन्य भुगतान नीति

जब तक अधिक प्रतिबंधात्मक स्थानीय कानून लागू नहीं होते, तब तक सुविधा केंद्र को Nike के साथ किए गए वैध व्यावसायिक उद्देश्य या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किसी भी व्यक्त या संस्था को \$200 USD से अधिक मूल्य का उपहार या आतथ्य की पेशकश करने पर प्रतिबंध है। स्पष्टता के लिए बता दें कि यह बात Nike कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते समय भी लागू होती है।

कोई लेखा परीक्षक या सत्यापनकर्ता को रश्वत नहीं

उपरोक्त के बावजूद, सुविधा केंद्र किसी भी ऐसे Nike कर्मचारी या नामित तृतीय-पक्ष के प्रतिनिधिको किसी भी मूल्य का उपहार (उत्पाद या उत्पाद के नमूने सहित) नहीं दे सकता है, जो संहिता और CLS के अनुपालन की नगिरानी करने के लिए गतिविधियां कर रहे हैं, जिनमें ये शामिल हैं:

- ग्रेच्युटी
- मनोरंजन
- पक्षपात
- नकद या नकद के समतुल्य।



1.2.8 भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां

सुविधा केंद्र के कर्मियों पर नमिनलखित ज़िम्मेदारियां लागू होती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता हो, तो दस्तावेज़ बनाया जाना आवश्यक है।

- **सुविधा केंद्र के प्रबंधक।** CLS के सफल कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार, जिसमें भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां निर्धारित करना और आवश्यक संसाधन आवंटित करना शामिल है।
- **वर्षिय वस्तु के पेशेवर।** CLS की स्थापना, रखरखाव और परिचय कराना। उदाहरणों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) पेशेवर, EHS प्रैक्टिशिनर और HR पेशेवर शामिल हैं।
- **पर्यवेक्षक।** सुनिश्चित करें कि श्रमिक प्रशिक्षित हों और CLS की आवश्यकताओं का पालन करते हों।
- **श्रमिक, ऑन-साइट ठेकेदार और ऑन-साइट उपठेकेदार।** CLS की आवश्यकताओं का पालन करें।

1.2.9 संचार और प्रशिक्षण

कर्मचारी से बातचीत

सुविधा केंद्र को कार्यस्थल के नियमों, नीतियों और अभ्यासों के बारे में बताना होगा, तथा श्रमिकों को समझने वाली सभी भाषाओं (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह समझी जाने वाली) में प्रशिक्षण देना होगा। इसमें प्रवासी श्रमिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं भी शामिल हैं।

श्रमिकों का ओरिएंटेशन एवं प्रशिक्षण

सुविधा केंद्र को नए श्रमिकों को नयुक्ति के समय ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग देनी होगी जिसमें नौकरी की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां; स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताएं; औद्योगिक संबंध; उसकी आंतरिक आचार संहिता शामिल हों; नियम, नीतियां और प्रक्रियाएं; संस्कृति; लाभ और अन्य अधिकार; तथा मानव संसाधन से जुड़ी नीतियां जिनमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान शामिल है।

- जब नीतियां और प्रक्रियाओं में संशोधन हो, तो प्रशिक्षण को नियमित आधार पर अपडेट किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण उन सभी भाषाओं में आयोजित किया जाना चाहिए, जिन्हें कर्मचारी समझते (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह समझी जाने वाली) हों।
- यदि किसी कर्मचारी को भविष्य आवश्यकताओं वाली भविष्य भूमिका में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे नया ओरिएंटेशन देना चाहिए।

पर्यवेक्षक प्रशिक्षण

सुविधा केंद्र को पर्यवेक्षकों को लागू स्थानीय कानूनों, संहिता और CLS में प्रशिक्षित करना होगा।

1.2.10 कर्मचारी गोपनीयता संरक्षण

सुविधा केंद्र को श्रमिकों की गोपनीयता की रक्षा करनी होगी तथा सभी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना होगा। व्यक्तिगत जानकारी में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कर्मियों की फाइलें और किसी खास कर्मचारी से संबंधित अन्य दस्तावेज़ या जानकारी शामिल हो सकती है। इसमें आम तौर पर नमिनलखित सदिधांत शामिल हैं:

- केवल आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करना।
- व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करते समय उचित सूचना देना तथा सहमति प्राप्त करना।
- व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना, जिस उद्देश्य के लिए उसे एकत्रित किया गया था।
- व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना (जैसे, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों तक सीमित पहुंच, लॉक किए गए कैबिनेट) और यह सुनिश्चित करना कि केवल उपयुक्त कर्मियों (अर्थात मानव संसाधन स्टाफ) की ही उस तक पहुंच हो।
- व्यक्तिगत जानकारी को केवल तब तक ही रखें, जब तक कानून या अन्य कानूनी बाध्यता द्वारा अपेक्षित हो, तथा उसके बाद उसका सुरक्षित तरीके से नष्टित कर दें।



1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

संहिता, CLS और लागू स्थानीय कानूनों के अनुपालन को देखाने के लिए, सभी रिकॉर्डों (भौतिक और / या डिजिटल) का रखरखाव सुविधा केंद्र के परिसर में होना चाहिए और इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे आसानी से पहचाने जा सकें और Nike कर्मचारियों या नामित तृतीय-पक्ष प्रतिनिधियों को आसानी से सुलभ हों।

1.3.1 वर्तमान व्यवसाय और कार्यक्रम संबंधी रिकॉर्ड

इस प्रकार के रिकॉर्डों को कम से कम 12 महीने तक या स्थानीय कानून के अनुसार, जो भी अधिक हो, तब तक बनाए रखा जाना चाहिए। सुविधा केंद्र को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान वकिसति सभी रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे, इनमें से कुछ रिकॉर्डों की जानकारी नमिनलखिति है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमिति नहीं है:

- रपिर्ट
- नोटसि
- घोषणाएं
- कंप्यूटर फाइले
- ई-मेल
- उत्पादन के रिकॉर्ड

इसके अलावा, CLS उन अतिरिक्त प्रकार के रिकॉर्ड की पहचान करता है जिन्हें बनाए रखा जाना चाहिए और इनमें से कुछ रिकॉर्डों की जानकारी नमिनलखिति है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमिति नहीं है:

- वर्तमान जोखिम का आकलन
- वर्तमान कार्यक्रम, नीतियां और प्रक्रियाएं
- वर्तमान सुरक्षा डेटा शीट (SDS), तकनीकी दस्तावेज़ और फ़ैक्ट शीट
- बैठक के वविरण
- सेवा प्रदाता योग्यता प्रपत्र
- सेवा अनुबंध के साथ-साथ लाइसेंस, प्रमाणपत्र और देयता बीमा के प्रमाण की प्रतियां
- कर्मचारी योग्यता का प्रमाण: प्रशिक्षण, अनुभव, शक्ति, लाइसेंस और प्रमाणन
- सुविधा केंद्र-संचालित चाइल्ड केयर में शामिल होने वाले बच्चों के लिए माता-पिता का सहमत प्रपत्र
- प्रमाणन का प्रमाण
- वर्तमान Nike प्लेबुक

1.3.2 संग्रहित रिकॉर्ड

CLS कुछ प्रकार के रिकॉर्डों की पहचान करता है जिनके लिए लंबे समय तक बनाए रखने की आवश्यकता होती है और उन्हें संग्रहित किया जाना चाहिए और इनमें से कुछ रिकॉर्डों की जानकारी नमिनलखिति है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमिति नहीं है:

- **कर्मियों की फाइले**। रोजगार की अवधि, त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों की फाइले उनके अलग होने के बाद कम से कम तीन वर्षों तक संग्रहित की जानी चाहिए।
- **पेट्रोल और समयसीमा का पालन करने संबंधी रिकॉर्ड**। न्यूनतम तीन वर्ष।
- **गोपनीय चकितिसा संबंधी रिकॉर्ड**। रोजगार की अवधि के साथ ही 30 वर्ष। चकितिसा रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए तथा स्थानीय कानूनों के अनुसार यथा अपेक्षित को छोड़कर, शर्मिकों की लखिति सहमतर्फ के बनिा उनका खुलासा नहीं किया जा सकता है।

- **घटना के रिकॉर्ड**। न्यूनतम पांच वर्ष।
- **शर्मिकों की शकियते और शकियत के समाधान**। न्यूनतम तीन वर्ष।
- **प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड**। कम से कम तीन वर्ष, वषियों, तारीखों और उपस्थिति लोगों के नाम के दस्तावेज़ बनाना।
- **गोपनीय एवं सुरक्षित संबंधी चकितिसा रिकॉर्ड**। रोजगार की अवधि के साथ ही 30 वर्ष। स्थानीय कानून द्वारा आवश्यक होने को छोड़कर, चकितिसा संबंधी रिकॉर्ड कर्मचारी की लखिति सहमतर्फ के बनिा प्रकट नहीं कएि जाएंगे।
- **परीक्षण उपकरणों के लिए कैलब्रेशन रिकॉर्ड**। न्यूनतम तीन वर्ष।
- **रखरखाव के रिकॉर्ड**। उपकरण का जीवन काल।
- **अग्निकिसी अभ्यास**। न्यूनतम तीन वर्ष।
- **नरिमाण सुरक्षा**। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक आवश्यकताओं के लिए उपखंड 31.4 देखें।

1.3.3 ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड

Nike Traceability Playbook में वसितुत रूप से रिकॉर्ड के लिए आवश्यकताओं का वर्णन Nike Traceability Playbook में किया गया है। [ट्रेसेबिलिटी CLS](#) देखें।



2. ट्रेसेबिलिटी

2.1 मानक

ट्रेसेबिलिटी के लिए Nike का दृष्टिकोण प्रत्येक उत्पाद की फ़ीलड से एथलीट* तक और फरि वापसी तक की यात्रा को जानना है। वशिष्ट ट्रेसेबिलिटी मानक अलग से प्रदान किए जाते हैं।

- मूल्य श्रृंखला में उपयोग किए गए सभी इनपुट और आउटपुट का उनके मूल तक का पता लगाना।
- ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं को पूरा करना।
- अपडेट किए गए Nike ट्रेसेबिलिटी मानकों के अनुरूप बने रहना।

2.2 आवश्यकताएं

2.2.1 नीतियां और प्रक्रियाएं

- सभी सुविधा केंद्रों को अपनी अपस्ट्रीम सप्लाय चेन को Nike ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकताओं के बारे में बताना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सप्लाय चेन के हर लेवल को हमारे ट्रेसेबिलिटी उद्देश्य के बारे में सूचित किया जाएगा और हम ट्रेसेबिलिटी को क्रियान्वित करने में सहयोग करेंगे।
- अनुरोध पर ट्रेसेबिलिटी दस्तावेज़ एकत्र करने और प्रस्तुत करने के लिए सुविधा केंद्रों के पास सात कार्यदिवस हैं।
- वशिष्ट सोर्सिंग संबंधी विचारों वाली वस्तुओं को Nike के कच्चे माल संबंधी मानकों का पालन करना होगा। अतिरिक्त प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

2.2.2 ट्रेसेबिलिटी मॉनिटरिंग

Nike या हमारी ओर से काम करने वाला कोई तीसरा पक्ष समय-समय पर Nike की ट्रेसेबिलिटी संबंधी मानकों के अनुपालन की पुष्टि करेगा।

2.2.3 प्रशिक्षण

Nike डिजिटल ट्रेसेबिलिटी ट्रेनिंग से सुविधा केंद्रों को ट्रेसेबिलिटी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करने की सुविधा मिलती है। इस प्रशिक्षण में ये विषय शामिल किए गए हैं:

- ट्रेसेबिलिटी की परिभाषा
- ट्रेसेबिलिटी संबंधी मानक
- Nike के दस्तावेज़ीकरण के स्टैंडर्ड
- सर्वोत्तम अभ्यास और कार्यान्वयन संबंधी उपकरण

Nike के लिए सामग्री और उत्पादों के बनिर्माण में शामिल सभी सुविधा केंद्रों को Nike डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। कम से कम, प्रत्येक सुविधा केंद्र से एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। प्रत्येक स्थान पर ट्रेसेबिलिटी के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण पूरा करना होगा और उन्हें प्रशिक्षण की पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।

2.3 रिकॉर्ड प्रतियोगिता संबंधी आवश्यकताएं

Nike के ट्रेसेबिलिटी संबंधी मानक देखें।

* अगर आपके पास शरीर है, तो आप एथलीट हैं।



3. पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली CLS केवल EHS CLS पर लागू होता है, जो संहिता में टिकाऊ और सुरक्षित के अनुरूप है।

3.1 मानक

परिचालन से जुड़े जोखिमों की पहचान करने, उन्हें समाप्त करने या कम करने के लिए सुविधा केंद्र को एक पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (EHS) प्रबंधन प्रणाली विकसित और कार्यान्वित करनी होगी।

अनुशंसित प्रक्रिया

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को ISO 45001 या व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर ILO के दिशानर्देशों में रेखांकित फ्रेमवर्क के समतुल्य होना चाहिए। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ISO 14001 में रेखांकित फ्रेमवर्क के समतुल्य होना चाहिए।

3.2 आवश्यकताएं

3.2.1 जोखिम का आकलन

सुविधा केंद्र को एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन करना होगा, जिसमें तीन प्रकार के वशिलेपण शामिल होंगे:

- **एंटरप्राइज़ संबंधी जोखिम का मूल्यांकन।** श्रम, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा रणनीतियों को विकसित करते समय संभावित भौतिक खतरो, महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के लिए संगठन का उच्च-स्तरीय, प्रणाली-व्यापी, दूरदर्शी वशिलेपण प्रदान करता है।
- **स्थान-आधारित जोखिम का मूल्यांकन।** भवन निर्माण नीतियों, प्रक्रियाओं और परिचालनों को विकसित करते समय संभावित भौतिक खतरो, महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के लिए एक प्रणाली-व्यापी, निर्मित परविश का अग्रगामी वशिलेपण प्रदान करता है। एंटरप्राइज़ जोखिम मूल्यांकन में इन्टीग्रेट करता है।
- **CLS के लिए खास जोखिम के आकलन।** लागू CLS के लिए खास जोखिम आकलन प्रदान करता है। सुविधा केंद्र जोखिम मूल्यांकन में इन्टीग्रेट करता है।

संसाधन

पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली CLS का अनुपालन करने में सुविधा केंद्रों की मदद के लिए वसित मार्गदर्शन में नमिनलखित शामिल है:

- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली पर ILO-OSH 2001, ISO 45001 और ISO 14001 दिशानर्देश



3.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र के पास वैध संचालन लाइसेंस और सभी लागू परमिट होने चाहिए।

सुवधि केंद्र के पास वरिष्ठ स्थान या महाप्रबंधक के हस्ताक्षर सहित लिखित EHS नीति होनी चाहिए। नीति में कम से कम निम्नलिखित शामिल होना ही चाहिए:

- आशय का कथन।
- प्रासंगिक EHS विनियमों और अन्य लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की वचनबद्धता।
- नरितर सुधार के लिए वचनबद्धता।
- EHS लक्ष्यों को तय करने और मापने के लिए फ्रेमवर्क।

EHS नीति निम्नलिखित होनी चाहिए:

- हर दो साल में दस्तावेज़ बनाए जाते हैं और समीक्षा की जाती है।
- सभी श्रमिकों को सूचित किया गया।
- आम जनता के लिए उपलब्ध।

अनुशंसित प्रक्रिया

सुवधि केंद्रों को बदलाव के प्रबंधन की प्रणाली लागू करनी चाहिए।

3.2.3 पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ी रणनीति

सुवधि केंद्र में एक औपचारिक EHS रणनीतिक योजना होनी चाहिए। EHS उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए:

- उच्च जोखिमों (जैसे कि जोखिम मूल्यांकन में पहचाना गया है); कानूनी और अन्य आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी के विकल्प, वित्तीय, परिचालन और व्यावसायिक आवश्यकताएं तथा हितधारक के इनपुट को ध्यान में रखें।
- वशिष्ट, मापनीय, हासिल करने योग्य, यथार्थवादी और समयबद्ध (SMART) बनें।

यह योजना एकल हो सकती है या सुवधि केंद्र की समग्र व्यवसाय योजना का हिस्सा हो सकती है। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वामी को असाइन किया जाना चाहिए।

3.2.4 दस्तावेज़ नयितरण

सुवधि केंद्र के पास सभी EHS-संबंधित दस्तावेजों के लिए एक औपचारिक दस्तावेज़ प्रबंधन योजना होनी चाहिए। दस्तावेज़ निम्नलिखित होने चाहिए:

- **पढ़ने योग्य।** दस्तावेज़ स्पष्ट एवं पढ़ने में आसान होने चाहिए।
- **पहचान योग्य।** दस्तावेजों में संस्करण संख्या और यदि लागू हो, तो संस्करण नयितरण के लिए प्रभावी तिथि अंकित होनी चाहिए।
- **पहुंच योग्य।** आवश्यकता पढ़ने पर कर्मचारियों को दस्तावेज़ का वर्तमान संस्करण ढूंढने में सक्षम होना चाहिए।
- **सामयिक।** जमिंदार पक्षों द्वारा कम से कम हर दो साल में या जब भी महत्वपूर्ण बदलाव हों, दस्तावेजों की समीक्षा और संशोधन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। अप्रचलित दस्तावेजों तक पहुंच को तत्काल हटाया जाना चाहिए ताकि उनका अनपेक्षित उपयोग रोका जा सके तथा उन्हें लिखित रिकॉर्ड-प्रतिधारण कार्यक्रम के अनुसार नष्ट या संग्रहित किया जाना चाहिए।

3.2.5 स्वतः मूल्यांकन

सुवधि केंद्र के पास अपनी EHS प्रबंधन प्रणाली के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए एक दस्तावेज़बद्ध स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए। सुवधि केंद्र में स्व-मूल्यांकन की आवृत्ति को समग्र जोखिम स्तरों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए तथा जोखिम बढ़ने या घटने पर इसमें बदलाव हो सकता है।



3.2.6 गैर-अनुपालन

सुविधा केंद्र को EHS प्रबंधन प्रणाली के किसी भी पहलू के गैर-अनुपालन की पहचान करने, प्राथमिकता देने, जांच और समाधान करने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित करना होगा। न्यूनतम आवश्यकताओं में नमिनलखित शामिल है:

- सुधारात्मक और नवारिक कार्रवाइयों के लिए जम्मेदार पक्षों को नियुक्त करने की वधि।
- गैर-अनुपालन को हल करने और रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई का वविरण।
- लक्ष्य के मुताबिक कार्यों को पूरा करने की तारीखें।
- पूर्णता की वास्तविक तारीखें।

3.2.7 प्रबंधन की समीक्षा

सुविधा केंद्र को EHS प्रबंधन प्रणाली की वार्षिक समीक्षा करने के लिए प्रक्रियाएं विकसित और कार्यान्वित करनी होंगी। कम से कम, प्रबंधन को नमिनलखित का आकलन करना चाहिए:

- EHS रणनीतिक योजना के अनुरूप प्रगत।
- EHS प्रबंधन प्रणाली और EHS रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन के लिए भूमिकाएं और जम्मेदारियां।
- प्रक्रियाओं एवं कार्यवधियों का कार्यान्वयन।
- EHS नीति (प्रत्येक दो वर्ष)।
- लेखापरीक्षा परणाम, अनुशंसाएं, गैर-अनुपालन, तथा सुधारात्मक और नवारिक कार्रवाई।
- प्रमुख प्रदर्शन संकेतक या मेट्रिक्स।
- EHS प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता।

3.2.8 संचार

प्रबंधन को EHS नीति और प्रक्रियाओं के बारे में शर्मिकों को सूचित करना चाहिए। कार्यस्थलों पर कम से कम नमिनलखित होना चाहिए:

- EHS नोटसि देने के लिए EHS नोटसि बोर्ड या वेबसाइट रखें।
- सभी शर्मिकों को मासिक आधार पर EHS की जानकारी बताएं।

3.2.9 प्रशिक्षण

सुविधा केंद्र में एक औपचारिक प्रशिक्षण योजना होनी चाहिए, जिसमें सभी शक्षिण पाठ्यक्रमों की पहचान हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि EHS प्रबंधन प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रत्येक CLS में वर्णित है, सभी शर्मिकों को EHS प्रबंधन प्रणाली के भाग के रूप में विकसित प्रत्येक लखित प्रक्रिया पर प्रभावी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- वर्तमान EHS नीति
- वर्तमान EHS रणनीतिक योजना वर्तमान प्रशक्षिण योजना
- ISO 45001 या ILO आधारित व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा स्टैंडर्ड

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- आंतरिक लेखापरीक्षा रिकॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।
- गैर-अनुपालन रिकॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।
- प्रबंधन रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करता है। न्यूनतम तीन वर्ष।



4. पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति

पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति CLS केवल EHS CLS पर लागू होता है, जो संहिता में टिकाऊ और सुरक्षित के अनुरूप है।

4.1 मानक

सुविधा केन्द्र को एक पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (EHS) समिति गठित करनी होगी, जिसका कार्य कार्यस्थल पर EHS स्थितियों में सुधार के लिए प्रक्रियाओं और कार्यवधियों को विकसित करना और उन्हें क्रियान्वित करना होगा।

4.2 आवश्यकताएं

4.2.1 नीतियां और प्रक्रियाएं

सदस्यता

- यदि स्थान पर 20 या उससे कम लोग हों, तो EHS समिति में कम से कम दो सदस्य होने चाहिए, तथा यदि स्थान पर 20 से अधिक लोग हों, तो कम से कम चार सदस्य होने चाहिए।
- EHS समिति संतुलित होनी चाहिए, जिसमें प्रबंधक और श्रमिक प्रतिनिधियों की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए।
- EHS समिति में सभी प्रमुख कार्य गतिविधियों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।
- जब भी संभव हो, तो EHS समिति के सदस्यों को कम से कम एक वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा करना चाहिए।
- अस्थायी कर्मचारियों को EHS समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, तथा जहां तक संभव हो, एक सदस्य को कम से कम एक वर्ष का कार्यकाल दिया जाना चाहिए।
- समिति में भागीदारी आवेदन / चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्वैच्छिक होनी चाहिए तथा इसे जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए।

समिति के कार्य

EHS समिति कम से कम निम्नलिखित कार्य करेगी:

- वार्षिक आधार पर अध्यक्ष का चुनाव करना।
- EHS समिति के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यकतानुसार अन्य पदों की पहचान करना और उनका चुनाव करना।
- नीचे वर्णित अनुसार प्रत्येक त्रमाही में कम से कम एक बार साइट निरीक्षण करना।
- उन महीनों को छोड़कर जब त्रमाही निरीक्षण किया जाता है, प्रत्येक माह एक बार बैठक आयोजित करना।
- बैठक के एजेंडे और वविरण का दस्तावेजीकरण और रखरखाव करना; आवश्यकताओं के लिए 3.2.2 EHS समिति बैठक का एजेंडा और वविरण देखना।
- समिति के कार्य के बारे में संप्रेषण करने के प्रभावी तरीकों की पहचान करना तथा बैठक के वविरण को सभी कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराना।
- एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करना जो कार्यबल को समिति को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी सुझाव देने में सक्षम बनाए।
- चोटों, दुर्घटनाओं, बीमारियों, मौतों, रासायनिक रिसाव और आग सहित सभी EHS-संबंधित घटनाओं की जांच के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना।
- एक ऐसी प्रक्रिया बनाएँ जिसमें प्रबंधन अगली बैठक से पहले या 30 दिनों के भीतर, इनमें जो भी पहले हो, EHS समिति की सफ़ारिशों पर प्रतिक्रिया दे सके।
- EHS समिति की प्रक्रियाओं का वार्षिक मूल्यांकन करना तथा कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए आवश्यकतानुसार सुधार करना।



4.2.2 EHS समितिकी बैठक का एजेडा और बैठक का वविरण

EHS समिति को बैठक का एजेडा बनाना होगा तथा प्रत्येक बैठक का वविरण लिखना होगा। इसमें कम से कम इन चीजों को शामिल और दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए:

- EHS समिति के सदस्यों की उपस्थिति एवं उपस्थिति लोगों की सूची।
- खुले और समाधान किए गए ऐक्शन आइटम की समीक्षा करें।
- कार्यस्थल सुरक्षा नरीक्षणों से संबंधित लंबित चिंताओं की समीक्षा करना।
- महत्वपूर्ण नई घटनाओं या प्रवृत्तियों की समीक्षा करना।
- कार्यकर्ता सुझावों की समीक्षा करना।
- अन्य वषिय।
- अगली बैठक के लिए तारीख चुनना।

4.2.3 त्रैमासिक कार्यस्थल सुरक्षा नरीक्षण

EHS समिति को त्रैमासिक आधार पर कार्यस्थल का नरीक्षण करना होगा। कम से कम, नरीक्षण में इन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए:

- नरीक्षण परणामों का दस्तावेजीकरण करना।
- कार्यस्थल पर खतरो और असुरक्षित कार्य प्रथाओं को समाप्त करने के तरीके सुझाना।
- सुधार कार्य पूरा होने तक गैर-अनुपालनों पर नज़र रखना।

4.2.4 प्रशिक्षण

सभी EHS समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जो उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा, जिसमें ये शामिल हैं:

- EHS समिति का उद्देश्य।
- EHS समितिकी बैठक आयोजित करने की परचालन प्रक्रिया।
- EHS समितिकी प्रक्रियाएं।
- सुवधि केंद्र पर लागू होने वाले CLS और स्थानीय कानूनों तक कैसे पहुंचें।
- कार्यस्थल पर खतरो की पहचान कैसे करें।
- दुर्घटना और घटना की प्रभावी जांच कैसे की जाए।

4.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएं देखें।

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- EHS समिति की बैठक का वविरण। न्यूनतम तीन वर्ष।



टाकिऊ



वायु उत्सर्जन और जलवायु के प्रभाव न्यूनतम किए गए हैं

यह सुविधा केन्द्र वायु उत्सर्जन और ऊर्जा प्रणालियों के प्रबंधन के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं और Nike-स्वीकृत उद्योग मानकों का पालन करती है।

सुविधा केन्द्रों के लिए आवश्यकताओं में ये शामिल हैं:

- ग्रीनहाउस गैसों (GHG), वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOC), खतरनाक वायु प्रदूषकों, कणों, अमोनिया, ओजोन-क्षयकारी रसायनों और दहन उप-उत्पादों की नियमित मॉनिटरिंग और रीपोर्टिंग।
- सभी संबंधित क्रय और इन्वेंटरी रिकॉर्ड का रखरखाव करना।
- उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली सभी प्रक्रियाओं और उपकरण की नियमित परफॉर्मंस मॉनिटरिंग।
- बेहतर दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के ज़रिए उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करना।

इस अनुभाग में ये चीज़ें शामिल हैं:

- [वायु उत्सर्जन CLS](#)
- [ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन CLS](#)



5. वायु उत्सर्जन

5.1 मानक

सुवधि केंद्र को कानूनी आवश्यकताओं और Nike-स्वीकृत उद्योग मानकों के अनुसार वायु उत्सर्जन की विशेषता, नियमिता नगिरानी, नयितरण और उपचार के लिए एक कार्यक्रम लागू करना होगा। वायु उत्सर्जन कार्यक्रम को कार्यक्रम विकास, नीतिकायान्वयन तथा सुवधि केंद्र- और प्रक्रिया-जनित वायु उत्सर्जन के लिए नियमिता प्रशिक्षण के माध्यम से घर के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण को न्यूनतम करना होगा।

5.2 आवश्यकताएं

5.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक वायु उत्सर्जन जोखिम मूल्यांकन करवाकर उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- सभी वायु उत्सर्जनों की पहचान करना, जिसमें स्रोतों का पता लगाना और प्रदूषकों की विशेषता बताना शामिल है।
- वायु प्रदूषण नयितरण उपकरणों की पहचान करना और फिर उत्सर्जन पर उसके प्रभाव का परीक्षण और / या गणना करना।
- खतरनाक रसायनों के शून्य नयितरण (ZDHC) वायु उत्सर्जन संबंधी दशानरिदेशों के अनुसार उत्सर्जन क्षमता (PTE) की गणना और परीक्षण करना।
- परीक्षण किए गए और / या वास्तविक प्रदूषण स्तर की तुलना लागू कानूनी आवश्यकताओं और उद्योग मानकों से करना।

5.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र में वायु उत्सर्जन के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए कम से कम ये प्रक्रियाएं लागू होनी चाहिए:

- वायु उत्सर्जन के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन बनाए रखना।
- सभी वेंटिलेशन / निकास प्रणालियों और सभी वायु प्रदूषण नयितरण उपकरणों की प्रभावशीलता का कम से कम वार्षिक मूल्यांकन करना।
- सभी बढ़ि स्रोत उत्सर्जनों का कम से कम वार्षिक परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वायु उत्सर्जन कानूनी आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है तथा स्वीकृत उद्योग के मानकों और मानव स्वास्थ्य संबंधी दशानरिदेशों को पूरा करता है।
- आवश्यकतानुसार सभी गैर-बढ़ि स्रोत उत्सर्जनों का परीक्षण करना, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वायु उत्सर्जन कानूनी आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है तथा स्वीकृत उद्योग के मानकों और मानव स्वास्थ्य संबंधी दशानरिदेशों को पूरा करता है।
- किसी भी घटना या प्रणाली विफलता की घटना की रपिर्टिंग और जांच जो सुवधि केंद्र या प्रक्रिया-जनित वायु उत्सर्जन को प्रभावित करती है।



5.2.3 प्रशिक्षण

रसायनों या वायु-उत्सर्जन प्रणालियों के पास काम करने वाले श्रमिकों को, जब वे काम पर रखे जाते हैं, तब, प्रतविष, तथा जब भी खतरे, प्रक्रियाएं या कार्यवधि बदलती हैं, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- वायु-उत्सर्जन स्रोतों, उनके स्थानों तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की पहचान कैसे करें।
- नीतियों और प्रक्रियाओं को क्रियान्वित कैसे करें।
- अनियोजित वायु उत्सर्जन या वेंटिलेशन और प्रदूषण नियंत्रण वफादताओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना कैसे बनाएं और उसे कैसे लागू करें।

वायु उत्सर्जन रखरखाव

प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के सिस्टम प्रदर्शन का रखरखाव और विलक्षण करने वाले श्रमिकों को वशिष्ट परचालन आवश्यकताओं और प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

5.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike के लिए सुविधा केंद्रों को ये रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है:

- वायु उत्सर्जन जोखिम मूल्यांकन
- पॉइंट सोर्स इन्वेट्री
- प्रदूषण नियंत्रण उपकरण
- हवा में उत्सर्जित सभी रसायनों के लिए सुरक्षा डेटा शीट (SDS)
- आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना
- निकास प्रणालियों और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लिए वार्षिक परीक्षण रिपोर्ट

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- SDS. रासायनिक उपयोग की अवधि प्लस 30 वर्ष।





6. ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन

ऊर्जा उत्पादन और उपयोग की वजह से वायु उत्सर्जन हो सकता है, जिनमें ग्रीनहाउस गैस (GHG) के उत्सर्जन शामिल हैं जिनके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के एथलीटों और समुदायों को प्रभावित करता है, और Nike अपने परिचालन और मूल्य श्रृंखला, व्यापक फुटवियर और परिधान उद्योग और उससे परे भी उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। Nike उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में सहायता करता है, जिसमें शामिल है Science Based Targets initiative (वैज्ञान आधारित लक्ष्य पहल) (SBTi), जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यकता के अनुरूप GHG उत्सर्जन को कम करना है।

6.1 मानक

सुविधा केंद्र को GHG उत्सर्जन प्रबंधन और कटौती के लिए एक सुसंगत और सक्षम दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना होगा। GHG उत्सर्जन को मापने, ट्रैक करने और रपॉर्ट करने के प्रयास सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

सुविधा केंद्र को ऊर्जा खपत को कम करने तथा संसाधनों का यथासंभव कुशल उपयोग करने का प्रयास करने चाहिए। ऊर्जा खपत को न्यूनतम करने से दोहरा लाभ होता है, इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है और लागत में भी बचत होती है।

दक्षता के अवसरों को अधिकतम करने के बाद बचे हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, सुविधा केंद्र को स्वच्छ ऊर्जा खपत को अधिकतम करने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रयास में आगे दिए गए सदिशों का पालन करना शामिल है, आपूर्तिकर्ताओं के लिए Nike की नवीकरणीय बजिली संबंधी गाइड और अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ-साथ कार्यक्रम समर्थन प्रदान किया जाएगा।

6.2 आवश्यकताएं

6.2.1 जोखिम का आकलन

सुविधा केंद्र को वार्षिक GHG उत्सर्जन जोखिम मूल्यांकन का संचालन और दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। GHG उत्सर्जनों से जुड़े सभी संभावित पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (EHS) खतरों की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। पहचाने गए जोखिमों को रोकने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उनका क्रियान्वयन करना।
- सत्यापित उपठेकेदारों ने 1 जनवरी, 2023 के बाद कोई नई कोयला-आधारित तापीय प्रणाली स्थापित नहीं की है।
- यह सत्यापित करना कि उपठेकेदार किसी भी तापीय प्रणाली के लिए ईंधन स्रोत के रूप में भारी ईंधन तेल का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

संसाधन

ये संसाधन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन CLS का अनुपालन करने में सहायता करने के लिए सुविधा केंद्रों को बड़े स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं:

- आपूर्तिकर्ताओं के लिए Nike नवीकरणीय ऊर्जा गाइड
- Nike सतत बायोमास नीति
- Nike बायोमास टूल
- ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल
- जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
- जलवायु कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र फैंशन उद्योग चार्टर
- वैज्ञान आधारित लक्ष्य पहल
- मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल
- वायु उत्सर्जन CLS
- मशीन सुरक्षा CLS
- रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है CLS

जलवायु परिवर्तन से संबंधित EHS खतरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें:

- ताप तनाव रोकथाम CLS
- व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन CLS
- पेय जल CLS



6.2.2 नीतियाँ और प्रक्रियाएँ

सुवधि केंद्र को, जहाँ तक संभव हो, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) पेरिस समझौते, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मॉन्टरियल प्रोटोकॉल और जलवायु कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र फ़ैशन उद्योग चार्टर (UNFICCA) के लक्ष्यों के अनुरूप GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। साथ मलिकर, ये संगठन और पहल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं।

अनुशंसित प्रक्रिया

सभी सुवधि केंद्रों को ISO 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) या इसके सदिधांतों पर काम करने वाले वैकल्पिक कार्यक्रम को लागू करना और उसका अनुपालन करना चाहिए, जैसे कि Nike के ऊर्जा न्यूनतम कार्यक्रम।

Nike की आपूर्ति श्रृंखला में ये चीजे शामिल हैं:

ऊर्जा प्रबंधन

GHG उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम की आधारशिला संसाधन दक्षता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है। उचित रूप से क्रियान्वित किए जाने पर, उच्च प्रदर्शन वाला ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम उत्पादकता में वृद्धि करने, उत्सर्जन में कमी लाने और लागत बचत प्राप्त करने में सुवधि केंद्र की सहायता करता है। ये कार्यक्रम, जनिहे ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी कहा जाता है, नरितर सुधार प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक क्षमताओं, डेटा विश्लेषण और प्रक्रिया प्रबंधन को एक साथ लाते हैं।

कोयला-आधारित ऊर्जा प्रणालियाँ

UNFICCA के अनुसार, 1 जनवरी 2023 से किसी भी सुवधि केंद्र में सामग्री और इस्तेमाल के लिए तैयार माल के साथ-साथ बॉयलर जैसे नए कोयला-आधारित तापीय प्रणालियों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

UNFICCA के अनुसार, 1 जनवरी 2030 से किसी भी साइट पर ऊर्जा प्रणाली (जैसे, बॉयलर, और संयुक्त ताप और शक्ति) द्वारा ईंधन स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग, जिसका उपयोग सामग्री और तैयार माल के साथ-साथ किसी भी सुवधि केंद्र में गर्मी, भाप या बजिली की आपूर्ति के लिए किया जाता है, प्रतिबंधित है।

भारी ईंधन तेल

किसी भी साइट पर ऊर्जा प्रणाली (जैसे, बॉयलर और संयुक्त ताप और शक्ति) द्वारा ईंधन स्रोत के रूप में भारी ईंधन तेल (जैसे, ईंधन तेल नंबर 6 – बंकर C) का उपयोग किसी भी सुवधि केंद्र में गर्मी, भाप या बजिली की आपूर्ति के लिए, सामग्री और तैयार माल सहित, प्रतिबंधित है।

CFC

मॉन्टरियल प्रोटोकॉल के अनुसार, शीतलन प्रणालियों और मशीनों सहित किसी भी सुवधि केंद्र में क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) का उपयोग नषिद्ध है।

HFC

किसी भी सुवधि केंद्र में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता है तथा मॉन्टरियल प्रोटोकॉल में संशोधन के अनुसार इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।

HCFC

मॉन्टरियल प्रोटोकॉल में संशोधन के अनुसार, 1 जनवरी 2030 से सभी देशों में किसी भी सुवधि केंद्र में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC) का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

GHG सूची

सुवधि केंद्रों को GHG प्रोटोकॉल संबंधी मानकों के अनुसार सभी स्कोप 1 और स्कोप 2 GHG उत्सर्जनों की सटीक इलेक्ट्रॉनिक सूची बनाए रखनी होगी।



टिकाऊ बायोमास खरीद

अगर सुविधा केंद्र के ऑन-साइट बॉयलरो में बायोमास का उपयोग किया जाता है, तो बायोमास की खरीद के लिए Nike टिकाऊ बायोमास नीति का पालन किया जाना चाहिए और सुविधा केंद्र को Nike बायोमास सोर्सिंग सप्लायर टूल (Nike बायोमास टूल) का उपयोग करना चाहिए, ताकि बायोमास की स्थिरता विशेषताओं को स्कोर किया जा सके। बायोमास को नीति में वर्णित न्यूनतम स्कोर को पूरा करना होगा या उससे अधिक होना होगा और सुविधा केंद्रों को उच्च स्कोर वाले बायोमास की खरीद का प्रयास करना चाहिए, जहां तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर प्राप्त किया जा सके। सभी सुविधा केंद्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बायोमास का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग में आने वाले सभी बायोमास स्रोतों और जब भी कोई नया फीडस्टॉक पेश किया जाए, तब वर्ष में कम से कम एक बार Nike बायोमास टूल का उपयोग करें।

बायोगैस फ्लेयरिंग

बायोगैस एक विशिष्ट उप-उत्पाद है जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों, अपशिष्ट संयंत्रों और लैंडफिल साइटों जैसी सुविधा केंद्रों द्वारा उत्पादित होता है। बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जो क्रमशः आयतन के हिसाब से लगभग 50%-65% और आयतन के हिसाब से लगभग 30%-50% होते हैं। बायोगैस में कई अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे जल वाष्प, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्लोक्सेन और हाइड्रोकार्बन।

बायोगैस न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे गंभीर सुरक्षा खतरे भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए, इसे स्थानीय नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार उचित रूप से संसाधित और प्रबंधित किया जाना चाहिए। यदि किसी सुविधा केंद्र में बायोगैस का उत्सर्जन होता है, तो अवायवीय मीथेन के केंद्रीकृत प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है।

यदि बायोगैस उत्पादन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जा सकता है या उसे बायोमीथेन में उन्नत नहीं किया जा सकता है, तो बायोगैस या बायोमीथेन को इकट्ठा करके उसे जला दिया जाना चाहिए। बायोगैस फ्लेयरिंग कार्यस्थल की सुरक्षा को बेहतर बनाने, उत्पादित बायोगैस की गुणवत्ता को समझने, गंध प्रदूषण को कम करने और ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। कृपया उद्योग मानकों और आवश्यकताओं के लिए स्थानीय विनियमों के साथ-साथ ISO 20675 और ISO 22580 का संदर्भ लें।





पर्यावरणीय वशिष्टताएँ

पर्यावरणीय वशिष्टताएँ (EA) तय किए गए मानदंडों के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि उन्हें सुविधा केंद्र में GHG उत्सर्जनों में कमी लाने के लिए स्वीकार किया जा सके। EA का दावा केवल सुविधा केंद्र द्वारा उपभोग की गई बजिली के लिए ही किया जा सकता है। तीन सामान्य परदृश्य हैं:

- ऑनसाइट उत्पादन।
 - ऑनसाइट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे किरूफ्टॉप सोलर फोटोवोल्टिक (PV) प्रणाली।
- ऑफसाइट उत्पादन।
 - एक समर्पित ट्रांसमिशन जो स्थानीय ग्रिड से न जुड़ा हो।
 - बजिली स्थानीय ग्रिड से प्राप्त की जाती है, और EA अलग से प्राप्त किए जाते हैं।

सुझाई गई प्रक्रियाएं

1. नवीकरणीय ऊर्जा के लिए EA का दावा करते समय सुविधा केंद्रों को इस मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए:

अनुबंध इस तरह से लिखे जाने चाहिए कि बजिली की खपत करने वाले सुविधा केंद्रों को ही EA प्राप्त हो। ऐसे मामलों में जहां उत्पादन उपकरण का स्वामित्व किसी तृतीय-पक्ष के पास है (जैसे कि साइट पर परियोजनाओं के मामले में डेवलपर के स्वामित्व वाले रूफटॉप सौर पैनल या ऑफसाइट के मामले में स्वतंत्र बजिली उत्पादक), तीसरे पक्ष और बजिली की खपत करने वाले सुविधा केंद्र के बीच अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि उपभोग करने वाले सुविधा केंद्र सभी EA (वर्तमान में और भविष्य में मान्यता प्राप्त होने वाले दोनों) की ज़िम्मेदारी लेते हैं। यदि EA के लिए कोई वनियामक तंत्र मौजूद नहीं है, तो अनुबंध में यह प्रावधान होना चाहिए कि ऐसा तीसरा पक्ष उपभोक्ता सुविधा केंद्र के उचित अनुरोध पर EA को हस्तांतरित करेगा, सेवानिवृत्त करेगा या प्रदान करेगा और तीसरा पक्ष ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो सुविधा केंद्र को उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से जुड़े EA का दावा करने से रोके।

2. ऑफ-साइट उत्पादन से EA का दावा करते समय, Nike आगे दिए गए दशानिर्देशों का सुझाव देता है:

- सुविधा केंद्र को ऑफसाइट उत्पादन के लिए EA का दावा करने के लिए ओपन-एक्सेस वनियामक फ्रेमवर्क का उपयोग करना चाहिए। इन फ्रेमवर्क में ओपन-एक्सेस प्रत्यक्ष (सलीव्ड) या वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) वनियामक फ्रेमवर्क शामिल हैं।
- जब खुली पहुंच वाला वनियामक फ्रेमवर्क उपलब्ध न हो, तब भी सुविधा केंद्र GHG उत्सर्जन में कमी के लिए EA को मान्यता देना संभव हो सकता है, बशर्ते उत्पादन बढ़ि (नवीकरणीय ऊर्जा वदियुत संयंत्र) और उपभोग बढ़ि (परिसर) एक ही बाजार में एक ही या परस्पर जुड़े ग्रिड में हों। यह व्यवस्था GHG प्रोटोकॉल स्कोप 2 मार्गदर्शन का अनुसरण करती है, जब तक कि स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद हों जो उत्पादित बजिली, EA और उपभोग की गई बजिली को जोड़ते हों।
- ट्रेसेबिलिटी और वशिष्टसनीय लेखांकन को सक्षम करने के साथ-साथ भविष्य के ऑडिट की संभावना पर ध्यान देने के लिए, उपभोग करने वाले सुविधा केंद्र को जहां संभव हो, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) रजिस्ट्री के साथ EA को पंजीकृत करना चाहिए। इसके बाद, सुविधा केंद्र उचित रिकॉर्ड के साथ GHG कटौती का दावा करने के लिए उन REC को वापस ले सकता है।
- यद्यपि अनबंडल किए गए REC को मान्यता प्राप्त है, लेकिन वे कम प्राथमिकता वाले विकल्प हैं, क्योंकि उनसे अतिरिक्तता की संभावना कम होती है, मतलब ऐसा लेनदेन जो एक नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करता है या किसी मौजूदा परियोजना का वसितार करता है। अतिरिक्तता को पर्यावरणीय प्रतबिद्धता का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। इसी कारण से, Nike नवीकरणीय ऊर्जा प्रतबिद्धताओं को प्राप्त करने के लिए अनबंडल किए गए REC पर निर्भर रहने को हतोत्साहित करती है। अनबंडल किए गए REC को केवल एक अस्थायी उपाय माना जाना चाहिए, जहां कोई अन्य विकल्प संभव न हो।

आपूर्तिकर्ताओं के लिए Nike नवीकरणीय ऊर्जा गाइड में अतिरिक्त मार्गदर्शन उपलब्ध।



6.2.3 प्रशिक्षण

जो कर्मचारी GHG उत्सर्जन संबंधी जानकारी का रिकॉर्ड रखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप GHG उत्सर्जन सूची तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

6.3 रिकॉर्ड प्रतियोगिता संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतियोगिता आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- GHG जोखिम मूल्यांकन और शमन योजना
- पॉइंट सोर्स इन्वेस्ट्री
- वर्तमान प्रदूषण नियंत्रण उपकरण
- निकास प्रणालियों और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लिए वार्षिक परीक्षण परणाम

इसके अलावा Nike चाहता है कि सुविधा केंद्रों में कुछ नश्वर डेटा संग्रहीत किया जाए:

- GHG सूची और संबंधित रिकॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष। रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों और / या दशानिदेशों के मुताबिक होने चाहिए। किसी तृतीय-पक्ष आशवासन प्रदाता से समीक्षा कराने की अनुमति दी जाती है।





अपशष्टि को न्यूनतम किया जाता है और उचित तरीके से प्रबंधित किया जाता है

सुवधि केंद्र में CLS, स्थानीय कानूनों और वनियमों के अनुपालन में सभी खतरनाक और ठोस अपशष्टि को उचित रूप से पृथक किया जाता है, उनका प्रबंधन किया जाता है, परिवहन किया जाता है और उनका नष्ट किया जाता है।

सुवधि केंद्र द्वारा सभी आवश्यक परमिट प्राप्त किए जाते हैं तथा यह सत्यापित किया जाता है कि खतरनाक और ठोस अपशष्टि ठेकेदार उचित रूप से योग्य और लाइसेंस प्राप्त हैं।

यह सुवधि केंद्र अपशष्टि उत्पादन को न्यूनतम करने के लिए उपाय करता है और नरितर प्रयास करता है।

इस अनुभाग में ये चीजें शामिल हैं:

- खतरनाक अपशष्टि CLS
- ठोस अपशष्टि (गैर-खतरनाक अपशष्टि) CLS



7. खतरनाक अपशष्टि

7.1 मानक

इस खंड की आवश्यकताएं खतरनाक अपशष्टि के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और नपिटान पर लागू होती हैं।

- सुवधि केंद्र को लाइसेंस प्राप्त और योग्य खतरनाक अपशष्टि ट्रांसपोर्टरो, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नपिटान परसिरो का चयन करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को विकसित और क्रियान्वित करना होगा, साथ ही, यह सत्यापित करना होगा कि ये पक्ष ज़िम्मेदार पर्यावरण प्रबंधन प्रथाओं का पालन करते हैं (जैसे कि भूमि पानी में खुले में नपिटान की अनुमति नहीं देना)।

7.2 आवश्यकताएं

7.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक खतरनाक अपशष्टि जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। उत्पन्न होने वाले सभी संभावित खतरनाक अपशष्टिों की पहचान करना; उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशष्टिों की मात्रा और स्थान का निर्धारण करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम का मूल्यांकन करना।

नियंत्रण के उपाय। पहचाने गए जोखिमों को रोकने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उनका क्रियान्वयन करना।

संसाधन

ये संसाधन खतरनाक अपशष्टि CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता के लिए वसित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं:

- Nike अपशष्टि विक्रेता प्रबंधन और मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश
- रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है CLS
- अग्निसुरक्षा प्रबंधन CLS



7.2.2 नीतियाँ और प्रक्रियाएं

प्रति माह 100 कग्रा (220 पाउंड) या इससे अधिक खतरनाक अपशष्टि उत्पन्न या संग्रहीत करने वाले प्रत्येक सुविधा केंद्र को खतरनाक अपशष्टि से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा।

प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

खतरनाक अपशष्टि प्रबंधन कार्यक्रम

सुविधा केंद्र को खतरनाक अपशष्टि न्यूनीकरण और न्यूनतमीकरण कार्यक्रम को लागू करना होगा, जिसमें भवन संचालन (जैसे पेट या पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनाइल [PCB]) से उत्पन्न अपशष्टि भी शामिल है। कार्यक्रम की वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतित किया जाना चाहिए।

परमिट

सुविधा केंद्र को स्थानीय कानूनों और नयियों के अनुसार खतरनाक अपशष्टि उत्पादन, भंडारण और नपिटान के लिए सभी आवश्यक परमिट प्राप्त करने होंगे।

भंडारण क्षेत्र

सुविधा केंद्र को खतरनाक अपशष्टि भंडारण क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा जिनमें ये चीजें शामिल हैं:

- **सुरक्षा।** भंडारण क्षेत्र को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
- **संलग्नक।**
 - भंडारण क्षेत्र को मौसम और जानवरों से सामग्री की सुरक्षा के लिए पांचों तरफ से ढकना और बंद किया जाना चाहिए।
 - खतरनाक अपशष्टि को अभेद्य सतह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।
- **खतरे का संकेत।** भंडारण क्षेत्रों में उचित संकेतक चिह्न लगे होने चाहिए। संकेतों में स्पष्ट रूप से "खतरनाक अपशष्टि" लिखा होना चाहिए तथा वशिष्ट खतरे (जैसे, ज्वलनशील, संक्षारक, वषिकृत) के बारे में विवरण तथा उचित नपिटान प्रक्रियाओं के बारे में चेतावनी शामिल होनी चाहिए और अक्सर खतरे के स्तर को दर्शाने वाला एक मानकीकृत चित्रलेख भी होता है।
- **वेंटलेशन।** भंडारण क्षेत्र में पर्याप्त वेंटलेशन होना चाहिए।
- **परिशोधन।** भंडारण क्षेत्र में आसानी से पहुंच योग्य आँख धोने या नहाने के लिए आपातकालीन स्टेशन होने चाहिए।
- **अग्नि सुरक्षा।**
 - भंडारण क्षेत्र में उचित अग्नि विवरण एवं सुरक्षा उपकरण होने चाहिए।
 - ज्वलनशील एवं दहनीय पदार्थों को प्रज्वलन स्रोतों से दूर रखा जाना चाहिए।

- **प्रतिबंधित गतिविधियाँ।** भंडारण क्षेत्र में खाना, धूम्रपान और शराब पीने की अनुमति नहीं है।
- **द्वितीयक रोकथाम।**
 - भंडारण क्षेत्र में 55 गैलन (करीब 200 लीटर) से अधिक सामग्री के लिए द्वितीयक रोकथाम होनी चाहिए।
 - द्वितीयक रोकथाम सबसे बड़े कंटेनर के आयतन की कम से कम 110% होनी चाहिए।
- **निकासी।** कंटेनरों के बीच पर्याप्त जगह बनाए रखी जानी चाहिए।
- **सामग्री अलग करना।** असंगत सामग्रियों को अलग किया जाना चाहिए।
- **खतरनाक और ठोस अपशष्टि को अलग करना।** खतरनाक और ठोस अपशष्टि को अलग किया जाना चाहिए तथा अलग, दूर-दराज के क्षेत्रों में संग्रहित किया जाना चाहिए।
- **रिसाव-प्रतिक्रिया उपकरण।** आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) सहित रिसाव-प्रतिक्रिया उपकरण भंडारण क्षेत्र के पास स्थित होने चाहिए।
- **PPE का उपयोग।** भंडारण क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को उचित PPE का उपयोग करना चाहिए।



भंडारण कंटेनर

- खतरनाक सामग्री या रसायनों वाले कंटेनरों को अभेद्य सतहों पर संग्रहित किया जाना चाहिए।
- कंटेनर और उनकी सामग्री संगत होनी चाहिए।
- कंटेनर अच्छी स्थिति में होने चाहिए।
- कंटेनरों पर स्पष्ट लेबल लगा होना चाहिए।
- जब कंटेनर उपयोग में न हों तो उन्हें हर समय बंद रखना चाहिए।
- ज्वलनशील पदार्थों के कंटेनरों को बांधकर ग्राउंडेड / अर्थगि किया जाना चाहिए।
- कंटेनरों को सुरक्षित तरीके से एक स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- खतरनाक सामग्री वाले कंटेनरों को गरिने से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए।
- खतरनाक सामग्री वाले कंटेनरों पर स्पष्ट रूप से खतरनाक दर्शाने वाला लेबल लगा होना चाहिए तथा उसमें सामग्री और उससे संबंधित खतरों की पहचान होनी चाहिए।

साप्ताहिक नरीक्षण

सुविधा केंद्र को खतरनाक अपशष्टि भंडारण क्षेत्रों का साप्ताहिक नरीक्षण करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वे लगातार CLS आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

समय पर नपिटान

सुविधा केंद्र को खतरनाक अपशष्टि का नपिटान उचित समय सीमा के भीतर करना होगा। यद्यपि स्थानीय कानूनों में सीमाएं निर्दिष्ट नहीं हैं, तो 1,000 किलोग्राम/माह से कम उत्पादन (छोटी मात्रा में उत्पादन) होने पर 180 से 270 दिनों के भीतर नपिटान करने के लिए संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (U.S. EPA) से संपर्क करें या 1,000 किलोग्राम/माह से अधिक उत्पादन (बड़ी मात्रा में उत्पादन) होने पर 90 दिनों के भीतर नपिटान करें।

खतरनाक अपशष्टि ठेकेदार

सुविधा केंद्र को लाइसेंस प्राप्त एवं अनुमत प्राप्त खतरनाक अपशष्टि ट्रांसपोर्टर्स, उपचार तथा नपिटान सुविधाओं का उपयोग करना होगा।

- Nike को सुविधा केंद्र के खतरनाक अपशष्टि ठेकेदारों की अपनी समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है।
- Nike, सुविधा केंद्र के लिए उसके खतरनाक अपशष्टि ठेकेदारों की नपिटान प्रथाओं के दस्तावेजीकृत सत्यापन को आवश्यक बना सकता है।

अपशष्टि नपिटान

- सुविधा केंद्र में साइट पर खतरनाक अपशष्टि को जलाने या नपिटान करने पर प्रतिबंधित है।
- सुविधा केंद्र में पर्यावरण में खतरनाक अपशष्टि का नपिटान करने पर प्रतिबंधित है।

अनुशंसित प्रक्रिया

सुविधा केंद्र को खतरनाक अपशष्टि ठेकेदारों की योग्यता निर्धारित करने और उनकी नगिरानी के लिए एक गहन और सुसंगत प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए।

इसमें शामिल है:

- खतरनाक अपशष्टि ठेकेदारों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए मानदंड स्थापित करना। मानदंड में ये शामिल होने चाहिए:
 - ऐतिहासिक प्रदर्शन।
 - देयता बीमा कवरेज।
 - कानूनी रूप से आवश्यक परमिट और लाइसेंस का प्रमाण।
- संभावित खतरनाक अपशष्टि ठेकेदारों से एक योग्यता फॉर्म भरवाया जाएगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे स्थापित मानदंडों का अनुपालन करते हैं या नहीं।
- खतरनाक अपशष्टि ठेकेदारों के सुविधा केंद्रों का स्थलीय नरीक्षण और मूल्यांकन करना।
- खतरनाक अपशष्टि ठेकेदारों के संचालन का वार्षिक मूल्यांकन करना, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वे Nike अपशष्टि वकिरेता प्रबंधन और मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देशों के मुताबिक हैं।
- खतरनाक अपशष्टि ठेकेदारों के वार्षिक मूल्यांकन और खतरनाक अपशष्टि जोखिम आकलन के आधार पर चयन प्रक्रिया की आवधिक समीक्षा करना।



7.2.3 प्रशिक्षण

खतरनाक अपशष्टि प्रबंधन

खतरनाक अपशष्टि के प्रबंधन में लगे श्रमिकों को नयुक्ति के समय, उसके बाद वार्षिक आधार पर, तथा जब भी खतरे, प्रक्रिया या कार्यप्रणाली में परिवर्तन हो, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- सभी संभावित खतरनाक अपशष्टिों की पहचान कैसे करें।
- उत्पन्न खतरनाक अपशष्टि की मात्रा और स्थान का निर्धारण कैसे करें।
- पहचाने गए जोखिम को रोकने के लिए आवश्यक उपायों का निर्धारण कैसे किया जाए।
- नीतियों और प्रक्रियाओं को क्रियान्वित कैसे करें।
- ठोस अपशष्टि का उचित ढंग से प्रबंधन, भंडारण, दस्तावेजीकरण और नपिटान कैसे करें।
- स्रोत न्यूनीकरण के लिए खास परचालन वाली प्रक्रियाएँ।
- PPE का उपयोग कैसे करें।
- खतरनाक अपशष्टि के लिए रसाव-प्रतिक्रिया योजना कैसे बनाएं और उसे कैसे क्रियान्वित करें।

7.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- खतरनाक अपशष्टि जोखिम मूल्यांकन
- आवश्यकतानुसार वनियामक परमिट
- उपयोग किए जाने वाले लाइसेंस प्राप्त / अनुमत खतरनाक अपशष्टि ठेकेदारों की सूची
- खतरनाक अपशष्टि सूची
- रसाव-प्रतिक्रिया योजना

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- नपिटान के रिकॉर्ड। न्यूनतम पांच वर्ष। खतरनाक अपशष्टि नपिटान रिकॉर्ड में ये शामिल होने चाहिए:
 - सामग्री का नाम।
 - इसकी भौतिक अवस्था।
 - सभी संबद्ध खतरे (जैसे कज्वलनशील, संक्षारक, विषाक्त, प्रतिक्रियाशील)।

- उपचार और / या नपिटान के लिए भेजी गई तारीख और मात्रा।
- खतरनाक अपशष्टि उत्पादक, परिवहनकर्ता, मध्यवर्ती भंडारण सुविधा केंद्र और अंतिम नपिटान स्थल के व्यावसायिक नाम और पते।
- अंतिम नपिटान सुविधा केंद्र द्वारा हस्ताक्षरित, शपिगि मैनेफिस्ट की प्रत, जो शपिमेट की प्राप्ति को प्रमाणित करती है।



8. ठोस अपशष्टि (गैर-खतरनाक अपशष्टि)

8.1 मानक

इस खंड की आवश्यकताएं ठोस अपशष्टि के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और नपिटान पर लागू होती हैं।

- सुवधि केंद्र को ठोस अपशष्टि के उत्पादन को न्यूनतम करने तथा इसे सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन करना होगा।
- सुवधि केंद्र को लाइसेंस प्राप्त और योग्य अपशष्टि ट्रांसपोर्टरो, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नपिटान सुवधिओं के चयन के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन करना होगा।
- सुवधि केंद्र को यह सत्यापित करना होगा कि ठोस अपशष्टि ठेकेदार संबंधी ज़िम्मेदार पर्यावरण प्रबंधन से जुड़े सबसे अच्छे तरीकों का पालन करते हैं; उदाहरण के लिए, भूमि या पानी में खुले में नपिटान की अनुमति नहीं देना, भस्मक राख या नक्षिालन जैसे अपशष्टि उप-उत्पादों का अनुचित तरीके से नपिटान नहीं करना तथा अनयित्तरित तरीके से जलाने या उत्सर्जन करने की अनुमति नहीं देना।

8.2 आवश्यकताएं

8.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक ठोस अपशष्टि (गैर-खतरनाक अपशष्टि) जोखिम मूल्यांकन करके उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।** ठोस अपशष्टि के संचालन, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण और नपिटान से जुड़े सभी संभावित पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) खतरों की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** मानव स्वास्थ्य और पहचाने गए खतरों से संबंधित पर्यावरण के लिए जोखिम का निर्धारण।
- **नियंत्रण के उपाय।** पहचाने गए जोखिमों को रोकने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उनका क्रियान्वयन करना।

संसाधन

ये संसाधन ठोस अपशष्टि CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता के लिए वसितृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं:

- [Nike अपशष्टि विक्रेता प्रबंधन और मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश](#)
- [Nike ई-वेस्ट रीसाइकलर स्टैंडर्ड](#)
- [रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है CLS](#)
- [अग्नि सुरक्षा प्रबंधन CLS](#)



8.2.2 नीतियाँ और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को ठोस अपशष्टि प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

ठोस अपशष्टि प्रबंधन कार्यक्रम

ठोस अपशष्टि में कमी एवं न्यूनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं दस्तावेजीकरण करना।

अनुशंसित प्रक्रिया

सुवधि केंद्र को Nike अपशष्टि प्रबंधन पदानुक्रम के अनुसार ठोस अपशष्टि का प्रबंधन करना चाहिए, जिसमें अपशष्टि में कमी प्राथमिक रणनीति होगी तथा भस्मीकरण अंतिम उपाय होगा:

1. स्रोत में कमी
2. बंद लूप रीसाइक्लिंग
3. Nike प्रायोजित कार्यक्रम रीसाइक्लिंग
4. डाउन साइकलिंग
5. ऊर्जा पुनर्प्राप्ति
6. लैंडफिलिंग
7. भस्मीकरण

अपशष्टि प्रवाह सूची

सुवधि केंद्र को ठोस अपशष्टि के सभी स्रोतों की सूची बनानी होगी। सूची में उत्पन्न, पुनर्चक्रति और नपिटान किए गए अपशष्टि के प्रकार और मात्रा के साथ-साथ नपिटान सुवधि केंद्रों के नाम और स्थान भी शामिल होने चाहिए।

अलग करना

सुवधि केंद्र को अपशष्टि को फरि से उपयोग करने योग्य, रीसाइकल करने योग्य और रीसाइकल नहीं करने योग्य श्रेणियों में अलग करना होगा। प्रत्येक अपशष्टि श्रेणी के लिए स्वच्छ, समर्पित कंटेनर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

भंडारण क्षेत्र

सुवधि केंद्र को ठोस अपशष्टि भंडारण क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा जिनमें शामिल है:

- सुरक्षा। भंडारण क्षेत्र को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
- संलग्नक।
 - भंडारण क्षेत्र को मौसम और जानवरों से सामग्री की सुरक्षा के लिए पांचों तरफ से ढकना और बंद किया जाना चाहिए।
 - ठोस अपशष्टि को अभेद्य सतह पर संग्रहित किया जाना चाहिए।
- खतरे का संकेत। भंडारण क्षेत्रों में उचित संकेतक चहिन लगे होने चाहिए।
- वेटलेशन। भंडारण क्षेत्र में पर्याप्त वेटलेशन होना चाहिए।
- परशोधन। भंडारण क्षेत्र में आसानी से पहुंच योग्य आँख धोने या नहाने के लिए आपातकालीन स्टेशन होने चाहिए।

- अग्निसुरक्षा।
 - भंडारण क्षेत्र में उचित अग्निनिवारण एवं सुरक्षा उपकरण होने चाहिए।
- प्रतबिधति गतविधियाँ। भंडारण क्षेत्र में खाना, धूम्रपान और शराब पीने की अनुमति नहीं है।
- द्वतीयक रोकथाम।
 - भंडारण क्षेत्र में 55 गैलन (करीब 200 लीटर) से अधिक सामग्री के लिए द्वतीयक रोकथाम होनी चाहिए।
 - द्वतीयक रोकथाम सबसे बड़े कंटेनर के आयतन की कम से कम 110% होनी चाहिए।
- नकिसी। कंटेनरों के बीच पर्याप्त जगह बनाए रखी जानी चाहिए।
- सामग्री अलग करना। असंगत सामग्रियों को अलग किया जाना चाहिए।
- PPE का उपयोग। भंडारण क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को उचित PPE का उपयोग करना चाहिए।

भंडारण कंटेनर

- कंटेनर और उनकी सामग्री संगत होनी चाहिए।
- कंटेनर अच्छी स्थिति में होने चाहिए।
- कंटेनर पर स्पष्ट लेबल लगा होना चाहिए।
- कंटेनरों को सुरक्षित तरीके से एक स्थान पर रखा जाना चाहिए।



ठोस अपशष्टि ठेकेदार

- सुवधि केंद्र को लाइसेंस प्राप्त एवं अनुमत प्राप्त ठोस अपशष्टि परविहन, पुनर्चक्रण एवं नपिटान कम्पनियों का उपयोग करना होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक अपशष्टि (ई-वेस्ट) को Nike ई-वेस्ट रीसाइकलर स्टैंडर्ड के अनुसार रीसाइकल किया जाना चाहिए।

अपशष्टि नपिटान

- सुवधि केंद्र में ठोस अपशष्टि को जलाने या नपिटान करना प्रतबंधित है।
- सुवधि केंद्र में ठोस अपशष्टि का पर्यावरण में नपिटान करना प्रतबंधित है।

8.2.3 प्रशिक्षण

ठोस अपशष्टि प्रबंधन

ठोस अपशष्टि प्रबंधन में लगे श्रमकों को नयिक्त के समय, वार्षिक आधार पर, तथा जब भी खतरा हो, प्रक्रिया या कार्यप्रणाली में परिवर्तन हो, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- ठोस अपशष्टि और खतरनाक अपशष्टि के बीच अंतर कैसे करें।
- पुनर्चक्रण के लिए एकत्रित सामग्रियों के संदूषण की पहचान कैसे करें और उसे कैसे रोके।
- नीतियों और प्रक्रियाओं को क्रियान्वित कैसे करें।
- ठोस अपशष्टि का उचित ढंग से प्रबंधन, भंडारण, दस्तावेजीकरण और नपिटान कैसे करें।
- स्रोत न्यूनीकरण के लिए वशिष्ट परचालन प्रक्रियाएँ।
- PPE का उपयोग कैसे करें।

8.3 रकिॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- ठोस अपशष्टि जोखिम मूल्यांकन
- आवश्यकतानुसार वनियामक परमिट
- उपयोग किए जाने वाले लाइसेंस प्राप्त / अनुमत खतरनाक अपशष्टि संबंधी ठेकेदारों की सूची

इसके अलावा Nike चाहता है कि सुवधि केंद्रों में कुछ नश्चित डेटा संग्रहीत किया जाए:

- नपिटान और रीसाइकलिंग रकिॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष। ठोस अपशष्टि नपिटान और पुनर्चक्रण के रकिॉर्ड में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:
 - अपशष्टि वविरण के साथ शपिंग मैनेफिस्ट
 - आयतन
 - शपि करने की तारीख
 - शपि करने का गंतव्य
 - अपशष्टि को नपिटान के लिए शपि किया गया था या रीसाइकल करने के लिए

अनुशंसित प्रक्रिया

प्रति माह 4,000 कलिंग्राम (8,818 पाउंड) से अधिक ठोस अपशष्टि उत्पन्न करने वाले सुवधि केंद्रों को ठोस अपशष्टि ठेकेदारों की योग्यता निर्धारण एवं नगिरानी के लिए गहन और सुसंगत प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए।

इसमें शामिल है:

- ठोस अपशष्टि ठेकेदारों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए मानदंड स्थापित करना। मानदंड में ये शामिल होने चाहिए:
 - ऐतिहासिक प्रदर्शन।
 - देयता बीमा कवरेज।
 - कानूनी रूप से आवश्यक परमिट और लाइसेंस का प्रमाण।
- संभावित ठोस अपशष्टि ठेकेदारों से एक योग्यता फॉर्म भरवाया जाएगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे स्थापित मानदंडों का अनुपालन करते हैं या नहीं।
- ठोस अपशष्टि ठेकेदारों के सुवधि केंद्रों का स्थलीय नरीक्षण और मूल्यांकन करना।
- ठोस अपशष्टि संबंधी ठेकेदारों के संचालन का वार्षिक मूल्यांकन करना, जो Nike अपशष्टि वकिरेता प्रबंधन और मूल्यांकन संबंधी दशानरिदेशों से संगत हो।
- वर्तमान जोखिम मूल्यांकन और ठोस अपशष्टि ठेकेदारों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर चयन मानदंडों और प्रक्रिया की आवधिक समीक्षा।



9. प्रकृत बिहुमूल्य है

9.1 मानक

यह सुवधि केंद्र ताजे पानी की निकासी को कम से कम रखता है और पारस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने, स्थानीय कानूनों और वनियमों का अनुपालन करने, तथा प्रकृतिसंरक्षण के लिए Nike के फोकस का समर्थन करने के लिए अपशष्टित जल का ज़िम्मेदारी के साथ प्रबंधन करता है।

- **जल प्रबंधन**। सुवधि केंद्रों को जल दक्षता को अनुकूलित करके, खपत को कम करके, तथा नर्वहन से पहले अपशष्टित जल के उपचार की पुष्टि करके जल-संबंधी जोखिमों को समझने और कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें जहां भी संभव हो, जल के पुनः उपयोग की रणनीतियां लागू करना शामिल है।
- **पारस्थितिकी तंत्र का संरक्षण**। पर्यावरण का उद्देश्य आसपास के जल निकायों, आर्द्रभूमि और जलग्रहण क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभावों से बचना तथा संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देना होना चाहिए।
- **प्रकृति-आधारित दृष्टिकोण**। सुवधि केंद्रों को ऐसी रणनीतियों को एकीकृत करना चाहिए जो पर्यावरणीय क्षरण को कम से कम करने, दीर्घकालिक पारस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को समर्थन देने, जैव विविधता की रक्षा करने और वनों की कटाई को रोकने में मदद करे।

9.2 आवश्यकताएं

9.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक खतरनाक अपशष्टित जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीज़ें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। सभी अपशष्टित जल स्रोतों की पहचान करना, जिनमें शामिल है:
 - घरेलू (जैसे, शयनगृह, रसोई, स्नानघर, शौचालय)
 - औद्योगिक
 - अन्य उपशमन प्रणालियाँ (जैसे, एसडि स्क्रबर और बॉयलर स्टैंक स्क्रबर) से उत्पन्न
 - स्टॉर्म वॉटर

- जोखिम का मूल्यांकन।

- गुणवत्ता और आयतन प्रवाह दर को समझना, तथा और प्रकार के अपशष्टित जल नर्वहन के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) खतरों को चिह्नित करना।
- गैर-अनुपालन अपशष्टित जल के नर्वहन के संभावित डाउनस्ट्रीम प्रभावों को समझना। संपत्ति सीमा पर एक से अधिक नर्वहन बंदी वाले सुवधि केंद्रों के लिए, सुवधि केंद्र को प्रत्येक नर्वहन के डाउनस्ट्रीम प्रभाव को समझना होगा।
- **नियंत्रण के उपाय**। पर्यावरणीय जोखिमों को कम से कम करने के लिए नियंत्रण उपायों (जैसे कृषिक्षिपण, नरीक्षण, अपशष्टित जल उपचार संयंत्र नियंत्रण) की पहचान करना और उनका क्रियान्वयन करना।

संसाधन

ये संसाधन प्रकृति CLS का अनुपालन करने में सहायता करने के लिए सुवधि केंद्रों को बड़े स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं:

- [Nike अपशष्टित जल CLS आवश्यकता मार्गदर्शन](#)
- [ZDHC अपशष्टित जल संबंधी दिशानिर्देश](#)
- कच्चे माल के मानक



9.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को अपशष्टि जल के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित और क्रियान्वित करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

फरि से उपयोग एवं न्यूनीकरण

अपशष्टि जल की मात्रा को कम करने के लिए जल का फरि से उपयोग करने और न्यूनीकरण की रणनीतियों को लागू करें।

लाइसेंस और परमिट

- अपशष्टि जल के लिए वैध संचालन लाइसेंस रखें।
- सभी आवश्यक नरिवहन परमिट और/या समझौते प्राप्त करें।

सैपलिंग प्लान

अपशष्टि जल और अपशष्टि जल से संबंधित कीचड़ के लिए सैपलिंग प्लान विकसित और प्रकाशित करें।

परीक्षण के बाद की सीमाएँ

स्थानीय आवश्यकताओं / मापदंडों को सुवधि केंद्र के अपशष्टि जल उपचार संयंत्र के भीतर एक केंद्रीय स्थान पर प्रदर्शित करें।

अपशष्टि जल उपचार उपकरणों की सूची

सभी लागू वनियमों, मानकों और परमिट आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए, अपशष्टि जल उपचार उपकरणों और वशिलेषणात्मक परीक्षण परिणामों की एक सूची बनाए रखें। इन्वेटरी को कम से कम ये चीजें करनी ही होगी:

- प्रयुक्त प्रत्येक प्रकार के अपशष्टि जल उपचार उपकरण की सूची बनाएं तथा प्रदर्शित करें कि यह सुवधि केंद्र के अपशष्टि जल में मौजूद प्रदूषकों के उपचार के लिए उपयुक्त है।
- पुष्टि करें कि अपशष्टि जल को ताजे जल, ठंडे जल, वर्षा जल या वनिरिमाण से जुड़ी प्रक्रियाओं से मिलने वाले स्वच्छ जल के साथ मशिरति नहीं किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जलमशिरण स्वीकार्य साधन नहीं है।
- अपशष्टि जल उपचार उपकरणों के लिए सटीक और अद्यतन नरीक्षण और रखरखाव कार्यक्रम शामिल करें।
- वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाए।

परीक्षण

अधिकार क्षेत्र वाले प्राधिकारियों के अनुसार अपशष्टि जल का नमूना ले और उसका परीक्षण करें।

ZDHC अनुपालन

सुवधि केंद्र को Nike अपशष्टि जल संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार अपशष्टि जल नरिवहन का नमूना लेना और परीक्षण करना होगा, और खतरनाक रसायनों के शून्य नरिवहन (ZDHC) के दायरे में आने वाले किसी भी सुवधि केंद्र को ZDHC अपशष्टि जल संबंधी दशानरिदेशों के अनुसार नमूना लेना और परीक्षण करना होगा।

कीचड़ वर्गीकरण

अधिकार क्षेत्र वाले प्राधिकारियों के अनुसार नमूना ले और परीक्षण करें, ताकि यह नरिवहन किया जा सके कि स्थानीय नयिमों के अनुसार यह कीचड़ खतरनाक है या गैर-खतरनाक। किसी भी प्रकार के कीचड़ को खाद, उर्वरक, भराव सामग्री या किसी अन्य भूमि अनुप्रयोग के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, जब तक कि इन उपयोगों को वशिष रूप से अनुमोदित करने वाली नयिमक अनुमति न हो।

अनुपचारित अपशष्टि जल का नरिवहन

पर्यावरण में अनुपचारित अपशष्टि जल का नरिवहन सख्त वर्जित है। इसमें बनिा अस्तर वाले तालाब और लैगून शामिल हैं।

अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशालाएँ

अपशष्टि जल और आपंक के लिए लागू मानक-आधारित वधियों (अर्थात, ISO 17025 के नवीनतम संस्करण) में सदिध दक्षता के साथ एक अनुमोदित वशिलेषणात्मक परीक्षण प्रयोगशाला का उपयोग करें। यदि सुवधि केंद्र को Nike की अपशष्टि जल आवश्यकता के भाग के रूप में ZDHC अपशष्टि जल दशानरिदेश की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है, तो परीक्षण ZDHC फाउंडेशन द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा किया जाना चाहिए। यदि देश/क्षेत्र में कोई अनुमोदित प्रयोगशाला नहीं है, तो सुवधि केंद्र को उपयुक्त प्रयोगशाला की पहचान करने के लिए ZDHC फाउंडेशन से परामर्श करना होगा।



उपचार

गैर-अनुपालन के समाधान के लिए एक प्रक्रिया विकसित करें। इस प्रक्रिया में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- गैर-अनुरूपता के मूल कारण का विश्लेषण करना।
- गैर-अनुपालन की पुनरावृत्ति को रोकने में सहायता के लिए सुधारात्मक-कार्य योजना विकसित करना।
- जल-संबंधी किसी भी गैर-अनुपालन के बारे में Nike को सक्रिय रूप से सूचित करना।
- दुर्घटनावश नर्वहन के मामलों में, कानूनी रूप से आवश्यक होने पर, Nike और सरकारी प्राधिकारियों या एजेंसियों को सूचित करना।

9.2.3 प्रशिक्षण

सुवधि केंद्र को नए कर्मचारियों के ओरिएंटेशन और ऑनबोर्डिंग प्रशिक्षण के भाग के रूप में बुनियादी ताजे पानी के संरक्षण और अपशष्ट जल जागरूकता का प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- अपशष्ट जल नर्वहन के प्रकार, नर्वहन बटु और स्रोत।
- पर्यावरण में अनुपचारित अपशष्ट जल के नर्वहन के परिणाम।
- आपातकालीन प्रक्रियाएं, बैकअप सिस्टम सक्रियण और अनुपालन रपिर्टिंग।

ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण के अतिरिक्त, अपशष्ट जल उपचार प्रणाली(प्रणालियों) के संचालन और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार श्रमकों को आगे दिया गया प्रशिक्षण लेना होगा:

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग।
- ताजे पानी के रीसाइक्लिंग उपकरण सहित आने वाले ताजे पानी के उपचार उपकरणों का संचालन और रखरखाव।
- परिचालन डेटा के संग्रह सहित अपशष्ट जल उपचार प्रणालियों का संचालन और रखरखाव।
- सैपलिंग की उचित तकनीकें और प्रक्रियाएं।
- अपशष्ट जल के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए समस्या निवारण और मूल कारणों का विश्लेषण।
- प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों और गैर-अनुपालनों को हल करने के लिए सुधारात्मक कार्य योजनाओं का विकास।
- अपशष्ट जल से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए बैकअप योजना का उपयोग।

9.3 रकिॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- अपशष्ट जल से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन
- नर्वहन की इन्वेटरी
- प्रदूषण नयित्रण उपकरणों की इन्वेटरी
- अपशष्ट जल नर्वहन संबंधी परमटि
- अपशष्ट जल का विश्लेषण

इसके अलावा Nike चाहता है कि सुवधि केंद्रों में कुछ नश्चिति डेटा संग्रहीत किया जाए:

- **प्रशिक्षण संबंधी रकिॉर्ड**। न्यूनतम तीन वर्ष। दस्तावेजों में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जल और अपशष्ट जल उपचार उपकरणों के संचालन और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार कर्मचारी इन कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रशिक्षित और योग्य हैं (उदाहरण के लिए, जल और अपशष्ट जल उपचार सखिने के लिए योग्य संस्थानों से जारी प्रमाण पत्र)।
- **प्रदूषण नयित्रण उपकरणों का नरीक्षण**। न्यूनतम तीन वर्ष।
- **प्रदूषण नयित्रण उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत संबंधी रकिॉर्ड**। उपकरण का जीवन काल।
- **अपशष्ट जल परीक्षण के लिए प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक परिणाम**। न्यूनतम पांच वर्ष या सबसे वर्तमान परिणाम।
- **संचति कीचड़ के नपिटान के दस्तावेज़**। न्यूनतम पांच वर्ष।



10. रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है

10.1 मानक

सुविधा केंद्र रासायनिकों के प्रबंधन के लिए एक सुसंगत, प्रभावी और कानूनी रूप से अनुपालन का दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। यह दृष्टिकोण लोगों और गृह के लिए रासायनिक जोखिम को कम करने के लिए रसायनों की खरीद और उचित हैडलिंग, भंडारण, उपयोग और नपिटान का मार्गदर्शन करता है।

10.2 आवश्यकताएं

10.2.1 जोखिम का आकलन

सुविधा केंद्र को वार्षिक रसायन प्रबंधन जोखिम का मूल्यांकन का संचालन और दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। सभी रसायनों, खतरों और संभावित प्रतबंधित पदार्थों की पहचान करना; प्रयुक्त और संग्रहित रसायनों की मात्रा और स्थान को दस्तावेजीकृत करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। पहचाने गए जोखिमों को रोकने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उनका क्रियान्वयन करना।

संसाधन

ये संसाधन सुविधा केंद्रों को रासायनिक प्रबंधन CLS का अनुपालन करने में सहायता करने के लिए वसितुत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं:

- [Nike Chemistry Playbook और प्रतबंधित पदार्थों की सूची](#)
- [Nike Industrial Hygiene Playbook](#)
- [ZDHC गेटवे साइन अप](#)
- [ZDHC MRSL](#)
- [ZDHC रासायनिक प्रबंधन प्रणाली \(CMS\)](#)
- [ZDHC तकनीकी उद्योग मार्गदर्शन \(TIG\)](#)
- [ZDHC Academy \(ZDHC अकादमी\) प्रशिक्षण](#)
- [ZDHC अनुमोदित सेवा प्रदाता](#)
रासायनिक दृश्यता के दायरे में आने वाले सुविधा केंद्रों के लिए
- [FEM 4.0 हंगि कैसे करे गाइड](#)



10.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को रासायनकों के प्रबंधन से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना होगा, जिसमें खरीद, उचित प्रबंधन, भंडारण, उपयोग और नपिटान शामिल हैं।

प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

रासायनिक प्रबंधन प्रणाली

कोई भी ऐसा सुवधि केंद्र जो उत्पादन या सुवधि केंद्र के संचालन में रसायनों का उपयोग करता है, उसके पास एक प्रलेखित रासायनिक प्रबंधन प्रणाली और लिखित नीति होनी चाहिए जो खतरनाक रसायनों के शून्य नरिवहन (ZDHC) रासायनिक प्रबंधन प्रणाली (CMS) और ZDHC तकनीकी उद्योग मार्गदर्शन (TIG) में बताई गई आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को पूरा करती हो या उनसे बेहतर हो। अतिरिक्त आवश्यकताओं में शामिल हैं:

- ZDHC गेटवे का उपयोग करके Nike से जुड़ना।
- एक ज़िम्मेदार पार्टी को नामित करना — एक ऐसी टीम/स्टाफ़ का सदस्य जिसे रासायनिक प्रबंधन प्रणाली को लागू करने और बनाए रखने का अधिकार है।

अनुशंसित प्रक्रिया

रासायनिक खपत कम से कम करने के लिए, सुवधि केंद्र को रासायनिक उत्पादकता और दक्षता बेहतर बनाने की एक वार्षिक योजना वकिसति करनी चाहिए।

खरीद नीति

सुवधि केंद्र की खरीद नीति में यह नरिदषिट होना चाहिए कि कौन से रसायन खरीदे जा सकते हैं और कौन से नहीं जिनमें शामिल हैं:

- अनुमोदित रासायनिक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करना।
- ZDHC वनिरिमाण प्रतबिंधति पदार्थ सूची (MRSL) और रासायनिक खतरो के आधार पर अनुरूप फॉर्मूलेशन की पहचान करना।
- Nike प्रतबिंधति पदार्थ सूची (RSL) और रासायनिक खतरो के आधार पर अनुरूप फॉर्मूलेशन की पहचान करना।
- उन वस्तुओं की पहचान करना जिनके लिए वशिष प्रबंधन और सुरक्षा प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है।

रसायन इन्वेटरी सूची

सुवधि केंद्र को एक सटीक इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक सूची (CIL) बनाए रखना होगा, जिसमें उत्पादन और सुवधि केंद्र के संचालन में प्रयुक्त रसायन शामिल हों। CIL डेटा आवश्यकताओं में प्रमुख जानकारी शामिल है, जैसे:

- रसायन का नाम और प्रकार
- आपूर्तिकर्ता / वकिरेता का नाम और प्रकार
- नरिमाता / सूत्रधार का नाम
- सुरक्षा डेटा शीट (SDS) जानकारी
- फंक्शन
- खतरे का वर्गीकरण
- सुवधि केंद्र में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है
- भंडारण की स्थिति और स्थान
- सुवधि केंद्र में मौजूद मात्रा

- CAS संख्या (संख्याएँ)
- लॉट नंबर (अगर लागू हो)
- MRSL और RSL-अनुरूपता जानकारी (उत्पादन में प्रयुक्त रसायनों के लिए)
- खरीद की तारीख
- समाप्ति की तारीख (अगर लागू हो)

सुरक्षा डेटा शीट वस्तु सूची

सुवधि केंद्र को सभी SDS की सटीक और अप-टू-डेट वस्तु सूची का रखरखाव करना होगा और रसायनों के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को SDS की जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए।

खतरे के संकेत

जहाँ भी रसायनों का उपयोग किया जाता है, सुवधि केंद्र को वहाँ उपयुक्त रासायनिक खतरे से संबंधित चेतावनी संकेतक दक्षिण जाने चाहिए।

सुरक्षात्मक एवं सुरक्षा उपकरण

जहाँ भी रसायनों का उपयोग किया जाता है, सुवधि केंद्र को वहाँ उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) और SDS द्वारा अनुशंसित अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने होंगे, उनका रखरखाव करना होगा और उनका उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना

सुवधि केंद्र को रासायनिक रिसाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार करनी होगी। शर्मकों को समय-समय पर योजना का अभ्यास करना चाहिए।



रासायनिक भंडारण

रासायनिक भंडारण और उप-भंडारण क्षेत्रों को रासायनिक भंडारण के लिए नमिनलखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

- **कानूनी अनुपालन**। सभी स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा
- **संलग्नक**। हवादार, सूखा तथा मौसम और आग के खतरे से सुरक्षित होना चाहिए।
- **सुरक्षा**। अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित अवश्य ही होना चाहिए (अर्थात, लॉक किया हुआ)।
- **संकेत**। आसानी से पढ़े जाने वाले चेतावनी संकेतों के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित होना चाहिए।
- **निकासी**। आपात्कालीन स्थिति में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त गलियारे वाला स्थान बनाए रखा जाना चाहिए।
- **रासायनिक कंटेनर**। रासायनिक कंटेनरों को उनके कंटेनर के लिए उपयुक्त सामग्री से बनाया जाना चाहिए, ये अच्छी स्थिति में होना चाहिए, इन्हें कसकर बंद किया होना चाहिए, तथा उन पर उनके कंटेनर का स्पष्ट लेबल लगा होना चाहिए।
- **फर्श की सतहें**। फर्श ठोस और गैर-छिद्रित होना चाहिए। फर्श पर पानी की ऐसी नालियां नहीं होनी चाहिए जिनमें रसायन गिर सकते हों तथा वहां रसायन के गिरने का कोई साक्ष्य नहीं होना चाहिए।

- **द्वितीयक रोकथाम**। तरल रसायनों के लिए एक ऐसी अतिरिक्त रोकथाम उपलब्ध होनी चाहिए, जो सभी स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करती हो।
 - कम से कम 55 गैलन (लगभग 200 लीटर) से अधिक मात्रा वाले किसी भी कंटेनर के लिए एक अतिरिक्त कंटेनर का उपयोग किया जाना चाहिए।
 - जब भी अतिरिक्त रोकथाम की ज़रूरत हो, तो यह प्राथमिक रासायनिक कंटेनर के आयतन का कम से कम 110% होना ही चाहिए।
- **भूमगित भंडारण टैक**। जो कंटेनर भूमगित भंडारण टैक भी है, उनमें कार्य करने वाली रसाव-पहचान प्रणाली तथा अतिभिराव से जुड़ा सुरक्षा उपकरण अवश्य मौजूद होना चाहिए।
- **सामग्री अलग करना**। असंगत पदार्थों (जैसे स्ट्रॉंग एसडि और स्ट्रॉंग क्षार) को अलग-अलग संग्रहित किया जाना चाहिए।
- **अग्नि सुरक्षा**। ज्वलनशील पदार्थों को गर्मी या प्रज्वलन के स्रोतों से दूर रखा जाना चाहिए और इनमें ग्राउंडिंग और वस्फोट-रोधी प्रकाश व्यवस्था का उपयोग भी शामिल है।
- **अस्थायी भंडारण कंटेनर**। अस्थायी भंडारण कंटेनरों को बंद किया जाना चाहिए और उन पर कंटेनर, खतरे की श्रेणी और लॉट संख्या (यदि लागू हो) से लेबल किया जाना चाहिए।
- **रसाव-प्रतिक्रिया उपकरण**। भंडारण क्षेत्र में स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय (जैसे PPE आदि) अवश्य उपलब्ध होने चाहिए।

Nike प्रतर्बिधति पदार्थों की सूची

सुवधि केंद्र और उसके उपकेन्द्रों को Nike Chemistry Playbook और प्रतर्बिधति पदार्थ सूची (RSL) के सबसे अप-टू-डेट संस्करण से जुड़ी सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। इन आवश्यकताओं में ये शामिल हैं:

- Playbook में वर्णित अनुसार नियमिति और रैडम परीक्षण करना।
- Nike RSL में सूचीबद्ध परीक्षण सीमाओं को पूरा करना।
- सामग्री और तैयार माल में रासायनिक पदार्थों के लिए सभी स्थानीय और वैश्विक नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना।
- किसी भी RSL फेल परीक्षण रिपोर्ट के लिए RSL वफिलता-समाधान प्रक्रिया (Nike RSL परीक्षण एप्लिकेशन में शुद्धात) को पूरा करना। इसमें ऐसी किसी भी सामग्री, घटक या उत्पाद की पहचान करना और उसे अलग करना है, जो Nike RSL आवश्यकताओं को पूरा न करता हो, वफिलता के मूल कारण का वसितार से दस्तावेज़ बनाना और सुधारात्मक कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल है।



ZDHC वनिर्माण प्रतबंधित पदार्थों की सूची

सुवधि केंद्र और उसके उपठेकेदारों को ZDHC MRSL के सबसे अप-टू-डेट संस्करण की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा और MRSL-अनुरूप फॉर्मूलेशन का उपयोग करना होगा। सुवधि केंद्र के लिए ये जरूरी है:

- ऐसे रसायनों का चयन और खरीद करे जो ZDHC MRSL अनुरूपता की आवश्यकताओं को पूरा करते हों, तथा जहां तक संभव हो, ZDHC स्तर 3 की अनुरूपता को प्राथमिकता दें।
- किसी भी रासायनिक फॉर्मूलेशन या प्रक्रिया रसायन की पहचान करे और उसे उपयोग से अलग करे, जो ZDHC MRSL का अनुपालन न करता हो।

रासायनिक वस्तु सूची और ZDHC गेटवे

सुवधि केंद्रों को मासिक आधार पर ZDHC गेटवे पर रासायनिक सूची की जानकारी अपलोड करनी होगी। वस्तु सूची अपलोड को ZDHC-अनुमोदित सेवा प्रदाता टूल और ZDHC गेटवे का उपयोग करके पूरा किया जाना चाहिए और Nike के साथ साझा किया जाना चाहिए।

10.2.3 प्रशिक्षण

Nike RSL का प्रशिक्षण देता है और रसायनों का प्रबंधन करने वाले सुवधि केंद्र के सभी कर्मचारियों की भागीदारी के दस्तावेज़ तैयार करता है। नयिकृत के समय, वार्षिक रूप से तथा किसी भी समय खतरों, प्रक्रियाओं, और / या कार्यप्रणालियों में परिवर्तन होने पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- रसायन प्रबंधन प्रशिक्षण के अतिरिक्त, संबंधित स्टाफ़ के लिए हर दो वर्ष में Nike RSL-वशिष्ट प्रशिक्षण भी आवश्यक है।
- सुवधि केंद्र के रासायनिक प्रबंधन अभ्यासों की देखरेख करने वाले ज़िम्मेदार पक्ष को ZDHC अकादमी के ज़रिए उपलब्ध ZDHC रासायनिक प्रबंधन प्रणाली (CMS) और तकनीकी उद्योग मार्गदर्शन (TIG) प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

वार्षिक रासायनिक प्रबंधन प्रशिक्षण में नमिनलखित शामिल है, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- रासायनिक खतरे और पहचान
- रासायनिक अनुकूलता और जोखिम
- SDS का उपयोग कैसे करे और SDS का निर्माण कैसे करे
- चेतावनी संकेतक और लेबलिंग
- उचित भंडारण और प्रबंधन
- इंजीनियरिंग से जुड़े नयित्रण
- उपयुक्त PPE का उचित चयन और उपयोग
- आपातकाल, दुर्घटना या रसाव की स्थिति में प्रक्रियाएं
- रासायनिक भंडारण क्षेत्रों तक पहुंच के प्रतबंध
- रासायनिक प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार पक्षों और कर्तव्यों की पहचान करना

संबंधित श्रमिकों के लिए नमिनलखित प्रशिक्षण आवश्यक है:

- सामग्री और उत्पाद RSL अनुपालन का प्रबंधन कैसे करे। (Nike RSL प्रशिक्षण के अवसरों के लिए Nike Chemistry Playbook देखें)।
- ZDHC MRSL अनुरूपता संबंधी आवश्यकताओं का प्रबंधन और पूर्ति कैसे करे। (ZDHC MRSL देखें)।

10.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- वर्तमान जोखिम का आकलन
- रासायनिक प्रबंधन प्रणाली (ZDHC CMS और TIG आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए)
- रसायन प्राप्त नीति
- ज़िम्मेदार पक्षों के लिए रासायनिक प्रबंधन प्रशिक्षण
- सभी रसायनों के लिए वर्तमान SDS
- वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक CIL
- वर्तमान रसायन रसाव-प्रतिक्रिया

इसके अलावा Nike चाहता है कि सुवधि केंद्रों में कुछ नयित्ति डेटा संग्रहीत किया जाए:

- रसायन वस्तु सूची डेटा। रासायनिक उपयोग की अवधि प्लस 30 वर्ष।
- SDS. रासायनिक उपयोग की अवधि प्लस 30 वर्ष।
- भूमगत भंडारण टैंकों के लिए सालाना इंटीग्रेटी टेस्टिंग। अधिभोग की अवधि के साथ ही 30 वर्ष।
- Nike RSL परीक्षण के परिणाम। न्यूनतम 10 वर्ष।
- ज़िम्मेदार पक्षों के लिए रासायनिक रसाव संबंधी अभ्यास। न्यूनतम 5 वर्ष।



सुरक्षति



कार्यस्थल सुरक्षति है

सुवधि केंद्र को एक सुरक्षति कार्यस्थल की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी तथा कार्य के दौरान या साइट संचालन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली, उनसे जुड़ी, उनसे घटने वाली दुर्घटनाओं और चोट को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

सुवधि केंद्र में सभी श्रमकों की सुरक्षा के लिए संभावित खतरों का पता लगाने, उन्हें टालने तथा उनका समाधान करने की प्रणालियां होनी चाहिए।

इस अनुभाग में ये चीजें शामिल हैं:

- सामान्य कार्यस्थल सुरक्षा CLS
- मशीन सुरक्षा CLS
- मशीन की सुरक्षा CLS
- सीमिति स्थान CLS
- ठेकेदार सुरक्षा CLS
- खतरनाक ऊर्जा पर नयित्रण — लॉकआउट / टैगआउट (LOTO) CLS
- वदियुत सुरक्षा CLS
- गरिने से सुरक्षा CLS
- रखरखाव सुरक्षा CLS
- चोट और रोग प्रबंधन CLS
- दबाव वाहकिएं और संपीडित वायु CLS
- यातायात एवं मोटर चालति यात्री वाहन प्रबंधन CLS
- सामग्री प्रबंधन और भंडारण CLS





11. सामान्य कार्यस्थल सुरक्षा

11.1 मानक

सुवधि केंद्र को कार्यस्थल के वातावरण से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करना होगा।

11.2 आवश्यकताएं

11.2.1 सामान्य कर्तव्य

सुवधि केंद्र का सामान्य कर्तव्य है कविह श्रमकों को ऐसा रोजगार स्थान उपलब्ध कराए, जो श्रमकों को मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति का कारण बनने वाले ज्ञात खतरों से सुरक्षित रखे।

11.2.2 हाउसकीपिंग

सुवधि केंद्र को उन सभी क्षेत्रों को खतरों से मुक्त रखना होगा जहां श्रमक, कार्यस्थल पर ठेकेदार, तथा कार्यस्थल पर उपठेकेदार अपना काम करते हैं। सुवधि केंद्र में कम से कम ये आवश्यक हैं:

- सभी कार्यस्थलों को साफ, सूखा तथा अच्छी स्थिति में रखें।
- पैदल मार्ग को फसिलने के खतरे और अन्य अवरोधों से सुरक्षित रखें।
- सभी इलेक्ट्रिक पैनलों, आई-वॉश और शॉवर स्टेशनों तथा अन्य आपातकालीन उपकरणों के चारों ओर न्यूनतम 0.9 मी (3 फीट) की जगह की नकिसी रखें और बनाए रखें।
- भवन के सभी भागों से मुक्त एवं नर्बाध रूप से बाहर निकलना उपलब्ध कराने के लिए नकिस मार्ग बनाए रखें।
- बचकर निकलने से रोकने के लिए दरवाजे और गुजरने वाले मार्गों को लॉक या बंद नहीं किया जा सकता है।

संसाधन

ये संसाधन सामान्य कार्यस्थल सुरक्षा CLS का अनुपालन करने में सहायता करने के लिए सुवधि केंद्रों को बड़े स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं:

- यातायात एवं मोटर चालित यात्री वाहन प्रबंधन CLS
- सामग्री प्रबंधन और भंडारण CLS
- रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है CLS
- खतरनाक अपशष्टि CLS
- ठोस अपशष्टि (गैर-खतरनाक अपशष्टि) CLS

- भंडारण क्षेत्र को व्यवस्थित रखें।
- छत या फायर स्प्रकिलर (जो भी कम हो) के नीचे 45 सेमी (18 इंच) की खुली जगह बनाए रखें।
- छलकाव को तुरंत साफ करें और गीले फर्श पर चेतावनी के संकेत लगाएं।
- खड़कियों और पारदर्शी इनडोर सतहों को टूटने से बचाएं। यदि दरवाजे और पार्टशिन में लोगों के चलने का खतरा हो, तो उन पर स्टिकर से अवश्य चिह्नित किया जाना चाहिए।



11.2.3 कीट नियंत्रण

सुवधि केंद्र को कीट और कृतक नियंत्रण के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करनी होंगी। सुवधि केंद्र में कम से कम ये आवश्यक हैं:

- कीटों और कृतकों के उपचार के लिए लोगों के आसपास उपयोग के लिए स्वीकृत रसायनों का उपयोग करें। रसायनों का प्रबंधन रसायनों का प्रबंधन उचित ढंग से किया जाता है CLS, खतरनाक अपशब्द CLS और टोस अपशब्द (गैर-खतरनाक अपशब्द) CLS के अनुसार किया जाता है।
- इसके दायरे में गैर-वर्गित सुवधि केंद्र जैसे किडॉरमेटरी, कैटीन और चाइल्ड केयर सेक्टर को भी शामिल करें।
- कीटों और कृतकों के संक्रमणों का निरीक्षण, उपचार और नियंत्रण करने के लिए कम से कम प्रतिमाह एक बार कीट नियंत्रण सेवा का उपयोग करें।
- केवल स्थानीय कानून के अनुसार अनुमोदित अनुप्रयोगों का ही उपयोग करें, जो लोगों के आस-पास उपयोग के लिए उपयुक्त हों।

- उन जालों को हटा दें, जिनमें चूहे, कीड़े या अन्य हानिकारक जीव हों।
- सभी कीट-नियंत्रण रीपोर्टों को कीट-नियंत्रण लॉग में रिकॉर्ड करें। लॉग में नमूनेलखित शामिल होना चाहिए:
 - एक साइट मानचित्र।
 - उपयोग किए गए रसायनों के लेबल।
 - उपयोग किए गए रसायनों के लिए सुरक्षा डेटा शीट (SDS)।
 - बीमा प्रमाणपत्र और लाइसेंस के प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ कीट-नियंत्रण सेवा का अनुबंध।
- संक्रमण और नियंत्रण के उपायों के बारे में सुवधि केंद्र प्रबंधक को सूचित करें।

11.2.4 प्रशिक्षण

श्रमिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसमें कम से कम सामान्य कार्यस्थल सुरक्षा CLS शामिल हो।

11.3 रिकॉर्ड प्रतिलिपि संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतिलिपि आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड
- अप-टू-डेट कीट नियंत्रण लॉग



12. मशीन सुरक्षा

12.1 मानक

मशीन से संबंधित खतरो के कारण होने वाली चोटों के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए सुवधि केंद्र को प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करना होगा। मशीन सुरक्षा CLS मशीन की रक्षा सहित, मशीन डिजाइन के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

12.2 आवश्यकताएं

सुवधि केंद्र को किसी मशीन की समग्र सुरक्षा के बारे में मीट्रिक्स कैप्चर करने के लिए सुरक्षित मशीन फ्रेमवर्क का उपयोग करना चाहिए। यह सुवधि केंद्र में कुल मशीनों की संख्या के प्रतिशत के रूप में मशीन सुरक्षा की गणना करता है और इस बात पर विचार करता है कि क्या मशीन योग्य है, क्या मशीन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन (मशीन के प्रभावों के साथ), कार्य संबंधी जोखिम का विश्लेषण, सुरक्षा से जुड़ा स्टैंडर्ड कार्य, कार्य निर्देश प्रशिक्षण और प्रमाणन है। इस मानदंड में सुवधि केंद्र के संचालन और रखरखाव दोनों शामिल होते हैं।

12.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र का सामान्य कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को ऐसा रोजगार स्थान उपलब्ध कराए, जो श्रमिकों को मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति का कारण बनने वाले ज्ञात खतरो से सुरक्षित रखे।

सुवधि केंद्र को वार्षिकी तौर पर मशीन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- खतरा पहचानना। खतरो के लिए सभी मशीनों का सर्वेक्षण करना।
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरो से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- नियंत्रण के उपाय। जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उनका क्रियान्वयन करना (जैसे, स्थिर गार्ड, इंटरलॉक और दो-हथ वाले नियंत्रण)।

संसाधन

ये संसाधन मशीन सुरक्षा CLS का अनुपालन करने में सहायता करने के लिए सुवधि केंद्रों को बड़े स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं:

- [Nike Machine Safety Playbook](#)
- International Standards Organization (अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन) [ISO 12100 मशीनरी की सुरक्षा](#) — डिजाइन के लिए सामान्य सिद्धांत — जोखिम मूल्यांकन और कमी
- [European Union Machinery Directive](#) (यूरोपीय संघ मशीनरी संबंधी निर्देश) — MD 2006/42/EC
- International Electrotechnical Commission (अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग) [IEC 60204-1](#) — मशीनों के इलेक्ट्रिकल उपकरण — भाग 1: सामान्य आवश्यकताएं
- [खतरनाक ऊर्जा का नियंत्रण \(LOTO\) CLS](#)
- [भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा CLS](#)
- [व्यावसायिक शोर जोखिम CLS](#)
- [रखरखाव सुरक्षा CLS](#)
- [अग्नि सुरक्षा प्रबंधन CLS](#)
- [आपातकालीन कार्रवाई CLS](#)
- [व्यावसायिक जोखिम की सीमाएँ CLS](#)
- [दबाव वाहकिएँ और संपीड़ित वायु CLS](#)



12.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को मशीन से संबंधित खतरों से होने वाली चोट के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

मशीन की खरीदारी

- सिलाई और टांके वाली मशीनों के लिए नई इलेक्ट्रिक मोटरो या इलेक्ट्रिक मोटर रप्लिसमेंट की खरीद कम से कम सर्वो प्रकार की मोटरो जितनी ऊर्जा कुशल होनी चाहिए।

अनुशंसित प्रक्रिया

Nike सुवधि केंद्रों को उन मोटरो को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो सिलाई और टांके वाली मशीनों में सर्वो प्रकार की मोटरो की तुलना में कम ऊर्जा कुशल है।

- खरीदारी करने के बाद, प्रमाणित नरीक्षक (आंतरिक या बाह्य) को एक तकनीकी फाइल संकलित करनी होगी, जिसमें कम से कम नमिनलखित शामिल हों:
 - मशीन जोखिम मूल्यांकन (ISO 12100 या समकक्ष)।
 - यूरोपीय स्टैंडर्ड (EIC 60204-1 इलेक्ट्रिकल, यूरोपीय सुरक्षा नरीदेश 2006/42/EC – मशीन सुरक्षा अनुलग्नक I आवश्यक सुरक्षा और स्वास्थ्य आवश्यकताएं और कोई भी प्रासंगिक प्रकार C स्टैंडर्ड) या स्थानीय नयामक स्टैंडर्ड, जो भी अधिक कठोर हो, जैसा कि प्रमाणित मशीन-सुरक्षा नरीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उनके अनुपालन का दस्तावेजीकरण करना।
- संबंधित कार्यात्मक परीक्षण रपिर्ट।

- नई इलेक्ट्रिक मोटरो या रप्लिसमेंट मोटरो (50 Hz या 60 Hz; 0.75 – 200 किलोवाट; 2-, 4-, 6-और 8-पोल) की खरीद को IE3 – प्रीमियम दक्षता के स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा या बेहतर करना होगा। अपवाद 200 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले 8-पोल मोटर तथा परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव के पीछे वाले मोटर हैं, जहां मोटरो को IE2 स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा।

मशीन का इंस्टॉलेशन

मशीन इंस्टॉलेशन से पहले, सुवधि केंद्र को संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए एक योजना वकिसति करनी चाहिए, जिसमें कम से कम नमिनलखित चीजें शामिल हों:

- इंस्टॉल की जाने वाली मशीन के आकार, भार और आयाम का मूल्यांकन करना।
- सुवधि केंद्र के वर्तमान मशीन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करना।
- स्थापना आवश्यकताएं – साइट पर मशीन को कहाँ उतारा जाएगा, तोड़फोड़ और / या निर्माण, उपकरण, वशिषज्जता आदि।
- पथ की नकासी।
- भवन के लिए संरचनात्मक आवश्यकताएं। भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा CLS देखें।
- उपयोगिता की आवश्यकताएं।
- श्रमकों को इंस्टॉलेशन की गतिविधियों से अलग करने के लिए अवरोधों को खड़ा करना।
- अग्न एवं आपातकालीन आवश्यकताओं, रासायनिक प्रबंधन आवश्यकताओं, या वभिन्न स्वास्थ्य खतरों (जैसे, शोर और रासायनिक जोखिम) की समीक्षा करना और उन्हें अपडेट करना।
- यह प्रमाणित करना कि वायु नषिकर्षण उचित कैप्चर वेलोसिटी और सही सामग्रियों के साथ डिजाइन और इंस्टॉल किया गया है।





मशीन संचालन

सभी मशीनों के लिए, सुवधि केंद्र को आवश्यकतानुसार वकिसति और अपडेट करना होगा:

- कार्य जोखिम विश्लेषण।
- सुरक्षा के स्टैंडर्ड कार्य।
- कार्य के दौरान अनुदेश।

मशीन का रखरखाव

मशीन के सभी रखरखाव के लिए, सुवधि केंद्र को आवश्यकतानुसार वकिसति और अपडेट करना होगा:

- मशीन-वशिष्ट LOTO प्रक्रियाएं, जो सभी ऊर्जा स्रोतों का समाधान करती हैं।
- कार्य जोखिम विश्लेषण।
- सुरक्षा के स्टैंडर्ड कार्य।
- कार्य के दौरान अनुदेश।

मशीन की सेवामुक्ति एवं नपिटान

मशीन को सेवामुक्ति करने और नपिटान से पहले, सुवधि केंद्र को संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए एक योजना वकिसति करनी होगी, जिसमें कम से कम नमिनलखिति चीजें शामिल हों:

- आकार, भार और आयाम सहित सेवामुक्ति के लिए तैयार की जा रही मशीन का आकलन करना।
- सुवधि केंद्र के वर्तमान मशीन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करना।
- साइट पर सेवामुक्ति आवश्यकताओं की स्थापना करना, जिसमें साइट से बाहर परिवहन के लिए मशीन को कहां लोड किया जाएगा, तोड़फोड़, उपकरण, वशिषज्जता आदि शामिल हैं।
- CLS और स्थानीय वनियमों के अनुरूप साइट से बाहर सेवामुक्ति और नपिटान की आवश्यकताओं की पहचान करना।
- पथ की नकिसी।
- जुड़ी हुई उपयोगिताओं पर प्रभाव का आकलन करना। भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा CLS देखें।
- श्रमकों को सेवामुक्ति से जुड़ी गतिविधियों से अलग करने के लिए अवरोध खड़े करना।

आंतरिक रूप से डिजाइन और वकिसति मशीनरी

यदि सुवधि केंद्र अपनी मशीनें स्वयं डिजाइन और / या वकिसति करता है:

- मशीनों का डिजाइन और निर्माण करने वाले सभी कर्मियों को मशीन सुरक्षा मानकों और सुरक्षति डिजाइन के अभ्यासों में शिक्षा और / या अनुभव के ज़रिए प्राप्त वशिषज्जता होनी चाहिए।
- मशीनों को एक दस्तावेजी डिजाइन समीक्षा से गुजरना होगा जिसमें मशीन सुरक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
- मशीनों को मशीन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन से गुजरना होगा।
- मशीनों को यूरोपीय स्टैंडर्ड (IEC 60204-1 इलेक्ट्रिकल, यूरोपीय सुरक्षा निर्देश 2006/42/EC – मशीन सुरक्षा अनुलग्नक I आवश्यक सुरक्षा और स्वास्थ्य आवश्यकताएं, और किसी भी प्रासंगिक प्रकार C मानक) या स्थानीय नयिमक मानक का अनुपालन करना होगा, जो भी अधिक कठोर हो, जैसा कि प्रमाणित मशीन-सुरक्षा नरीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया हो।

SAFE मशीनें

- **मेट्रिक्स।** सुवधि केंद्र को SAFE मशीनों की संख्या और प्रतिशत का ब्यौरे वाला रिकार्ड रखना होगा।
- **मशीन सुरक्षा रणनीतिक योजना।** 100% SAFE मशीनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुवधि केंद्र को एक मशीन सुरक्षा रणनीतिक योजना वकिसति करनी होगी।



12.2.3 प्रशिक्षण

- सभी श्रमिकों को, जो मशीनरी का संचालन, रखरखाव, इंस्टॉल, सेवामुक्ता या अन्यथा उसके साथ काम करते हैं, शुरुआती नयुक्ता के समय मशीन सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमिनलखिति शामिल होना ही चाहिए:
 - मशीन के खतरे और उनसे बचाव के तरीके।
 - सुरक्षति परचालन प्रक्रियाएं।
- अस्थायी श्रमिकों सहित सभी ऑपरेटरो को शक्ति और / या अनुभव के माध्यम से योग्यता प्राप्त करनी होगी तथा किसी भी मशीनरी को चलाने से पहले मशीन-वशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- रखरखाव कर्मियों को शक्ति और / या अनुभव के माध्यम से योग्य होना चाहिए तथा मशीन पर रखरखाव सेवा करने से पहले मशीन-वशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

12.3 रकिर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- मशीन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन
- मशीन सुरक्षा रणनीतिक योजना
- प्रशिक्षण संबंधी रकिर्ड
- व्यावसायिक वशिषज्जता का दस्तावेजीकरण करने वाले प्रमाणपत्र या डगिरी

Nike को कुछ रकिर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- मशीन सुरक्षा घटना रकिर्ड। न्यूनतम पांच वर्ष।
- मशीन सुरक्षा के लिए तकनीकी फाइले, जो अंतर्राष्ट्रीय मशीन सुरक्षा मानकों के अनुपालन को दिखाती हैं। मशीन का जीवन।



13. मशीन की सुरक्षा

13.1 मानक

सुवधि केंद्र को मशीन सुरक्षा का उपयोग करके चलती मशीन भागों के कारण होने वाली चोटों के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके उन्हें लागू करना होगा। मशीन सुरक्षा CLS उन लोगों की सुरक्षा करता है जो मशीनों के साथ काम करने वाले लोगों को मशीन के खतरों से बचाता है, जबकि मशीन सुरक्षा, मशीन के डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें मशीन गार्डिंग भी शामिल है।

13.2 आवश्यकताएं

13.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को मशीन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। खतरों के लिए सभी मशीनों का सर्वेक्षण करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उन्हें लागू करना (जैसे, स्थिर गार्ड, इंटरलॉक, दो-हाथ वाला नियंत्रण)।

13.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को खतरनाक मशीन भागों से होने वाली चोट के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- नई और / या संशोधित मशीनरी का मूल्यांकन करते समय, पहले खतरों के उन्मूलन और फिर उनके वरिद्ध सुरक्षा पर विचार करना।
- यह सत्यापित करना कि गार्ड अच्छी परिचालन स्थिति में है तथा सुरक्षति रूप से अपने स्थान पर लगे हुए है।
- गार्डों का सत्यापन करने से अतिरिक्त खतरा उत्पन्न नहीं होगा।

संसाधन

यह संसाधन सुवधि केंद्र को मशीन की सुरक्षा CLS का अनुपालन करने में सहायता करता है:

- खतरनाक ऊर्जा का नियंत्रण (LOTO) CLS
- कार्यशील सतहों से 2.1 मीटर (7 फीट) से कम ऊंचाई पर स्थिति पंखों और अन्य घूमने वाली मशीनों को 1.25 सेमी (0.5 इंच) से कम खुले स्थान को आवरण द्वारा संरक्षित किया जाता है।
- ऐसी मशीनें लगाना जिनमें घूमने वाले हिस्से होते हैं और अपने आप बंद होने वाली सुवधि के साथ इंटरलॉक करना।
- उन मशीनों को सुरक्षित करना, जो संचालन के दौरान चलती हैं, या गतिशील होती हैं।
- मशीन गार्डों का वार्षिक निरीक्षण करना।
- लॉकआउट / टैगआउट (LOTO) आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मशीन गार्डों का निवारक रखरखाव और मरम्मत करना।



13.2.3 एलविटर, एस्केलेटर और मटेरियल लिफ्ट

सुवधि केंद्र को एलविटर, एस्केलेटरो और सामग्री लिफ्टों के लिए वार्षिक जोखिम संबंधी मूल्यांकन करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें न्यूनतम ये शामिल हों:

- खतरा पहचानना। लिफ्टों, एस्केलेटरो और सामग्री लिफ्टों के संचालन और रखरखाव से जुड़े खतरों की पहचान करना।
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- नियंत्रण के उपाय। जोखिम को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उन्हें लागू करना (जैसे, इंटरलॉक लगाना, नवारक रखरखाव)।

कार्यक्रम

सुवधि केंद्र को लिफ्टों, एस्केलेटरो और सामग्री लिफ्टों के लिए प्रक्रियाओं को वकिसति और कार्यान्वयन करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल हों:

- सुरक्षति लोड उठाने के बारे में जानकारी देने वाले चेतावनी संकेतक लगाना तथा यह बताना कि उपकरण मानव के उपयोग के लिए है या नहीं।
- उपकरणों को इस प्रकार से रखना या इंस्टॉल करना, जिससे उपयोगकर्ताओं और आसपास खड़े लोगों को चोट लगने का खतरा न हो।
- चोट से बचाव के लिए उचित रूप से इंटरलॉक, अवरोधक और सुरक्षा उपकरण लगाना।
- नियमित नवारक रखरखाव करना।
- LOTO आवश्यकताओं का पालन करने वाली मरम्मत और रखरखाव की गतिविधियां पूरी करना।

- जब उपकरण काम न कर रहा हो, तो प्रवेश को रोकने के लिए अवरोधक और चेतावनी संकेतक लगाना।
- आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट, एस्केलेटर और सामग्री वाली लिफ्ट के उपयोग पर ध्यान देना।
- स्थानीय कानूनों का अनुपालन करते हुए तृतीय-पक्ष नरीक्षण और प्रमाणन आयोजित करना।
- किसी भी ऊपरी अवरोध के लिए कम से कम 2.1 मी (7 फीट) की खड़ी निकासी सुनिश्चित करना।

13.2.4 प्रशिक्षण

चलती मशीनों के साथ काम करने वाले सभी श्रमकों को प्रारंभिक नयुक्ता के समय सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमिनलखिति शामिल होना ही चाहिए:

- मशीन से जुड़े खतरे।
- सुरक्षति परिचालन प्रक्रियाएं।
- मशीन के गार्ड और उनके उचित उपयोग की जानकारी।
- यद्वा गार्डिंग न हो, क्षतग्रिस्त हो, काम में न हो या अन्य असुरक्षति स्थितियों में मौजूद हो, तो उचित पक्षों को सूचित करने की प्रक्रियाएं।

13.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- मशीन रक्षण जोखिम मूल्यांकन
- लिफ्ट, एस्केलेटर और सामग्री की लिफ्ट का जोखिम मूल्यांकन
- प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- नये एवं संशोधित उपकरणों के लिए मूल्यांकन के रिकॉर्ड। उपकरण का जीवन काल।
- सेवा एवं मरम्मत के रिकॉर्ड। उपकरण का जीवन काल।



14. सीमति स्थान

14.1 मानक

सुवधि केंद्र में सीमति स्थानों में प्रवेश से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके उन्हें लागू करना होगा।

14.2 आवश्यकताएं

14.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिकी तौर पर सीमति स्थानों के जोखिम का मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। सभी सीमति स्थानों और उनसे जुड़े खतरों की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **न्यतिर्ण के उपाय**। जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए न्यतिर्ण उपायों की पहचान करना (जैसे, प्रवेश प्रक्रिया, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), संचार और प्रशिक्षण)।

संसाधन

यह संसाधन सुवधि केंद्रों को सीमति स्थान CLS का अनुपालन करने में मदद करता है:

- ठेकेदार सुरक्षा CLS

14.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को सीमति स्थानों के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा, जिसमें सीमति स्थानों की सूची तैयार करना और उन्हें प्रतबंधित-पहुंच (प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता) या अप्रतबंधित प्रवेश (बना परमिट) की अनुमति के रूप में वर्गीकृत करना शामिल है।

- जोखिम मूल्यांकन में पहचाने गए मध्यम या उच्च जोखिम वाले सीमति स्थानों में प्रवेश के लिए परमिट की ज़रूरत होती है।
- अनधिकृत श्रमिकों को परमिट-आवश्यक सीमति स्थानों में प्रवेश करने पर प्रतबंध है।
- सभी प्रवेश बंदियों पर चेतावनी के संकेत लगाए जाने चाहिए। संकेतों पर यह लिखा होना चाहिए खतरा – परमिट-आवश्यक सीमति स्थान, प्रवेश न करें।
- परमिट-आवश्यक सीमति स्थानों के लिए प्रवेशार्थियों, प्रवेश सहायकों और प्रवेश पर्यवेक्षकों की ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करना।



- प्रवेश परमिट में नमिनलखित शामिल होना चाहिए:
 - सीमिति स्थान का नाम और लोकेशन।
 - प्रवेश का उद्देश्य, तिथि, कार्य की अवधि, जिसमें समाप्ति तिथि और समय भी शामिल हो।
 - अधिकृत प्रवेशार्थियों, प्रवेश सहायकों और प्रवेश पर्यवेक्षक की सूची।
 - सीमिति स्थान से जुड़े खतरे और उन्हें कैसे न्यंत्रित किया जाए।
 - आइसोलेशन की प्रक्रियाएं।
 - प्रवेश की स्वीकार्य शर्तें।
 - आवश्यक वायुमंडलीय परीक्षण और सतत मॉनिटरिंग के परिणाम।
 - बचाव एवं आपातकालीन आवश्यकताएं।
 - सहायकों और प्रवेशार्थियों के लिए संचार की प्रक्रियाएं।
 - आवश्यक प्रवेश उपकरण (जैसे, एक तपिई और चरखी, पूरे शरीर का एक हार्नेस)।
 - अन्य परमिटों का वविरण (जैसे ताप से जुड़ा काम)।
- सभी मॉनिटरिंग और परीक्षण उपकरणों के लिए वार्षिक कैलिब्रेशन और प्रवेश से पहले सेल्फ-कैलिब्रेशन।
- वार्षिक आधार पर सीमिति स्थान में प्रवेश की कार्यप्रणाली की समीक्षा और अपडेट करने की प्रक्रिया, जिसमें श्रमिक, साइट पर ठेकेदार और साइट पर उपठेकेदार शामिल हैं।

किसी सीमिति स्थान को अप्रतिबंधित पहुंच वाले गैर-परमिट आवश्यक सीमिति स्थान के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकताओं में ये शामिल हैं:

- यह सत्यापित करना कि सीमिति स्थान में वास्तविक या संभावित रूप से खतरनाक वातावरण नहीं है।
- यह सत्यापित करना कि सीमिति स्थान में कोई ऐसा खतरा नहीं है जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति हो सकती हो। इसमें कोई भी ज्ञात स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी खतरा (जैसे, ठोस या तरल पदार्थ में फंसना, बजिली का झटका, हलिते हुए हिससे) शामिल है।
- जब लोग खतरों को दूर करने के लिए सीमिति स्थान में प्रवेश करते हैं, तो इसे तब तक परमिट-आवश्यक सीमिति स्थान के रूप में माना जाना चाहिए, जब तक कि खतरे समाप्त नहीं हो जाते।

जब स्थान के उपयोग या बनावट में बदलाव के कारण प्रवेशार्थियों के लिए खतरा बढ़ जाता है, तो आवश्यकता पड़ने पर सुविधा केंद्र द्वारा बनि-परमिट वाले सीमिति स्थान को परमिट वाले सीमिति स्थान में फरि से वर्गीकृत किया जा सकता है।

14.2.3 प्रशिक्षण

सीमिति स्थान में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों (जैसे, प्रवेशार्थी, सहायक, पर्यवेक्षक, बचाव दल) को शुरुआती कार्य के समय तथा उसके बाद कम से कम प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

प्रशिक्षण में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- सीमिति स्थान में प्रवेश के खतरे और न्यंत्रण के उपाय।
- प्रवेश परमिट के लिए आवश्यक डेटा तत्व।
- सभी उपकरणों का उपयोग।
- संचार की प्रक्रियाएं।
- बचाव एवं आपातकालीन प्रक्रियाएं।

14.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- सीमिति स्थान जोखिम मूल्यांकन
- सीमिति स्थान में प्रवेश का परमिट
- प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- मॉनिटरिंग संबंधी रिकॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।



15. ठेकेदार सुरक्षा

15.1 मानक

सुवधि केंद्र को ऑन-साइट ठेकेदार और ऑन-साइट उप-ठेकेदार की गतिविधियों से जुड़े पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (EHS) जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणालियां तैयार करके लागू करनी होंगी।

15.2 आवश्यकताएं

15.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिकी तौर पर ठेकेदार सुरक्षा जोखिम का मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।** उन सभी कार्यों की पहचान करना जिनमें ठेके पर या उपठेके पर दिया जा सकता है तथा उनसे जुड़े खतरों की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना।

15.2.2 योग्यता

सुवधि केंद्र में उपकरण या सुवधि केंद्र के रखरखाव, या मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में पहचाने गए कार्यों को करने के लिए किसी भी साइट पर ठेकेदार और उपठेकेदार को नियुक्त करने के लिए योग्यता की एक प्रक्रिया होनी चाहिए।

इस योग्यता प्रक्रिया में कम से कम ये शामिल होना ही चाहिए:

- साइट पर ठेकेदारों और साइट पर उपठेकेदारों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए मानदंड स्थापित करना।
मानदंड में ये शामिल होने चाहिए:
 - ऐतिहासिक EHS परफॉर्मेंस।
 - पर्याप्त देयता बीमा का प्रमाण (प्रत्येक देश में परभाषित किए अनुसार व्यापक कवरेज की सफ़िरशि की जाती है)।
 - इस बात का प्रमाण कि व्यवसाय ने लागू सुरक्षा कार्यक्रम और प्रशिक्षण को लागू किया है।
- साइट पर संभावित ठेकेदारों और साइट पर उपठेकेदारों से एक योग्यता फॉर्म भरवाया जाएगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे स्थापित मानदंडों का अनुपालन करते हैं या नहीं।
- योग्य व्यवसायों की निर्देशिका बनाना।
- वार्षिक आधार पर योग्य व्यवसायों की निर्देशिका का मूल्यांकन करना।
- यह सत्यापित करना कि कार्य करने के लिए सभी लाइसेंस, परमिट और अनुमोदन मौजूद हैं।
- यह सत्यापित करना कि न्यूनतम देयता बीमा आवश्यकताएं (जैसा कि उपयुक्त क्षेत्राधिकार, कार्य की प्रकृति, सर्वोत्तम अभ्यास द्वारा परभाषित किया गया है) पूरी की गई है।



15.2.3 कार्य-पूर्व ओरिएंटेशन और समीक्षा

सुवधि केंद्र को साइट पर उन ठेकेदारों और साइट पर उन उपठेकेदारों के साथ कार्य-पूर्व समीक्षा और ओरिएंटेशन आयोजित करना होगा, जन्हें कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें कम से कम ये शामिल हैं:

- सुवधि केंद्र का ओरिएंटेशन दौरा करना, जिसमें आपातकालीन निकास, अलार्म को पहचानना, तथा आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई शामिल है।
- साइट पर ठेकेदारों और साइट पर उपठेकेदारों के लिए जरूरी प्रशिक्षण और / या प्रमाणपत्रों का सत्यापन करना।
- सत्यापन करना कि साइट पर लागू गए किसी भी रसायन के लिए सुरक्षा डेटा शीट (SDS) तुरंत उपलब्ध है।
- साइट पर लागू गए उपकरणों का निरीक्षण करके यह सत्यापित करना कि वे अच्छी स्थिति में हैं तथा सभी वनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
- सभी लागू EHS वनियमों के साथ-साथ सुवधि केंद्र की EHS नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।
- सामान्य सुरक्षा नयिमों की समीक्षा करना।
- हाउसकीपिंग, सफाई और नपिटान की आवश्यकताओं की समीक्षा करना।
- घटना रिपोर्टिंग के लिए निर्देश देना।
- गैर-अनुपालन के लिए प्रावधान। नीचे देखें।

15.2.4 मॉनटरिंग

सुवधि केंद्र में साइट पर ठेकेदारों और साइट पर उपठेकेदारों को मॉनटर करना चाहिए। मॉनटरिंग का स्तर कार्यों से जुड़े जोखिम के स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

गैर-अनुपालन के लिए प्रावधान

सुवधि केंद्र और साइट पर मौजूद ठेकेदारों या साइट पर मौजूद उपठेकेदारों के बीच अनुबंध में सुवधि केंद्र की सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं के किसी भी भाग के साथ ठेकेदार से संबंधित गैर-अनुपालन की मॉनटरिंग, पहचान और समाधान खोजने की प्रक्रिया की रूपरेखा होनी चाहिए।

15.2.5 प्रशिक्षण

सभी प्रभावित प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों को सुवधि केंद्र की ठेकेदार सुरक्षा नीति और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

15.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- ठेकेदार सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन
- ठेकेदार सुरक्षा योग्यता प्रपत्र
- साइट पर ठेकेदार और साइट पर उपठेकेदार योग्यता प्रपत्रों का मूल्यांकन
- प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- ठेकेदार सुरक्षा मॉनटरिंग के रिकॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।



16. खतरनाक ऊर्जा पर नियंत्रण (LOTO)

16.1 मानक

खतरनाक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए सुवधि केंद्र को मशीनरी और उपकरणों के लॉकआउट / टैगआउट (LOTO) के लिए प्रक्रियाओं और कार्यवधियों को तैयार करके उन्हें लागू करना होगा।

16.2 आवश्यकताएं

16.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को प्रत्येक वर्ष खतरनाक ऊर्जा नियंत्रण (LOTO) जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। उपकरण, कार्यो (जैसे, इंस्टॉलेशन, रखरखाव, नरीक्षण, सफाई, मशीनरी या उपकरण की मरम्मत) और अनियंत्रित खतरनाक ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाले संबंधित खतरों की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, LOTO प्रक्रियाएं)।

16.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को अनियंत्रित खतरनाक ऊर्जा से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- एकाधिक ऊर्जा स्रोतों वाले उपकरणों के लिए मशीन-वशिष्ट LOTO प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करना।
- ऊर्जा नियंत्रण उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक श्रमिक को ताले, चाबियाँ और टैग सौपना। केवल ताले और टैग लगाने वाले कर्मचारी ही उन्हें निकाल सकते हैं।
- उपकरणों को अलग करना और ऊर्जा निकालना:
 - यांत्रिक प्रणालियों को पॉवर देने वाले इंजन या मोटर्स को डिस्कनेक्ट करना या बंद करना।
 - पॉवर / लॉकआउट को डिस्कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सर्किट की ऊर्जा निकालना।
 - हाइड्रोलिक, वायवीय या स्ट्रीम प्रणालियों में गैस या तरल प्रवाह को अवरोध करना।
 - गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली गति के विरुद्ध मशीन के हिस्सों को अवरोध करना।



- प्रणालियों को नष्क्रिय करने के बाद संग्रहीत ऊर्जा को नष्ट करना:
 - दबाव वाहकियों, टैंकों या संचायकों से गैस या तरल पदार्थ को तब तक बाहर निकालना, जब तक कि आंतरिक दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर न हो जाए।
 - ग्राउंडिंग द्वारा कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना।
 - तनाव या संपीड़न के तहत स्प्रिंगों को रिलीज़ करना या अवरोध करना।
 - शट डाउन और आइसोलेशन के बाद प्रणालियों को पूर्णतः रुकने की अनुमति देकर जड़तीय बलों को नष्ट करना।
- अलग करना और ऊर्जा निकालने का सत्यापन करना।
- उपकरणों को पुनः सक्रिय करने के लिए सही प्रक्रियाओं का पालन करना:
 - कार्य का नरीक्षण करना, लॉक हटाना, सुरक्षति शुरुआत करना, तथा जब श्रमिक खतरे वाले स्थान से बाहर निकल जाएं, तो पुनः सक्रिय करना।
 - मशीन या उपकरण का परीक्षण करने या उसे स्थापित करने के लिए जब LOTO उपकरणों को अस्थायी रूप से हटाया जाएगा, तो श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना।
 - जब काम पूरा हो जाए और उपकरण चालू हो जाए, तो श्रमिकों को सूचित करना।
 - सुरक्षति संचालन को सत्यापित करने के लिए पुनः सक्रिय उपकरणों की मॉनिटरिंग करना।
- जब आइसोलेशन का कोई अन्य साधन उपलब्ध न हो, तो केवल टैग का उपयोग करना।

- जब एक से अधिक कर्मचारी आइसोलेशन की प्रक्रिया में शामिल हों, तो एकाधिक लॉकआउट उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग करना।
- बलपूर्वक लॉक हटाने की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब लोकेशन का प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से यह सत्यापित कर ले कि मशीनरी सुरक्षति है तथा सभी श्रमिक खतरे वाले क्षेत्र से बाहर हैं।

16.2.3 मॉनिटरिंग

सुविधा केंद्र को अपने LOTO कार्यक्रम और प्रक्रियाओं को वार्षिक आधार पर मॉनिटर और अपडेट करना होगा।

16.2.4 प्रशिक्षण

सभी श्रमिकों को LOTO प्रक्रियाओं पर जागरूकता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

LOTO में शामिल श्रमिकों को नयुक्त के समय या नयुक्त के बाद पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, तथा उन्हें प्रतर्विर्ष रफ्रेशर का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

- सभी ऊर्जा स्रोतों को कहां आइसोलेट करें, क्या करें और कैसे करें।
- नियंत्रण उपकरणों पर लॉक और टैग का उपयोग करना।
- आइसोलेशन का सत्यापन करना।
- सुरक्षति स्टार्ट अप और पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया।
- खतरे की पहचान और नियंत्रण।

16.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- खतरनाक ऊर्जा पर नियंत्रण (LOTO) जोखिम मूल्यांकन
- प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड
- खतरनाक ऊर्जा पर नियंत्रण (LOTO) की प्रक्रियाएं

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- मॉनिटरिंग संबंधी रिकॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।



17. वदियुत सुरक्षा

17.1 मानक

सुवधि केंद्र को इलेक्ट्रिकल खतरो से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करना होगा।

17.2 आवश्यकताएं

17.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक इलेक्ट्रिकल सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। इलेक्ट्रिकल कार्य और उनसे जुड़े खतरो की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरो से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), संचालन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और सुरक्षति कार्य के अभ्यास)।

17.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को इलेक्ट्रिकल के खतरो से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

आर्क फ्लैश वश्लेषण

- सुवधि केंद्र की पॉवर की प्रणाली का अध्ययन करना, ताकि उन खास इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर उपलब्ध ऊर्जा का निर्धारण किया जा सके, जो इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास रहने या उनके साथ काम करने के दौरान शर्मिकों के संपर्क में आएंगी।

संसाधन

यह संसाधन इलेक्ट्रिकल सुरक्षा CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की मदद करता है:

- खतरनाक ऊर्जा का नियंत्रण (LOTO) CLS

- सत्यापित करना कि केवल प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत की जाती है।
- सत्यापित करना कि सक्रिय इलेक्ट्रिकल सर्किट पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास समुचित योग्यताएं हैं तथा उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया गया है।
- आकस्मिक क्षति से बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल वितरण क्षेत्रों की सुरक्षा करना (उदाहरण के लिए, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कमरे, पर्याप्त गार्ड पोस्ट और रेलों का उपयोग करना)।
- इलेक्ट्रिकल वितरण कक्षों तक अधिकृत शर्मिकों की पहुंच को प्रतिबंधित करना।
- सभी इलेक्ट्रिकल वितरण पैनलों, ब्रेकरो, स्विचों और जंक्शन बक्सों को नम स्थितियों से बचाने के लिए उन्हें पूरी तरह से बंद करना।



- सभी इलेक्ट्रिकल नयितरण उपकरणों पर लेबल लगाना ताकि यह पता चल सके कि वे किस उपकरण को नयितरति करते हैं।
- सत्यापति करना कि सभी इलेक्ट्रिकल वतिरण पैनलों में 0.9 मी (3 फीट) की नकिासी है।
- सभी नलकिाओं को उनकी पूरी लम्बाई में पर्याप्त रूप से सहारा देना। किसी नलकिा में गैर-इलेक्ट्रिकल अटैचमेंट लगाना नषिदिध है।
- सत्यापति करना कि सभी इलेक्ट्रिकल तार और केबल अच्छी स्थिति में हैं और कोई भी खुला सर्कटि नहीं है।
- एक्सटेशन कॉर्ड का उपयोग केवल अस्थायी आधार पर ही करना।
- गीले स्थानों के लिए ग्राउंड फ़ॉल्ट सर्कटि इंटरप्शन (GFCI) प्रदान करना। GFCI को वभिनिन क्षेत्त्रों में अलग-अलग नामों से बताया जा सकता है, जनिमें नमिनलखिति शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमति नहीं हैं:
 - रेसडियूअल करंट डविाइस (RCD)
 - रेसडियूअल करंट सर्कटि ब्रेकर (RCCB)
 - ओवरलोड के साथ रेसडियूअल करंट ब्रेकर (RCBO)
 - फ़ॉल्ट करंट प्रोटेक्शन स्वचि (FI-सकाल्टर)
 - अर्थ लीकेज सर्कटि ब्रेकर (ELCB)
 - अर्थ लीकेज ब्रेकर (ELB)
 - अर्थ लीकेज प्रोटेक्टर (ELP)
- सत्यापति करना कि साइट के लिए खास इलेक्ट्रिकल सुरक्षा नयिम आसानी से उपलब्ध हैं।

इलेक्ट्रिकल से जुड़े नरीक्षण

सुवधि केंद्र में नयिमति रूप से इलेक्ट्रिकल नरीक्षण और परीक्षण होना चाहएि:

- इन नरीक्षणों की आवृत्त स्थानीय कानून, सुवधि केंद्र में उपकरण के प्रकार, जसि वातावरण में इसका उपयोग कया जाए तथा उपयोग की आवृत्त पर नरिभर करती है।
- स्थानीय कानूनों के अनुपालन के सत्यापन के लिए नए और मौजूदा भवनों में कएि गए बड़े संशोधनों का नरीक्षण कया जाना जरूरी है।
- सुवधि केंद्र में इलेक्ट्रिकल संबंधी कमयिों को प्राथमकिता देने और सुधारने की एक प्रक्रया होनी चाहएि।

सुरक्षा उपकरण

सक्रयि ऊर्जा वाले सर्कटि पर काम करते समय, इलेक्ट्रीशयिनो को कुछ सुरक्षा उपाय अवश्य अपनाने चाहएि:

- जोखमि मूल्यांकन के अनुसार जरूरत के हसिाब से इलेक्ट्रिकल-रेटेड चश्मे और सुरक्षा जूते और / या बूट पहने जाने चाहएि।
- इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए उपयोग कएि जाने वाले सभी उपकरणों को उचति रूप से इंसुलेट कया जाना चाहएि।
- इलेक्ट्रिक उपयोगिता कक्षों में सभी वतिरण पैनलों के सामने इलेक्ट्रिकल-रेटेड मैटगि स्थापति की जानी चाहएि।

17.2.3 प्रशक्षिण

सभी श्रमकिों को इलेक्ट्रिकल सुरक्षा नयिमों और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी कमयिों की रपिरटगि प्रक्रयाओं में प्रशक्षिति कया जाना चाहएि।

वदियुत सुरक्षा

किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रणाली या लाइव सर्कटि पर काम करने वाले योग्य व्यक्तयिों को कम से कम नमिनलखिति साइट-वशिषिट आवश्यकताओं में प्रशक्षिति होना चाहएि:

- अपने कार्य वातावरण से जुड़े खतरो को पहचानना।
- सक्रयि इलेक्ट्रिकल सर्कटि और उपकरणों को सुरक्षिति रूप से लॉक करने और टैग करने की प्रक्रया।
- उपयुक्त प्रक्रयाओं और व्यक्तगित सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग करना।
- PPE की देखभाल और रखरखाव।

17.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- इलेक्ट्रिकल सुरक्षा जोखमि मूल्यांकन
- प्रशक्षिण संबंधी रकिॉर्ड

Nike को कुछ रकिार्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- नरीक्षण के रकिॉर्ड। न्यूनतम पांच वर्ष।



18. गरिने से सुरक्षा

18.1 मानक

सुवधि केंद्र को कार्य के स्तरों से गरिने, उस पर गरिने या उसके ज़रिए गरिने से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित और लागू करना होगा तथा श्रमकों, साइट पर मौजूद ठेकेदारों या साइट पर मौजूद उपठेकेदारों को गरिती हुई वस्तुओं से बचाने के लिए कार्य करना होगा।

18.2 आवश्यकताएं

18.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक तौर पर गरिने से सुरक्षा जोखिम का मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।** ऐसे कार्यों की पहचान करना जिनसे श्रमकों या वस्तुओं के गरिने का खतरा हो।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** ऊंचाई पर काम से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उनका कार्यान्वयन करना।

18.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को गरिने या किसी गरिती हुई वस्तु से टकराने के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- 1.2 मी (4 फीट) या उससे अधिक की किसी भी असुरक्षित ऊंचाई के लिए पूरे शरीर के हार्नेस की आवश्यकता होना।
- प्रत्येक उपयोग से पहले और बाद में गरिने से सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करना।
- गरिने से बचाव वाले उपकरणों का मासिक रूप से निरीक्षण करना।
- गरिने से बचाव के उपकरणों का उचित रखरखाव, सफाई और भंडारण कैसे करें।
- गरिने से सुरक्षा प्रणालियों का उचित उपयोग कैसे करें।
- औजारों और सामग्रियों को उचित तरीके से कैसे संभालें, संग्रहित करें और सुरक्षित रखें।
- उन क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, जहां गरिने या किसी वस्तु के गरिने का खतरा हो।
- गिरि हुए कर्मचारी को बचाने के लिए आपातकालीन प्रक्रियाएं स्थापित करना।



सीढ़ी की सुरक्षा

सीढ़ी की सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं में नमिनलखित शामिल होना चाहिए:

- सूची।
- सुरक्षति उपयोग।
- नरीक्षण की आवश्यकताएं।
- 2.1 मी (7 फीट) से अधिक वसितारति स्थरि सीढ़ियों को 2.1 मी (7 फीट) की ऊंचाई वाले पजिरे में बंद किया जाना चाहिए।
- 2.4 फीट से अधिक लंबी स्थरि सीढ़ियों को पजिरे के स्थान पर सीढ़ी सुरक्षा या व्यक्तगित पतन रोधक प्रणाली से सुसज्जित किया जाना चाहिए।

फर्श और दीवार की ओपनगि

- ऐसी किसी भी स्थिति में, सविय उन स्थानों के जहां रैम्प, सीढ़ी या स्थरि सीढ़ी का प्रवेश द्वार हो, जहां कोई व्यक्ति 1.2 मी (4 फीट) से अधिक नीचे गिर सकता है, वहां सभी खुले कनारों पर स्टैंडर्ड रेलगि और टो बोर्ड द्वारा सुरक्षा की जानी चाहिए।
- किसी स्टैंडर्ड रेलगि में सबसे ऊपरी रेल, मध्य रेल और पोस्ट शामिल होते हैं।
- टो बोर्ड की ऊंचाई कम से कम 10.2 सेमी (4 इंच) होनी चाहिए, और उसके नचिले हिस्से में .66 सेमी (.25 इंच) से कम का अंतर होना चाहिए, साथ ही उसमें 22.67 कलिंग्राम (50 पाउंड) का भार सहने की क्षमता होनी चाहिए।
- जहां दीवार या फर्श की ओपनगि से सामग्री या उपकरण के गरिने का संभावित खतरा हो, वहां उस ओपनगि को टो गार्ड या बंद स्क्रीन से सुरक्षति किया जाना चाहिए।

18.2.3 प्रशिक्षण

जो भी व्यक्ति गरिने के खतरे से ग्रस्त हो सकता है, उसे शुरुआती काम देने के समय तथा उसके बाद कम से कम प्रतविर्ष गरिने से बचाव की तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। प्रशिक्षण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

ओवरव्यू

- कार्य क्षेत्र में गरिने के खतरों की प्रकृति।
- गरिने के खतरों को कैसे पहचाने और कम करें।
- गरिने से सुरक्षा की प्रणाली के रखरखाव और नरीक्षण के लिए सही प्रक्रियाएं।
- गरिने से बचाव के उपकरणों का उपयोग एवं संचालन।
- गरिने से सुरक्षा करने वाले घटकों के लिए अधिकतम लोड सीमाएं।

सीढ़ी की सुरक्षा

- सभी प्रभावित शर्मकों को सीढ़ी की सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें सुरक्षति उपयोग और नरीक्षण आवश्यकताएं शामिल हों।

18.3 रकिॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- गरिने से सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन
- प्रशिक्षण संबंधी रकिॉर्ड

Nike को कुछ रकिॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- गरिने से सुरक्षा और सीढ़ियों के लिए नरीक्षण प्रपत्र। न्यूनतम तीन वर्ष।



19. रखरखाव सुरक्षा

19.1 मानक

सुवधि केंद्र को उपकरण वफिलता या रखरखाव और मरम्मत की गतिविधियों से जुड़े खतरो के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करना होगा।

19.2 ज़िम्मेदारियाँ

रखरखाव प्रतनिधि को रखरखाव सुरक्षा नीति और प्रक्रियाओं को स्थापित करना, बनाए रखना और प्रबंधित करना होगा।

19.3 आवश्यकताएं

19.3.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक तौर पर रखरखाव सुरक्षा जोखिम का मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीज़ें शामिल हों:

- खतरा पहचानना। रखरखाव और मरम्मत के कार्यों से जुड़े खतरो की पहचान करना।
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरो से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- न्यंत्रण के उपाय। जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए न्यंत्रण उपायों की पहचान करना और कार्यान्वयन करना (जैसे, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), ताप से जुड़े कार्य के परमिट)।

संसाधन

ये संसाधन सुवधि केंद्रों को रखरखाव सुरक्षा CLS का अनुपालन करने में मदद करते हैं:

- रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है CLS
- वदियुत सुरक्षा CLS
- खतरनाक ऊर्जा का न्यंत्रण (LOTO) CLS
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) CLS

19.3.2 नीतियाँ और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को रखरखाव से जुड़ी सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू करनी होंगी। प्रक्रियाओं में कम से कम ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

- कार्यशालाओं को अच्छी एवं स्वच्छ कार्यशील स्थिति में बनाए रखना।
- सभी औजारों और उपकरणों को सुरक्षित और उचित कार्य स्थिति में बनाए रखना।
- निर्माताओं के उपकरण मैनुअल तक पहुँच को सुवधाजनक बनाना।
- PPE उपलब्ध कराना तथा शर्मकों को इसका उपयोग करने के लिए बाध्य करना।
- सभी रखरखाव कर्मियों के लिए जोखिम-उपयुक्त जूते पहनना आवश्यक बनाना।



- नविकरक रखरखाव और मरम्मत प्रणाली लागू करना, जनिमे ये शामिल है:
- शेड्यूल बनाना और प्राथमिकता तय करना।
- पूरे किए गए काम के विवरण का दस्तावेजीकरण करना।
- काम पूरा करने की तारीख और कार्य पूरा करने वाले व्यक्ति का दस्तावेजीकरण।
 - प्रत्येक उपकरण और औजार के लिए रखरखाव / मरम्मत लॉग बनाना।
- जब भी किसी ऐसे क्षेत्र में तत्त कार्य किया जाता है जो वशिष रूप से उस कार्य के लिए निर्दिष्ट नहीं है और ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त है, तो सुरक्षा प्रक्रियाओं और तत्त-कार्य परमिट प्रणाली को लागू करना। तत्त-कार्य परमिट में कम से कम इन्हें शामिल होना चाहिए:
- तत्त कार्य का स्थान और प्रकृति।
- तत्त कार्य का समय और अवधि।
- काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने के बाद बरती जाने वाली सावधानियां।
- पर्यवेक्षक और कार्य संचालन करने वाले व्यक्ति के नाम।
- PPE आवश्यक है।
- अग्नशिमन उपकरण की आवश्यकताएं
- प्राधकृत व्यक्तियों की सूची जो तत्त कार्य परमिट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

19.3.3 प्रशिक्षण

रखरखाव कर्मचारी

रखरखाव कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- रखरखाव सुरक्षा कार्यक्रम की वशिष्ट आवश्यकताएं।
- औजारों का उपयोग, भंडारण और रखरखाव।
- उपकरणों एवं औजारों के नविकरक रखरखाव की आवश्यकताएं।

तत्त-कार्य अधकृत कर्मचारी

तत्त कार्य करने के लिए अधकृत श्रमिकों को वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- तत्त-कार्य परमिट प्रणाली और प्रक्रियाएं।
- उपकरणों का उपयोग (अग्नशिमन उपकरण सहित)।

19.4 रिकॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- रखरखाव सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन
- प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- नविकरक रखरखाव रिकॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।
- मरम्मत के रिकॉर्ड। उपकरण का जीवन काल।
- हॉट वर्क परमिट। न्यूनतम तीन वर्ष।



20. चोट और रोग प्रबंधन

20.1 मानक

सुवधि केंद्र को घटना की रपिर्टिंग तथा चोट और बीमारी के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं और कार्यवधियों का विकास और क्रियान्वयन करना होगा।

20.2 आवश्यकताएं

20.2.1 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को चोट और बीमारी के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- प्रबंधन को सभी घटनाओं की तुरंत रपिर्ट करना। इसमें काम से संबंधित चोटें, नकित चुक, बीमारियाँ तथा ऐसी दुर्घटनाएँ शामिल हैं, जिनकी वजह से संपत्ति को नुकसान पहुँचता है।
- घटना के आठ घंटे के भीतर सभी मौतों या गंभीर चोटों की सूचना Nike को देना। इसमें 24 घंटे अस्पताल में भरती रहने की स्थिति, स्थायी व्यक्ति, शरीर के किसी अंग की हानि या दृष्टि की हानि जैसी चोटें शामिल हैं।

- यदि किसी साइट पर मौजूद ठेकेदार या साइट पर मौजूद उपठेकेदार को सुवधि केंद्र के परिसर में चोट लगती है, तो सुवधि केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि ठेकेदार या सुवधि केंद्र द्वारा चोट या बीमारी को लॉग किया जा रहा है या नहीं।

- घटना के 48 घंटे के भीतर जांच रपिर्ट सुवधि केंद्र प्रबंधन को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

रपिर्ट में कम से कम ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

- सुवधि केंद्र का नाम।
- घटना का वशिष्ट स्थान एवं समय।
- गवाह की जानकारी।
- सभी मृतक या अस्पताल में भरती श्रमिकों के नाम।
- सुवधि केंद्र के संपर्क व्यक्ति का नाम और फ़ोन नंबर।
- घटना का सम्पूर्ण विवरण, जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्य और सभी कारण शामिल हों।
- पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय।

संसाधन

यह संसाधन सुवधि केंद्र को चोट और बीमारी प्रबंधन CLS का अनुपालन करने में मदद करता है:

- Nike का दुर्घटना/घटना वाला रपिर्ट फॉर्म

- चोट और बीमारी प्रबंधन प्रक्रियाओं में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए।
 - श्रमिक घटनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना।
 - घायल कर्मचारी के साथ बातचीत करना (जैसे कि मज़दूरी और चिकित्सा प्रतबंधों के संबंध में)।
 - काम पर वापस लौटने के प्रावधान (जैसे कि कार्य प्रतबंध, ट्रांज़िशनल कार्य)।
 - किसी भी कार्य प्रतबंध को लागू करना।



20.2.2 रिकॉर्डकीपगि और रपिर्टगि

सुवधि केदर को काम से संबंधित सभी चोटों और बीमारियों का एक लॉग बनाए रखना होगा, जिसके परणामस्वरूप मृत्यु, अस्पताल में भर्ती होना, कार्यद्विसों की हानि, प्राथमिक उपचार से परे चिकित्सा उपचार, नौकरी का स्थानांतरण या समाप्ति, या चेतना की हानि हो सकती है। लॉग में नमिनलखिति शामिल होना चाहिए:

- प्रत्येक घटना की रपिर्ट, सूचना प्राप्त होने के छह कार्य दविसों के भीतर दर्ज की जाएगी।
- शर्मकि, साइट पर ठेकेदार और साइट पर उपठेकेदार के नाम।
- चोट या बीमारी की तारीख।
- सुवधि केदर के परसिर में चोट या बीमारी कहाँ हुई।
- घटना का सामान्य वविरण।
- चोट या बीमारी के कारण व्यक्तीकतिने दनिों तक काम से दूर रहा है या रहेगा।
- चोट या बीमारी के कारण व्यक्तीकतिने दनिों तक कार्य प्रतबिंधो के अधीन रहा है या रहेगा।
- चोटों और बीमारियों का वार्षिक सारांश शर्मकिों की पढ़च वाले क्षेत्रों में पोस्ट किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल है:
 - चोटों और बीमारियों की घटनाओं की कुल संख्या
 - कुल मौतों की संख्या
 - काम से दूर रहने के कुल दनिों की संख्या
 - प्रतबिंधित कार्य गतविधि या नौकरी स्थानांतरण के मामलों की कुल संख्या

- घटना दर, जिसकी गणना इस प्रकार से की जाती है:

(काम से दूर रहने के कुल दनिों की संख्या + नौकरी स्थानांतरण या प्रतबिंध वाले मामलों की कुल संख्या) x 200,000/सभी शर्मकिों द्वारा काम किए गए कुल घंटों की संख्या = कुल घटना दर

- सुवधि केदर को उपरोक्त घटना डेटा को तमिही आधार पर Nike को रपिर्ट करना होगा, जब तक कि मासिक रपिर्ट करने का नरिदेश न दिया जाए।

टपिणी: 10 या उससे कम शर्मकिों वाले सुवधि केदरों को तमिही डेटा रपिर्टगि की आवश्यकता से छूट दी गई है।

Nike, सुवधि केदर को किसी कर्मचारी द्वारा किसी घटना या नकिट चूक की रपिर्ट करने पर उसके वरिद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से रोक सकता है।

20.2.3 प्रशक्षिण

चोट और बीमारी की रपिर्टगि

शर्मकिों को सुवधि केदर के चोट और बीमारी प्रबंधन कार्यक्रम पर प्रशक्षिति किया जाना चाहिए। प्रशक्षिण में न्यूनतम नमिनलखिति शामिल होना ही चाहिए:

- किसी भी कार्य-संबंधी चोट या बीमारी या नकिट चूकों की गंभीरता की परवाह किए बिना तत्काल रपिर्ट करने का महत्व।
- किसी भी चोट या बीमारी के बारे में जानकारी साझा करने का महत्व जो उनकी सामान्य कार्य-कर्तव्यों को नषिपादति करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

चोट और रोग प्रबंधन

प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त प्रशक्षिण प्राप्त करना होगा, जिसमें सुवधि केदर के चोट और बीमारी प्रबंधन कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा।

प्रशक्षिण में न्यूनतम नमिनलखिति शामिल होना ही चाहिए:

- चोट, बीमारी और नकिट-चूक लॉग में घटना रपिर्ट कैसे बनाएं।
- दुर्घटना या नकिट-चूक की जांच और मूल कारण वश्लेषण कैसे किया जाए।
- गोपनीयता बनाए रखने का महत्व।
- शर्मकिों, चिकित्सा कर्मियों और अन्य हतिधारकों के साथ संवाद करने के सबसे अच्छे तरीके।
- चोट या बीमारी के बाद लोगों को काम पर वापस लाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास।

20.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवधि केदरों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- घटना रपिर्टगि संबंधी नीतियाँ और प्रक्रियाएं
- चोट और बीमारी प्रबंधन संबंधी नीतियाँ और प्रक्रियाएं
- प्रशक्षिण संबंधी रिकॉर्ड



21. दबाव वाहकिएं और संपीडति वायु

21.1 मानक

सुवधि केंद्र को दबाव वाहकियों और प्रणालियों से संबंधित वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को खत्म करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके उन्हें लागू करना होगा।

21.2 आवश्यकताएं

21.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक वायु उत्सर्जन जोखिम मूल्यांकन करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।** दबाव वाहकियों और प्रणालियों को उनके संबंधित खतरों के अनुसार पहचानना और वर्गीकृत करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** दबाव वाहकियों, बॉयलर हाउस, भाप पाइपलाइनों और इस CLS में शामिल अन्य प्रणालियों से उत्पन्न खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, दबाव-राहत वाल्व, नगिरानी, दबाव वाहकियों और प्रणालियों से संबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE))।
- नई दबाव वाहकियों के लिए और जब भी मौजूदा प्रणालियों में सामग्री या डिजाइन में बदलाव किया जाता है, तब जोखिम का आकलन अवश्य किया जाना चाहिए।

21.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को प्रत्येक प्रक्रिया और/या कार्य क्षेत्र से जुड़े जोखिमों को कम करने या न्यूनतम करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

नई मशीन की स्थापना

दबाव वाहकियों और प्रणालियों को निर्माताओं की सफािशो के अनुसार स्थापित, अंशांकित और परीक्षण किया जाना चाहिए। भाप-वतिरण प्रणालियों का संचालन से पहले उचित रखरखाव और इन्सुलेशन किया जाना चाहिए।

सुरक्षति संचालन

- सभी दबाव वाहकियों और प्रणालियों का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है।
- दबाव वाहकियों पर नगिरानी प्रणाली में किसी भी असामान्य स्थिति के बारे में पूर्व चेतावनी संकेत होने चाहिए।
- ऑपरेटर्स को प्रशिक्षित एवं अधिकृत होना चाहिए।

संसाधन

यह संसाधन प्रेशर वेसेल्स एंड कंप्रेसड एयर CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करता है:

- मशीन सुरक्षा CLS

नविकर रखरखाव कार्यक्रम

सुरक्षा वाल्व और चेतावनी प्रणाली की वफाईताओं से बचने के लिए सभी दबाव वाहकियों और प्रणालियों को एक सतत नविकर रखरखाव कार्यक्रम द्वारा कवर किया जाना चाहिए। इसमें कम से कम ये चीजें शामिल हैं:

- प्रत्येक प्रकार के दबाव पोत और वायु संपीडन प्रणाली के लिए जोखिम आकलन के आधार पर सुवधि केंद्र को वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक या दैनिक निरीक्षण करना होगा।
- स्थानीय वनियमों का अनुपालन करने के लिए कम से कम प्रतिवर्ष तृतीय-पक्ष के विशेषज्ञों द्वारा आवधिक निरीक्षण, आंतरिक निरीक्षण और प्रत्येक प्रकार के दबाव पोत के लिए जोखिम मूल्यांकन के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।



NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS

सुरक्षति

दबाव वाहकिएं और संपीडति वायु

- सभी दबाव वाहकिएं के लिए दबाव नयामको, स्वचिं और सुरक्षा वाल्वो पर परीक्षण।
- जंग, थकान और शेष उपयोगी जीवन का नर्धारण करने के लिए पुराने उपकरणों के लिए गैर-वनिशकारी परीक्षण जैसे कि अल्ट्रासोनिक परीक्षण (UT) और / या तरल प्रवेश परीक्षण (PT)।
- बॉयलर हाउस, स्टीम पाइपलाइनों और कंडेनसेट-रकिवरी प्रणाली के अस्तित्व और कार्य को सत्यापित करने के लिए स्टीम बॉयलर प्रणाली का सर्वेक्षण करना, जिसमें इनसुलेशन कवरेज, स्टीम-ट्रैप रखरखाव और पर्याप्त जल-भंडारण टैंक शामिल हैं।
- संपीडति वायु वतिरण प्रणाली के रखरखाव और दबाव वनियमन के साथ-साथ पूरे सस्टिम में वायु रसाव दर को सत्यापित करने के लिए संपीडति वायु प्रणालियों का सर्वेक्षण करना।
- वायु वतिरण पाइपो की मरम्मत और प्रतसिथापन करने के लिए, संपीडति वायु प्रणालियों के लिए उचित रखरखाव प्रक्रिया और यह प्रक्रिया वायु रसाव का पता लगाने और उसे समाप्त करने में भी मदद करती है।
- बॉयलर हाउस, भाप पाइपलाइनों, इनसुलेशन कवरेज, भाप जाल और पर्याप्त जल भंडारण टैंक सहित कंडेनसेट रकिवरी सस्टिम के लिए भाप बॉयलर प्रणाली के लिए उचित रखरखाव प्रक्रियाएं।

कट-पुंड-सीव परधान-परषिकरण सुवधि केंद्रों में भाप बॉयलरों की अतरिक्ति

आवश्यकताएं हैं, जनिमें शामिल हैं:

- सुवधि केंद्रों को केंद्रीकृत भाप बॉयलरों की नई खरीद नहीं करनी चाहिए।
- उपठेकेदारों के सुवधि केंद्रों सहित, इस्त्री प्रक्रियाओं में वर्तमान या भवषिय के केंद्रीकृत भाप बॉयलरों को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाएं लागू होनी चाहिए। जब उन्हें हटा दिया जाए तो उन्हें गैर-परचालन योग्य घोषित किया जाना चाहिए तथा उनका उचित तरीके से नपिटान किया जाना चाहिए।

- लखिति नीतिमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से केंद्रीकृत भाप बॉयलरों के उपयोग पर प्रतबिंध लगा दिया गया है।
- नपिटान संबंधी रकिरड बनाए रखे जाने चाहिए।

21.2.3 प्रशक्षिण

दबाव वाहकिएं

सभी अधिकृत शर्मकी को नयिक्ती या नयिक्ती के समय तथा उसके बाद प्रतविर्ष प्रशक्षिण प्राप्त करना होगा। प्रशक्षिण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- उपकरण और प्रणाली के संभावित खतरे।
- सुरक्षति संचालन और रखरखाव प्रक्रियाएं।
- आपातकालीन कार्यवाही।

भाप बॉयलर और संपीडति वायु प्रणालियाँ

सभी अधिकृत शर्मकी को नयिक्ती या नयिक्ती के समय तथा उसके बाद प्रतविर्ष प्रशक्षिण प्राप्त करना होगा। प्रशक्षिण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- सुवधि केंद्र में मौजूद भाप बॉयलर या संपीडति वायु प्रणाली के प्रकार से संबंधित वशिष्ट जानकारी।
- यदा लागू हो, तो बॉयलर ऑपरेटर लाइसेंस कैसे प्राप्त करें।

21.3 रकिरड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिरड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- दबाव वाहकिएं और संपीडति हवा के जोखिम मूल्यांकन
- दबाव वाहकिएं और संपीडति हवा की नीतियां और प्रक्रियाएं
- प्रशक्षिण संबंधी रकिरड
- उपकरणों और आपातकालीन आपूर्तियों के वर्तमान आरेख आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, जनिमें शामिल हैं:
 - भाप प्रणाली और संपीडति वायु प्रणाली पाइपिंग।
 - स्टीम ट्रैप का स्थान, उनकी संख्या और प्रकार, साथ ही रखरखाव रकिरड।
 - दबाव और तापमान गेज का स्थान।
 - जल भंडारण का स्थान और प्रकार।

Nike को कुछ रकिरडों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- नपिटान के रकिरड। पाँच साल।
- नरीक्षण के रकिरड। न्यूनतम तीन वर्ष।



22. यातायात एवं मोटर चालति यात्री वाहन प्रबंधन

22.1 मानक

सुवधि केंद्र को पैदल यातायात और मोटर चालति यात्री वाहनो के संचालन से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके उन्हें लागू करना होगा।

22.2 आवश्यकताएं

22.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक वायु उत्सर्जन जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- खतरा पहचानना। सभी मोटर चालति यात्री वाहनो और उनसे संबंधित खतरों की पहचान करना।
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- नयित्रण के उपाय। पहचाने गए जोखिमों को खत्म या कम के लिए नयित्रण उपायों की पहचान करना और उनका क्रियान्वयन करना।

22.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को यातायात एवं मोटर चालति यात्री वाहन प्रबंधन कार्यक्रम लागू करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल हों:

- नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में कंपनी की ओर से या सुवधि केंद्र की संपत्ति पर मोटर चालति यात्री वाहन के संचालन पर प्रतिबंध लगाना।

संसाधन

ये संसाधन यातायात एवं मोटर चालति यात्री वाहन प्रबंधन CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- [Better Work Cambodia \(बेटर वर्क कंबोडिया\)](#)
- [AIP Foundation \(AIP फाउंडेशन\) सहयोग](#)
- [सामग्री प्रबंधन और भंडारण CLS](#)

- माइक्रो कार ड्राइवरो को छोड़कर सभी ड्राइवरो का सत्यापन करने, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सुवधि केंद्र की ओर से मोटर चालति यात्री वाहन चलाने और / या सुवधि केंद्र की संपत्ति पर मोटर चालति यात्री वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। यदि ड्राइवरो के लिए लाइसेंस की आवश्यकता वाले कोई कानून नहीं है, तो सुवधि केंद्र को यह सत्यापन करना होगा कि ड्राइवर मोटर चालति यात्री वाहन को सुरक्षित रूप से चला सकता है और ड्राइवगि परमिट जारी करना होगा।



- मोटर चालति यात्री वाहन सुरक्षा आवश्यकताओं को नरिदृष्टि करना, जनिमे शामिल है:
 - मोटरसाइकलि चलाते समय हेलमेट पहनना ।
 - मोटर चालति वाहनो को नयित्रण प्रणालयि से सुसज्जति करना ।
 - मोटर चालति वाहनो को चेतावनी प्रणालयि (जैसे, लाइट, अलार्म, हॉर्न) से सुसज्जति करना ।
 - मोटर चालति वाहनो को गरिती हुई वस्तुओं से बचाना ।
 - सुरक्षति परचालन प्रक्रियाओं और व्यवहारो पर प्रशिक्षण ।
- आवधकि नविरकर रखरखाव (कसी भी वैधानकि नरीक्षण सहति) जसिमे शामिल है:
 - खराब मोटर चालति यात्री वाहनो का उपयोग तुरंत बंद करना तथा उनकी मरम्मत करना ।
 - प्रशिक्षति एवं अधकृति शर्मकिो द्वारा मरम्मत कार्य कया जाना आवश्यक है ।
- उपयोग से पहले मोटर चालति यात्री वाहनो का नरीक्षण करना, ताकयिह सुनश्चिति कया जा सके कयिं सुरक्षति कार्यशील स्थतिमें है ।
- सभी प्रकार के मोटर चालति यात्री वाहनो के सुरक्षति संचालन के लिए नयिम वकिसति करना ।
- पैदल यात्रयि और मोटर चालति यात्री वाहनो को अलग करना ।
- सभी घटनाओं और नकिट चूको की रपिर्ट प्रबंधको को देना ।

22.2.3 यातायात प्रबंधन

सुवधि केंद्र को सभी मोटर चालति यात्री वाहनो के ऑन-साइट यातायात के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा । प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहएि:

- जहां संभव हो, वहां वपिरीत दशि मे यातायात चलाने की आवश्यकता को कम करने या समाप्त करने के लिए एकतरफा यातायात पैटर्न पर वचिर करना ।
- मोटर चालति वाहनो को रविरसगि अलार्म से सुसज्जति करना ।
- स्पोर्ट का उपयोग करके क्षेत्र में पैदल चलने वालो को पीछे की ओर जा रहे मोटर चालति यात्री वाहनो से बचाना । स्पोर्ट-वशिष्टि कर्तव्यो मे ये चीजे शामिल है, लेकिन ये इन्ही तक सीमति नही है:
 - उस क्षेत्र का नरीक्षण करना जहां पीछे की ओर जाने वाली गतिविधियां होगी, ताकसुरक्षति चलने और वाहन चलाने वाली सतहो को पहचाने गए खतरों (जैसे, पैलेट, मलबा, पहिया चॉक) से मुक्त कया जा सके ।
 - वाहन को रविरस में डालने से पहले ड्राइवर के साथ यातायात योजना पर चर्चा करना ।
 - वाहन को रविरस में डालने से पहले ड्राइवर के साथ हाथ के संकेतो पर चर्चा करना और सहमत होना ।
 - जब ड्राइवर रविरस में हो तो हर समय सहमतसे दएि गए हाथ के संकेतो का प्रयोग करना ।
 - वाहन के रविरस होने के दौरान हर समय ड्राइवर से नज़रें मलाकर रखना । यदि स्पोर्ट कसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर जाता है, जहां ड्राइवर स्पोर्ट को नही देख सकता है, तो ड्राइवर को तुरंत पीछे की ओर जाने वाली गतिविधियां रोक देनी चाहएि, जब तक क स्पोर्ट के साथ संचार और आँखों का संपर्क पुनः स्थापति न हो जाए ।

- टक्कर से बचने के लिए पीछे की ओर ले जाते समय वाहन और स्पोर्ट के बीच पर्याप्त दूरी (अर्थात 2.5 से 3 मीटर) बनाए रखना ।
- ट्रेलर को खोलते समय सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना । यदि ट्रेलर लोड को ठीक से पैक और / या सुरक्षति नही कया गया है, तो ट्रेलर के दरवाजे खोलने से ट्रेलर से वस्तुएं गरि सकती है । यदि ऐसा होता है, तो नरीक्षणकर्ता को ट्रेलर से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहएि तथा वस्तु(ओं) को गरिने देना चाहएि ।
- जब रविरसगि संबंधी गतिविधियां हो रही हों, तो सतर्क और केंद्रति रहना । ध्यान भटकाने वाली चीजों में मोबाइल फोन का उपयोग करना या ड्राइवर के अलावा कसी और से बातचीत करना शामिल है ।
- साइट पर गतिसीमा पोस्ट करना ।
- ब्लाइंड स्पोर्ट हटाना या यदि उन्हें हटाया न जा सके, तो वहां उत्तल दर्पण लगाना ।
- बाह्य प्रकाश व्यवस्था स्थापति करना और उसका रखरखाव करना ।
- व्यक्तगित सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रदान करना, (जैसे, उच्च दृश्यता वाले जैकेट और सुरक्षा जूते) ।
- सभी प्रकार के मोटर चालति यात्री वाहनो के सुरक्षति संचालन के लिए नयिम वकिसति करना ।
- आने वाले ड्राइवरों को नयित्रति करना (जैसे, साइट के नयिमो को पोस्ट करना और धूम्रपान और प्रतीक्षा क्षेत्रो की पहचान करना) ।
- मोटर चालति यात्री वाहनो को अच्छी कार्यशील स्थतिमें रखना (जैसे, लाइट, ब्रेक, टायर का उचित रखरखाव करना) ।
- माल लोड और अनलोड करने के दौरान ड्राइवरों और शर्मकिो की सुरक्षा सुनश्चिति करना ।
- सुवधि केंद्र की संपत्ति में प्रवेश करते समय शर्मकिो की सुरक्षा की रक्षा करना । उदाहरणो में स्पष्ट रूप से चहिनति पार्कगि क्षेत्र, ड्रॉप ऑफ़ क्षेत्र और पैदल मार्ग शामिल है ।



22.2.4 परविहन सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रम

सुवधि केंद्र को एक सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम लागू करना होगा, जिससे सुवधि केंद्र के अंदर और बाहर यातायात से संबंधित घटनाओं को कम करने या समाप्त करने के बारे में कर्मचारियों को प्रोत्साहित, शक्ति और प्रशिक्षण दिया जा सके। कार्यक्रम में इन चीजों के लिए प्रावधान शामिल होने चाहिए:

- सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग।
- सुवधि केंद्र की संपत्ति में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय पैदल यात्रियों की सुरक्षा।
- गति नियंत्रण।
- बाल संयम।
- शराब पीकर गाड़ी चलाना।
- बीमा।

22.2.5 चकित्सा मूल्यांकन

सभी संचालित औद्योगिक ट्रक (PIT) ऑपरेटर्स को सुरक्षा तरीके से मोटर चालति यात्री वाहनों को चलाने में शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए।





22.2.6 माइक्रोकार चालकों के लिए प्रशिक्षण

माइक्रो कार

माइक्रो कार चलाने वाले शर्मिकों को सुवधि केंद्र के यातायात और वाहन प्रबंधन कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होगा। किसी ऑपरेटर को बिना पर्यवेक्षण के माइक्रो कार का उपयोग करने की अनुमति देने से पहले, सभी प्रशिक्षण और मूल्यांकन पूरा किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- हर तरह की माइक्रो कार के लिए कक्षा निर्देश और व्यावहारिक कौशल (प्रशिक्षक द्वारा प्रदर्शित और प्रशिक्षु द्वारा निष्पादित) जसि कार्यकर्ता संचालित करेगा।
- साइट-वशिष्ट नयिम और प्रक्रियाएं।
- नरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव प्रक्रियाओं का अवलोकन।
- कार्यस्थल पर ऑपरेटर के प्रदर्शन का मूल्यांकन।
- दुरुपयोग और / या आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के लिए प्रमाणन को रद्द करने की नीति।

माइक्रो कार ड्राइवरो के लिए रफ्रेशर प्रशिक्षण

ऑपरेटरों को हर तीन वर्ष में रफ्रेशर प्रशिक्षण और पुनर्मूल्यांकन कराना होगा। इसके अतिरिक्त, सुवधि केंद्र को रफ्रेशर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा जब:

- ऑपरेटर को माइक्रो कार का असुरक्षित तरीके से उपयोग करते हुए देखा गया है।
- ऑपरेटर किसी दुर्घटना या नकिट-चूक में शामिल रहा है।
- ऑपरेटर को एक मूल्यांकन प्राप्त हुआ है, जसिसे पता चला है कि ऑपरेटर माइक्रो कार को सुरक्षित रूप से संचालित नहीं कर रहा है।
- ऑपरेटर को एक अलग तरह की माइक्रो कार चलाने का काम सौपा गया है।
- नीतियों, प्रक्रियाओं या कार्यस्थल की स्थितियों में परिवर्तन होने से माइक्रो कार का सुरक्षित संचालन प्रभावित हो सकता है।

प्रशिक्षक योग्यताएं

प्रशिक्षण प्रबंधन द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षक की गहन नगिरानी में आयोजित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षक बनने के लिए, व्यक्ति के पास सुवधि केंद्र के गाड़ियों के बेड़े में शामिल माइक्रो कार मॉडलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान और कौशल होना चाहिए।

22.3 रकिर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- यातायात एवं मोटर चालति यात्री वाहन प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन
- यातायात एवं मोटर चालति यात्री वाहन प्रबंधन नीतियां और प्रक्रियाएं
- प्रशिक्षण संबंधी रकिर्ड
- तृतीय-पक्ष नरीक्षण रकिर्ड

Nike को कुछ रकिर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- उपयोग-पूर्व नरीक्षण फॉर्म। तीन महीने।
- रखरखाव और मरम्मत रकिर्ड। माइक्रो कार का जीवन।



23. सामग्री प्रबंधन और भंडारण

23.1 मानक

सुवधि केंद्र को सामग्री प्रबंधन एवं भंडारण परचालनो और उपकरणों से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करना होगा।

23.2 आवश्यकताएं

23.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिकी तौर पर सामग्री प्रबंधन और भंडारण परचालनो का मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।**
 - सामग्री प्रबंधन उपकरण (MHE), कार्यों और उनसे संबंधित खतरों (जैसे, मशीनरी या उपकरण की स्थापना, रखरखाव, नरीक्षण, सफाई या मरम्मत) की पहचान करना।
 - लोडिंग / अनलोडिंग और डॉक उपकरण तथा उनसे संबंधित खतरों की पहचान करना।
 - यदि लागू हो, तो वर्तमान सामग्री प्रबंधन एवं भंडारण प्रणाली पर औद्योगिक स्वचालित नरिदेशति वाहनो (AGV) और / या मानव चालति औद्योगिक वाहनो के स्वचालति कार्यों के उपयोग के प्रभाव का आकलन करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नरित्रण के उपाय।** जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए नरित्रण उपायों की पहचान करना।

संसाधन

ये संसाधन सुवधि केंद्रों को सामग्री प्रबंधन और भंडारण CLS का अनुपालन करने में सहायता करते हैं:

- ANSI/ITSDF B56.5
इराइवर रहति, स्वचालति नरिदेशति औद्योगिक वाहनो और मानव चालति औद्योगिक वाहनो के स्वचालति कार्यों के लिए सुरक्षा मानक
- ANSI/NFPA 505
संचालति औद्योगिक ट्रको के लिए अग्निसुरक्षा मानक जिसमें प्रकार पदनाम, उपयोग के क्षेत्र, रूपांतरण, रखरखाव और संचालन शामिल हैं
- ANSI/RIA R15:08-1-2020
सुरक्षा आवश्यकताएं — औद्योगिक मोबाइल रोबोट के लिए आवश्यकताएं
- मशीन सुरक्षा CLS



23.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को सामग्री प्रबंधन और भंडारण प्रक्रियाओं को लागू करना होगा।

प्रक्रियाओं में कम से कम ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

सामग्री प्रबंधन

सुवधि केंद्रों को सामग्रियों के संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए प्रक्रियाएं वकिसति और कार्यान्वति करनी होंगी। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- लोड का चयन कैसे करें
- लोड सुरक्षति करना
- कंटेनरों को स्टैक करना और हटाना
- ट्रको और ट्रेलरों को लोड करना
- कर्मियों को ऊपर उठाने और नीचे उतारने के लिए उपकरणों का उपयोग करना
- रेलिंग की आवश्यकताएं
- लोड संबंधी आवश्यकताएं
- लफ्ट उपकरण वनिर्देश
- व्यक्तितगत सुरक्षा उपकरण (PPE)
- ड्राइवगि-सतह की स्थिति

नविरक रखरखाव कार्यक्रम

नयिमति आधार पर सुवधि केंद्र के भीतर संचालित सभी MHE को उपकरण नरिमाता द्वारा अनुशंसति आवधकि नविरक रखरखाव प्राप्त करना होगा। रखरखाव उचति प्राधकिरण के साथ योग्य तकनीशयिन द्वारा किया जाना चाहिए।

नेमप्लेट, उपकरण चहिनांकन और संशोधन

सभी संचालित औद्योगिक ट्रक (PIT) उपकरण चहिन (जैसे, नरिमाता की नेमप्लेट, डेकल्स) और संचालन नरिदेश स्थापति और पढ़ने योग्य होने चाहिए। ऐसे संशोधनों के लिए जो किसी PIT की नरिधारित क्षमता, स्थरिता, सुरक्षति संचालन और / या आपातकालीन नयित्रण को प्रभावति कर सकते हैं, उपकरण आपूर्तकिरता से पूर्व लखिति अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संशोधन केवल उन कर्मियों द्वारा ही किया जा सकता है जो अनुमोदति संशोधनों को पूरा करने के लिए प्रशक्षिति और अधकृत हों। PIT संशोधनों के बाद, सभी नेमप्लेट, डेकल्स, उपकरण के टैग और संचालन मैनुअल तदनुसार अपडेट किए जाने चाहिए।

बैटरी चार्जगि और ईंधन भरने के क्षेत्र

सुवधि केंद्रों को बैटरी चार्जगि और ईंधन भरने वाले क्षेत्रों के लिए, उचति वेटलेशन आवश्यकताओं सहति सुरक्षति संचालन प्रक्रियाओं को बनाना, पोस्ट करना और लागू करना होगा। लगाए गए संकेतक से इनकी पहचान होनी चाहिए:

- आवश्यक एवं अनुशंसति PPE।
- स्पलि कटि स्थान।
- आँख धोने और नहाने के स्टेशन के स्थान।
- आस-पास धूम्रपान के संबंध में नयिम।

सुरक्षा एवं संरक्षा आवश्यकताओं में कम से कम ये भी शामिल होने चाहिए:

- चार्जर्स को सुरक्षति, ढका हुआ तथा मौसम से सुरक्षति रखा जाना चाहिए।
- उपयुक्त PPE और रसाव-प्रतकिरिया उपकरण आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।
- आँख धोने और नहाने के लिए स्थान आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।
- बैटरी चार्जगि और ईंधन भरने वाले क्षेत्रों के 30 मीटर (100 फीट) के भीतर धूम्रपान नषिदिध है।

यातायात प्रबंधन

सुवधि केंद्र को MHE यातायात के प्रबंधन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को वकिसति और कार्यान्वति करना होगा, जसिमें कम से कम ये शामिल हों:

- MHE ऑपरेटरो के लिए उपयुक्त PPE।
- ब्लाईंड स्पॉट को संबोधति करने के लिए उत्तल दर्पण लगाना।
- गत-सीमा के संकेतक।
- पैदल यात्रियों के लिए चहिनति मार्ग।
- मोटर चालति यात्री वाहन की रविर्सगि सुरक्षा (जैसे, रविर्सगि अलार्म और स्पॉटर)।
- लोड के साथ और बनि लोड के PIT चलाने के नयिम।
- वाहनो के आवागमन के लिए द्वार खोलते या बंद करते समय, आस-पास खड़े लोगों को सचेत किया जाना चाहिए तथा/या प्रवेश प्रतबिधति किया जाना चाहिए।



सामग्री भंडारण

सुवधि केंद्रों को साइट पर और साइट के बाहर सामग्री भंडारण से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित करना होगा। क्योकसंग्रहित सामग्री को फसिलने, ढहने और / या कसि अन्य ज्ञात खतरे से सुरक्षित और स्थिर होना चाहिए, प्रक्रियाओं में कम से कम नमिनलखित शामिल होना चाहिए:

- स्टैकिंग सीमाएँ।
- स्टैकिंग स्थरीकरण (जैसे, पट्टियाँ या अन्य प्रतबंध)।
- सामग्री भंडारण के लिए कंटेनर (जैसे, डब्ले, पैलेट, स्कडि या रैक)।
- अवरोध से बचाव के लिए स्टैकिंग (जैसे, सामग्री को गलियारों, प्रवेश द्वारों, आपातकालीन निकासों, वेंटिलेशन प्रणालियों, अग्निशामक यंत्रों और प्राथमिक चिकित्सा कटि से पर्याप्त दूरी पर रखना)।
- बड़े कंटेनर और बैरल के लिए भंडारण और स्टैकिंग आवश्यकताएँ।
- अधिकतम कार्य लोड के संकेतक।
- दहनशील सामग्रियों के भंडारण पर प्रतबंध।
- टूटे हुए पैकेज या कंटेनर के लिए प्रक्रियाएँ।

रैक

सुवधि केंद्रों को रैक पर सामग्री की लोडिंग, अनलोडिंग और भंडारण से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए प्रक्रियाएँ विकसित और कार्यान्वित करनी होंगी। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- अपेक्षित भार के लिए रैक डिजाइन और निर्माण आवश्यकताएँ।
- भवन की नींव से जुड़ी आवश्यकताएँ।
- रैक पहचान-संख्या संकेतक।

- रैक स्थापना और रखरखाव प्रक्रियाएँ।
- अधिकतम कार्य लोड के संकेतक।
- वार्षिक नरीक्षण दृशानरिदेश।
- संरचनात्मक रूप से क्षतग्रस्त रैक के लिए रपिर्टिंग प्रोटोकॉल।

लोडिंग डॉक

यदि सुवधि केंद्र में लोडिंग डॉक है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि ट्रैलर सुरक्षित है और उनके अंदर जाना सुरक्षित है। ट्रैलर लोड करने या उतारने से पहले, शर्मिकों को यह करना होगा:

- सत्यापित करें कि आस-पास का क्षेत्र खतरे से मुक्त है और सभी उपकरण अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं।
- फ्रश पर पड़ा सभी मलबा साफ करें।
- ट्रैलर की दीवारों, फ्रश और छत का नरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि वे क्षतग्रस्त नहीं हैं।
- सत्यापित करें कि डॉक लाइटिंग काम कर रही है और पूरे ट्रैलर को पर्याप्त रूप से रोशन कर रही है।
- डॉक लेवलर का नरीक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि यह अच्छी स्थिति में काम कर रहा है।
- यह सत्यापित करने के लिए कि ट्रैलर के दरवाजे सुरक्षित हैं और सही ढंग से काम कर रहे हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोड परषिद (ICC) के हिसाब से काम करने वाली लॉक प्रणाली का इस्तेमाल करके परीक्षण करें।
- ऐसे मामलों में जहां डॉक लॉक मौजूद नहीं है, ट्रैलर कम से कम एक व्हील चॉक से सुरक्षित किए जाने चाहिए।





AGV और मानव-चालित औद्योगिक वाहनों के स्वचालित कार्य

EHS पेशेवरों, प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को संदर्भित करना चाहिए मशीन सुरक्षा CLS और AGV खरीदने और तैनात करने से पहले उन आवश्यकताओं का अनुपालन करना।

यदि सुविधा केंद्र में AGV संचालित होते हैं और / या मानव चालित औद्योगिक वाहनों के स्वचालित कार्यों का उपयोग किया जाता है, तो उसे ऐसी प्रक्रियाएँ विकसित और क्रियान्वित करनी होंगी, जिनमें कम से कम ये शामिल हों:

- सामग्री प्रबंधन एवं भंडारण CLS की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन।
- वाहन गाइड पथ के दोनों ओर कम से कम 0.5 मीटर (1.64 फीट) की निकासी बनाए रखी जानी चाहिए। यदि गाइड पथ का एक पक्ष नरितर स्थिर संरचना (जैसे, दीवार) के कारण 0.1 मीटर (0.33 फीट) से कम है, तो दूसरे पक्ष को 0.5 मीटर (1.64 फीट) से कम की निकासी बनाए रखनी चाहिए।
- जिन क्षेत्रों में वाहन से यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है, जो ऊपर बताई गई निकासी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, उन्हें खतरनाक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और उपयुक्त संकेत और / या फ़र्श के संकेतों (ANSI/NFPA 505 के अनुसार) का उपयोग करके स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।
- फ़र्श स्पष्ट रूप से चिह्नित किए जाने चाहिए, ताकि उन गैर-प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें वाहन (और उनके लोड) चल सकते हैं।
- खतरनाक क्षेत्रों में वाहनों की गति 1.2 मीटर प्रति सेकंड (3.9 फीट प्रति सेकंड) और प्रतिबंधित क्षेत्रों में 0.3 मीटर प्रति सेकंड (0.98 फीट प्रति सेकंड) तक सीमित होनी चाहिए। (प्रतिबंधित क्षेत्रों पर अधिक जानकारी के लिए ANSI/ITSDF B56.5 देखें।)
- आग लगने की स्थिति में दरवाजे के समुचित ढंग से काम करने में रुकावट आने से बचने के लिए, वाहनों को ऐसे प्रोग्राम किया जाना चाहिए कि वे कर्मियों के अग्नितरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रुक सकें।
- केवल प्रशिक्षित एवं अधिकृत कर्मियों को ही AGV को मैन्युअल रूप से संचालित करने की अनुमति है।
- उन ऑपरेटरों और आस-पास खड़े लोगों के लिए वशिष्ट सुरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो किसी जोखिम क्षेत्र या प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहनों के संपर्क में आ सकते हैं।
- जब वाहन चल रहा हो तो कर्मियों को सचेत करने के लिए अपने आप काम करने वाले सुनने और / या दिखाई देने वाले चेतावनी संकेतों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- वाहनों के आवागमन के लिए स्वचालित दरवाजों के लिए सुनने और / या दिखाई देने वाले अलार्म का उपयोग किया जाना चाहिए।
- यह सत्यापित करना कि वाहन किसी भी खतरनाक वातावरण के लिए उपयुक्त है जिसमें उन्हें संचालित करने की अपेक्षा की जाती है (ANSI/NFPA 505 के अनुसार)। खतरनाक वातावरण में उपयोग के लिए अनुमत वाहनों की उचित पहचान होनी चाहिए।
- जब वाहन स्वचालित या अर्धस्वचालित मोड में हो तो सुरक्षा उपकरणों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ट्रिपिंग

ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट (AMR) औद्योगिक मोबाइल रोबोट (IMR) का एक रूप है जो AGV से अलग है और सीधे CLS के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि, AMR का उपयोग करने वाली सुविधा केंद्रों को अभी भी यह सत्यापित करना होगा कि वे Nike CLS और स्थानीय कानूनों के अनुरूप हैं, जो भी अधिक कठोर हों।

CLS की वे धाराएं जो AMR पर लागू होती हैं, उनमें ये शामिल हैं, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं हैं:

- सामान्य कार्यस्थल सुरक्षा CLS
- मशीन सुरक्षा CLS
- मशीन की सुरक्षा CLS
- खतरनाक ऊर्जा का नियंत्रण (LOTO) CLS
- वलियुत सुरक्षा CLS
- रखरखाव सुरक्षा CLS
- यातायात एवं मोटर चालित यात्री वाहन प्रबंधन CLS
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) CLS

अगर AMR को निर्धारित गाइड पथ नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके संचालित किया जाता है, तो इसे सामग्री प्रबंधन और भंडारण CLS की उप-धारा AGV और मानव-चालित औद्योगिक वाहनों के स्वचालित कार्यों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।



23.2.3 प्रशिक्षण

PIT के आस-पास काम करने वाले श्रमकों को सुवर्धिता केंद्र की नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ लागू कानूनों पर भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। PIT ऑपरेटर्स का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा गैर-अनुपालन के किसी भी मामले में रफ़िशर प्रशिक्षण दी जानी चाहिए।

प्रशिक्षण के विषयों में ये शामिल होने चाहिए, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होने चाहिए:

- लोड क्षमता
- गरिने से बचाव और सुरक्षा
- नयित्रण प्रणाली संचालन
- सामग्री लोड करना / उतारना
- चेतावनी प्रणाली संचालन
- सुरक्षा परिचालन से जुड़ी प्रक्रियाएं
- वाहन का नरीक्षण
- ट्रैफ़िक नियम
- पैदल यात्री सुरक्षा
- PIT ऑपरेटर्स के लिए PPE आवश्यकताएं
- वाहन रखरखाव से जुड़ी आवश्यकताएं

सुझाई गई प्रक्रियाएं

AGV और / या मानव चालित औद्योगिक वाहनों के स्वचालित कार्यों से संबंधित प्रक्रियाएँ वकिसति और क्रियान्वति करते समय, सुवर्धिता केंद्रों को आगे दिए गए मार्गदर्शन पर वचिर करना चाहिए:

- यात्रा की दशा में सेसर को वाहन की अधकितम लंबाई और चौड़ाई को कवर करना चाहिए, जब लोड वाहन की लंबाई और / या चौड़ाई से आगे बढ़ जाता है।
- वाहन मार्गदर्शक पथ केवल तभी दरवाजे से होकर गुजरने चाहिए जब पर्याप्त गलियारा स्थान (0.5 मीटर से कम नहीं) उपलब्ध हो।

23.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवर्धिता केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- सामग्री प्रबंधन और भंडारण संचालन और उपकरण जोखिम आकलन
- सामग्री प्रबंधन और भंडारण संचालन और उपकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएं

Nike को कुछ रकिॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवर्धिता केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- PIT और रैकगि के लिए नरीक्षण फॉर्म। एक साल।
- रखरखाव और मरम्मत रकिॉर्ड। तीन साल।



कैटीन, चाइल्डकेयर और डॉरमेटरी के सुवधि केंद्र स्वास्थ्य के लिए हतिकर और सुरक्षति है

सभी कैटीन, चाइल्ड केयर और डॉरमेटरी के क्षेत्र सुरक्षति, स्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए हतिकर है। चाइल्ड केयर सहित सभी सुवधि केंद्र स्थानीय कानून और वनियिमों तथा भवन निर्माण और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित CLS का पालन करते हैं। इन गैर-वनिर्माण / वतिरण सुवधि केंद्रों के संचालन से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए सुवधि केंद्र में मजबूत सुरक्षा-प्रबंधन प्रणालियां मौजूद हैं।

इस अनुभाग में ये चीजें शामिल हैं:

- कैटीन प्रबंधन CLS
- बाल-कल्याण प्रबंधन CLS
- डॉरमेटरी प्रबंधन CLS
- पेय जल CLS
- स्वच्छता CLS





24. कैटीन प्रबंधन

24.1 मानक

सुवधि केंद्र को सुरक्षति, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन तैयार करने और उपभोग क्षेत्रों के संचालन और रखरखाव से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन करना होगा।

24.2 आवश्यकताएं

24.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक कैटीन प्रबंधन जोखिम का मूल्यांकन और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।** खाद्य जनति बीमारियों और रसोई सुरक्षा से संबंधित खतरों की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उनका क्रियान्वयन करना।

24.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को खाद्य सेवा से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- कैटीन में परोसे गए भोजन से संदूषण, खाद्य वषाकृतता और/या जठरांत्र संबंधी रोगों के मामले में प्रक्रियाएं स्थापित करना।

संसाधन

ये संसाधन कैटीन प्रबंधन CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- [अग्निसुरक्षा प्रबंधन CLS](#)
- [भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा CLS](#)
- [आपातकालीन कार्रवाई CLS](#)

खाद्य सेवा कर्मियों को

- स्थानीय कानून के अनुसार कम से कम प्रतिवर्ष चिकित्सा जांच करानी होगी तथा संक्रामक रोगों से मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- संचारी रोगों के संक्रमण को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को समझना और उनका पालन करना होगा।
- भोजन तैयार करते और परोसते समय हेयर नेट, ग्लव्स और एप्रन पहनने होंगे।
- भोजन के साथ काम करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना और कीटाणुरहित करना होगा।



भोजन तैयार करने और उपभोग के क्षेत्र

- साफ़ और कीटाणुरहित होना चाहिए।
- यांत्रिक प्रशीतन व्यवस्था होनी चाहिए, जो कशीघर खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को साइट पर संग्रहीत करते समय 5°C (41°F) से अधिक तापमान बनाए रख सके।
- ऐसे वॉशबेसिन होने चाहिए जो गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी उपलब्ध कराते हों।
- खाना पकाने, परोसने और खाने के बर्तनों को प्रत्येक उपयोग के बाद धोया और कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
- टेबलटॉप और काउंटरो को प्रत्येक उपयोग के बाद साफ़ और कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
- कैटीन चूहों और कीटों से मुक्त होना चाहिए।
- कूड़े-कचरे को रसिब रहति, गैर-शोषक कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, जिन्हें प्रतिदिन खाली किया जाना चाहिए।
- खाना पकाने के तेल को सैनिटरी या वर्षा जल नालियों में नहीं फेंकना चाहिए।
- कच्चे मांस, कच्चे मुरगे, कच्ची मछली, सब्जियाँ और मेवे प्रत्येक के लिए अलग-अलग तैयारी क्षेत्र, कटोरे और बर्तन होने चाहिए।
- सभी भोजन के नमूनों को परोसे जाने के बाद 72 घंटे तक प्रशीतन में रखा जाना चाहिए।
- सभी खाद्य तैयारी और उपभोग क्षेत्रों को धूम्रपान नषिद्ध क्षेत्र के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

शौचालय

- सभी खाद्य-सेवा कर्मचारियों को शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोना और कीटाणुरहित करना होगा।
- शौचालय के उपयोग के बाद हाथ धोने के लिए आवश्यक संकेत लगाए जाने चाहिए।

24.2.3 प्रशिक्षण

खाद्य सेवा कर्मियों को अनुचित खाद्य प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले खतरों से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। प्रशिक्षण में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

- कैटीन प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन और संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा।
- खाद्य सुरक्षा और भंडारण से जुड़ी आवश्यकताएँ।
- रसोई सुरक्षा प्रथाएँ।
- व्यक्तिगत स्वच्छता।
- खाद्य जनित बीमारी और संचारी रोग के प्रति जागरूकता।

24.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवर्धिता केन्द्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- कैटीन प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन
- कैटीन प्रबंधन की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ
- प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड



25. चाइल्ड केयर प्रबंधन

25.1 मानक

सुवधि केंद्र को बच्चों और चाइल्ड केयर परसिरो के साथ काम करने से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ और कार्यप्रणालियाँ विकसित और क्रियान्वित करनी होंगी।

25.2 आवश्यकताएं

25.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक चाइल्ड केयर प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।** बच्चों और चाइल्ड केयर सुवधि केंद्रों (सॉकर स्कूलों और इवेंट सहति) के साथ काम करने के सभी संभावित खतरों की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **न्यंत्रण के उपाय।** जोखिम को कम करने के लिए न्यंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन (CPR) प्रशिक्षण, सुरक्षित खेल क्षेत्र)।

संसाधन

ये संसाधन चाइल्ड केयर प्रबंधन CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- अग्निसुरक्षा प्रबंधन CLS
- भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा CLS
- आपातकालीन कार्रवाई CLS



25.2.2 नीतियाँ और प्रक्रियाएँ

जब बच्चे सुवधि केंद्र परसिर में हों या सुवधि केंद्र के कर्मचारियों की देखरेख में हों, तो सुवधि केंद्र को उनकी सुरक्षा के लिए प्रक्रियाएँ लागू करनी चाहिए। प्रक्रियाओं में कम से कम ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

बच्चों के साथ काम करना

- इस सुवधि केंद्र में बच्चों के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोज़गार से पहले स्क्रीनिंग से गुज़रना होगा।
- माता-पिता या अभिभावकों की संपर्क जानकारी फाइल में रखी जानी चाहिए।
- बच्चों को केवल अधिकृत माता-पिता, अभिभावक या नामित व्यक्ति को ही सौंपा जा सकता है।
- बच्चे को प्राथमिक उपचार या चिकित्सा प्रदान करने के लिए सुवधि केंद्र के पास माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति होनी चाहिए।
- बच्चे को कार, बस या किसी अन्य परिवहन साधन से परिवहन करने के लिए सुवधि केंद्र के पास माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति होनी चाहिए।
- शिशुओं और बच्चों के लिए प्राथमिक चिकित्सा और CPR में योग्य व्यक्ति उपलब्ध होने चाहिए।
- सुवधि केंद्र को संक्रामक रोगों (जैसे, चेचक, खसरा, ज़ू) से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को वकिसति और क्रियान्वित करना होगा।
- जब बच्चे विशेष कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो आयोजक को स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा।

चाइल्डकेयर सुवधियाँ

- परसिर सदैव साफ़-सुथरा तथा सुव्यवस्थित होना चाहिए।
- इमारतों में आरामदायक और सुरक्षित तापमान की स्थिति प्रदान करने के लिए हीटिंग और कूलिंग सिस्टम होना चाहिए।
- बच्चों की पहुँच में आने वाले इलेक्ट्रिकल आउटलेट को उपयोग में न होने पर ढक कर रखना चाहिए।
- अग्निसंस्थानों की सुरक्षा की जानी चाहिए।
- सभी गर्म सतहों को इन्सुलेट किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उन्हें छू न सकें।
- भोजन या भोजन तैयार करने का क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।
- पीने के कप और बर्तन बच्चों के लिए -सुरक्षित होने चाहिए।
- पीने योग्य जल उपलब्ध होना चाहिए।
- शौचालय की सुवधियाँ साफ़-सुथरी, बच्चों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए तथा उनमें हाथ धोने की सुवधि होनी चाहिए।
- प्रत्येक 15 बच्चों के लिए एक शौचालय और वॉशबेसिन होना चाहिए।
 - बच्चों के लिए उपलब्ध शौचालयों में गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध होना चाहिए; गर्म पानी का तापमान 43° सेल्सियस (110° फारेनहाइट) से अधिक नहीं होना चाहिए।
- शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए कपड़े बदलने के उपयुक्त स्थान पर्याप्त संख्या में होने चाहिए।
- दवाइयों, जहर और अन्य खतरनाक पदार्थों को ताला बंद अलमारी में रखा जाना चाहिए।
- प्रत्येक बच्चे के लिए एक साफ़ पालना, खाट या चटाई (बच्चे की आयु और वकिस के स्तर के अनुसार उपयुक्त) और साफ़ चादरें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पालने, खाट और चटाई कम से कम 0.9 मीटर (3 फीट) की दूरी पर रखे जाने चाहिए। शाम की देखभाल के लिए, प्रत्येक बच्चे को एक मज़बूत, जलरोधी गद्दा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।





- बाहरी खेल क्षेत्र सुरक्षति एवं संरक्षति होने चाहिए; किसी भी खुले पानी या गड्ढे को बाड़ लगाकर या ढककर रखा जाना चाहिए।
- 60 से अधिक बच्चों वाले सभी चाइल्ड केयर सुविधाओं के लिए एक प्रशिक्षित पूर्णकालिक सुविधा केंद्र नदिशक होना चाहिए।
- बच्चों की उपस्थिति में, सुविधा केंद्र को मासिक आधार पर आग से बचकर नकिलने का अभ्यास आयोजित करना होगा।
- प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड बनाए रखे जाने चाहिए, जिसमें टीकाकरण, दवाइयाँ, संक्रामक रोग, असामान्य चोटों और उपेक्षा के साक्ष्य का विवरण शामिल होना चाहिए। किसी भी असामान्य चोट या उपेक्षा की घटना की सूचना सुविधा केंद्र प्रबंधक को दी जानी चाहिए।

25.2.3 प्रशिक्षण

बच्चों की देखभाल या पर्यवेक्षण करने वाले सभी कर्मचारियों को कम से कम ये प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा:

- खतरो, जोखिमों और नियंत्रण उपायों सहित जोखिम मूल्यांकन का अवलोकन।
- बच्चों के साथ काम करने के लिए अनुशंसित प्रथाएँ और स्थानीय कानून।
- प्राथमिक चिकित्सा और CPR संबंधी निर्देश।
- लिखित प्रक्रियाएँ।

25.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएँ

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- वर्तमान जोखिम का आकलन
- वर्तमान कार्यकर्ता स्क्रीनिंग रिकॉर्ड
- वर्तमान माता-पति या अभिभावक की संपर्क जानकारी
- प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड



26. डॉरमेटरी प्रबंधन

26.1 मानक

सुवधि केंद्र को डॉरमेटरी सुवधिओं के संचालन और रखरखाव के जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए, प्रक्रियाएँ और कार्यप्रणालियाँ विकसित और क्रियान्वित करनी होंगी।

26.2 आवश्यकताएं

26.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र अधिभोग से पहले और उसके बाद प्रत्येक डॉरमेटरी प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन करवाकर उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- खतरा पहचानना। डॉरमेटरी सुवधिओं के संचालन और रखरखाव से जुड़े खतरों की पहचान करना।
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- नियंत्रण के उपाय। जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, आग से सुरक्षा, बचाव)।

संसाधन

ये संसाधन डॉरमेटरी प्रबंधन CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- [अग्निसुरक्षा प्रबंधन CLS](#)
- [भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा CLS](#)
- [आपातकालीन कार्रवाई CLS](#)



26.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को डॉरमेटरी प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएँ लागू करनी होंगी। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

सामान्य सुवधियाँ

- आवास संरचनात्मक रूप से मज़बूत, अच्छी हालत में, स्वच्छ, सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रहने वालों को मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा मिलनी चाहिए।
- आवास में आरामदायक और सुरक्षित तापमान की स्थिति प्रदान करने के लिए हीटिंग और कूलिंग सिस्टम होना चाहिए।
- प्रत्येक रहने वाले क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति रहने की कम से कम 4 मी² जगह उपलब्ध होगी जगह, जिसमें व्यक्तिगत सामान के नज़िी भंडारण का प्रावधान है।
- सभी आवासीय क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश एवं वदियुत सेवाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- भोजन करने एवं भोजन बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- स्वच्छता के लिए कचरा संग्रहण के प्रावधान किए जाएंगे और नपिटान किया जाएगा।
- घर में अग्नशिमन, चकित्सा और पुलिस एजेंसियों सहित स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कर्मियों के लिए उचित पहुंच होनी चाहिए।

सोने के लिए आवास

- प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग बसितर, खटिया या चारपाई उपलब्ध कराई जानी चाहिए; तहिरि चारपाईयों की अनुमत नहीं है।
- सुवधि केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए बसितर साफ और स्वच्छ होने चाहिए।
- प्रत्येक लिंग के लिए अलग-अलग शयन क्षेत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

शौचालय क्षेत्र

- शौचालय की सुवधियाँ प्रत्येक आवासीय इकाई से 50 मी (164 फीट) के भीतर होनी चाहिए।
- शौचालय सुवधियों में प्रत्येक 15 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय उपलब्ध होना चाहिए।
- शौचालय सुवधियों को लिंग के आधार पर अलग किया जाना चाहिए तथा वहां उचित संकेतक लगाए जाने चाहिए।
- शौचालय सुवधियों को प्रतिदिन साफ और स्वच्छ किया जाना चाहिए।

शॉवर और धुलाई के क्षेत्र

- शॉवर और धुलाई की जगहें प्रत्येक आवासीय इकाई से 50 मी (164 फीट) के भीतर होना चाहिए।
- सभी शॉवर और धुलाई की जगहों पर दबावयुक्त गर्म और ठंडा पीने योग्य पानी उपलब्ध होना चाहिए।
- शॉवर की जगहों पर प्रत्येक 15 व्यक्तियों के लिए एक शॉवरहेड उपलब्ध होना चाहिए; शॉवरहेड को कम से कम 1 मी (3.3 फीट) की दूरी पर रखा जाना चाहिए।
- शॉवर और कपड़े धोने की सुवधियों को लिंग के आधार पर अलग-अलग किया जाना चाहिए तथा वहां उचित संकेतक लगाए जाने चाहिए।
- शॉवर और वॉशरूम के फर्श गैर-शोषक सामग्री से बने होने चाहिए तथा उन्हें प्रतिदिन साफ किया जाना चाहिए।





अग्निसुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा

- आपातकालीन कार्य योजनाएं, जिसमें आपातकालीन स्थिति में वसित नकिसी प्रक्रियाएं शामिल हों, उन्हें पूरे सुविधा केंद्र में प्रमुख स्थानों पर लगाया जाना चाहिए।
- अग्निशमन उपकरण प्रत्येक आवासीय क्षेत्र से 30 मी (98.45 फीट) से कम की दूरी पर आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- प्रत्येक मंजिल पर कम से कम दो नकिस स्पष्ट रूप से चिह्नित होने चाहिए।
- वार्षिक अग्नि अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए और उसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक चिकित्सा कटि उपलब्ध कराई जानी चाहिए और 50 व्यक्तियों पर एक कटि आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
- खतरनाक रसायनों को केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही संग्रहित किया जाना चाहिए।

मासिक रूप से नरीक्षण

यह सत्यापित करने के लिए नियमित नरीक्षण किया जाना चाहिए कि सामान्य क्षेत्र, सीढ़ियां, अग्निशामक उपकरण और आपातकालीन नकिस अवरोधों से मुक्त हैं।

कीट नियंत्रण कार्यक्रम

- प्रत्येक डॉरमेटरी में कीट और कृतक नियंत्रण के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करनी होंगी।
- सुविधा केंद्र को कीट नियंत्रण सेवा के साथ अनुबंध करना होगा। कीटों और कृतकों के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रति माह कम से कम एक बार कीट नियंत्रण सेवा नरीक्षण, उपचार और जाल लगाने के लिए ज़िम्मेदार है।
- सेवा को स्थानीय कानून के अनुसार ऐसे अनुमोदित अनुप्रयोगों का ही उपयोग करना चाहिए, जो लोगों के आस-पास उपयोग के लिए उपयुक्त हों। यदि कृतक, कीड़े या अन्य हानिकारक जीव जाल में प्रवेश कर जाते हैं, तो कीट नियंत्रण ठेकेदार को नपिटान की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और डॉरमेटरी प्रबंधक/मकान मालिक को सूचित करना चाहिए।
- सुविधा केंद्र को कीट नियंत्रण रिपोर्ट का रखरखाव साइट पर लॉग में करना होगा। कीट-नियंत्रण लॉग में नक्शा, प्रयुक्त रसायनों के लेबल, प्रयुक्त रसायनों के लिए सुरक्षा डाटा शीट (SDS), कीट नियंत्रण अनुबंध, तथा सेवा के बीमा प्रमाणपत्र और लाइसेंस की वर्तमान प्रतियाँ शामिल होनी चाहिए।

26.2.3 प्रशिक्षण

डॉरमेटरी में रहने वालों को आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया करने के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण अवश्य मिला चाहिए। प्रशिक्षण में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

- आपातकालीन कार्य योजना।
- नकिटतम अग्निशमन और प्राथमिक चिकित्सा उपकरण का पता लगाना और उसके उपयोग करने का तरीका जानना।

26.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- अग्नि नकिसी अभ्यास। न्यूनतम तीन वर्ष।



27. पेय जल

27.1 मानक

सुवधि केंद्र को सुरक्षति पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ऐसी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन करना होगा, जो सभी श्रमिकों के लिए आसानी से और तत्काल उपलब्ध हों।

27.2 आवश्यकताएं

27.2.1 जोखिम का आकलन

यदि अधिक बार परीक्षण की आवश्यकता हो, तो सुवधि केंद्र को वार्षिक पेयजल जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा या स्थानीय कानून का पालन करना होगा। इसमें कम से कम ये चीजें शामिल हैं:

- **खतरा पहचानना।** उन खतरों की पहचान करना, जो कार्यस्थल पर पेयजल को संभावित रूप से दूषित कर सकते हैं।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** पेयजल के संभावित दूषण को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, नमूना लेना, उपचार)।

27.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को जल गुणवत्ता प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- सभी श्रमिकों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना।
- गैर-पेय जल स्रोतों को उस रूप में लेबल करना।
- जल के डिसिपेसर्स को खतरनाक कार्य वातावरण से दूर रखना।
- श्रमिकों के पीने के कपों और कंटेनरों के लिए स्वच्छ धुलाई और भंडारण की जगहें उपलब्ध कराना।
- भोजन तैयार करने या खाना पकाने के लिए उपयोग करने से पहले गैर-पेयजल को उबालना या अन्यथा संदूषित करना।
- सुवधि केंद्र द्वारा पेयजल स्रोतों के दूषण या संदूषित दूषण के लिए प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं को लागू करना।

संसाधन

ये संसाधन पेयजल CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- अग्नि सुरक्षा प्रबंधन CLS
- भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा CLS
- आपातकालीन कार्रवाई CLS

जल नमूनाकरण कार्यक्रम

पेयजल के स्रोत के रूप में भूजल (अर्थात कुआँ) या सतही जल का उपयोग करने वाले प्रत्येक सुवधि केंद्र के पास जल-गुणवत्ता नमूनाकरण कार्यक्रम मौजूद होना चाहिए। सुवधि केंद्र द्वारा कम से कम ये आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए।

तालिका 1.

उपयोगकर्ता संख्या पर आधारित नमूना लेने की आवृत्ति

जनसंख्या	प्रतिमाही न्यूनतम नमूने हर तीसरे महीने
25 – 999	1
1,000 – 4,999	10
5,000 – 9,999	15
10,000 – 19,999	20
> 20,000	50

यदि सुवधि केंद्र किसी शहर या स्थानीय क्षेत्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी का उपयोग करता है, तो उसे जल आपूर्तिकर्ता से यह सत्यापित करना होगा कि जल-गुणवत्ता के विनिर्देशों को पूरा किया गया है। यदि शहर या स्थानीय क्षेत्राधिकार ने जल परीक्षण नहीं किया है, तो सुवधि केंद्र को वर्णित अनुसार परीक्षण करना होगा।

अनुशंसित प्रक्रिया

नमूना लेने की न्यूनतम अवधि स्थानीय जोखिम के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।

बैक्टीरिया और कीटाणुशोधन स्वीकृत स्तर

- मलीय कोलीफॉर्म। 0.0 MPN/100 मिलीलीटर या बिल्कुल भी नहीं पाया गया
- गयार्डिया लैम्ब्लिया ससिट। 99.9%
- वायरसों को नष्टिक्रिय करना। 99.99%
- प्रणाली में प्रवेश करने वाली आवासीय कीटाणुनाशक की सांद्रता। 0.2 मिलीग्राम/लीटर से कम नहीं हो सकती है
- मापा गया कुल क्लोरीन, संयुक्त क्लोरीन, या क्लोरीन डाइऑक्साइड। प्रत्येक माह 95% नमूनों में इसका पता लगाया जाना चाहिए.

27.2.3 प्रशिक्षण

जल गुणवत्ता जागरूकता

यदि सुवधि केंद्र में भूजल (कुआँ) या सतही जल का उपयोग किया जाता है, तो सभी कर्मचारियों को जल गुणवत्ता मानकों और प्रक्रियाओं पर जागरूकता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमि्नलखिति शामिल होना ही चाहिए:

- पेयजल से जुड़ी किसी भी ऐसी बीमारी के लिए प्रक्रियाओं की रिपोर्ट करे, जिसके लिए प्राथमिक उपचार या अन्य चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो।
- बीमारी की रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं।

जल गुणवत्ता प्रशिक्षण

ऐसे सभी कर्मचारी, जो सुवधि केंद्र में जल-गुणवत्ता कार्यक्रम के कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें पेयजल दूषण की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

27.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- वर्तमान जोखिम का आकलन

Nike को कुछ रिकार्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की आवश्यकता होती है:

- विश्लेषणात्मक जल गुणवत्ता परीक्षण संबंधी परणाम। न्यूनतम तीन वर्ष।



28. स्वच्छता

28.1 मानक

सुवधि केंद्र को कार्यस्थल के वातावरण में स्वच्छता से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके उन्हें लागू करना होगा।

28.2 आवश्यकताएं

28.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक स्वच्छता जोखिम मूल्यांकन करके उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल हों:

- खतरा पहचानना। स्वच्छता से जुड़े खतरों की पहचान करना।
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- नियंत्रण के उपाय। जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उन्हें कार्यान्वित करना (जैसे, वेटलिशन, सफाई)।



28.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुविधा केंद्र को उन सभी जगहों को स्वच्छता संबंधी खतरों से मुक्त रखने के लिए प्रक्रियाएं लागू करनी होंगी, जहां सभी कर्मचारी, साइट पर ठेकेदार और साइट पर उपठेकेदार काम करते हैं। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- सभी कार्यस्थलों को साफ, सूखा तथा अच्छी स्थिति में रखना।
- प्रत्येक कार्यस्थल का निर्माण और रखरखाव इस प्रकार करना कि वहां कृतको, कीड़ों या अन्य हानिकारक जीवों का प्रवेश रोका जा सके।
- जब कार्य के परिणामस्वरूप नम स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो नम वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना।
- कूड़े-कचरे को रसाव रहित, गैर-शोषक कंटेनरों में संग्रहित करना, जिनमें प्रतिदिन खाली किया जाता हो।

तालिका 2.

श्रमिकों की संख्या पर आधारित शौचालयों और वॉशबेसनों की न्यूनतम संख्या

श्रमिकों की संख्या	शौचालयों की न्यूनतम संख्या	वॉशबेसनों की संख्या
1 – 15	1	1
16 – 36	2	2
36 – 55	3	3
56 – 80	4	4
81 – 110	5	5
110 से अधिक	प्रत्येक अतिरिक्त 40 श्रमिकों के लिए 1 अतिरिक्त शौचालय और वॉशबेसन	

- छलकाव को तुरंत साफ करना पानी का नपिटान ठीक तरह से करना और गीले फर्श पर चेतावनी के संकेतक लगाना।
- महिलाओं और पुरुषों की संख्या का मिलाप करके तथा तालिका 2 में दिए गए अनुपातों का उपयोग करके हर लिंग के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध करना।
- सभी शौचालय सुविधाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन और बंद जल निकासी पाइप होना।
- प्रतिदिन कम से कम एक बार सभी शौचालय सुविधाओं की सफाई और संक्रमण मुक्त करना।
- सभी कार्य क्षेत्रों में हाथ धोने के साबुन सहित वॉशबेसनों उपलब्ध करना।
- सभी वॉशबेसनों की जगहों के समीप अलग-अलग पेपर टॉवल, एयर ब्लोअर या साफ कपड़े के टुकड़े उपलब्ध करना।

28.2.3 प्रशिक्षण

जल गुणवत्ता जागरूकता

श्रमिकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा:

- स्वच्छता
- हाउसकीपिंग
- स्वच्छता प्रक्रियाएं
- खाद्य सुरक्षा
- उपयुक्त PPE
- व्यक्तिगत सावधानियां
- पर्यावरण संबंधित सावधानियां
- सफाई और रसाव तथा फैलाव को रोकने की प्रक्रियाएं

28.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- स्वच्छता संबंधी जोखिम का मूल्यांकन
- प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड
- दुर्घटना और दूषण के रिकॉर्ड



इमारतें उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं

सुवर्धिता केन्द्र के भवन और भार वहन करने वाली संरचनाएं स्थानीय कानूनों या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणित सविलि या संरचनात्मक इंजीनियरों के हस्ताक्षर के साथ बनाई जाती हैं।

बहु-उपयोग अधिभोग की अनुमतनिहीं है।

इस अनुभाग में ये चीजें शामिल हैं:

- भवन डिज़ाइन और संरचना सुरक्षा CLS
- एस्बेस्टस CLS
- निर्माण सुरक्षा कार्यक्रम प्रबंधन CLS



29. भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा

29.1 मानक

सुवधि केंद्र को भवनों के डिजाइन, निर्माण, उपयोग और रखरखाव से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित करना होगा।

29.2 आवश्यकताएं

29.2.1 जोखिम का आकलन

क्या भवन रहने के लिए सुरक्षित है, यह निर्धारित करने के लिए सुवधि केंद्र को भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन का संचालन और दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल हैं:

- **खतरा पहचानना।** भवन के डिजाइन, निर्माण से जुड़े खतरों की पहचान करना, तथा अतिरिक्त कारक जो भवन की संरचनात्मक अखंडता को कमजोर कर सकते हैं (जैसे, संभावित प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरे जैसे छत पर बर्फ का भार, पानी का प्रवेश, भूकंप, मशीनों से कंपन, पास-पड़ोस के भवनों से खतरे)।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उन्हें कार्यान्वित करना (जैसे, आवधिक निरीक्षण, प्रशिक्षण, संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और भूकंप से पुनर्निर्माण)।

संसाधन

ये संसाधन भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की मदद करते हैं:

- [अंतर्राष्ट्रीय भवन संहिता](#), वर्तमान संस्करण
- धारा 1705 आवश्यक सत्यापन और निरीक्षण
- [NFPA 1](#) और [NFPA 101](#)



29.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सामान्य

- भवनो को स्थानीय भवन संहिता या अंतर्राष्ट्रीय भवन संहिता, जो भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, उसके अनुरूप डजाइन किया जाना चाहिए या कम से कम इस CLS की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
- भवनो को उनके इच्छति उपयोग के लिए डजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, वनिरिमाण सुविधा केंद्रों को औद्योगिक अधिभोग के लिए डजाइन किया जाना चाहिए।
- निर्माण के सामान्य ठेकेदार को डजाइन और निर्माण प्रक्रिया के भाग के रूप में स्थानीय भवन प्राधिकरण या क्षेत्राधिकार द्वारा अपेक्षति सभी परमटि प्राप्त करने होंगे (जैसे, उपकरण परमटि, निर्माण परमटि, अधिभोग परमटि)।
- भवन के डजाइन को स्थानीय भवन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदति किया जाना चाहिए। यदि कोई स्थानीय भवन प्राधिकरण न हो, तो भवन का डजाइन किसी पेशेवर भवन डजाइन फर्म या सविलि / संरचनात्मक इंजीनियरिंग फर्म द्वारा किया जाना चाहिए।

भवन का भार डजाइन

- भवनो, तहखानो और तहखाने की संरचनाओं को संरचना से जुड़े हिससो और कनेक्शनो के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को इस हिसाब से बनाना चाहिए कि वे स्वीकार्य तनाव या नरिदृष्टि मजबूती से अधिक भार के बनिा सभी भारो को सहन कर सकें। डजाइन में फ्रश लोड रेटिंग, स्थरि भार, तथा जोखमि संबंधी मूल्यांकन में पहचाने गए अपेक्षति प्राकृतिक घटनाओं या आपदाओं से उत्पन्न अतरिक्ति भार को शामिल किया जाना चाहिए।
- लोड रेटिंग्स को अनुमोदति डजाइनो की प्लेटों पर अंकति किया जाता है तथा उन्हें किसी प्रमुख स्थान पर सुरक्षति रूप से चपिकाया जाना चाहिए।
- खोई हुई, हटाई गई या खराब हो चुकी प्लेटों को मालकि या उसके एजेट द्वारा बदला जाना चाहिए।

कार्यस्थल का भवन डजाइन

- प्रत्येक सुविधा केंद्र को शर्मकि, साइट पर ठेकेदारो और साइट पर उपठेकेदारो को स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को जोखमि में डाले बनिा कार्य करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना होगा।

भवन के निकास द्वार की डजाइन

प्रत्येक सुविधा केंद्र को आग तथा अन्य आपात स्थतियों के लिए सुरक्षति निकास का साधन उपलब्ध कराना होगा। कम से कम, बाहर निकलने का सुरक्षति साधन ये होना चाहिए:

- डजाइन और चहिनांकन इस प्रकार किया गया हो कि भागने के रास्ते स्पष्ट हों।
- यदि द्वार या मार्ग सुरक्षति निकास की ओर नहीं ले जाते हों, तो "निकास नहीं है" चहिनति हो।
- इस प्रकार डजाइन किया गया हो कि जिनि मार्गो में आखरि सरी समाप्त हो गया हो और सुरक्षति निकास की ओर नहीं ले जाते हो, वे 16.67 मीटर (50 फीट)।
- प्रत्येक कार्यस्थल (भवन, संरचना, अनुभाग या क्षेत्र शामिल हो सकते हैं) से कम से कम दो अलग-अलग निकास के रास्ते देने के लिए डजाइन किया गया हो, ताकि आग या अन्य आपात स्थति के कारण निकास अवरुद्ध होने पर बचने के वैकल्पकि साधन उपलब्ध हों।

भवन का प्रकाश व्यवस्था डजाइन

- भवन के डजाइन में सुरक्षति कार्य स्थतियों के लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।

अनुशंसति प्रक्रिया

वनिरिमाण क्षेत्र में रहने वालो की कुल संख्या वनिरिमाण क्षेत्र के वर्ग फुटेजको प्रति व्यक्ती 200 वर्ग फीट से वभिाजति करने पर मलिने वाली संख्या (~18.6 मी²/व्यक्ती) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, 20,000 वर्ग फीट फ्रश स्थान (~1,860 मी²) में रहने वालो की अधिकतम संख्या 100 शर्मकि (20,000 वर्ग फीट ÷ 200 वर्ग फीट/व्यक्ती) है।



भवन का सीढ़ियों और सीढ़ियों के रास्ते का डिजाइन

सुविधा केन्द्र में सीढ़ियों और सीढ़ियों के रास्ते पर ऊपर-नीचे जाने के लिए सुरक्षा मार्ग उपलब्ध होना चाहिए। सीढ़ियों और सीढ़ियों के रास्ते में कम से कम ये होने चाहिए:

- मानक रेलिंग (चार या उससे अधिक कदमों के लिए)।
- न्यूनतम चौड़ाई 0.56 मी (22 इंच)।
- फसिलन-रोधी सतहों वाले सीढ़ी के ऊपरी भाग।
- किसी भी सीढ़ी पर एक समान ऊंचाई और चौड़ाई होनी चाहिए।

भार क्षमता पार न हुई हो

- भवन के छत का ऐसा डिजाइन होना चाहिए, जो स्थिर भार और सक्रिय भार के कारण होने वाले सभी तनावों को सहन कर सके।
- छतों, सीढ़ियों और तहखानों पर भार उनकी डिजाइन क्षमता या निर्दिष्ट क्षमता सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

उपयोग में बदलाव

- जब किसी मौजूदा भवन को नए उपयोग समूह वर्गीकरण में बदला जाता है, तो भवन के डिजाइन को नए उपयोग की जरूरतों को पूरा करना होगा।

भवन में अतिरिक्त निर्माण या संशोधन

- मौजूदा भवनों में अतिरिक्त निर्माण या संशोधन स्थानीय भवन संहिता के अनुरूप होना चाहिए या कम से कम इस CLS की सभी आवश्यकताओं, जो भी अधिक कठोर हो, उनको पूरा करना चाहिए।
- एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष को संरचनात्मक विश्लेषण करके, यह सत्यापित करना होगा कि मौजूदा भवन और कोई भी अतिरिक्त निर्माण या बदलाव भवन संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

रखरखाव और निरीक्षण

- भवनों का निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय भवन संहिता की धारा 1705 या स्थानीय कानून, जो भी अधिक कठोर हो, उसके अनुसार किया जाना चाहिए।
- निरीक्षण में छत, तहखाना और दीवारों सहित सभी भार वहन करने वाली संरचनाएं शामिल होनी चाहिए।
- लागू होने पर, निरीक्षण में मट्टी का परीक्षण भी शामिल होना चाहिए।
- रखरखाव कार्य के लिए सभी लागू परमिट मौजूद होने चाहिए।

29.2.3 प्रशिक्षण

सामान्य प्रशिक्षण

प्रभावित श्रमकों को प्रारंभिक नियुक्ति के समय बुनियादी प्रशिक्षण तथा आवश्यकतानुसार रफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में नमिनलखित शामिल होना चाहिए:

- भवन निर्माण के नियम किसी भी ऐसी मंजिल, छत या भवन की अन्य संरचना पर उस क्षमता से अधिक भार डालने, डालने का कारण बनने या डालने की अनुमति देने पर रोक लगाते हैं, जिसके लिए ऐसी मंजिल, छत या संरचना डिजाइन की गई है।

रखरखाव प्रशिक्षण

जिन श्रमकों के पास भवन रखरखाव की ज़िम्मेदारी है उन्हें ऊपर वर्णित सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त आवधिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमिनलखित शामिल होना ही चाहिए:

- स्थानीय कानून।
- भवन संरचना को प्रभावित करने वाले भवन से जुड़े खतरे, प्राकृतिक खतरे और परचालन खतरे।
- संरचनात्मक तत्वों पर भार की सीमाएं।
- अतिरिक्त भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां।

29.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुविधा केन्द्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- भवन डिजाइन एवं संरचना सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन
- भवन वास्तुकला के आरेख चित्र
- अगर लागू हो, तो भवन निर्माण के परमिट
- भूमिका यांत्रिकी परीक्षण, जिसमें कॉम्पेक्टिंग, वफिलता और वसिथापन शामिल है

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केन्द्रों की आवश्यकता होती है:

- निरीक्षण (बीमा निरीक्षण रिपोर्ट सहित) और रखरखाव के रिकॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।



30. एम्बेस्टस

30.1 मानक

सुविधा केंद्र को एम्बेस्टस युक्त सामग्री (ACM) की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके लागू करना होगा। सुविधा केंद्र को ACM के प्रबंधन में सभी श्रमिकों, साइट पर ठेकेदारों, साइट पर उपठेकेदारों, आगंतुकों और वकिरेताओं को एम्बेस्टस से संबंधित बीमारियों के संभावित स्वास्थ्य खतरो से बचाने के लिए दशानर्देश और प्रक्रियाएं स्थापित करनी होंगी। यह CLS सुविधा केंद्र के स्वामित्व वाले सभी भवनों और संरचनाओं पर लागू होता है। CLS उस नियमित कार्य पर लागू होता है, जिसके दौरान किसी कर्मचारी को एम्बेस्टस का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही ACM की मरम्मत या उसे हटाने के लिए किए गए कार्य पर भी लागू होता है।

30.2 आवश्यकताएं

30.2.1 जोखिम का आकलन

सुविधा केंद्र को ACM जोखिम मूल्यांकन करके उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।** किसी योग्य व्यक्ति द्वारा सुविधा केंद्र में ज्ञात या संदिग्ध ACM के स्थान, मात्रा, प्रकार, स्थिति और संबंधित खतरो की पहचान कराना।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** ज्ञात या संदिग्ध ACM से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, लेबलिंग, प्रवेश नियंत्रण, नरीक्षण)।

30.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

किसी भी सुविधा केंद्र में, जहां ACM की जानकारी हो या संदेह हो, ऐसी प्रक्रियाएं लागू करनी होंगी, जिनमें कम से कम ये शामिल हों:

- प्रभावित श्रमिकों को ACM की उपस्थिति तथा उससे संबंधित स्वास्थ्य खतरो के बारे में सूचित करना।
- ACM को एम्बेस्टस युक्त लेबल करना, जिसमें खतरे और सावधानियां शामिल हों।
- ACM पर सभी कार्यों के लिए कार्य-के लिए-परमिट का उपयोग करना।

संसाधन

यह संसाधन एम्बेस्टस CLS का अनुपालन करने में सुविधा केंद्रों की मदद करता है:

- Nike एम्बेस्टस तकनीकी बुलेटिन

- यह सुनिश्चित करना कि ACM पर कार्य केवल प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए।
- ACM के साथ कार्य करने पर PPE, इंजीनियरिंग नियंत्रण, हाउसकीपिंग आवश्यकताओं, रोकथाम और सफाई उपकरणों के उचित उपयोग के लिए प्रावधान करना।
- स्थानीय कानून के अनुसार ACM का उचित तरीके से निपटान करना।
- ज्ञात या संदिग्ध ACM की स्थिति की पुष्टि करने के लिए त्रैमासिक नरीक्षण करना।
- ACM के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सा नगरानी का संचालन करना।



- ACM हटाने पर:

- किसी भी सुविधा केंद्र के भीतर ACM को हटाने से जुड़े कार्य के दायरे को रेखांकित करने के लिए एक एम्बेस्टर प्रबंधन योजना वकिसति की जानी चाहिए। प्रबंधन योजना में सभी गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए ताकि ACM को हटाने समय श्रमिक और ठेकेदार संभावित जोखिम से सुरक्षित रहे।
- ACM को हटाने से पहले, एक घेरे या अन्य उपयुक्त रोकथाम का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि हटाने के कारण हवा में उड़ने वाले एम्बेस्टर के जोखिम से आस-पास के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को बचाया जा सके।
- ACM को हटाने के बाद, कार्य क्षेत्र में स्थानीय कानूनों के अनुसार वायु का नमूना लिया जाना चाहिए, उसके बाद ही घेरा या रोकथाम को हटाया जा सकता है और क्षेत्र को मुक्त किया जा सकता है।

30.2.3 प्रशिक्षण

एम्बेस्टर के प्रति जागरूकता

ज्ञात या संदिग्ध ACM के आसपास काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को वार्षिक आधार पर जागरूकता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- ACM की बुनियादी पहचान।
- ACM से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे।
- ऐसी गतिविधियां, जिनके परिणामस्वरूप एम्बेस्टर फाइबर निकल सकते हैं।
- ACM में व्यवधान आने की स्थिति में अधिसूचना की आवश्यकताएं।
- साइट के लिए खास ACM नीतियां और प्रक्रियाएं।

ACM रखरखाव कर्मचारी

ज्ञात या संदिग्ध ACM के सीधे संपर्क में रहने वाले सभी कर्मचारियों, जैसे रखरखाव या संरक्षक कर्मचारियों को वार्षिक आधार पर अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा:

- ACM से छेड़छाड़ या नुकसान होने से कैसे बचाएं।
- PPE का उपयोग, फिटिंग, देखभाल और सीमाएं।
- ACM के रखरखाव के लिए प्रक्रियाएं।
- ACM में क्षति और गतिवट के संकेत।
- एम्बेस्टर फाइबर रिलीज की प्रतिक्रिया।

30.3 रिकॉर्ड प्रतिलिपि संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतिलिपि आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- ACM का जोखिम मूल्यांकन और सूची
- भवन निर्माण योजना और/या निर्माण सामग्री के लिए लदान बलि, जो लागू होने पर ACM की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करता है

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- रखरखाव, मरम्मत और निपटान के रिकॉर्ड (परमिट और प्रयोगशाला रिपोर्ट सहित)। अधिभोग की अवधि के साथ ही 30 वर्ष।
- ज्ञात या संदिग्ध ACM का त्रैमासिक निरीक्षण। न्यूनतम तीन वर्ष।



31. नर्माण सुरक्षा कार्यक्रम प्रबंधन

31.1 मानक

सुवधि केंद्र नई नर्माण गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करेगी।

31.2 ज़िम्मेदारियाँ

नर्माण सुरक्षा कार्यक्रम प्रबंधक (CSPM) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि सुवधि केंद्र के नर्माण पोर्टफोलियो के सभी प्रोजेक्ट के लिए नर्माण सुरक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया जाए। CSPM जोखिम विश्लेषण, आवधिक सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट और मासिक चोट रिपोर्ट नेतृत्व को प्रस्तुत करने के लिए ज़िम्मेदार है। CSPM को यह अधिकार भी है कि वह स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी खतरों पर पर्याप्त नियंत्रण न होने पर काम रोक दे। CSPM प्रभावी कार्यक्रम प्रशासन के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक अतिरिक्त प्रोजेक्ट मैनेजर की देखरेख कर सकता है।

31.3 आवश्यकताएं

31.3.1 जोखिम का आकलन

हर एक नए नर्माण प्रोजेक्ट के लिए सुवधि केंद्र को नर्माण संबंधी सुरक्षा के जोखिम के मूल्यांकन का संचालन और दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल होंगे:

- **खतरा पहचानना।** नर्माण प्रोजेक्ट के लिए संपत्ति और आसपास के क्षेत्र पर कार्यों, संबंधित खतरों और पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** खतरों और पर्यावरणीय प्रभावों के जोखिम का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, प्रशिक्षण)।

संसाधन

ये संसाधन नर्माण सुरक्षा कार्यक्रम प्रबंधन CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- [Supplier Construction Safety Playbook](#)
- [गरिने से सुरक्षा CLS](#)
- [ठेकेदार सुरक्षा CLS](#)
- [चोट और रोग प्रबंधन CLS](#)



31.3.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को एक नरिमाण सुरक्षा कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन करना होगा जिसमें कम से कम ये शामिल हों:

नरिमाण सुरक्षा प्रबंधन फ्रेमवर्क

- सामान्य टेकेदार और साइट पर उपटेकेदारों को नियुक्त करने के लिए योग्यता प्रक्रिया बनाना।
- प्रोजेक्ट का आकार और जटिलता नरिधारित करना।
- प्रोजेक्ट के आकार के आधार पर भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ नरिधारित करना।

प्रोजेक्ट-वशिष्ट सुरक्षा कार्यक्रम

- कार्यक्रम के तत्व नरिधारित करना।
- प्रोजेक्ट के दायरे से संबंधित प्रमाणपत्र।

31.3.3 प्रोजेक्ट का आकार और जटिलता

छोटे प्रोजेक्ट का आकार और जटिलता

लघु-स्तरीय नरिमाण प्रोजेक्ट की वशिषता इन कारकों से होती है:

- छोटी अवधि।
- छोटी टीम (अधिकतम 10 शलिप शर्मकि)।
- स्थान या भूमिका कम से कम उपयोग।

कम से कम जटिलता वाले छोटे प्रोजेक्ट में खाली स्थानों पर साधारण सुवधि केंद्र नरिमाण या मकान मालिकों द्वारा संचालित नरिमाण शामिल है। वे आम तौर पर कम जोखिम को दर्शाते हैं।

मध्यम प्रोजेक्ट आकार और जटिलता

मध्यम स्तर के नरिमाण प्रोजेक्ट की वशिषता इन कारकों से होती है:

- तीन से छह महीने की अवधि।
- व्यापक टीम (10 से 100 कुशल शर्मकि)।
- महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा।

मध्यम आकार के प्रोजेक्ट में जटिल सुवधि केंद्र नरिमाण या कब्जे वाले स्थान पर नरिमाण शामिल है। वे आमतौर पर उच्च स्तर के जोखिम को दर्शाते हैं।

बड़े प्रोजेक्ट का आकार और जटिलता

बड़े स्तर के नरिमाण प्रोजेक्ट की वशिषता इन कारकों से होती है:

- छः माह से लेकर कई वर्षों तक की लम्बी अवधि।
- बड़ी टीम (100 से अधिक कुशल शर्मकि)।
- स्थान या भूमिका व्यापक उपयोग।

बड़े प्रोजेक्ट में जटिल, भारी मशीनरी और सुवधि केंद्र एवं परिसर नरिमाण शामिल है। वे आमतौर पर जोखिम के उच्चतम स्तर को दर्शाते हैं।

31.3.4 प्रशिक्षण

नए नरिमाण कार्य में भाग लेने वाले सभी शर्मकि को इस CLS में उल्लिखित वशिषों से संबंधित नरिमाण स्थल की नीतियों और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। शर्मकि को मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा गैर-अनुपालन या बार-बार गैर-अनुपालन के मामलों में, उन्हें नीतियों और प्रक्रियाओं पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रशिक्षण लेना चाहिए।



31.4 रकिॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवधा केद्वारे में ये बनाए रखना आवश्यक है:

प्रोजेक्ट की शुरुआत

प्रोजेक्ट की शुरुआत के दस्तावेजीकरण में ये चीजे शामिल हैं:

- कानूनी स्वीकृति/परमिट।
- जोखिम का आकलन।
- साइट-वशिष्ट सुरक्षा योजना।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना और संपर्क सूची।
- घटना अधिसूचना प्रवाह चार्ट।
- सुरक्षा प्रशिक्षण के रकिॉर्ड।
- कार्यबल जानकारी सूची।
- रखरखाव के रकिॉर्ड।
- नौकरी सुरक्षा वशिलेण (JSA)।
- सुरक्षति कार्य योजना (SWP)।
- एकीकृत कार्य योजना (IWP)।
- प्रक्रिया वधि (MOP)।

दैनिक

प्रोजेक्ट के दौरान दैनिक दस्तावेजीकरण में ये चीजे शामिल हैं:

- काम से पहले के प्लान।
- उपकरण नरीक्षण पत्रक।

साप्ताहिक

प्रोजेक्ट के दौरान साप्ताहिक दस्तावेजीकरण में ये चीजे शामिल हैं:

- सुरक्षा रपिर्ट जसिमें सुधारात्मक कार्रवाई के साथ साप्ताहिक सुरक्षा नरीक्षण परणाम शामिल होते हैं।
- खतरे की पहचान की संख्या।
- सुरक्षा संक्षिप्त वविरण (या टूलबॉक्स बातचीत) वषिय और उपस्थति लोगो की सूची।
- सुरक्षा प्रतनिधि बैठक का वविरण और रोस्टर।

मासिक

प्रोजेक्ट के दौरान मासिक दस्तावेजीकरण में ये चीजे शामिल हैं:

- प्रोजेक्ट सुरक्षा चेकलसिट पूरण की गई।
- सुरक्षा नरीक्षणो की संख्या।
- सभी चोटों से हुए नष्ट समय और महत्वपूर्ण नकिट चूको के लिए जांच रपिर्ट।
- अपशष्टि नपिटान रकिॉर्ड।
- प्राथमिक चकितिसा के कुल मामले।
- कुल रकिॉर्ड करने योग्य चोटे।
- कुल नकिट चूक।

त्रैमासिक

प्रोजेक्ट के दौरान त्रैमासिक दस्तावेजीकरण में सुरक्षा ऑडिट रपिर्ट शामिल हैं।



अग्नि एवं आपातकालीन कार्य योजनाएं मौजूद हैं

सुवर्धा केंद्र में सामान्य कार्य संचालन और आपातकालीन स्थितियों के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अग्नि-रोकथाम और आपातकालीन कार्य योजना है। सुवर्धा केंद्र आपातकालीन स्थितियों के बारे में श्रमिकों को सूचित करने के लिए अग्नि का पता लगाने वाली प्रणालियाँ, जब श्रमिकों को भवन छोड़ना हो, तो सुरक्षित निकास मार्ग तथा जब श्रमिकों को आपातकालीन स्थितियों के दौरान भवन में ही रहना हो, तो सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध कराता है।

इस अनुभाग में ये चीज़ें शामिल हैं:

- आपातकालीन कार्रवाई CLS
- अग्नि सुरक्षा प्रबंधन CLS





32. आपातकालीन कार्रवाई

32.1 मानक

सुवधि केंद्र को आपात स्थितियों से नपिटने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन करना होगा।

32.2 आवश्यकताएं

32.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक आपातकालीन कार्रवाई जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। ऐसी घटनाओं की पहचान करना जो आपातकाल का कारण बन सकती है (जैसे, आग, बम की धमकी, सामाजिक विवाद, वायु प्रदूषण, अपहरण / बंधक की स्थिति, बाढ़, सुनामी, भूकंप, तूफान और चकित्सा समस्याएं)।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचानी गई आपातकालीन स्थितियों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उनका क्रियान्वयन करना (जैसे, अग्निशमन उपकरण, प्रशिक्षण, ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित भंडारण)।

32.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को लिखित आपातकालीन कार्रवाई और योजना प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- उन व्यक्तियों के नाम या पद नाम जिनसे योजना के संबंध में आगे की जानकारी या कर्तव्यों के स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया जा सकता है।
- आपातकालीन कर्मियों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ (कमान और नियंत्रण सहित)।
- आपातकालीन टेलीफोन नंबर पोस्ट करने सहित आपात स्थिति की सूचना देने के साधन।
- यदि आवश्यक हो, तो निकासी प्रक्रियाएँ और पोस्ट की गई योजनाएँ।
- उन शर्मिकों की पहचान और उनके लिए प्रावधान जो महत्वपूर्ण संयंत्र उपकरण या परिचालनों को संचालित करने के लिए वहाँ रुकते हैं, उनके निकाले जाने से पहले।
- विकलांग व्यक्तियों की पहचान और सहायता के लिए प्रावधान।
- बचाव एवं चकित्सा संबंधी कर्तव्य।

संसाधन

ये संसाधन आपातकालीन कार्रवाई CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- अग्नि सुरक्षा प्रबंधन CLS
- NFPA 101
- सभी शर्मिकों के लिए लेखा-जोखा का प्रावधान, जिसमें शामिल है:
 - कार्यस्थल के बाहर एकत्रीकरण क्षेत्र और कार्यस्थल के अंदर शरण क्षेत्र निर्धारित करना।
 - निकासी के बाद लोगों की गिनती करना।
 - जो व्यक्ति लापता है, उसका नाम और अंतिम ज्ञात स्थान बताना तथा यह जानकारी सुपरवाइज़र को बताना।
 - साइट पर मौजूद ठेकेदारों, साइट पर मौजूद उपठेकेदारों, ग्राहकों, आगंतुकों और अन्य गैर-कर्मचारियों की जानकारी रखने के लिए लेखा पद्धति स्थापित करना।
 - आवश्यकतानुसार, साइट से बाहर के स्थानों पर निकासी के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित करना।



- आपातकालीन स्थिति (जैसे, काम पर वापसी और घर जाने की स्थिति) के बारे में श्रमिकों को अद्यतन करने के लिए संचार प्रक्रिया।
- सभी श्रमिकों के लिए वार्षिक निकासी अभ्यास।
- आपातकालीन कार्रवाई और योजना कार्यक्रम की वार्षिक समीक्षा।
- भौगोलिक कारणों पर निर्भर करते हुए, एक गंभीर मौसम और प्राकृतिक आपदा योजना विकसित करना, जिसमें ये प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं:
 - बाढ़
 - तूफान या टाइफून
 - झंझावात
 - भूकंप
 - ज्वालामुखी वसिफोट
- रासायनिक एवं रसायन-प्रतिक्रिया से जुड़ी योजना।
- नागरिक अशांति योजना।
- आपातकालीन शटडाउन प्रक्रियाएँ।
- बम की धमकी से बचने के लिए निकासी प्रक्रिया।

32.2.3 नोटफिकेशन / अलार्म सिस्टम

हर एक सुविधा केंद्र में नोटफिकेशन सिस्टम लगाया जाना चाहिए और उसमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करने के लिए पर्याप्त चेतावनी जिसमें शामिल है:
 - सुनाई देने वाले अलार्म। घंटियाँ, हार्न, सायरन, घोषणाएँ या स्पीकर सिस्टम।
 - दिखाई देने वाले अलार्म। फ्लैशिंग लाइट या स्ट्रोब लाइट।
- सुनाई और दिखाई देने वाले अलार्म माहौल के शोर और प्रकाश के स्तर से ऊपर समझ में आने योग्य होने चाहिए।
- सुनाई और दिखाई देने वाले अलार्म वशिष्ट और पहचानने योग्य होने चाहिए।
- नोटफिकेशन / अलार्म सिस्टम को सक्रिय करने का एक साधन।
- परीक्षण, मरम्मत या रखरखाव के समय को छोड़कर सिस्टम हमेशा चालू रहना चाहिए।
- वार्षिक एवं आवधिक परीक्षण एवं रखरखाव सक्षम व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।

32.2.4 प्रशिक्षण

सभी श्रमिकों को नियुक्ति के समय, नई नौकरी सौंपे जाने पर, तथा जब भी आपातकालीन कार्रवाई और नियोजन प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जाता है, तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमिनलखिति शामिल होना ही चाहिए:

- आपातकालीन कार्यवाही।
- राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा एजेंसी (NFPA 101) के जीवन सुरक्षा कोड के अनुसार बचने के रास्ते और प्रक्रियाएँ।
- आपातस्थिति की रपिर्ट कैसे करे।
- नोटफिकेशन / अलार्म सिस्टम को सक्रिय करना।

आपातकालीन कर्मी

किसी आपातकालीन स्थिति में निर्दिष्ट भूमिका और जम्मेदारी वाले सभी श्रमिकों को अपने वशिष्ट कर्तव्यों के संबंध में वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

32.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- आपातकालीन कार्रवाई योजना
- आपातकालीन कार्रवाई और जोखिम मूल्यांकन की योजना

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- निकासी अभ्यास का दस्तावेजीकरण। न्यूनतम तीन वर्ष।
- नोटफिकेशन/अलार्म सिस्टम का परीक्षण और रखरखाव संबंधी दस्तावेज़। न्यूनतम तीन वर्ष।



33. अग्नि सुरक्षा प्रबंधन

33.1 मानक

सुवधि केंद्र को आग के खतरो से जुड़े जोखिमों को कम करने या खत्म करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन करना होगा।

33.2 आवश्यकताएं

33.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक अग्नि सुरक्षा प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन करके उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। आग के प्रमुख खतरो और आग लगने के स्रोतों की पहचान करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरो से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना। पहचाने गए खतरो के कारण जोखिम में पड़े लोगों की पहचान करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, अग्नि अलार्म और चेतावनी प्रणाली, वदियुत प्रणाली और मशीनों की सेवा और रखरखाव, आपातकालीन योजनाएं, प्रशिक्षण, अलार्म प्रणाली, नियंत्रण केंद्र नामित करना)।

33.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को अग्नि सुरक्षा के लिए ऐसी प्रक्रियाएं लागू करनी होंगी जिनमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

आग की रोकथाम

- ज्वलनशील एवं दहनशील पदार्थों के भंडारण को कम से कम करना।
- ज्वलनशील पदार्थों को अनुमोदित कैबिनेट में संग्रहित करना।
- धूम्रपान नीति लागू करना (जैसे, केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही धूम्रपान करना)।
- वदियुत उपकरणों का रखरखाव करना ताकि वे सुरक्षित और अच्छी कार्यशील स्थिति में रहें।

अग्नि सुरक्षा

- सभी अग्निशमन उपकरणों की सूची तैयार करना।
- यह सत्यापित करना कि उपयुक्त फायर डिटक्टर और अलार्म सिस्टम मौजूद हैं।
- जहां उपयुक्त हो वहां स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना और यद्वाँ वै खराब हो जाएँ, तो उनके लिए प्रक्रियाएं विकसित करना।
- यह सत्यापित करना कि सभी क्षेत्रों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध हैं जो कि अनुमानित प्रकार की आग से निपटने के लिए उपयुक्त हैं।
- यह सत्यापित करना कि सभी अग्निशमन उपकरण आसानी से उपलब्ध हों तथा उपयोग में सरल हों।
- अग्निशमन उपकरणों के स्थानों की पहचान के लिए संकेतक लगाना।
- मासिक आधार पर अग्निशमक यंत्रों और पाइपों का दृश्य निरीक्षण करना।
- सभी अग्निशमन उपकरणों के लिए निरीक्षण और रखरखाव योजना का विकास और कार्यान्वयन करना।

संसाधन

यह संसाधन सुवधि केंद्रों को अग्नि सुरक्षा प्रबंधन CLS का अनुपालन करने में सहायता करता है:

- आपातकालीन कार्रवाई CLS



अग्निसुरक्षा सावधानियाँ

- आपातकालीन मार्गों और निकासों की पहचान करने के लिए संकेतक लगाना, ताकि आपातकालीन स्थिति में श्रमिकों को शीघ्र नकिल जाने में सुविधा हो।
- यह सत्यापित करना कि आपातकालीन मार्ग और निकास हमेशा अवरोधों से मुक्त रहे जाएँ।
- यह सत्यापित करना कि आपातकालीन निकास द्वार नियमिति कार्य के घंटों के दौरान खुले रहते हैं तथा आपातकालीन स्थिति में शीघ्रता से बाहर नकिलने के लिए बाहर की ओर खुलते हैं।
- आपातकालीन मार्गों और निकासों को दखाने के लिए कार्य क्षेत्रों में आरेख लगाना।
- यह सत्यापित करना कि आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध है, उसका परीक्षण किया गया है तथा उसका रखरखाव किया गया है।

समीक्षा

सुविधा केंद्र को अग्निसुरक्षा प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए या जब ये घटनाएँ हों:

- आग लगना या नकित चूक।
- भवन के किसी भी भाग में संरचनात्मक परिवर्तन।
- भवन के संचालन या लेआउट में परिवर्तन।
- नए रसायन खरीदे जाएँ और उन्हें साइट पर संग्रहित किया जाए।
- वदियुत लोड एवं उपयोग में कोई भी परिवर्तन।

33.2.3 प्रशिक्षण

सभी श्रमिकों को प्रारंभिक नयुक्ता के समय तथा उसके बाद कम से कम प्रतविर्ष अग्निसुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमिनलखिति शामिल होना ही चाहिए:

- आग का खतरा।
- आपातकालीन मार्ग एवं निकास।
- नयिम और जमिमेदारियाँ।

अग्नशिमन

जनि श्रमिकों की अग्नशिमन संबंधी जमिमेदारी है, उन्हें अतरिक्त वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमिनलखिति शामिल होना ही चाहिए:

- अपनी भूमिका के अनुरूप अग्नशिमन उपकरणों का उपयोग।
- अग्नशिमन की तकनीकें।
- अग्नशिमन के लिए वयक्तगित सुरक्षा उपकरण (PPE)।
- अतरिक्त भूमिकाएं और जमिमेदारियाँ।

33.3 रकिर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- अग्निसुरक्षा प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन
- अग्निसुरक्षा उपकरण के स्थान के साथ-साथ मौजूदा मानचित्र

Nike को कुछ रकिर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- नरीक्षण एवं रखरखाव रकिर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।



व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी खतरों को नियंत्रित किया जाता है

यह सुविधा केंद्र कार्यस्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी खतरों का पूर्वानुमान लगाता है, उन्हें पहचानता है, उनका मूल्यांकन करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। यह सुविधा केंद्र कार्यस्थल पर मौजूद खतरों के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों का पता लगाने के लिए नियमित मॉनिटरिंग और विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग करता है। श्रमिकों को व्यावसायिक जोखिम सीमाओं से अधिक शारीरिक, रासायनिक या जैविक खतरों के संपर्क में नहीं लाया जाता है।

इस अनुभाग में ये चीजें शामिल हैं:

- श्वसन सुरक्षा CLS
- लेज़र सुरक्षा CLS
- एरगोनॉमिक्स CLS
- ताप तनाव रोकथाम CLS
- रेडिएशन सुरक्षा CLS
- व्यावसायिक जोखिम की सीमाएँ CLS
- व्यावसायिक शोर जोखिम CLS
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) CLS
- व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन CLS
- रक्त-जनित रोगजनक CLS
- चिकित्सा सेवाएं एवं प्राथमिक चिकित्सा CLS





34. श्वसन सुरक्षा

34.1 मानक

सुवधि केंद्र को एक श्वसन सुरक्षा कार्यक्रम वकिसति और क्रयिन्वति करना होगा, ताका श्रमिकों, कार्यस्थल पर कार्यरत ठेकेदारों और कार्यस्थल पर कार्यरत उपठेकेदारों को वनियमित रसायनों के अत्यधिक संपर्क से बचाया जा सके, जो उनके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।

34.2 आवश्यकताएं

34.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक श्वसन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन करके उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।** ऐसे कार्य और उनसे संबंधित संभावित खतरों की पहचान करना जिनके लिए श्वसन सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उनका क्रयिन्वयन करना, जिसमें सर्वप्रथम इंजीनियरिंग नियंत्रण, द्वितीय प्रशासनिक नियंत्रण तथा अंतिम रूप से श्वसन सुरक्षा का उपयोग शामिल हो।

34.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

अगर सुवधि केंद्र में कार्ट्रिज या सप्लाई-एयर रेस्पिरिटर का उपयोग किया जाता है, तो उसे श्वसन संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाएं तैयार करके लागू करनी होंगी। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- यदि श्रमिकों को खतरनाक वायु प्रदूषकों के संपर्क में आने से बचाने के लिए श्वसन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो सुवधि केंद्र को कार्यस्थल-वशिष्ट प्रक्रियाओं के साथ एक औपचारिक श्वसन सुरक्षा कार्यक्रम वकिसति और क्रयिन्वति करना होगा। कार्यक्रम में ये चीजें शामिल होनी चाहिए:
 - कार्यक्रम की देखरेख के लिए एक योग्य प्रशासक को नामित करना।
 - श्वसन सुरक्षा की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए कार्य असाइनमेंट का मूल्यांकन करना।
 - ऐसे कार्य जिनमें श्रमिक हानिकारक स्तर की धूल, धुं, सप्रे, कोहरे, धूम्र, वाष्प, गैसों या रेडियोधर्मी पदार्थों से दूषित वायु में सांस ले सकते हैं, उन्हें श्वसन सुरक्षा की आवश्यकता वाली संभावित स्थितियों के रूप में पहचाना जाना चाहिए।
 - श्वसन यंत्र पहनने के लिए पात्रता और चकित्सा मूल्यांकन आवश्यकताओं का निर्धारण करना।

संसाधन

ये संसाधन सुवधि केंद्रों को श्वसन सुरक्षा CLS का अनुपालन करने में सहायता करते हैं:

- रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है [CLS](#)
- व्यावसायिक जोखिम की सीमाएँ [CLS](#)
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) [CLS](#)



फ़िल्टर, कार्ट्रिज और कैनसिटर की पहचान करना

- कार्यस्थल में उपयोग किए जाने वाले सभी फ़िल्टर, कार्ट्रिज और कैनसिटर पर National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) (राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान (NIOSH)) के अनुमोदन लेबल और रंग-कोड अंकित होना चाहिए।
- NIOSH लेबल को हटाया नहीं जाना चाहिए तथा उसे पढ़ने लायक बनाए रखा जाना चाहिए।
- कार्ट्रिज उस वातावरण के लिए उपयुक्त होने चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया जाता है।

श्वसनयंत्रों का रखरखाव और देखभाल

सुवधि केंद्र को श्वसनयंत्रों के रखरखाव और देखभाल पर मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। श्वसनयंत्रों को आगे बताए गए तरीके से साफ और कीटाणुरहित किया जाना चाहिए:

- **वर्षिष उपयोग वाले श्वसनयंत्र।** स्वच्छता की स्थिति बिनाए रखने के लिए जितनी बार आवश्यक हो।
- **बहुउपयोगी श्वसनयंत्र।** एक से अधिक कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने पर इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहने जाने से पहले।
- **आपातकालीन श्वसनयंत्र।** प्रत्येक उपयोग के बाद।
- **श्वसनयंत्रों का फ़िट-परीक्षण एवं प्रशिक्षण।** प्रत्येक उपयोग के बाद।

एक्सचेज शेड्यूल

- फ़िल्टर, कार्ट्रिज और कैनसिटर की नगिरानी की जानी चाहिए तथा उन्हें संदूषक के प्रकार और संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए एक निर्धारित शेड्यूल के आधार पर एक्सचेज किए जाने चाहिए।
- एक्सचेज शेड्यूल प्रयोगात्मक या वशिलेषणात्मक वधियों, नर्माता की सफ़ािशो या लागू गणतीय मॉडलों का उपयोग करके निर्धारित किए जा सकते हैं।

श्वसनयंत्र का चयन

- सुवधि केंद्र को NIOSH-प्रमाणित श्वसनयंत्रों का चयन करना होगा; उपयोग को इसके प्रमाणन की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- सुवधि केंद्र को कार्यस्थल पर श्वसन संबंधी खतरों की पहचान और मूल्यांकन करना होगा। इसमें श्रमकों के उचित जोखिम का अनुमान लगाना तथा प्रदूषकों की रासायनिक अवस्थाओं और भौतिक रूपों की पहचान करना शामिल है।
- जहां जोखिम का उचित अनुमान या पहचान नहीं की जा सकती, वहां वातावरण को जीवन या स्वास्थ्य के लिए तत्काल खतरनाक (IDLH) माना जाना चाहिए।

चिकित्सा मूल्यांकन

- फ़िट परीक्षण और उपयोग से पहले, सुवधि केंद्र को यह निर्धारित करने के लिए चिकित्सा मूल्यांकन प्रदान करना होगा कि क्या कर्मचारी सुरक्षित रूप से श्वसनयंत्र का उपयोग कर सकते हैं।
- चिकित्सा मूल्यांकन करने के लिए सुवधि केंद्र को एक चिकित्सक या अन्य लाइसेंस प्राप्त या प्रमाणित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर (PLHCP) की पहचान करनी होगी। PLHCP प्रासंगिक स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चिकित्सा प्रश्नावली या चिकित्सा परीक्षण का उपयोग कर सकता है।
- सुवधि केंद्र को प्रत्येक कर्मचारी की श्वसन यंत्र का सुरक्षित उपयोग करने की क्षमता के संबंध में PLHCP से लखित अनुशंसा प्राप्त करनी होगी।
- कुछ परस्थितियों में अतिरिक्त चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है:
 - यदि कोई कर्मचारी श्वसनयंत्र का सुरक्षित उपयोग करने की क्षमता से संबंधित चिकित्सीय संकेत या लक्षण बताता है।
 - यदि कोई PLHCP, कार्यक्रम प्रशासक या सुपरवाइज़र पुनर्मूल्यांकन की सफ़ािश करता है।

- यदि श्वसनयंत्र कार्यक्रम से प्राप्त जानकारी, जिसमें फ़िट परीक्षण और कार्यक्रम मूल्यांकन के दौरान की गई टिप्पणियां शामिल हैं, आवश्यकता का संकेत देती हैं।
- यदि कार्यस्थल की स्थितियां बदल जाती हैं तो इससे श्रमकों पर शारीरिक बोझ काफी बढ़ जाता है।
- श्वसन सुरक्षा कार्यक्रम में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी चिकित्सा स्थितियों की वार्षिक समीक्षा करानी होगी।

फ़िट परीक्षण

- नकारात्मक या सकारात्मक दबाव वाले टाइट-फ़िटिंग फ़ेस पीस रेस्पिरटर का उपयोग करने वाले सभी श्रमकों को उपयुक्त गुणात्मक फ़िट परीक्षण (QLFT) या मात्रात्मक फ़िट परीक्षण (QNFT) पास करना होगा।
- प्रारंभिक उपयोग से पहले, जब भी एक अलग श्वसनयंत्र का उपयोग किया जाता है, तथा उसके बाद कम से कम हर साल फ़िटिंग परीक्षण आवश्यक है।



34.2.3 प्रशिक्षण

श्वसन सुरक्षा प्रशिक्षण

जनि श्रमिकों को अपने कार्य को सुरक्षित रूप से करने के लिए श्वसनयंत्र पहनना आवश्यक है, उन्हें शुरुआती असाइनमेंट के समय और उसके बाद कम से कम प्रतविर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमिनलखिति शामिल होना ही चाहिए:

- श्वसनयंत्र पहनने और उतारने की उचित प्रक्रिया (सील-जांच प्रक्रिया सहित)।
- श्वसन यंत्र को सही तरीके से साफ और संग्रहित कैसे करें।
- जहाँ लागू हो वहाँ कार्ट्रिज बदलने की प्रक्रियाएं।
- श्वसनयंत्र क्यों आवश्यक है और कैसे अनुचित फिटिंग, उपयोग या रखरखाव श्वसन यंत्र के सुरक्षात्मक प्रभाव से समझौता कर सकता है।
- श्वसनयंत्र की क्षमताएँ और सीमाएँ।
- आपातकालीन स्थितियों में श्वसनयंत्र का उपयोग कैसे करें।
- उन चकितिसीय संकेतों और लक्षणों को कैसे पहचानें जो प्रभावी उपयोग को सीमित या रोक सकते हैं।
- इस श्वसन सुरक्षा CLS की सामान्य आवश्यकताएँ।
- फरि से प्रशिक्षण की आवश्यकता वार्षिक रूप से और तब होती है जब:
 - कार्यस्थल की स्थितियाँ बदल जाती हैं या नए प्रकार के श्वसनयंत्र उपयोग में आ जाते हैं।
 - इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रमिक की समझ या उपयोग अपर्याप्त है।

कार्यक्रम के मूल्यांकन

यह सत्यापित करने के लिए कार्यक्रम का क्रियान्वयन उचित ढंग से हो रहा है, सुविधा केंद्र को कार्यस्थल का आवश्यकतानुसार मूल्यांकन करना चाहिए। श्रमिकों की नगिरानी की जानी चाहिए तथा उन्हें उचित उपयोग के बारे में नरितर मार्गदर्शन मलिनल चाहिए।

34.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- श्वसन सुरक्षा जोखमि मूल्यांकन
- श्वसन सुरक्षा कार्यक्रम दस्तावेजीकरण।

Nike को कुछ रकिॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- श्वसनयंत्रों के लिए वर्तमान फिट-परीक्षण रकिॉर्ड। श्रमिक के अगले फिट परीक्षण तक।
- नरीक्षण के रकिॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।
- श्रमिक श्वसन प्रबंधन रकिॉर्ड। रोजगार की अवधि।



35. लेजर सुरक्षा

35.1 मानक

सुवधि केंद्र को लेजर के व्यावसायिक जोखिम के खतरे को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके लागू करना होगा।

35.2 आवश्यकताएं

35.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक लेजर सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। लेजर और उनसे संबंधित खतरों की पहचान और वर्गीकरण करना।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। जोखिम को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, नगिरानी और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण [PPE])। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के आधार पर उत्सर्जन के जोखिम का आकलन करना तथा यह निर्धारित करना कि वायु उत्सर्जन या श्रमिकों के जोखिम के लिए अतिरिक्त नियंत्रण की आवश्यकता है या नहीं।

35.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को लेजर के व्यावसायिक जोखिम को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रियाएँ लागू करनी होंगी। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- करिणों के संपर्क में आने से बचाने के लिए सुरक्षा और इंटरलॉक के साथ लेजर इंस्टॉल करना।
- लेजर वाले कार्य क्षेत्र को केवल अधिकृत कर्मियों तक सीमित रखना।
- सत्यापित करना कि लेजर वाले कार्य क्षेत्रों में उनकी पहचान करने वाले संकेत लगाए गए हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि श्रमिक लेजर वर्गीकरण के अनुसार उपयुक्त PPE का उपयोग करें।
- लेजर का प्रबंधन करने या उनके साथ काम करने के लिए औपचारिक कार्य-वशिष्ट प्रक्रियाओं को लागू करना।
- अग्नि-निवारण एवं नियंत्रण उपायों सहित औपचारिक आपातकालीन प्रक्रियाओं को लागू करना।
- सत्यापित करना कि लेजर प्रणालियों का कैलब्रेशन और परीक्षण निर्माता की सफ़ाईशो के अनुसार किया जाता है।
- ऑपरेशन से पहले लेजर प्रणाली की सभी कमियों को ठीक करना।

35.2.3 प्रशिक्षण

लेजर सुरक्षा जागरूकता

वे प्रभावित श्रमिक, जो लेजर के साथ या उसके नकट काम करते हैं, उन्हें शुरुआती असाइनमेंट के समय लेजर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- लेजर रेडिएशन के प्रभाव, वे खास खतरे, जनिसे श्रमिकों को सामना करना पड़ सकता है, तथा उन खतरों को कैसे नयित्त्रि कयिा जाता है ।
- सुरक्षित कार्य पद्धतयिं ।
- आपातकालीन कार्यवाही ।

लेजर सुरक्षा

लेजर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित अधिकृत श्रमिकों को कार्यभार देने पर तथा उसके बाद प्रतिवर्ष लेजर सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में कम से कम ये शामिल होने चाहिये:

- सुविधा केंद्र में मौजूद लेजरस के प्रकार ।
- सुविधा केंद्र में मौजूद लेजरस के जोखिम से संभावित खतरे ।
- जोखिम का स्तर और परणामी खतरे ।
- खतरो से जुड़े जोखिमों के मूल्यांकन के परणाम ।
- सुरक्षित कार्य पद्धतियाँ ।
- आपातकालीन कार्यवाही ।

35.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएँ देखे ।

Nike को सुवधि केन्द्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- लेजर सुरक्षा जोखमि मूल्यांकन





36. एर्गोनॉमिक्स

36.1 मानक

सुवधि केंद्र को एर्गोनॉमिक के खतरो से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके लागू करना होगा।

36.2 आवश्यकताएं

36.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को कार्यस्थल के कार्यों में एर्गोनॉमिक्स जोखिम का मूल्यांकन करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, ताकि यह नरिधारित किया जा सके कि उन्हें एर्गोनॉमिक्स जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए या नहीं। इसमें कम से कम ये चीजें शामिल हैं:

- खतरा पहचानना। कार्यों और उनसे जुड़े एर्गोनॉमिक खतरो की पहचान करना।
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरो से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- नयितरण के उपाय। जोखिमों को कम करने के लिए नयितरणों की पहचान करना (जैसे, कार्य क्षेत्र डज़ाइन, कार्य का रोटेशन)।

36.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को एर्गोनॉमिक खतरो से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- मस्क्युलोस्केलेटल विकारों (MSD) की शुरुआती रपिर्टिंग, उनके संकेत और लक्षण, तथा MSD के खतरे।
- एक ऐसी प्रक्रिया का विकास करना जिसमें श्रमिकों की भागीदारी को महत्व दिया जाए, जिसमें एर्गोनॉमिक्स के बारे में समय-समय पर संचार और एर्गोनॉमिक्स संबंधी चर्चाओं से संबंधित श्रमिकों के सुझावों की समीक्षा शामिल हो।
- एर्गोनॉमिक खतरो या चोट की प्रवृत्तियों की रपिर्टिंग के ज़रिए प्रस्तुत एर्गोनॉमिक समस्याओं को ठीक करने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित करना।
- दोहरावपूर्ण गतिविधियों में लगे श्रमिकों के लिए ब्रेक या गतिविधि में बदलाव के अवसर मुहैया कराना।
- व्यक्तिगत कार्यस्थानों का मूल्यांकन।

संसाधन

ये संसाधन एर्गोनॉमिक्स CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- चोट और रोग प्रबंधन CLS

- उपकरणों और प्रक्रियाओं के डज़ाइन में एर्गोनॉमिक्स को शामिल करना।
- संरक्षित समूहों के लिए समायोजन करना। संरक्षित समूहों के उदाहरणों में गर्भवती महिलाएं, वृद्ध श्रमिक और अक्षमताओं वाले श्रमिक शामिल हैं।



अनुशंसित प्रक्रिया

सुवधि केंद्र को इन चीजों के लिए कार्यात्मक क्षमता मूल्यांकन (FCE) का उपयोग करना चाहिए:

- कार्य की आवश्यकताओं और पर्यावरणीय मांगों को परिभाषित करें।
- कार्य के लिए उपयुक्तता का वस्तुनष्ठ तरीके से आकलन करें।
- एर्गोनॉमिक खतरों से निपटने के लिए प्रभावी सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा कार्यक्रम और श्रमिक सुविधाओं के बारे में जानकारी दें और उनका विकास करें।

नष्टिपक्ष न्युक्ति और रोजगार अभ्यासों में सहायता करने के लिए FCE को स्थानीय कानूनों और अन्य आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

36.2.3 प्रशिक्षण

एर्गोनॉमिक-संबंधी खतरों वाले कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण से गुजरना होगा जिनमें ये शामिल हैं:

- खास कार्य से जुड़े एर्गोनॉमिक खतरे और एर्गोनॉमिक जोखिम कारकों को कम करने के लिए स्टैंडर्ड कार्य प्रक्रियाएं।
- सामान्य MSD के संकेत और लक्षण।
- MSD के संकेतों और लक्षणों की शीघ्र रिपोर्ट करने का महत्व तथा ऐसा न करने के परिणाम।
- कार्यस्थल पर MSD के संकेतों और लक्षणों की रिपोर्ट कैसे करें।
- MSD खतरों से जुड़ी नौकरियां, कार्य गतिविधियां और जोखिम के कारक।
- जोखिम कारकों को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली वधियां, टूल या उपकरण।
- साइट के एर्गोनॉमिक्स कार्यक्रम की वशिष्टताएं।

36.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- एर्गोनॉमिक जोखिम मूल्यांकन
- व्यक्तिगत एर्गोनॉमिक कार्यस्थान का मूल्यांकन



37. ताप तनाव नविवरण

37.1 मानक

सुवधि केंद्र को कार्यस्थल पर ताप तनाव से जुड़े जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके लागू करना होगा।

37.2 आवश्यकताएं

37.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को ताप तनाव जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- खतरा पहचानना। ताप से संबंधित खतरों की पहचान करना।
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- नयित्रण के उपाय। जोखिम को कम करने के लिए नयित्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, मैकेनिकल वेंटिलेशन, हाइड्रेशन, नविवारक रक्विवरी अवधि (PRP))।

37.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को ताप से उत्पन्न बीमारियों और चोटों से जुड़े जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- ऐसे कार्यस्थलों और कार्य के असाइनमेंट की पहचान करना, जहां तापजन्य तनाव की संभावना हो।
- वशिष तौर पर कर्मबद्ध दलों में, पर्यावरणीय परिस्थितियां (जैसे, वायु तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, वायु गति)।
- कार्य क्षेत्र में ताप के स्रोतों (जैसे, गर्म ओवन, भट्टियां) की उपस्थिति।
- एक औपचारिक ताप तनाव नविवरण कार्यक्रम का विकास और कार्यान्वयन करना, जिनमें ये शामिल हैं:
 - ताप के खतरों से संबंधित जोखिम कारकों की पहचान करना।
 - कार्यक्रम के लिए भूमिकाएं और जम्मेदारियां नयित करना।
 - यह नयित्धारित करना कि कार्यक्रम कब कार्यान्वयित किया जाएगा।
 - जोखिमों को समाप्त करने या कम करने के लिए नयित्रण के उपायों का विकास और कार्यान्वयन करना।
 - सुरक्षात्मक कपड़ों का चयन और वितरण करना।



- ताप से उत्पन्न बीमारियों के जोखिम को समाप्त करने या कम करने के तरीकों की पहचान करना, जनिमें शामिल है:
 - ज़रूरत के हिसाब से शफ्ट के दौरान जल की पुनःपूर्ति।
 - नविरक रकिवरी अवधि के लिए छाया तक पहुंच।
 - ऐसे कपड़ों या सुरक्षात्मक गियर का उपयोग जो किसी कर्मचारी की अतिरिक्त गर्मी से छुटकारा पाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
 - संभावित ताप से होने वाली बीमारी के लक्षणों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना।
 - आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए संपर्क के प्रावधान।
 - प्रशिक्षण की आवश्यकताएं।
- नमिनलखित मार्गदर्शन का उपयोग करके कार्यस्थल पर आरामदायक और सुरक्षित तापमान की स्थिति मुहैया कराना:
 - **बैठे-बैठे काम करना।** $16^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ ($60^{\circ}\text{F} - 86^{\circ}\text{F}$)।
 - **शारीरिक प्रयास से संबंधित कार्य।** $13^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$ ($55^{\circ}\text{F} - 81^{\circ}\text{F}$)।
 - यदि कार्यस्थल पर तापमान की सीमाओं को बनाए नहीं रखा जा सकता है, तो ताप / शीत तनाव प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें ताप तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए इंजीनियरिंग नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और / या PPE शामिल है।
 - हर श्रमिक को प्रतिघंटे एक लीटर (क्वार्ट) तक पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल का प्रावधान करना। जब तापमान 30°C (86°F) से अधिक हो जाए, तो पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ उपलब्ध कराना चाहिए।
 - पूरी शफ्ट के दौरान श्रमिकों को छाया की सुविधा मिलनी चाहिए। किसी शफ्ट में एक साथ 25% श्रमिकों के रहने के लिए पर्याप्त छाया होनी चाहिए।
- यदि वाहन के अंदरूनी भाग का उपयोग छाया प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो उसमें एयर कंडीशनर चालू होना चाहिए।
- धातु भंडारण शेड और अन्य बाहरी इमारतों को छायादार वातावरण तब तक नहीं माना जा सकता है, जब तक कि वे खुली हवा में छाया के बराबर ठंडा वातावरण प्रदान न करें (अर्थात्, उन्हें यांत्रिक रूप से हवादार होना चाहिए या हवा की आवाजाही के लिए खुला होना चाहिए)।
- छाया सुलभ होनी चाहिए — 200 मी या पैदल 5 मिनट की दूरी के भीतर।
- नविरक रकिवरी अवधि (PRP) के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। यदि किसी श्रमिक को लगता है कि ताप से उबरने के लिए उसे आराम की आवश्यकता है या यदि श्रमिक में ताप से होने वाली बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो PRP आवश्यक है।

37.2.3 प्रशिक्षण

सभी श्रमिक

गैर-सुपरवाइज़री और सुपरवाइज़री श्रमिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जनिमें ये शामिल हैं:

- ताप से होने वाली बीमारियों से जुड़े पर्यावरणीय और व्यक्तिगत जोखिम के कारक।
- तापजन्य बीमारी के स्टैंडर्ड के अनुपालन के लिए सुविधा केंद्र की प्रक्रियाएं।
- पीने के पानी का महत्व।
- अनुकूलन का महत्व, इसे कैसे वकिसति किया जाए तथा सुविधा केंद्र की प्रक्रियाएं इस पर कैसे ध्यान देती हैं।
- ताप से होने वाली बीमारी की रोकथाम, लक्षण और पहचान।

गैर-सुपरवाइज़री श्रमिकों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए:

- यदि वे गर्मी के प्रति अनुकूलित नहीं हैं, तो सुपरवाइज़र को सूचित करें। जब तक श्रमिकों का शरीर अनुकूल नहीं हो जाता, उन्हें अधिक बार ब्रेक लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें आमतौर पर 4 से 14 दिन लगते हैं।
- थोड़ी डी मात्रा में पानी पिएं, प्रति घंटे तीन से चार 240 मिली (8 औंस) कप।
- छायादार क्षेत्र में ब्रेक लें और ताप से उबरने के लिए समय दें।
- अत्यधिक ताप के दौरान शराब और कैफीन के सेवन से बचें या सीमित रूप में लें, क्योंकि ये दोनों शरीर को डेहाइड्रेट करते हैं।
- यदि उन्हें या किसी अन्य श्रमिक को चक्कर, मतली, कमजोरी या थकान महसूस होने लगे, तो सुपरवाइज़र को सूचित करें। यदि समस्या बनी रहे, तो चिकित्सीय सहायता लें।
- उपयुक्त कपड़े, सनस्क्रीन और हैट पहनें।
- संभावित तापजन्य बीमारी के लक्षणों पर प्रतिक्रिया करने की प्रक्रियाओं को समझें, जिसमें यह भी शामिल है कि यदि ज़रूरी हो, तो आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं कैसे मुहैया कराई जाएंगी।
- आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करें और यदि ज़रूरी हो, तो श्रमिकों को ऐसे स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए, जहां आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उन तक पहुंच सकें। कार्यस्थल पर पोस्टिंग में नकिटवर्ती अस्पताल या आपातकालीन देखभाल सुविधा केंद्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।



- आपातकालीन चकित्सा सेवाओं के लिए कार्यस्थल पर स्पष्ट और सटीक दशिया नरिदेश देने की प्रक्रियाओं को समझे। शर्मको की सड़क मानचित्रों तक पहुंच होनी चाहिए, जिन पर फ्रीलड की लोकेशन स्पष्ट रूप से अंकित हो, ताकि आपातकालीन उत्तरदाताओं को दशिया-नरिदेश दिए जा सकें।
- ताप से होने वाली बीमारियों के बारे में संक्षिप्त सुरक्षा रमिडंडर साझा करने के लिए रफिशर प्रशिक्षण या बैठके आयोजित करें। इन्हें बार-बार किया जाना चाहिए, विशेषकर उच्च तापमान के दौरान।

सुपरवाइज़री कर्मचारी

सुपरवाइज़री कर्मचारियों को इसके अतिरिक्त इन वषियों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए:

- सुपरवाइज़र्स की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि ताप तनाव नयिमों का पालन किया जाए।
- जब शर्मको में संभावित गर्मी से होने वाली बीमारी के लक्षण दिखाई दें, तो सुपरवाइज़र्स को क्या करना चाहिए।
- यदि ज़रूरी हो, तो आपातकालीन चकित्सा सेवाएं कैसे मुहैया कराई जाएंगी।
- आपातकालीन चकित्सा सेवा प्रदाताओं से कैसे संपर्क किया जाएगा।
- शर्मको को किस प्रकार उस स्थान तक पहुंचाया जाएगा, जहां ज़रूरत पड़ने पर आपातकालीन चकित्सा सेवा प्रदाता उन तक पहुंच सकें।
- किसी आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन उत्तरदाता को ज़रूरत के हिसाब से कार्यस्थल के लिए स्पष्ट एवं सटीक दशिया नरिदेश कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे।

37.3 रकिर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएँ देखें।



38. रेडिएशन सुरक्षा

38.1 मानक

सुवधि केंद्र को आयोनाइजिंग रेडिएशन (IR) और गैर-आयोनाइजिंग रेडिएशन (NIR) के स्रोतों से जुड़े जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके लागू करना होगा।

38.2 आवश्यकताएं

38.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक रेडिएशन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना।** IR और NIR के स्रोतों और संबंधित खतरों की पहचान करना।
 - IR के स्रोतों में रेडियोधर्मी स्रोत वाले उपकरण शामिल हैं, जो अल्फा, बीटा, गामा (एक्स-रे) या न्यूट्रॉन कण उत्सर्जित करते हैं। उपकरणों में घनत्व गेज, एक्स-रे फ्लोरोसेंस (XRF) उपकरण, मेडिकल एक्स-रे मशीनें शामिल हैं।
 - NIR के उदाहरणों में अल्ट्रावायलेट (UV) प्रकाश, इंफ्रारेड प्रकाश, दृश्य प्रकाश, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगें, तथा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्षेत्र (EMF) शामिल हैं। उपकरण में लेजर, मैग्नेट और पॉवर की लाइनें शामिल हैं।
- **जोखिम का मूल्यांकन।** पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय।** जोखिम के खतरों को कम करने या समाप्त करने के लिए आवश्यक नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, मॉनिटरिंग, गार्डिंग, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण [PPE])।

38.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को रेडिएशन के कारण होने वाले शारीरिक चोट के खतरों के जोखिमों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- अधिक जोखिम से बचाने के लिए रेडिएशन के स्रोतों को सुरक्षा एवं इंटरलॉक के साथ इस्टॉप किया जाना चाहिए।
- किसी व्यक्ति के लिए वार्षिक व्यावसायिक सम्पूर्ण शरीर रेडिएशन जोखिम 3 रेम प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- कार्य क्षेत्रों को केवल अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित होना चाहिए।
- रेडिएशन स्रोतों वाले कार्य क्षेत्रों में इस तरह के पहचान करने वाले संकेतक लगाए जाने चाहिए।
- वनियमों के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से उच्च जोखिम वाले श्रमिकों के लिए चिकित्सा निगरानी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- रेडिएशन स्रोत के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में जवाबी प्रक्रियाएं।
- सुवधि केंद्र में रेडिएशन स्रोतों से नफिटने या उनके साथ काम करने के लिए औपचारिक कार्य वशिष्ट प्रक्रियाएं होनी चाहिए।
- सुवधि केंद्र में औपचारिक आपातकालीन प्रक्रियाएं होनी चाहिए।
- रेडिएशन उपकरण का रखरखाव और कैलब्रेशन नर्माता की सफािशो के अनुसार किया जाना चाहिए।
- रेडिएशन जोखिम को न्यूनतम करने के लिए सुवधि केंद्र को सुरक्षित कार्य पद्धतियां डिज़ाइन करनी होंगी।



38.2.3 वार्षिक समीक्षा

सुवधि केंद्र को रेडएिशन सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षाएं प्रतविर्ष करनी चाहिए तथा नए उपकरण प्राप्त होने, स्थानांतरण या बड़े परविर्तन होने पर इसमें नमित्तलखिति चीजे शामिल होनी चाहिए:

- प्रक्रियाएं
- रेडएिशन का सर्वेक्षण
- इंटरलॉक
- रसाव और पररिक्षण
- डोसमिटरी (अगर जरूरी हो)
- श्रमिक का मूल्यांकन

38.2.4 प्रशिक्षण

रेडएिशन सुरक्षा जागरूकता

प्रभावति श्रमिकों को शुरुआती असाइनमेंट देने के समय रेडएिशन सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- रेडएिशन के प्रभाव।
- वे वशिष्ट खतरे, जिनसे श्रमिकों को सामना करना पड़ सकता है तथा उन खतरो को कैसे नयित्ति कथिा जाता है।
- सुरक्षति कार्य पद्धतियां।
- आपातकालीन कार्यवाही।

रेडएिशन सुरक्षा

रेडएिशन स्रोतों के साथ सीधे काम करने वाले व्यक्तियों को शुरुआती असाइनमेंट देने के समय और उसके बाद प्रतविर्ष रेडएिशन सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। प्रशिक्षण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- सुवधि केंद्र में मौजूद रेडएिशन के प्रकार।
- सुवधि केंद्र में मौजूद रेडएिशन स्रोतों के जोखिम के संभावति खतरे।
- जोखिम का स्तर और परणामी खतरे।
- खतरे के मूल्यांकन के परणाम।
- सुरक्षति कार्य पद्धतियां।
- आपातकालीन कार्यवाही।

38.3 रकिॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- रेडएिशन सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन

Nike को कुछ रकिॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- वार्षिक समीक्षा। न्यूनतम तीन वर्ष।



39. व्यावसायिक जोखिम की सीमाएं

39.1 मानक

सुविधा केंद्र को श्रमिकों के शारीरिक, जैविक और रासायनिक जोखिम से जुड़े खतरों को कम करने या न्यूनतम करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करना होगा। इसमें जोखिम को ऐसे स्तर पर बनाए रखना शामिल है, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक हो, तथा जहां उपलब्ध हो, या स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय थ्रेशोल्ड के अनुसार परिभाषित हो, वहां जोखिम को कम से कम स्थापित व्यावसायिक जोखिम सीमाओं (OEL) से नीचे लाना शामिल है।

39.2 आवश्यकताएं

39.2.1 जोखिम का आकलन

सुविधा केंद्र को OEL जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। प्रक्रिया और / या कार्य क्षेत्र से जुड़े खतरों की पहचान करना (शारीरिक, जैविक और रासायनिक खतरों सहित)।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना (आवश्यकतानुसार उपलब्ध OEL से तुलना के लिए नमूना लेना भी शामिल है)।
- **नियंत्रण के उपाय**। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना (आवश्यकतानुसार उपलब्ध OEL से तुलना के लिए नमूना लेना भी शामिल है)।

संसाधन

ये संसाधन व्यावसायिक जोखिम सीमा CLS का अनुपालन करने में सुविधा केंद्रों की मदद करते हैं:

- [Nike Industrial Hygiene Playbook](#)
- [Nike Chemistry Playbook](#)
- [American Conference of Governmental Industrial Hygienists \(ACGIH\)](#) (अमेरिकी सरकारी औद्योगिक स्वच्छता विशेषज्ञों का सम्मेलन (ACGIH))
- [थ्रेशोल्ड सीमा मान \(TLV\)](#)
- [जैविक जोखिम सूचकांक \(BEI\)](#)
- [रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है CLS](#)
- [व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण \(PPE\) CLS](#)
- [व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन CLS](#)
- [श्वसन सुरक्षा CLS](#)



39.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुविधा केंद्र को प्रत्येक प्रक्रिया और / या कार्य क्षेत्र से जुड़े जोखिम घटाने या कम से कम करने की प्रक्रियाएं लागू करनी होंगी। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

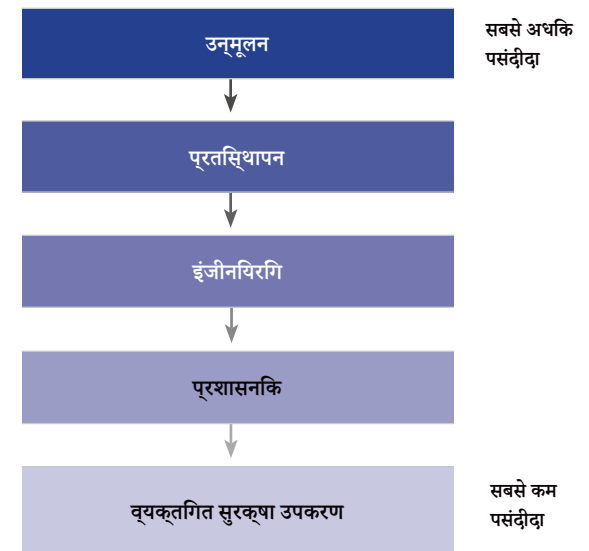
- खतरों का रोकथाम करना
 - ऐसी सभी सामग्रियों, प्रक्रियाओं और उपकरणों के अनुमोदन के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया स्थापित करें, जो भवन संचालन (जैसे, एस्बेस्टस, PCB) सहित श्रमिकों के जोखिम को प्रभावित कर सकती है।
 - कम खतरनाक या गैर-खतरनाक सामग्री और प्रक्रियाओं का विकल्प के रूप में उपयोग करें। रसायनों का प्रबंधन उचित रूप से किया जाता है CLS देखें।
- सभी शारीरिक, जैविक और रासायनिक खतरों के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के साथ एक जोखिम मूल्यांकन कार्यक्रम की स्थापना करना।
- व्यक्तिगत जोखिम को समय भराई और (TWA) सीमा और अल्पकालिक जोखिम सीमा (STEL) या उच्चतम सीमा (CL) के अंतर्गत रखने के लिए दीर्घकालिक औसत सांद्रता के आवधिक नमूने और मूल्यांकन के साथ जोखिम मॉनिटरिंग कार्यक्रम की स्थापना करना।
- सत्यापित करें कि जोखिम मॉनिटरिंग और परीक्षण उपकरणों का कैलिब्रेशन, निरीक्षण और रखरखाव किया जाता है
- जोखिम संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना की जांच करने के लिए श्रमिकों की शकियता और स्वास्थ्य निगरानी रिकॉर्ड की समीक्षा करना।

- स्वीकार्य जोखिम सीमाओं के लिए, सुविधा केंद्र को उन स्टैंडर्ड का चयन और अनुपालन करना होगा, जो कार्यस्थल पर श्रमिकों को अधिकतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं:
 - उनके देश के कानून और / या स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताएं
 - अमेरिकी सरकारी औद्योगिक स्वच्छता विशेषज्ञों का सम्मेलन (ACGIH)
 - थ्रेशोल्ड सीमा मान (TLV)
 - जैविक जोखिम सूचकांक (BEI)
 - U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (अमेरिकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन (OSHA))
- PPE के उपयोग से पहले प्रदूषकों को जोखिम सीमा से नीचे बनाए रखने के लिए इंजीनियरिंग नियंत्रणों (जैसे, स्थानीय निकास या सामान्य वेंटिलेशन) पर विचार किया जाना चाहिए। (नियंत्रणों का पदानुक्रम देखें, चित्र 1.) जब इंजीनियरिंग नियंत्रण प्रदान किए जाते हैं:
 - स्थानीय उत्सर्जन को सीधे बाहर या प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों तक छोड़ा जाना चाहिए।
 - हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) आउटडोर एयर इंटेक और दूसरे वेत संदूषण के संभावित स्रोतों के पास नहीं होने चाहिए (जैसे कि, निकास से नीचे की ओर की हवा, ऐसे स्थानों के पास जहां मोटर वाहन के उत्सर्जन जमा हो जाते हैं)।
- जोखिम नियंत्रण उपकरण का निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा उसे अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखने के लिए उसका रखरखाव किया जाना चाहिए।
- जब परीक्षण से यह पता चलता है कि जैविक खतरे (जैसे, लीजियिनेला, फफूंद) अस्वीकार्य स्तर तक मौजूद हैं, तो सुविधा केंद्र में उनके लिए उपचार योजना होनी चाहिए।

चित्र 1.

नियंत्रण का पदानुक्रम

पदानुक्रम में नीचे की ओर बढ़ने पर, स्वास्थ्य जोखिम नियंत्रण की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता कम होती जाती है।





व्यावसायिक स्वच्छता कार्यक्रम

व्यावसायिक स्वच्छता कार्यक्रम में कम से कम इन्हें शामिल होना चाहिए:

- खतरा पहचानना
- जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया
 - गुणात्मक
 - मात्रात्मक
- नियंत्रण का पदानुक्रम:
 - उन्मूलन
 - प्रतस्थापन
 - इंजीनियरिंग
 - प्रशासनिक
 - PPE
- चिकित्सा (स्वास्थ्य की निगरानी)
- प्रशिक्षण
- रिकॉर्ड का रखरखाव करना

फफूंद

सुवधि केंद्र को फफूंद नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करनी होंगी।

प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होना चाहिए:

- सुवधि केंद्र में अत्यधिक नमी के जमाव को रोकने के लिए हर उचित सावधानी बरतना। यह सत्यापित करना कि खड़कियाँ और छतों से रिसाव न हो, ताकि फफूंद की वृद्धि और फैलाव को न्यूनतम किया जा सके।
- संदग्ध और ज्वात उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, दोनों का नियमित रूप से देखकर निरीक्षण करना।
- स्थानीय कानून के अनुसार, वार्षिक आधार पर या आवश्यकतानुसार, आंतरिक वायु गुणवत्ता (IAQ) और फफूंद का नमूना लेने के लिए तृतीय-पक्ष के ठेकेदार का उपयोग करना।
- दस्लाई देने वाले फफूंद वाले स्थानों की अच्छी तरह से जांच करें, क्योंकि फफूंद दीवारों के अंदर, वॉलपेपर के नीचे, सब फ्लोर में, कालीनों के नीचे तथा अन्य पता लगाने में कठिन जगहों में छिपी हो सकती है।
- नमी के स्रोत की पहचान करने और उसे समाप्त करने के बाद यथाशीघ्र सुधार कार्य करना। उपचार से पहले, आस-पास के क्षेत्रों में फफूंद, फफूंद बीजाणुओं और मलबे को फैलने से रोकने के लिए रोकथाम (बाड़ा) खड़ा किया जाना चाहिए।
- भवन में रहने वालों को फफूंद की उपस्थिति तथा उसके उपचार हेतु की जाने वाली सभी कार्रवाई के बारे में सूचित करना। नविसर्गियों को तत्काल क्षेत्र से बाहर निकाला जाना चाहिए।
- फफूंद उपचार के पूरा होने के बाद तथा बाड़े या नियंत्रण को हटाने और क्षेत्र को मुक्त करने से पहले स्थानीय कानूनों के अनुसार निकासी परीक्षण का संचालन करना।

39.2.3 प्रशिक्षण

व्यावसायिक जोखिम के लिए प्रबंधन और सुपरवाइज़री निरीक्षण वाले सभी श्रमिकों को शुरुआती असाइनमेंट देने के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष आधारभूत OEL प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- जोखिम की सीमाओं के लिए ऐसे स्टैंडर्ड का चयन करना, जो कार्यस्थल पर श्रमिकों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं: उनके देश के कानून और / या स्वास्थ्य आवश्यकताएं, ACGIH, TLV या OSHA।
- शारीरिक, जैविक और रासायनिक खतरों को पहचानना।
- जोखिम के मार्ग (जैसे, सांस लेना, त्वचीय अवशोषण, खुले घाव द्वारा)।
- खतरे का मूल्यांकन: जोखिम आकलन और एक्सपोज़र का आकलन।
- जोखिम मॉनिटरिंग की वधियाँ।
- नियंत्रण के पदानुक्रम का उपयोग करके शारीरिक, जैविक और रासायनिक खतरों को नियंत्रित करना:
 - इंजीनियरिंग नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण, PPE और श्वसनयंत्र
- सुरक्षा डेटा शीट (SDS) को समझना और उनका उपयोग करना।

जोखिम नियंत्रण उपकरण का संचालन और रखरखाव करने वाले श्रमिकों को कम से कम निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा:

- HVAC प्रणालियों और स्थानीय निकास उपकरणों के लिए वशिष्ट परचालन और रखरखाव प्रक्रियाएं।
- PPE का उपयोग और रखरखाव।



39.3 एब्रेसिव ब्लास्टिंग परशिष्ट

यह परशिष्ट परधान उत्पादों पर एब्रेसिव ब्लास्टिंग से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं को बताता है। Nike के सभी परधान उत्पादों पर फ़िनिशिंग तकनीक के रूप में एब्रेसिव ब्लास्टिंग प्रतबंधित है, क्योंकि एब्रेसिव में सलिकोसिस का जोखिम अधिक होता है और इसके जोखिम को न्यंत्रित करना कठिन होता है।

सुवधि केंद्र को परधान उत्पादों पर एब्रेसिव ब्लास्टिंग से संबंधित वर्तमान और भविष्य के श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को विकसित और कार्यान्वित करना होगा।

39.4 आवश्यकताएं

39.4.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को एब्रेसिव ब्लास्टिंग जोखिम का मूल्यांकन करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये शामिल हों:

- साइट पर उन सभी ठेकेदारों और साइट पर उपठेकेदारों की पहचान करना और सूचीबद्ध करना, जो पुरजे, उत्पाद या सेवाएं प्रदान करते हों।
- साइट पर मौजूद उपठेकेदार फिनिशिंग तकनीक के रूप में एब्रेसिव ब्लास्टिंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यह सत्यापित करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करना।

39.4.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को प्रत्येक प्रक्रिया और / या कार्य क्षेत्र से जुड़े जोखिम घटाने या कम से कम करने की प्रक्रियाएँ लागू करनी होंगी। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- एक लिखित नीति विकसित करना, जिसमें कहा गया हो कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं है।
- खतरों का रोकथाम करना:
 - एब्रेसिव ब्लास्टिंग उपकरणों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए और उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए।
 - एब्रेसिव पदार्थों की पहचान की जानी चाहिए और उनका उचित तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। निपटारा का रिकॉर्ड पाँच वर्षों तक बनाए रखा जाना चाहिए।

39.5 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

- सेक्शन 39.4.1 में जोखिम आकलन देखें।



40. व्यावसायिक शोर जोखिम

40.1 मानक

कार्यस्थल पर शोर का स्तर कम करने के लिए सुवर्धित केंद्र को व्यावसायिक शोर जोखिम और श्रवण-संरक्षण कार्यक्रम को तैयार करके लागू करना होगा। कार्यक्रम को श्रमिकों, कार्यस्थल पर कार्यरत ठेकेदारों, तथा कार्यस्थल पर कार्यरत उपठेकेदारों को अत्यधिक शोर से बचाना होगा, जिससे श्रवण हानि हो सकती है।

40.2 आवश्यकताएं

40.2.1 जोखिम का आकलन

सुवर्धित केंद्र को वार्षिक तौर पर व्यावसायिक शोर जोखिम का मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। तेज़ शोर वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए शोर का मूल्यांकन करना। तेज़ शोर वाले क्षेत्रों को 85 dB(A) या उससे अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों (जैसे, सुनने की क्षमता की हानि, एकाग्रता की हानि, अर्गन अलार्म सुनने में असमर्थता) से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। नियंत्रणों के पदानुक्रम (सबसे अधिक से कम प्रभावी तक नीचे सूचीबद्ध) के अनुसार शोर के जोखिम को 85 dB(A) से कम करने के लिए नियंत्रणों का मूल्यांकन:
 - उन्मूलन
 - प्रतिस्थापन
 - इंजीनियरिंग
 - प्रशासनिक
 - व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE)

संसाधन

ये संसाधन सुवर्धित केंद्रों को व्यावसायिक शोर जोखिम CLS का अनुपालन करने में मदद करते हैं:

- [Nike Industrial Hygiene Playbook](#)
- [Nike Chemistry Playbook](#)
- [American Conference of Governmental Industrial Hygienists \(ACGIH\)](#) (अमेरिकी सरकारी औद्योगिक स्वच्छता विशेषज्ञों का सम्मेलन (ACGIH))
- [थ्रेशोल्ड सीमा मान \(TLV\)](#)
- [रसायनों का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है CLS](#)
- [व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण \(PPE\) CLS](#)
- [व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन CLS](#)
- [श्वसन सुरक्षा CLS](#)



40.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र में श्रवण संरक्षण कार्यक्रम होना चाहिए तथा 85 dB(A) से अधिक संभावित शोर स्तर से नपिटने तथा श्रवण हानि के जोखमि को कम करने या समाप्त करने के लिए संबंधित प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए। नीतियों में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- 85 dB(A) या इससे अधिक शोर के संपर्क में आने वाले श्रमिकों की सटीक पहचान करने के लिए शोर जोखमि स्तरों की आवधिक नगिरानी, जिसका औसत आठ कार्य घंटों या आठ घंटे के समय भारति औसत (TWA) पर आधारित होता है।
- जब कार्यस्थल में मशीनरी या उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो शोर के स्तर का पुनर्मूल्यांकन करना।
- उन क्षेत्रों को दर्शाने वाले संकेत बोर्ड लगाना जहां श्रवण सुरक्षा की आवश्यकता है।
- उन क्षेत्रों में श्रवण सुरक्षा उपलब्ध कराना जहां इसकी आवश्यकता है तथा इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- संकेतित शोर स्तरों के लिए श्रवण सुरक्षा की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए उसका मूल्यांकन करना।
- शोर की सैपलिंग प्रत्येक 1.5 वर्ष में या स्थानीय कानून के अनुसार, जो भी अधिक कठोर हो, में पूरी की जानी चाहिए।

टपिपणी: यदि परिवर्तन प्रबंधन (MoC) प्रक्रिया के भाग के रूप में साइट पर नए उपकरण लगाए जाते हैं, तो शोर की अपडेट की गई सैपलिंग अधिक लगातार अंतराल पर की जानी चाहिए।

40.2.3 श्रवण परीक्षण

श्रवण संरक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, सुवधि केंद्र को प्रभावित श्रमिकों के लिए श्रवण परीक्षण उपलब्ध कराना होगा।

- श्रमिकों पर कोई लागत नहीं।
- एक प्रमाणित चिकित्सा पेशेवर द्वारा संचालित।
- ऑडियोमेट्रिक परीक्षण नयुक्ति के समय किए जाते हैं और प्रतर्विर्ष दोहराए जाते हैं।
- परीक्षा परिणाम की अधिसूचना।
- प्रमाणित चिकित्सा पेशेवर द्वारा पहचाने गए श्रवण में किसी भी परिवर्तन के संबंध में फॉलो अप / सुधारात्मक कार्रवाई।

40.2.4 प्रशिक्षण

सभी प्रभावित श्रमिकों के लिए शुरुआती असाइनमेंट के समय तथा उसके बाद कम से कम प्रतर्विर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- सुनने पर शोर का प्रभाव।
- श्रवण सुरक्षा का उद्देश्य।
- विभिन्न प्रकार के श्रवण सुरक्षा के लाभ, हानियाँ और क्षीणन।
- श्रवण सुरक्षा के चयन, फिटिंग, उपयोग और देखभाल पर निर्देश।
- ऑडियोमेट्रिक परीक्षण का उद्देश्य और परीक्षण प्रक्रिया का स्पष्टीकरण।

40.3 रकिॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- व्यावसायिक शोर जोखमि मूल्यांकन
- श्रवण संरक्षण कार्यक्रम

Nike को कुछ रकिॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुवधि केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- शोर मूल्यांकन माप। न्यूनतम पांच वर्ष।



41. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE)

41.1 मानक

सुविधा केंद्र को शर्मकी, ठेकेदारों और वकिरेताओं को कार्यस्थल पर होने वाले खतरो से बचाने के लिए एक PPE कार्यक्रम वकिसति और कार्यान्वति करना होगा, जसिसे शारीरिक चोट या क्षति हो सकती है।

41.2 आवश्यकताएं

41.2.1 जोखिम का आकलन

सुविधा केंद्र को वार्षिक PPE जोखिम मूल्यांकन करके उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जसिमे कम से कम ये चीजे शामिल हों:

- खतरा पहचानना। ऐसे कार्यो और संभावति खतरो की पहचान करना जनिके लिए PPE की आवश्यकता हो सकती है.
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरो से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- नयितरण के उपाय। नयितरण उपायो की पहचान करना और उन्हें लागू करना, जसिमे सर्वप्रथम इंजीनियरिंग नयितरण, तत्पश्चात प्रशासनिक नयितरण तथा अंत मे PPE के उपयोग को ध्यान मे रखा जाना चाहिए।





41.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुविधा केंद्र को सभी श्रमिकों और आगंतुकों के लिए PPE के उपयोग के माध्यम से शारीरिक चोट का जोखिम कम करने या समाप्त करने की प्रक्रियाएँ को लागू करनी होंगी। अतिरिक्त या वैकल्पिक PPE (जैसे, गरिने से सुरक्षा, नथोपरीन दस्ताने, श्वसनयंत्र) को कार्य के लिए आवश्यक होने पर और / या उत्पाद की सुरक्षा डेटा शीट (SDS) पर अनुशंसित होने पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सुविधा केंद्र की PPE नीति और प्रक्रियाओं में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- कर्मचारियों को उपयुक्त PPE निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- PPE को साफ, अच्छी कार्यशील स्थिति में बनाए रखना तथा उचित तरीके से भंडारण करना।
- क्षतिग्रस्त PPE की रिपोर्ट करना।
- कर्मचारियों को क्षतिग्रस्त PPE की मरम्मत या बदलने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना।
- PPE का कम से कम तमिही नरीक्षण किया जाना चाहिए।
- उचित उपयोग के लिए PPE पहनना और अतिरिक्त जोखिम पैदा न करना।
- वर्तमान में उपलब्ध PPE की उपयुक्तता का निर्धारण करना और आवश्यकतानुसार नए या अतिरिक्त उपकरण का चयन करना, जो PPE मूल्यांकन द्वारा अपेक्षित न्यूनतम से अधिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करता हो।
- जहां एकाधिक और एक साथ खतरों का सामना करना संभव हो, वहां उच्चतम स्तर के खतरे से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना या खरीदने की सफारिश करना।
- ऐसे PPE खरीदना जो National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) (राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान (NIOSH)), American National Standards Institute (ANSI) (अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान (ANSI)) और स्थानीय कानूनों के प्रासंगिक, लागू सुरक्षा मानकों को पूरा करता हो।

आँख और चेहरे की सुरक्षा

आँखों की चोटों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी कर्मचारी जो आँखों के लिए खतरनाक क्षेत्रों में काम करते हैं, सुरक्षात्मक चश्मा पहनें।

- प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुविधा केंद्र को अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान (ANSI) Z.87.1 2003 मानक द्वारा निर्धारित सुरक्षात्मक मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चश्मे और/या पॉलीकार्बोनेट नेत्र रक्षक खरीदना होगा।
- जब कर्मचारियों का सामना उड़ते हुए कणों, पघिली हुई धातु, एसडि या कास्टिक तरल पदार्थ, रासायनिक तरल पदार्थ, गैस या वाष्प, बायो प्रोसोल या संभावित रूप से हानिकारक प्रकाश विकिरण से होने वाले खतरों से होता है, तो उपयुक्त रक्षक (साइड प्रोटेक्टर सहित) का उपयोग किया जाना चाहिए।
- जब रासायनिक छीटे से खतरा हो तो चश्मे और फेस शील्ड जैसे सुरक्षात्मक उपाय अवश्य उपयोग में लाने चाहिए।
- फेस शील्ड को केवल प्राथमिक नेत्र सुरक्षा (अर्थात् सुरक्षा चश्मे और गॉगल) के ऊपर ही पहना जाना चाहिए।
- जो कर्मचारी प्रसिक्किशन लेस पहनते हैं, उनके लिए नेत्र रक्षक उपकरण में या तो प्रसिक्किशन को डिज़ाइन में शामिल किया जाना चाहिए या प्रसिक्किशन लेस के ऊपर ठीक से फिट होना चाहिए।
- कॉन्टैक्ट लेस पहनने वालों को खतरनाक वातावरण में आँखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपकरण भी पहनने चाहिए।
- प्रकाश विकिरण से बचाव के लिए उपयुक्त फिल्टर लेस से सुसज्जित उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। रंगीन और छायांकित लेस फिल्टर लेस नहीं होते, जब तक कि उन्हें इस रूप में पहचाना न जाए।





आपातकालीन आँख धोने के स्टेशन

- आपातकालीन आँख धोने के स्टेशन, जिसमें आँख धोने के फव्वारे और ज्यादा पानी की बौछारे शामिल हैं, उन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने चाहिए जहाँ किसी भी श्रमिक की आँखें छोटी उड़ती हुई वस्तुओं या संक्षारक पदार्थों के संपर्क में आ सकती हैं। सुविधा केंद्रों को लागू स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा।
- सभी आपातकालीन आँख धोने के स्टेशन ऐसे स्थान पर स्थिति होने चाहिए जहाँ आपातकालीन स्थिति में उन तक आसानी से पहुँचा जा सके। सुरक्षा शावर को बैटरी चार्जिंग क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए।

श्रवण सुरक्षा

- श्रवण सुरक्षा की आवश्यकता सुविधा केंद्र के उन क्षेत्रों में होती है जहाँ आठ घंटे की समयावधि में शोर का स्तर 85 dB(A) से अधिक पाया जाता है।
- प्रभावित कर्मियों के लिए कान में पहने जाने वाले इयरप्लग प्राथमिक श्रवण सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार की कार्य प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं तथा कर्मचारियों के काम में बाधा नहीं डालते हैं।
- उन सभी क्षेत्रों के प्रवेश द्वारों पर संकेत बोर्ड लगाना जहाँ श्रवण सुरक्षा की आवश्यकता है।
- उपलब्ध कराए गए श्रवण सुरक्षा उपकरण में न्यूनतम शोर न्यूनीकरण रेटिंग (NRR) कारक होना चाहिए, जो समय भारति औसत (TWA) शोर जोखिम को 85 dB(A) या उससे कम तक कम करने के लिए पर्याप्त हो।

श्वसन सुरक्षा

- जहाँ आवश्यक हो, वहाँ उचित NIOSH अनुमोदित श्वसन सुरक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी प्रभावित श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप से श्वसन सुरक्षा के लिए उपकरण लगाए जाने चाहिए, तथा कार्यस्थल पर उपयोग से पहले मास्क का परीक्षण किया जाना चाहिए।
- श्रमिक के संपर्क में आने वाले पदार्थ के आधार पर यह निर्धारित होता है किस प्रकार का मास्क आवश्यक है — कणयुक्त, वायु शोधक या आपूर्तिकी गई वायु।
- रसायनों के साथ काम करते समय, यह निर्धारित करने के लिए SDS से परामर्श करना महत्वपूर्ण है कि मास्क पहनना आवश्यक है या नहीं।

सरि की सुरक्षा

- निर्माण और अन्य खतरनाक कार्यों में लगे सभी श्रमिकों और ठेकेदारों को सरि की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों से सरि में चोट लग सकती है, जैसा कि जोखिम मूल्यांकन में पहचाना गया है।
- इंजीनियरों, नरीक्षकों और निर्माण स्थलों पर आने वाले आगंतुकों को भी सरि की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है, जब स्थिर या गिरती हुई वस्तुओं या बजिली के झटके से खतरा हो।
- नुकीली वस्तुओं के संपर्क से सरि की त्वचा को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तथा मशीनरी में या कम छत वाले क्षेत्रों में काम करते समय बालों को फंसने से बचाने के लिए बम्प कैप और / या स्कल गार्ड अवश्य जारी किए जाने चाहिए तथा उन्हें पहना जाना चाहिए। इन्हें सुरक्षा टोपी या हैट के वकिल्प के रूप में नहीं पहना जा सकता, क्योंकि ये उच्च प्रभाव वाले बलों या गिरती हुई वस्तु के प्रवेश से सुरक्षा प्रदान नहीं करते।



पैरो की सुरक्षा

- पैरो की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ जोखिम के आकलन पर आधारित होती हैं।
- जब श्रमिक पैकेज, पुरजे, भारी उपकरण आदि जैसी वस्तुओं को संभालते हैं, जो गरि सकती हैं, या जब वे अन्य कार्य करते हैं, जहां वस्तुएं पैरो पर गरि सकती हैं, तो उन्हें ठोकर से सुरक्षा वाले जूते या बूट पहनने चाहिए।
- जब श्रमिक पैलेट जैक (मैन्युअल सामग्री प्रबंधन कार) का उपयोग करते हैं, या जब वे अन्य गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जहां सामग्री या उपकरण पैरो पर लुढ़कने की संभावना होती है, तो उन्हें संपीड़न सुरक्षा वाले सुरक्षात्मक जूते या बूट पहनने चाहिए।
- उन क्षेत्रों में पंचर से सुरक्षा देने वाले जूते या बूट की आवश्यकता होती है, जहां श्रमिकों के पैर नुकीली वस्तुओं (जैसे, कीले, तार, कलिलियां, पेच, बड़े स्टेपल, स्क्रैप धातु) पर पड़ सकते हैं, जसिसे पैर में चोट लग सकती है।

गरिने से सुरक्षा

- कृपया गरिने से सुरक्षा संबंधी CLS देखें।

हाथों की सुरक्षा

- रसायनों, कट जाने, फटने, घर्षण होने, छेद हो जाने, जल जाने, जैविक कारकों और हानिकारक तापमान चरम सीमाओं से होने वाले खतरों के समय उचित दस्ताने ज़रूर पहने जाने चाहिए।
- उपयुक्त दस्ताने का चयन दस्ताने की प्रदर्शन विशेषताओं, परिस्थितियों, उपयोग की अवधि और मौजूद खतरों पर आधारित होता है; एक प्रकार का दस्ताना सभी परिस्थितियों में काम नहीं करेगा।

त्वचा की सुरक्षा (दस्ताने के अलावा)

- त्वचा की सुरक्षा तब की जानी चाहिए, जब शरीर पर रासायनिक छीटे पड़ने की संभावना हो; जब वातावरण में ऐसे प्रदूषक मौजूद हों जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हों या त्वचा द्वारा अवशोषित किए जा सकते हों; या जब प्रदूषक किसी श्रमिक द्वारा सड़क पर पहने जाने वाले कपड़ों पर लगे रह सकते हों। आवश्यक कवरेज शरीर के उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसके उजागर होने की संभावना है। एक छोटी, न्यंत्रित प्रक्रिया के लिए, एक एप्रन पर्याप्त हो सकता है। सरि से ऊपर के काम के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कवर की आवश्यकता हो सकती है।
- कर्मचारियों को शरीर के धड़ को कटने, चोट लगने या अन्य खतरों से बचाने के लिए सुरक्षात्मक आवरण, जैकेट, बनियान, एप्रन या पूरे शरीर को ढकने वाले सूट पहनने चाहिए।



41.2.3 प्रशिक्षण

प्रशिक्षण शुरूआती असाइनमेंट के समय तथा उसके बाद कम से कम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- PPE के उपयोग की आवश्यकता वाले कार्य करने की अनुमति दिए जाने से पहले कार्यकर्ता को यह प्रदर्शित करना होगा कि वे प्रशिक्षण को समझते हैं और PPE का उचित उपयोग कर सकते हैं।
- **कौन**। ऐसी नौकरियाँ या भूमिकाएँ जिनमें PPE पहनना अनिवार्य है।
- **क्या**। विभिन्न नौकरियों और क्षेत्रों के लिए आवश्यक PPE के प्रकार, तथा PPE की सीमाएँ।
- **कहाँ**। कार्यस्थल पर और कार्यस्थल से बाहर के क्षेत्र, जहाँ PPE पहनना आवश्यक है।
- **क्यों**। ऐसी सुरक्षा जो PPE से मिलती है।
- PPE का उचित उपयोग, देखभाल, रखरखाव, उपयोगी जीवन और निपटान।
- PPE को सही तरीके से कैसे पहने, उतारे, समायोजित करें और पहनें।
- प्रयोगशाला और मशीन कर्मियों को सामान्य क्षेत्रों (जैसे, हॉलवे, लिफ्ट, भोजन क्षेत्र, शौचालय, कार्यालय) में प्रवेश करने से पहले दस्ताने और लैब कोट उतारने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
- संभावित खतरनाक सामग्रियों या एजेंटों के परिवहन के लिए द्वितीयक कंटेनरों का उपयोग किया जाना चाहिए।

- कर्मचारियों को समय समय पर आवश्यकतानुसार फरि से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए:

- जब नए उपकरण या प्रक्रियाएँ शुरू की जाती हैं, जो नए या अतिरिक्त खतरे पैदा कर सकती हैं, तो PPE आवश्यकताओं का पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- यदि किसी प्रबंधक या सुपरवाइजर को यह विश्वास हो कि पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके किसी व्यक्ति के पास PPE का उचित उपयोग करने के लिए आवश्यक समझ या कौशल नहीं है।
- जब कार्यस्थल या उपलब्ध PPE में इतना अधिक परिवर्तन हो गया हो कि पछिला प्रशिक्षण अप्रचलित हो गया हो।

41.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- PPE जोखिम का मूल्यांकन

Nike को कुछ रिकॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- नरीक्षण के रिकॉर्ड। न्यूनतम तीन वर्ष।



42. व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन

42.1 मानक

सुविधा केंद्र को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण को होने वाला जोखिम कम करने या खत्म करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन करना होगा।

42.2 आवश्यकताएं

42.2.1 जोखिम का आकलन

सुविधा केंद्र को वार्षिक व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन जोखिम का आकलन करके उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- खतरा पहचानना। कार्यस्थल पर शारीरिक, जैविक, रासायनिक, एर्गोनॉमिक और मनोसामाजिक खतरों सहित सभी कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य से जुड़े खतरों की पहचान करना।
- जोखिम का मूल्यांकन। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- नियंत्रण के उपाय। स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना और उन्हें लागू करना (जैसे, जोखिम निगरानी कार्यक्रम, खतरा संचार कार्यक्रम, इंजीनियरिंग नियंत्रण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) कार्यक्रम, और मनोसामाजिक जोखिम रोकथाम)।

संसाधन

ये संसाधन व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन CLS का अनुपालन करने में सुविधा केंद्रों की सहायता करते हैं:

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) CLS
- व्यावसायिक जोखिम की सीमाएँ CLS
- व्यावसायिक शोर जोखिम CLS
- श्वसन सुरक्षा CLS
- एर्गोनॉमिक्स CLS
- चिकित्सा सेवाएं एवं प्राथमिक चिकित्सा CLS
- रक्त-जनित रोगजनक CLS
- स्वच्छता CLS



42.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को स्वास्थ्य संबंधी खतरे कम करने या खत्म करने के लिए प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

क्लिनिक

स्थानीय कानूनों के अनुपालन में ऑन-साइट क्लिनिक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ऑन-साइट देखभाल की क्षमता और दायरे को जोखिम मूल्यांकन, सुवधि केंद्र में शर्मिकों की संख्या और नकिटतम अस्पताल तक पहुंच के अनुसार परिभाषित किया जाना चाहिए। जब ऑन-साइट क्लिनिक उपलब्ध कराए जाते हैं (उदाहरण के लिए 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले स्थान शामिल हैं), नीति और प्रक्रियाओं में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को व्यावसायिक और आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित होना चाहिए।
- मरीजों का प्रवेश, उपचार, परिवहन और छुट्टी।
- चिकित्सा एवं नगिरानी उपकरणों का उपयोग, परीक्षण, रखरखाव एवं कैलब्रेशन।
- अनुपस्थिति रहने वाले कर्मियों को काम पर वापस लाया जाए।
- सभी संक्रामक या संचारी रोगों का प्रत्युत्तर और उपचार।
- सुवधि केंद्र में प्रदान किए गए उपचार के स्तर के लिए उपयुक्त चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति (जैसे, रोगाणु मुक्त दस्ताने, डिसिपोजेबल सुई, सविनी कटि, कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन [CPR] बैरियर मास्क, आटोक्लेव स्टरलाइज़र)।
- स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन।
- प्रत्येक 1,000 कर्मचारियों के लिए कम से कम एक नर्जि बसितर।
- एक यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली जो क्लिनिक को 21° C – 27° C (70° F – 80° F) के बीच के तापमान पर बनाए रखने में सक्षम है।

संक्रामक एवं संचारी रोगों के प्रतिक्रिया

कार्यस्थल और डॉरमेटरी के लिए सुवधि केंद्र की संक्रामक और संचारी रोग की तैयारी और प्रतिक्रिया संबंधी योजना में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- विभिन्न भवनों, विभागों और कार्यों से जुड़े जोखिम के स्तर का आकलन करना।
- घर और सामुदायिक परिवेश में गैर व्यावसायिक जोखिम कारक।
- उन जोखिमों से निपटने के लिए नियंत्रण आवश्यक हैं।
- महामारी की स्थिति में:
 - स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के दृष्टि-नर्देशों से अवगत रहना और उनका पालन करना।
 - कार्यस्थल-वशिष्ट योजनाओं में CLS अनुशंसाओं और संसाधनों को शामिल करना तथा सभी कार्यस्थल सुरक्षा आवश्यकताओं को क्रियान्वित करना।
 - ठेकेदारों और आगंतुकों के प्रोटोकॉल की समीक्षा करना।
- रोग फैलने की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया और अलगाव प्रोटोकॉल।

स्वास्थ्य नगिरानी

सुवधि केंद्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर एक स्वास्थ्य नगिरानी कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें ये नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हों:

- रोजगार के सभी चरणों (रोजगार पूर्व, आधारभूत परीक्षण, नयुक्त पूर्व, बीमारी के बाद) पर कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य का मूल्यांकन।
- कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करना।
- स्वास्थ्य नगिरानी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए एक चिकित्सक, व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या अन्य सक्षम प्राधिकारी की नयुक्त करना।
- नगिरानी कार्यक्रम के परिणामों का वशिलेपण करने तथा सुधारात्मक कार्रवाई एवं चिकित्सा उपचार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक प्रणाली विकसित करना।

स्वास्थ्य प्रचार

सभी कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद करने के लिए नविकरक उपाय किए जाने चाहिए (जैसे, धूम्रपान बंद करना, टेटनस टीकाकरण, हेपेटाइटिस B टीकाकरण, और महिला स्वास्थ्य माह की गतिविधियाँ)।

मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण

सुवधि केंद्र को एक सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण करने के भाग के रूप में, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के उपाय करने होंगे।

वशिष्ट स्वास्थ्य प्रावधान

सुवधि केंद्र के वंदिशी प्रवासी कर्मचारियों के लिए वशिष्ट स्वास्थ्य प्रावधानों में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- रोजगार शुरू करने से पहले कर्मचारियों को नःशुल्क चिकित्सा जांच और टीकाकरण उपलब्ध कराना।
- रोजगार की अवधि के दौरान मेजबान देश में चिकित्सा बीमा प्रदान करना।
- रोजगार अवधि के दौरान चोट और बीमारी के लिए मुआवजा कवरेज प्रदान करना।



42.2.3 प्रशिक्षण

सभी कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित जानकारी और/या प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी

स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को देखभाल प्रदान करने के लिए प्रमाणित होना चाहिए।

अनुशंसित प्रक्रिया

मनो-सामाजिक खतरो की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तीन तरीकों से संपर्क किया जाना चाहिए:

- कार्यस्थल पर खतरो के स्रोतों को संबोधित करके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो कार्य संबंधी जोखिम कारकों को कम करने के लिए मानसिक नुकसान के जोखिम को बढ़ाते हैं।
- कार्य के सकारात्मक पहलुओं और श्रमकों की ताकतों (जैसे, कार्य जीवन संतुलन, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम) पर ध्यान केंद्रित करके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
- कारण की परवाह किए बिना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना (जैसे, उचित उपचार का समर्थन करना, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देना)।

42.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन



43. रक्त-जनति रोगजनक

43.1 मानक

सुवधि केंद्र को ऐसी प्रक्रियाएं और कार्यप्रणालियाँ तैयार करके लागू करनी होंगी जो व्यावसायिक जगह पर रक्त-जनति रोगाणुओं के जोखिम को कम या खत्म करे।

43.2 आवश्यकताएं

43.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक तौर पर रक्त-जनति रोगाणुओं के जोखिम का मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीजें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। रक्त-जनति रोगाणुओं के व्यावसायिक जोखिम से जुड़े खतरों की पहचान करना, जिसमें व्यक्ति, कार्य और व्यावसायिक जगह से जुड़े जोखिम शामिल हैं।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- **नियंत्रण के उपाय**। जोखिम के खतरों को कम करने या समाप्त करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना।

43.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को रक्तजनति रोगाणुओं के व्यवसाय संबंधी जोखिम के खतरों को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। प्रक्रियाओं में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- रक्त और अन्य सभी शारीरिक तरल पदार्थों या अन्य संभावित संक्रामक सामग्रियों से संपर्क को रोकना।
- हाथ धोने की सुवधि आसानी से उपलब्ध कराना।
- संभावित रक्तजनति रोगाणु के दूषित फैलाव को साफ करने के लिए आसानी से उपलब्ध कीटाणुनाशक मुहैया कराना।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रदान करना (जैसे डिसिपोजेबल दस्ताने, कार्डियोपल्मोनरी रीनिमिशन (CPR) माउथ गार्ड)।
- नुकीली वस्तुओं (जैसे कांच, ब्लेड और सिलाई वाली सुई) के लिए नपिटान के कंटेनर उपलब्ध कराना।
- रक्तजनति रोगाणुओं से दूषित होने की आशंका वाले उपकरण, उत्पाद या सामग्रियों को बंद करने योग्य, जैव खतरनाक लेबल वाले बैग और कंटेनर में बंद करके नपिटान करना।
- रक्तजनति सामग्री का नपिटान लाइसेंस प्राप्त, पंजीकृत या सक्षम प्रदाता द्वारा किया जाना चाहिए। खतरनाक अपशष्टि CLS देखें।
- लागू अपशष्टि वनियमों के अनुसार दूषित सामग्रियों का सुरक्षित तरीके से नपिटान करना।



43.2.3 चकित्सा आवश्यकताएं

सुवधि केंद्र को व्यावसायिक जोखिम की स्थिति में संक्रमण के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए चकित्सा प्रक्रियाओं को लागू करना होगा। चकित्सा प्रक्रियाओं में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- टीकाकरण कार्यक्रम और फॉलो अप कार्रवाई श्रमिकों के लिए बना किसी लागत के किसी लाइसेंस प्राप्त चकित्सक द्वारा या उसकी देखरेख में या किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा या उसकी देखरेख में किया जाना चाहिए।
- हेपेटाइटिस B टीकाकरण सीरीज़ उन सभी श्रमिकों को दिया जाना चाहिए, जिनको व्यावसायिक जोखिम हो।
- जनिके साथ कोई दुर्घटना घटी है, उन सभी श्रमिकों के लिए जोखिम के बाद मूल्यांकन और फॉलो अप कार्रवाई।
- चकित्सा प्रक्रियाओं के 15 दिनों के भीतर, प्रभावित श्रमिकों को परीक्षा और परीक्षण के परिणाम की एक प्रति तथा चकित्सा से जुड़ी राय मिलनी चाहिए।

43.2.4 प्रशिक्षण

संभावित व्यावसायिक जोखिम वाले सभी श्रमिकों को शुरुआती नयिकृति के समय और उसके बाद प्रतविष रक्तजनति रोगाणुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में कम से कम ये शामिल होने चाहिए:

- लागू वनियम और प्रक्रियाएं।
- रक्तजनति रोगों की सामान्य व्याख्या।
- जोखिम के मार्ग (जैसे सांस लेने, खुले घाव द्वारा)।
- ऐसे कार्य जो जोखिम का कारण बन सकते हैं।
- नयित्त्रण वधियां और उनकी सीमाएँ।
- PPE का उचित उपयोग और स्थान।
- चकित्सा और जोखिम के बाद की प्रक्रियाएं।
- चेतावनी संकेतक और लेबल।
- दूषित उत्पाद, उपकरण या सामग्रियों के नपिटान की प्रक्रियाएं।

43.3 रकिॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुवधि केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- रक्तजनति रोगाणुओं का जोखिम मूल्यांकन



44. चकित्सा सेवाएं एवं प्राथमिक चकित्सा

44.1 मानक

सुवधि केंद्र को ऐसी घटनाओं पर जवाबी कार्रवाई के लिए प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को तैयार करके लागू करना होगा जिनमें प्राथमिक उपचार या अन्य चकित्सा देखरेख की ज़रूरत होती है।

44.2 आवश्यकताएं

44.2.1 जोखिम का आकलन

सुवधि केंद्र को वार्षिक चकित्सा सेवाओं और प्राथमिक चकित्सा जोखिम मूल्यांकन आयोजित करना और उसका दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसमें कम से कम ये चीज़ें शामिल हों:

- **खतरा पहचानना**। सुवधि केंद्र में उन खतरों और स्थानों की पहचान करना, जिनके परिणामस्वरूप कोई दुर्घटना घटित हो सकती है।
- **जोखिम का मूल्यांकन**। पहचाने गए खतरों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना (प्रत्येक स्थान पर श्रमिकों की संख्या सहित)।
- **नियंत्रण के उपाय**। जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की पहचान करना (जैसे, प्राथमिक चकित्सा के सामान, उपकरण, उत्तरदाता)।

संसाधन

ये संसाधन चकित्सा सेवाओं एवं प्राथमिक चकित्सा CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की मदद करते हैं:

- रक्त-जनित रोगजनक CLS
- चोट और रोग प्रबंधन CLS

44.2.2 नीतियां और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को प्राथमिक चकित्सा प्रक्रियाएं लागू करनी होंगी, जिनमें कम से कम नमिन्लखित शामिल हों:

- किसी भी चकित्सा आपातस्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों (आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से) की स्थापना करना।
- हर टेलीफोन के पास स्पष्ट रूप से अंकित आपातकालीन टेलीफोन नंबर रखना।
- चकित्सा सुवधिओं और आपातकालीन सेवाओं की लोकेशन और उपलब्धता।
- प्राथमिक चकित्सा और चकित्सा उपचार के रिकार्ड का रखरखाव करना।



44.2.3 प्राथमिक चिकित्सा उत्तरदाता

प्राथमिक चिकित्सा उत्तरदाता वह व्यक्ति होता है जिसे प्राथमिक चिकित्सा में प्रमाणपत्र प्राप्त होता है। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अपेक्षित शर्मिकों की संख्या और खतरो के प्रकारों को शामिल करते हुए, सुविधा केंद्र में पर्याप्त संख्या में प्राथमिक चिकित्सा उत्तरदाता होने चाहिए। सुविधा केंद्र को यह सत्यापित करना होगा कि सभी नामित प्राथमिक चिकित्सा उत्तरदाताओं को वार्षिक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण या प्रमाणन प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, सुविधा केंद्र को प्रमाण पत्र प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा कर्मियों के नाम, स्थान और संपर्क जानकारी भी शर्मिकों को बताने होंगे।

44.2.4 प्राथमिक चिकित्सा सामग्री

प्रत्येक सुविधा केंद्र में जोखिम के आधार पर प्राथमिक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। उदाहरणों में प्राथमिक चिकित्सा कटि, स्वचालित बाह्य डेफिब्रिलेटर (AED) और स्ट्रेचर शामिल हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा कटि का मासिक निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा संकेतकों द्वारा कटि के स्थान की पहचान होनी चाहिए। जब कटि के सामानों का उपयोग हो जाए या उसकी समय अवधि समाप्त हो जाए, तो प्राथमिक चिकित्सा कटि का स्टॉक फरि से भरना चाहिए।

सुझाई गई प्रक्रियाएं

- सुविधा केंद्र को कार्य वातावरण में जोखिमों का आकलन करना चाहिए और नीचे बताए गए न्यूनतम मूल्यों के आधार पर प्राथमिक चिकित्सा उत्तरदाताओं को नामित एवं प्रशिक्षित करना चाहिए। (स्थानीय आवश्यकताओं के कारण अधिक संख्या की आवश्यकता हो सकती है।)
 - कम जोखिम वाले वातावरण। प्रत्येक 50 शर्मिकों के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा उत्तरदाता।
 - मध्यम जोखिम वाले वातावरण। प्रत्येक 25 शर्मिकों के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा उत्तरदाता।
 - उच्च जोखिम वाले वातावरण। प्रत्येक 10 शर्मिकों के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा उत्तरदाता।
- सुविधा केंद्र को इस मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए प्राथमिक चिकित्सा कटि और सामान बनाए रखने चाहिए:
 - कार्यालयों जैसे कम जोखिम वाली जगहों में, प्राथमिक चिकित्सा कटि को क्लास A मात्रा की आवश्यकताओं (या किसी भी अतिरिक्त स्थानीय कानून) को पूरा करना चाहिए, ताकमोच और मामूली कट और खरोच जैसी कार्यस्थल पर लगने वाली सामान्य चोटों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो सकें।
 - उच्च जोखिम वाली जगहों में, जिनमें ऐसी जगहें शामिल हो सकती हैं, जहां उपकरण या रसायनों का उपयोग किया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा कटि को संभावित रूप से अधिक गंभीर चोटों से निपटने के लिए क्लास B मात्रा की आवश्यकताओं (या किसी भी अतिरिक्त स्थानीय कानून) को पूरा करना चाहिए।

तालिका 3.

प्राथमिक चिकित्सा कटि के रखरखाव के लिए मात्रा की आवश्यकताएं

सामान	क्लास A मात्राएं	क्लास B मात्राएं
स्टेराइल चपिकने वाली पट्टियां (वभिन्न आकार वाली)	16	50
सोखनेवाले कोप्रेस	2	4
जीवाणुरहति आई पैड	2	2
त्रिकोणीय पट्टियां	1	2
डिस्पोजेबल दस्ताने	2	2
जलन उपचार (एकल उपयोग पैकेट)	10	25
बर्न ड्रेसिंग, जेल में भगीई हुई, 10 सेमी x 10 सेमी (4 इंच x 4 इंच)	1	2



44.2.5 आई वॉश और शॉवर स्टेशन

जब आँखों, चेहरे या शरीर पर रसायनों के जोखिम का खतरा हो, तो आई वॉश और शॉवर स्टेशन की ज़रूरत होती है। उपकरण को इन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

- पानी पीने योग्य होना चाहिए।
- पानी का वेग ऐसा होना चाहिए कि कोई चोट न लगे।
- न्यूनतम प्रवाह दर कम से कम 15 मिनट के लिए 1.5 ली / मिनट (3.1 पटि / मिनट) है।
- इसमें कोई बाहर की ओर नकिलने वाला नुकीला भाग नहीं हो सकता है।
- वायुजनित दूषण को रोकने के लिए नोजल को अवश्य ढका जाना चाहिए।
- नयितरण वाल्व आसानी से पता लगए जाने वाले होते हैं और सक्रिय होने पर बंद किए जाने तक चालू रहते हैं।
- स्टेशनों को खतरनाक सामग्रियों से 30 मी (100 फीट) में होना चाहिए।
- स्टेशन को स्पष्ट संकेतक लगे होने के साथ आसानी से पहुंच योग्य तथा पहचान योग्य होना चाहिए।
- पानी की नोजल फर्श से 83.8 सेमी (33 इंच) और 114.3 सेमी (45 इंच) के बीच स्थिति होनी चाहिए।
- फ्लशिंग दरव के भण्डार वाली स्वनहिती इकाइयों का निर्माण ऐसी सामग्रियों से किया जाना चाहिए जो संक्षारित न हों। फ्लशिंग दरव को वायुजनित प्रदूषकों से बचाया जाना चाहिए।
- स्टेशनों में पानी का तापमान 15° C – 35° C (60° F – 90° F) के बीच बनाए रखा जाना चाहिए।
- सभी उपकरणों और पाइपिंग को जमने वाले तापमान से बचाने के लिए इंसुलेट किया जाएगा।

लाइनों को साफ करने और उचित संचालन की पुष्टि करने के लिए प्लम्ब किए गए आईवॉश स्टेशनों को साप्ताहिक रूप से सक्रिय करना होगा। स्व-नहिती स्टेशनों का नरीक्षण नरिमाता के वनिर्देश के अनुसार करना होगा।

44.2.6 प्रशिक्षण

सभी श्रमकों को उस लोकेशन की प्राथमिक चकित्सा प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमिनलखित शामिल होना ही चाहिए:

- किसी भी ऐसी घटना के लिए संपर्क व्यक्ति, जिसके लिए प्राथमिक चकित्सा या अन्य चकित्सा सहायता की ज़रूरत हो।
- किसी भी कार्य से जुड़ी घटना की रपिर्ट करने का तरीका, जिसमें प्राथमिक उपचार या अन्य चकित्सा सहायता की आवश्यकता हो।
- कार्य क्षेत्र में प्राथमिक चकित्सा उपकरणों के स्थान।
- यदि श्रमिक खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से आँख, चेहरे या शरीर पर चोट लगती है, तो आपातकालीन आईवॉश और शॉवर स्टेशनों का उपयोग कैसे करें।

प्राथमिक चकित्सा उत्तरदाता

प्राथमिक चकित्सा उत्तरदाता के रूप में नामित सभी श्रमकों को प्रमाणित प्राथमिक चकित्सा/AED प्रशिक्षक द्वारा आयोजित प्राथमिक चकित्सा उत्तरदाता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण में न्यूनतम नमिनलखित शामिल होना ही चाहिए:

- वभिन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान वयस्कों और बच्चों की मदद करने के लिए प्राथमिक चकित्सा कौशल की आवश्यकता होती है।
- हृदय और श्वास संबंधी आपातकालीन स्थितिका सामना कर रहे व्यक्तिपर कार्डियोपल्मोनरी रीएनमिशन (CPR) करने के लिए आवश्यक कौशल।
- हृदय संबंधी आपातकालीन स्थितिसे गुजर रहे व्यक्तिपर AED का उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल।
- उन रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों को साफ करने के लिए सुरक्षित तरीकों की आवश्यकता है जिनमें रक्तजनित रोगाणु हो सकते हैं।

प्राथमिक चकित्सा उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा तथा उन्हें प्रतविर्ष या स्थानीय कानून के अनुसार प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराना होगा।

44.3 रकिॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएँ देखें।

Nike को सुविधा केंद्रों में ये बनाए रखना आवश्यक है:

- चकित्सा सेवा और प्राथमिक चकित्सा जोखिम मूल्यांकन

Nike को कुछ रकिॉर्डों को संग्रहित करने के लिए इन सुविधा केंद्रों की भी आवश्यकता होती है:

- नरीक्षण के रकिॉर्ड। न्यूनतम एक वर्ष।
- प्राथमिक चकित्सा कटि संबंधी रकिॉर्ड। न्यूनतम एक वर्ष।



सम्मानति



45. रोजगार स्वैच्छिक है

45.1 मानक

यह सुवधि केंद्र किसी भी प्रकार की आधुनिक गुलामी में संलग्न नहीं है, जिसमें जबरन श्रम (कैद, अनुबंधित, बंधुआ या अन्य) या मानव तस्करी शामिल है।

यह सुवधि केंद्र सभी श्रमिकों के रोजगार पात्रता शुल्क का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें भर्ती शुल्क और संबंधित लागत शामिल है।

सुवधि केंद्र जबरन श्रम के प्रमुख जोखिमों से निपटने के लिए CLS की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है, जैसे कश्रमिकों के लिए आवागमन की स्वतंत्रता को संक्षम बनाना, रोजगार की शर्त के रूप में बांड पोस्ट करने या जमा करने की आवश्यकताओं पर रोक लगाना तथा वशिष्ट कमजोरियों वाले श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना।

संसाधन

यह संसाधन रोजगार स्वैच्छिक है CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करता है:

- ILO सम्मेलन संख्या 29, जबरन श्रम के संबंध में (1930)
- ILO सम्मेलन संख्या 105, जबरन श्रम उन्मूलन सम्मेलन (1957)
- ILO सम्मेलन संख्या 181, नजी रोजगार एजेंसियां सम्मेलन (1997)
- नष्टिपक्ष भर्ती के लिए ILO के सामान्य सदिशांत और परचालन संबंधी दशानरिदेश और भर्ती शुल्क और संबंधित लागतों की परभाषा (2019)
- मानव तस्करी, वशिषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल (तस्करी प्रोटोकॉल) (2000)
- अमेरिकी कानून, तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम (2000), यथा संशोधित





45.2 आवश्यकताएं

45.2.1 कैदी श्रमिक का उपयोग करना नषिद्धि है

सुवधि केंद्र को कैदी श्रमिकों का उपयोग नहीं करना चाहिए या जेलों को उप-अनुबंधित कार्य नहीं देना चाहिए। इसमें उत्पादों के निर्माण में उपयोग की गई कोई भी सामग्री, सामान या सेवा की खरीद शामिल है।

45.2.2 जबरन श्रम नषिद्धि है

सुवधि केंद्र को ऐसी भरती या रोजगार अभ्यासों का उपयोग या भागीदारी नहीं करना चाहिए जो किसी श्रमिक को कार्यस्थल पर करारनामा करता हो अथवा बंधुआ बनाता हो या बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती का उपयोग करके श्रम या सेवाएं प्राप्त करता हो।

श्रमिक दस्तावेज का प्रतधारण

श्रमिकों को रोजगार की शर्त के रूप में मूल दस्तावेज (जैसे, पासपोर्ट, वीजा, कार्य परमिट, यात्रा या नविस परमिट, राष्ट्रीय आईडी, स्कूल प्रमाण पत्र या अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज) नष्टिकता, श्रम एजेंट या अन्य तृतीय पक्ष को सौंपने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। श्रमिकों को अपने दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राशजिमा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

सुवधि केंद्र, श्रम एजेंट या अन्य तृतीय पक्ष, श्रमिकों की ओर से उनके व्यक्तिगत दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सहमति से भी, अपने पास नहीं रख सकते। यह सुवधि केंद्र स्थानीय कानून के अनुसार आवश्यक प्रपत्रों या आवेदनों (जैसे, नविस परमिट, बैंक खाते, वीजा वस्तितार) को संसाधित करने के लिए अस्थायी रूप से मूल पहचान दस्तावेज एकत्र कर सकती है। ये मूल पहचान दस्तावेज उसके तुरंत बाद श्रमिकों को वापस लौटा दिए जाने चाहिए।

जमा

रोजगार की शर्त के रूप में श्रमिकों को जमा करने, बांड पोस्ट करने या अनविर्य बचत योजनाओं में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

श्रमिकों को रोजगार के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए

श्रमिकों को रोजगार पात्रता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिसमें भरती और रोजगार से जुड़ी लागत या शुल्क शामिल है।

45.2.3 आवागमन की स्वतंत्रता

सुवधि केंद्र में श्रमिकों को काम के घंटों के दौरान अपने नियत कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति होनी चाहिए, जिसमें पीने के पानी और शौचालय की सुविधाएं भी शामिल होनी चाहिए। श्रमिकों को भोजन के अवधियों के दौरान या कार्य शफ्ट के बाद सुवधि केंद्र छोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्रमिकों के लिए डॉरमेटरी उपलब्ध कराने वाले सुवधि केंद्र को लागू श्रमिकों को कर्फ्यू नीतियों सहित सुरक्षा अभ्यासों के बारे में बताना होगा। कर्फ्यू उचित होना चाहिए और श्रमिकों को आराम करने तथा गैर-कार्य समय में व्यक्तिगत गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मलिन चाहिए। कर्फ्यू केवल तभी लागू किया जाना चाहिए, जब वैध सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों से ऐसा करना ज़रूरी हो। जहां कर्फ्यू लागू हो, वहां उसे स्थानीय श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों, दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।



45.2.4 प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान

यदि सुवर्धिका केंद्र प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखता है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए तथा सभी सामान्य CLS आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए:

प्रवासी श्रमिक नीति

सुवर्धिका केंद्र में एक लिखित नीति होनी चाहिए, जो भर्ती, रोजगार और प्रत्यावर्तन के पूरे रोजगार चक्र के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए वशिष्ट सुरक्षा को बताती हो। नीति में कम से कम जबरन श्रम पर रोक, नषिपक्ष व्यवहार, श्रमिकों से भर्ती शुल्क और संबंधित लागतों पर रोक, गैर-भेदभाव, आवागमन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, गैर-प्रतशिोध, शकियत प्रणाली और स्थानीय कानून के तहत अन्य आवश्यकताएं शामिल होनी चाहिए।

सुवर्धिका केंद्र को अपनी प्रवासी श्रमिक नीति को श्रम एजेंटों और उप-एजेंटों के साथ-साथ स्वयं प्रवासी श्रमिकों तक भी प्रभावी ढंग से बताना चाहिए, ताकि वे नीति के तहत अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें।

सुवर्धिका केंद्र को प्रवासी श्रमिक नीति के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए कर्मचारियों को उनकी भूमिका और जम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित करना होगा।

जबरन श्रम का नषिध

जबरन श्रम पर सामान्य प्रतबिधों के अलावा, प्रवासी श्रमिकों (और उनके परिवार के सदस्यों) को अनैच्छिक रोजगार के लिए धमकाया नहीं जाना चाहिए या स्वेच्छा से रोजगार समाप्त करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

नषिपक्ष व्यवहार

अपवादस्वरूप उन मामलों को छोड़कर जहां स्थानीय कानून में भिन्न लाभों की आवश्यकता होती है (जैसे, सामाजिक सुरक्षा लाभों का भुगतान), सुवर्धिका केंद्र को प्रवासी श्रमिकों के साथ नषिपक्ष व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें स्थानीय श्रमिकों के समान ही रोजगार की शर्तें प्रदान करनी चाहिए, जिसमें मुआवजा, छुट्टियां और अनुपस्थितिकी छुट्टियां, तथा नयिक्ता द्वारा दिया जाने वाला आवास शामिल है।

सुझाई गई प्रक्रियाएं

1. इस सुवर्धिका केंद्र को साइट पर ऐसा कोऑर्डिनेटर नयिक्त करने या उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो प्रवासी श्रमिकों और प्रबंधन दोनों की भाषाएं बोलता हो।
2. इसके अतरिक्त, सुवर्धिका केंद्र को एक श्रमिक समिति गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो परिसर में सभी राष्ट्रीयताओं का प्रतनिधित्व करती हो। समिति के सदस्यों का चयन श्रमिकों को करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए डॉरमेटरी में भी समितियां सेट अप की जा सकती हैं।



प्रतशिोध न लेना

सुवधि केंद्र को उन प्रवासी श्रमिकों के वरिद्ध सभी प्रकार की प्रतशिोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए जो भर्ती, चयन या रोजगार प्रक्रियाओं के दौरान अपने अनुभवों के बारे में चर्चाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें भर्ती शुल्क और संबंधित भुगतान की गई लागत शामिल है, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

शिकायत प्रणाली

सुवधि केंद्र को प्रवासी श्रमिकों को भेदभाव, धमकी या प्रतशिोध के डर के बिना शिकायत दर्ज करने या गैर-अनुपालन (जैसे शुल्क का भुगतान या अनुरोध) की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित, अनाम, गोपनीय तंत्र प्रदान करना चाहिए। शिकायत-नविवरण तंत्र उन सभी भाषाओं में मुहैया कराया जाना चाहिए, जिनमें प्रवासी श्रमिक समझते हैं (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह समझी जाने वाली)। संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी CLS में प्रभावी शिकायत प्रक्रिया अनुभाग देखें।

भर्ती शुल्क और संबंधित लागतों का भुगतान

अपवादस्वरूप जहां अन्यथा उल्लेख किया गया हो, सुवधि केंद्र को भर्ती से संबंधित सभी शुल्क और लागतों (रोजगार या नयुक्तासुनिश्चित करने के लिए कपि गए खर्च सहित) और रोजगार (वर्दी, काम के उपकरण और सुरक्षा गियर सहित) का सीधे भुगतान करना होगा। सुवधि केंद्र द्वारा सीधे भुगतान कपि जाने वाले शुल्क में नमिनलिखित शामिल है, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- पासपोर्ट, आवश्यक वीजा, कार्य और नविस परमिट, तथा पृष्ठभूमि जांच और बैकग्राउंड सेवाओं जैसी भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य प्रशासनिक लागतें।
- भर्ती सेवाओं के लिए भुगतान, जिसमें भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों देशों में आवेदन, सुझाव, भर्ती, आरक्षण, प्रतबिद्धता या नयुक्ताशुल्क, भर्ती एजेंट सेवा शुल्क (एकमुश्त और आवर्ती दोनों) और उप-एजेंट द्वारा वहन कपि गए शुल्क शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षाओं सहित चिकित्सा जांच, परीक्षण या टीकाकरण से संबंधित लागतें।
- अनविरय सरकारी बीमा लागत, जिसमें श्रमिक स्वास्थ्य या चिकित्सा बीमा और प्रवासी कल्याण नथि में नामांकन शामिल हैं, जिसके लिए सुवधि केंद्र जम्मेदार है।
- श्रमिकों के कौशल स्तर और योग्यताओं को सत्यापित करने या नौकरी से संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षणों की लागत।
- आवश्यक प्रशिक्षणों के लिए व्यय, जिसमें नवनयुक्त श्रमिकों के लिए साइट पर कार्य ओरिएंटेशन तथा प्रस्थान से पूर्व या आगमन के पश्चात ओरिएंटेशन शामिल हैं।

रोजगार पात्रता शुल्क को वेतन से कटौती, लेवी, जमा, गारंटी राशि या अन्य किसी रूप में नहीं काटा जाना चाहिए। मुआवज़ा और लाभों का समय पर भुगतान किया जाता है CLS देखें।

जब सीधे अग्रिम भुगतान करना संभव न हो, यदा श्रमिकों को कानूनी रूप से कोई शुल्क देना आवश्यक हो, या ऐसी स्थिति में यह पता चले कि श्रमिकों ने रोजगार के दौरान किसी भी समय शुल्क का भुगतान किया है, तो सुवधि केंद्र को श्रमिकों को उस शुल्क की तुरंत और पूरी प्रतपूरत करनी होगी। ऐसे शुल्क की प्रतपूरत प्राप्तकर्ता देश में श्रमिक के आगमन के एक माह के भीतर या यह जानने के एक माह के भीतर की जानी चाहिए कि श्रमिक ने शुल्क का भुगतान कर दिया है।





भरती के दौरान यात्रा और आवास की लागत

यदि सुवर्धा केंद्र किसी अन्य देश या क्षेत्र से प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखता है, तो परसिर प्रस्थान कर और शुल्क सहित यात्रा और आवास लागत के लिए जम्मेदार होगा। यात्रा और आवास की लागत में स्क्रीनिंग और भरती के प्रयोजनों के लिए भेजने वाले देश के भीतर यात्रा, आवास और परिवहन के लिए किए गए व्यय और भेजने वाले देश या क्षेत्र में श्रमिकों के निवास के स्थान से प्राप्त करने वाले देश या क्षेत्र में सुवर्धा केंद्र या प्रदान किए गए आवास तक आने-जाने के परिवहन के व्यय शामिल हैं।

सुवर्धा केंद्र को वैध कार्य दस्तावेजों के साथ कार्यस्थल पर आवेदन करने वाले विदेशी प्रवासी श्रमिकों के लिए आने-जाने के परिवहन लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रम एजेंट प्रबंधन

सुवर्धा केंद्र को स्थानीय कानूनों के अनुसार कानूनी रूप से अनुमोदित/पंजीकृत श्रम एजेंटों का उपयोग करना होगा।

श्रम एजेंट का यथोचित परश्रम

सुवर्धा केंद्र प्रवासी श्रमिकों की भरती और उन्हें रोजगार देने के लिए उपयोग किए जाने वाले उप-एजेंटों सहित किसी भी श्रम एजेंट पर गहन यथोचित परश्रम करने के लिए जम्मेदार है। नये श्रम एजेंटों / उप-एजेंटों का चयन तथा मौजूदा श्रम एजेंटों / उप-एजेंटों की नियमित ऑडिट करते समय, इस प्रकार की तत्परता अवश्य बरती जानी चाहिए, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वे कम से कम इन CLS में नहित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। यथोचित परश्रम प्रक्रिया में जोखिम मूल्यांकन तथा श्रम एजेंट की कानूनी स्थिति, नैतिक आचरण तथा उनके वरिद्ध दर्ज की गई शिकायतों की समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

सुवर्धा केंद्र और उसके श्रम एजेंट(एजेंटों) के बीच सेवा समझौते या कानूनी अनुबंधों को कानूनी आवश्यकताओं (भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों देशों की), सुवर्धा नीति और CLS आवश्यकताओं (जैसे श्रमिकों से लिए जाने वाले शुल्क पर प्रतिबंध) का अनुपालन करने के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। इन समझौतों में श्रम एजेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के साथ-साथ भरती के दौरान लगने वाला मदवार शुल्क और अन्य लागते भी शामिल होनी चाहिए।

सुवर्धा केंद्र की प्रवासी कर्मचारी नीति को सभी नए श्रम एजेंटों को स्पष्ट रूप से, लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। सेवा अनुबंधों को नवीनीकृत करते समय या सेवा की शर्तों को बदलते या अद्यतन करते समय नीति को पुनः बताया जाना चाहिए।

प्रवासी कर्मचारी चयन, ओरिएंटेशन एवं प्रशिक्षण

जहां तक संभव हो, सुवर्धा केंद्र को पूरी भरती प्रक्रिया में प्रवासी श्रमिकों की भरती में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक स्तर तक रोजगार के लिए प्रवासी श्रमिकों का अंतिम चयन करना चाहिए।

भरती प्रक्रिया के दौरान, सुवर्धा केंद्र को सभी नौकरी चाहने वालों को भरती और रोजगार की शर्तों और नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा। रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और भेजने वाले देश या क्षेत्र से प्रस्थान करने से पहले, प्रवासी कर्मचारियों को प्रस्थान से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, जो लिंग-संवेदनशील हो और जिसमें उनके अधिकारों का स्पष्ट वर्णन हो।

नियुक्ति करने वाले सुवर्धा केंद्र को प्रवासी कर्मचारियों को उनके देश या क्षेत्र में पहुंचने के बाद तथा उन्हें सौंपे गए कार्य शुरू करने से पहले, उनकी समझ में आने वाली भाषाओं (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह समझी जाने वाली) में ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।



इसके अलावा, सभी ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण प्रवासी कर्मचारियों की समझ में आने वाली भाषाओं (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह से समझी जाने वाली) में आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें नमिनलखित शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- सामान्य प्रशिक्षण (जैसे, ऑनबोर्डिंग, कंपनी की नीति और प्रक्रियाएं)।
- प्रवासी कर्मचारी वशिष्ट प्रशिक्षण (जैसे, प्रवासी श्रमिक नीति, शुल्क का भुगतान करने की रिपोर्ट करने पर गैर प्रतशिोध नीति, आदि)।
- प्रवासी कर्मचारियों के लिए शिकायत प्रणाली।
- कर्मचारियों को यूनियनों, समितियों या कर्मचारी प्रतिनिधित्व के अन्य रूपों में शामिल होने या भाग लेने का अधिकार।
- नौकरी से संबंधित प्रशिक्षण।
- सुरक्षा प्रशिक्षण।

प्रवासी कर्मचारियों के रोजगार अनुबंध

प्रवासी कर्मचारियों को नथिजति करते समय, रोजगार अनुबंधों से संबंधित सामान्य आवश्यकताओं के अतरिक्त (नथिमति रोजगार उपलब्ध कराया जाना CLS देखें):

- रोजगार के अनुबंध उन्ही भाषाओं में लिखे जाने चाहिए जिन्हें कर्मचारी समझते (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी समझी जाने वाली) हों।
- रोजगार अनुबंध पर सुवधि केंद्र और प्रवासी कर्मचारियों, दोनों को भेजने वाले देश या क्षेत्र से प्रस्थान से कम से कम पाँच दिन पहले हस्ताक्षर करने होंगे। रोजगार अनुबंध की एक प्रत कर्मचारियों को पहले ही उपलब्ध करा दी जानी चाहिए, ताकि हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें समीक्षा करने और आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
 - लिखित रोजगार अनुबंध में उल्लिखित शर्तों को भेजने वाले देश या क्षेत्र से प्रस्थान से पहले पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण सटीक, पूर्ण होना चाहिए तथा उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें कर्मचारी समझ सकें। इसमें रोजगार की शर्तें और बर्खास्तगी के कारण शामिल हैं।
 - समीक्षा और स्पष्टीकरण के बाद, नथिक्ता सुवधि केंद्र और प्रवासी कर्मचारी रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं।
- रोजगार अनुबंध इस प्रकार लिखे जाने चाहिए कि वे प्राप्तकर्ता देश में कानूनी रूप से लागू हो सकें।

सुझाई गई प्रक्रियाएं

1. सुवधि केंद्र को वदिशी प्रवासी कर्मचारियों को सीधे तौर पर नथिक्त करने और रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की भर्ती और प्रबंधन के लिए श्रम एजेंटों और अन्य तृतीय पक्षों का उपयोग नथूनतम हो सके।
 2. सुवधि केंद्र को श्रम एजेंटों की चल रही कार्य नथिपादन समीक्षा में प्रवासी श्रमिकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों को शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
 3. सुवधि केंद्र को श्रम एजेंटों के साथ अनुबंध में एक खंड शामिल करना चाहिए कि यदि एजेंट यथोचित परश्रम ऑडिट से गुजरने से इनकार करता है या भर्ती पर सुवधि केंद्र की नीति के उल्लंघन को दूर करने के लिए तैयार नहीं है तो संबंध समाप्त हो जाएगा।
- रोजगार अनुबंधों को प्राप्तकर्ता देश या क्षेत्र में पहुंचने पर तब तक नहीं बदला जाना चाहिए, जब तक कि स्थानीय कानून का पालन करने या प्रवासी कर्मचारियों को समान या बेहतर शर्तें प्रदान करने के लिए परिवर्तन आवश्यक न हों।
 - घरेलू प्रवासी कर्मचारियों के लिए, ये आवश्यकताएं उन स्थितियों में लागू होती हैं जहां प्रवासियों को किसी अन्य क्षेत्र या इलाके में भर्ती किया जाता है। ये आवश्यकताएं उन लोगों पर लागू नहीं होती जो पहले स्वयं यात्रा करते हैं और फिर सुवधि केंद्र के स्थान पर काम के लिए आवेदन करते हैं।



प्रत्यावर्तन

प्रवासी कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपने देश या क्षेत्र में लौटने, कानूनी अनुमति होने पर रोजगार बदलने, या सुविधा केंद्र में रोजगार बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रवासी कर्मचारियों को किसी भी समय उचित नोटिस (स्थानीय कानून के अनुसार, लेकिन 30 दिनों से अधिक नहीं) के साथ रोजगार अनुबंध समाप्त करने पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

रोजगार संबंध के पूरा होने पर, या रोजगार की समाप्ति से पहले, प्रवासी कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन के संबंध में (प्राप्तकर्ता देश या क्षेत्र और भेजने वाले देश या क्षेत्र की) किसी भी कानूनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त, सुविधा केंद्र को किसी अन्य देश या क्षेत्र से काम पर रखे गए या भर्ती किए गए प्रवासी कर्मचारियों की वापसी यात्रा और आवास लागत को कवर करना होगा। सुविधा केंद्र या उपलब्ध कराए गए आवास से कर्मचारी के निवास स्थान तक परिवहन, आवास और नर्वाह लागत के लिए परिसर ज़िम्मेदार है। सुविधा केंद्र को कर्मचारी के रोजगार अनुबंध की शर्तों पर ध्यान दिए बिना इस आवश्यकता का अनुपालन करना होगा।

प्रत्यावर्तन हेतु भुगतान की आवश्यकता तब लागू नहीं होती, जब कर्मचारी:

- अवैध आचरण के कारण बर्खास्त कर दिया गया है।
- देश में अन्य वैध रोजगार प्राप्त करता है।

यदि कर्मचारी रोजगार अनुबंध के समापन से पहले रोजगार समाप्त कर देता है, तो भी सुविधा केंद्र को वापसी परिवहन के लिए भुगतान करना होगा, ऐसे मामलों में:

- यह सुविधा केंद्र रोजगार अनुबंध की एक महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन करती है।
- कर्मचारी को उत्पीड़न या दुरव्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसका निवारण शकियत दर्ज कराने पर समय पर नहीं किया जाता। सुविधा केंद्र भेदभाव नहीं करता CLS और उत्पीड़न और दुरव्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाता है CLS देखें।

जहां प्राप्तकर्ता देश या मूल देश द्वारा कानूनी रूप से अपेक्षित हो या जैसा कि रोजगार अनुबंध में सहमत हो, वहां सुविधा केंद्र को रोजगार अवधि के दौरान कानून या अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट आवृत्ति पर, प्रवासी कर्मचारी के मूल स्थान से आने-जाने के लिए परिवहन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

अनुशंसित प्रक्रिया

सुविधा केंद्र को विशेष परिस्थितियों, जैसे गंभीर बीमारी या अन्य पारिवारिक आपातस्थिति, या चुनाव में भाग लेने के लिए भेजने वाले देश में वापस लौटने पर, रोजगार अनुबंध के समापन से पहले वापसी परिवहन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।



गर्भावस्था सुरक्षा

गर्भवती प्रवासी कर्मचारियों को कानून और CLS आवश्यकताओं के अंतर्गत सभी लागू सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए, तथा उन्हें कम से कम स्थानीय कर्मचारियों के समान लाभ मिलना चाहिए।

यदि गर्भावस्था के कारण किसी प्रवासी कर्मचारी का प्रत्यावर्तन कानूनन अनिवार्य है, तो सुविधा केंद्र को प्रत्यावर्तन अनुभाग के अनुसार प्रत्यावर्तन लागत को कवर करना आवश्यक है।

अनुशंसित प्रक्रिया

यदि कोई प्रवासी कर्मचारी गर्भवती हो जाती है और बच्चे को जन्म देने के लिए अपने देश वापस लौटना चाहती है, तो सुविधा केंद्र को रोजगार समाप्त होने से पहले वापसी परविहन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भंडारण

सुविधा केंद्र को नयिकता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में रहने वाले सभी प्रवासी कर्मचारियों को व्यक्तिगत दस्तावेजों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत, सुरक्षित और ताला लगाने योग्य भंडारण की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। कर्मचारियों को हर समय बिना किसी व्यवधान के भंडारण तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए।

अवैध कर्मचारी

इस सुविधा केंद्र में ऐसे प्रवासी कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जाना चाहिए जो प्राप्तकर्ता देश में काम करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं हैं। सुविधा केंद्र द्वारा जान-बूझकर नयिकृत किये गये अवैध प्रवासी कर्मचारी या अपर्याप्त नयिकृति प्रथाओं के कारण नयिकृत किए गए कर्मचारी, उपरोक्त प्रत्यावर्तन उपधारा के अनुसार प्रत्यावर्तन के हकदार हैं।

प्राप्तकर्ता देश के भीतर प्रवासी कर्मचारियों को काम पर रखना

रोजगार की पेशकश करने से पहले, सुविधा केंद्र को यह सत्यापित करना होगा कि प्रवासी कर्मचारी पहले से ही प्राप्तकर्ता देश में हैं, वे कानूनी रूप से काम करने के लिए अधिकृत हैं। सुविधा केंद्र रोजगार वीजा या रोजगार को अधिकृत करने वाले अन्य दस्तावेजों को बदलने से जुड़ी सभी लागतों के लिए ज़िम्मेदार है। सुविधा केंद्र उपर्युक्त प्रत्यावर्तन उपधारा के अनुसार प्रत्यावर्तन की भी ज़िम्मेदारी लेता है।

सुविधा केंद्र रोजगार के प्रयोजनों के लिए गैर-दस्तावेजी प्रवासी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत कार्यक्रमों से संबंधित सभी शुल्कों और संबंधित लागतों के लिए ज़िम्मेदार है।

45.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।



46. कार्य करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष है

46.1 मानक

Nike उत्पादों के निर्माण या परिवहन के लिए अनुबंधित सुवधि केंद्रों में Nike बाल श्रम के उपयोग पर रोक लगाता है।

श्रमिकों की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए, जो अनिवार्य शिक्षा पूरी करने की आयु से अधिक हो, या देश की कानूनी कार्य करने की आयु — जो भी अधिक हो।

18 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों को खतरनाक परिस्थितियों में काम पर नहीं रखा जाना चाहिए, जैसे रात में काम करना, रसायनों के साथ काम करना, या भारी मशीनरी के साथ काम करना।

46.2 आवश्यकताएं

46.2.1 न्यूनतम आयु आवश्यकता

Nike कुछ उद्योगों या देशों में उच्च न्यूनतम आयु मानक स्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिसके बारे में Nike संबंधित सुवधि केंद्रों को सूचित करेगा।

सुवधि केंद्र को मानव संसाधन प्रणालियों और प्रथाएँ लागू करनी और बनाए रखनी होंगी, ताकि यह सत्यापित हो सके कि आवेदक न्यूनतम आयु आवश्यकताएँ पूरी करते हैं। ऐसी प्रणालियों और प्रथाओं में लिखित नयुक्ति नीति, कर्मियों को नयुक्ति करने के लिए प्रशिक्षण, तथा नयुक्ति के समय आयु का प्रमाण प्रस्तुत करना शामिल है।

46.2.2 आयु का प्रमाण

सुवधि केंद्र को नयुक्ति के समय आयु का प्रमाण पत्र (जैसे, कजिन्म प्रमाण पत्र, पारिवारिक दस्तावेज़, व्यक्तिगत पंजीकरण (आईडी) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पंजीकरण कार्ड) की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों की प्रतियाँ रोजगार की पूरी अवधि के दौरान रिकॉर्ड में रखी जानी चाहिए।

सुवधि केंद्र को यह सत्यापित करने के लिए उचित उपाय करने होंगे कि आयु प्रमाण-पत्र के दस्तावेज़ सटीक और पूर्ण हैं। ऐसे मामलों में जहाँ आयु प्रमाण-पत्र संबंधी दस्तावेज़ अवश्विंसनीय या अनुपलब्ध हों, वहाँ सुवधि केंद्र कर्मचारी की आयु सत्यापित करने के दूसरे तरीके खोज सकता है (जैसे कि, स्कूल प्रमाण-पत्र की आधिकारिक मुहर लगी प्रत, स्थानीय सरकारी प्रतनिधि का एफ़डिबिट)।

संसाधन

ये संसाधन सामग्री प्रबंधन कार्य करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष है CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- [ILO सम्मेलन संख्या 138](#)
न्यूनतम आयु सम्मेलन (1973)
- [ILO सम्मेलन संख्या 182](#)
बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन (1999)

चूंकि आयु प्रमाण-पत्र के दस्तावेजों में जालसाजी करना या उनमें बदलाव करना आसान है, इसलिए सुवधि केंद्र को शारीरिक परीक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता की आयु का सही-सही सत्यापन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है। परीक्षा के परिणाम यहाँ सूचीबद्ध कम से कम एक अन्य आयु प्रमाण दस्तावेज़ के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।



46.2.3 कम आयु में रोजगार की समस्या का समाधान

सुवधि केंद्र को स्थानीय कानूनों या इस CLS द्वारा नबिद्धि स्थितियों में काम करते हुए पाए गए कम आयु के कर्मचारियों से निपटने के लिए सुधारात्मक नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना, उनका दस्तावेजीकरण करना, रखरखाव करना और कर्मचारियों और अन्य इच्छुक पक्षों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना होगा।

यदि यह पाया जाता है कि सुवधि केंद्र न्यूनतम आयु मानक से कम आयु के किसी कर्मचारी को रोजगार दे रहा है, जो कर्मचारी के समग्र सर्वोत्तम हितों के अनुरूप है तथा स्थानीय कानूनों की आवश्यकताओं के अंतर्गत है, तो परिसर को ये काम करने होंगे:

- कम उम्र के कर्मचारी को कार्यस्थल से हटा दे।
- कम आयु वाले कामगार को 16 वर्ष की आयु या न्यूनतम कानूनी कार्य आयु, जो भी अधिक हो, तक स्कूल या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहने और वहां बने रहने के लिए पर्याप्त वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करना।
- यदि कम आयु वाले कर्मचारी ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं कि वे स्कूल या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित हैं और वहां जाते हैं, तो सुवधि केंद्र को कम आयु वाले कर्मचारी को तब तक मूल वेतन का भुगतान करना जारी रखना होगा, जब तक कि वे स्कूल या प्रशिक्षण पूरा नहीं कर लेते या 16 वर्ष की आयु या न्यूनतम कानूनी कार्य आयु, जो भी अधिक हो, तक नहीं पहुंच जाते हैं।
- जब नाबालग कर्मचारी की आयु 16 वर्ष या कानूनी न्यूनतम कार्य आयु (इनमें से जो भी अधिक है) हो जाती है, तो उन्हें सुवधि केंद्र में रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए।
- यदि नाबालग कर्मचारी स्वेच्छा से स्कूल या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो वे सुवधि केंद्र से नरितर वित्तीय मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार को खो देते हैं। इस नरिणय को दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए।

सुवधि केंद्र और Nike (या इसके नामति प्रतिनिधि) स्थिति और कार्यकर्ता के सर्वोत्तम हितों के लिए उपयुक्त अतिरिक्त या अलग सुधार कार्यक्रम पर सहमत हो सकते हैं।

46.2.4 युवा कर्मचारियों को खतरनाक परिस्थितियों से बचना

सुवधि केंद्र में 18 वर्ष से कम आयु के श्रमकों को खतरनाक परिस्थितियों में नहीं रखा जाना चाहिए — कार्यस्थल के अंदर या बाहर ऐसी परिस्थितियों जो श्रमकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को खतरे में डाल सकती हो। खतरनाक अपशष्टि CLS और एस्बेस्टस CLS देखें।

सुवधि केंद्र को ऐसे कार्य की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापति करनी होगी जो खतरनाक है या हो सकते हैं (जैसे कि, खतरनाक रसायनों के साथ या उनके नकिट काम करना, खतरनाक मशीनरी के साथ काम करना, रात्रि में काम करना, या स्थानीय कानूनों द्वारा पहचाने गए कार्य)।

46.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएं देखें।





47. सुवधि केंद्र भेदभाव नहीं करता है

47.1 मानक

सुवधि केंद्र में श्रमिकों के साथ रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए — जिसमें नयुक्ति, मुआवजा, पदोन्नति या अनुशासन शामिल है, या लिंग, जाति, धर्म, आयु, वकिलांगता, यौन अभिविन्यास, गर्भावस्था या वैवाहिक स्थिति, राजनीतिक राय, ट्रेड यूनियन से संबद्धता, राष्ट्रीयता, सामाजिक या जातीय मूल, जाति या स्थानीय कानूनों द्वारा संरक्षित अन्य स्थितियों के आधार पर भेदभाव शामिल है।

सभी श्रमिकों को, चाहे वे किसी भी लिंग के हों, समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।

47.2 आवश्यकताएं

47.2.1 गैर-भेदभाव नीति

सुवधि केंद्र में कार्यस्थल पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाली लिखित नीति होनी चाहिए।

गैर भेदभाव की नीति में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला एक कथन, जो इस 'सुवधि केंद्र भेदभाव नहीं करता CLS' और लागू स्थानीय कानूनों के अनुरूप है।
- कार्यबल की शिकायतों या भेदभाव से संबंधित शिकायतों को व्यक्त करने के तरीके।
 - संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का सम्मान किया जाता है CLS में शिकायत संबंधी प्रावधान देखें।
- यह कथन किस भी कर्मचारी को सद्भावनापूर्वक की गई भेदभावपूर्ण व्यवहार या बर्ताव की रिपोर्ट करने पर दंडित किए जाने या प्रतिशोध का सामना नहीं करना पड़ेगा।

संचार

सुवधि केंद्र को अपने गैर-भेदभाव नीति को श्रमिकों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना चाहिए, ताकि वे भेदभाव से मुक्त होने के अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो सकें।

प्रभावी संचार में ये चीजें शामिल हैं:

- नव नयुक्ति और एंटेनशन एवं नियमित रफ्रेशर प्रशिक्षण।
- सुपरवाइज़र और/या प्रबंधन प्रशिक्षण।
- नीति को नोटिस बोर्ड या अन्य उपयुक्त स्थानों पर लगाना जहां कर्मचारी इसे आसानी से पा सकें।

संसाधन

ये संसाधन, सुवधि भेदभाव नहीं करती CLS का अनुपालन करने में सुवधि केंद्रों की सहायता करते हैं:

- ILO सम्मेलन संख्या 100, समान मूल्य के कार्य के लिए पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए समान पारिश्रमिक से संबंधित सम्मेलन (1951)
- ILO सम्मेलन संख्या 111, भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) सम्मेलन (1958)

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

सुवधि केंद्र को गैर-भेदभाव नीति के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए ज़िम्मेदार सभी कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित करना होगा।



47.2.2 गैर-भेदभावपूर्ण रोजगार संबंधी प्रक्रियाएं

रोजगार संबंधी निर्णय रोजगार-संबंधी मानदंडों (जैसे कि कर्मचारियों की योग्यता, कौशल, क्षमता, उत्पादकता, समग्र कार्य नपिपादन) के आधार पर किए जाने चाहिए।

राजनीतिक संबद्धता, ट्रेड यूनियन की स्थिति या किसी अन्य कानूनी रूप से संरक्षित स्थिति या गैर-रोजगार संबंधी मानदंडों के आधार पर ब्लैकलिस्ट करना वंशिय रूप से नपिदिध है।

नरिद्रष्टि श्रेणियों के कर्मचारियों को नयुक्त करते समय सुवधि केंद्र को स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा; उदाहरण के लिए, शारीरिक रूप से वकिलांगो, दगिगजो और संरक्षित अल्पसंख्यको के लिए अधिमान्य या वंशिय उपचार की आवश्यकता वाले कानून।

समान कार्य के लिए समान वेतन

सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी लिंग के हों, समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन, उनके कार्य की गुणवत्ता पर समान मूल्यांकन तथा रक्ति पदों को भरने के लिए समान अवसर मलाना चाहिए।

पक्षपात और रशिवत

प्रबंधन कर्मियों को नौकरी या वंशिय व्यवहार के बदले में श्रमकों या भावी श्रमकों से उपहार, भुगतान या अन्य एहसान स्वीकार नहीं करना चाहिए।

सुझाई गई प्रक्रियाएं

1. यहां तक कि जहां स्थानीय कानून द्वारा अपेक्षित न हो, वहां भी सुवधि केंद्र को द्रव्यांग श्रमकों को शौचालय और अन्य सुवधियों तक पहुंच सहित उचित सुवधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
2. सुवधि केंद्र को कर्मचारियों को धार्मिक प्रथाओं के लिए उचित सुवधियां उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

47.2.3 महिलाओं के अधिकार

सुरक्षित कार्य

सुवधि केंद्र में गर्भावस्था, प्रसव और नर्सिंग के संबंध में महिला कर्मचारियों के लिए उचित और वाजिब सुवधियां उपलब्ध होनी चाहिए। सुवधि केंद्र को स्थानीय कानूनों के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली श्रमकों के लिए काम के घंटों या अन्य प्रतिबंधों की सीमा का अनुपालन करना होगा। उन्हें गर्भवती महिलाओं को खतरनाक कार्यों से बचाने के लिए उचित उपाय भी करने होंगे, जसिमें लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक या सुवधि केंद्र के क्लिनिक में अन्य प्रमाणित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा अनुशंसित कार्य घंटों को सीमित करना भी शामिल है।

गर्भावस्था परीक्षण

गर्भावस्था परीक्षण रोजगार की शर्त नहीं हो सकती, न ही कर्मचारियों से इसकी मांग की जा सकती है, जब तक कि स्थानीय कानून द्वारा ऐसा करना अनिवार्य न हो। स्वैच्छिक गर्भावस्था परीक्षण, केवल कर्मचारी के अनुरोध पर उपलब्ध कराया जा सकता है और प्रत्येक ऐसे अनुरोध को दस्तावेजीकृत, गोपनीय होना चाहिए तथा केवल कर्मचारी की पूर्व लिखित अनुमति से ही उसका खुलासा किया जाना चाहिए।

गर्भनरीध

सुवधि केंद्र को कर्मचारियों पर गर्भनरीधक का उपयोग करने के लिए जबरदस्ती या दबाव नहीं डालना चाहिए।

प्रसूति अवकाश

महिला कर्मचारियों को स्थानीय कानून या क्षतिपूर्ति और लाभों का भुगतान समय पर किया जाता है CLS, इनमें से जो भी ज्यादा लाभ प्रदान करता है, उसके अनुसार मातृत्व अवकाश मलता है।

मातृत्व अवकाश लेने वाली महिलाओं को बर्खास्तगी या बर्खास्तगी की धमकी, वरिष्ठता की हानि या वेतन में कटौती का सामना नहीं करना चाहिए, तथा मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद उन्हें समान वेतन और लाभों के साथ अपने पूर्व रोजगार में वापस लौटने में सक्षम होना चाहिए।

47.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

- 1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।



48. संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान किया जाता है

48.1 मानक

यह सुवधा केंद्र संगठन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता के अधिकारों को मान्यता देता है और उनका सम्मान करता है।

यह सुवधा केंद्र यूनियन गतिविधियों को संगठित करने या चलाने के इच्छुक श्रमिकों के काम में हस्तक्षेप करने पर प्रतिबंध लगाता है, साथ ही, किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है, जो यूनियन या अन्य प्रतिनिधि संगठन में भागीदारी के लिए श्रमिकों को डराने, परेशान करने या उनके खिलाफ प्रतिशोध लेने की कोशिश करता है।

जहां स्थानीय कानून के तहत संगठन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित है, वहां सुवधा केंद्र स्वतंत्र और मुक्त संगठन बनाने और सौदेबाजी के लिए समानांतर साधनों के विकास की अनुमति देता है।

संसाधन

संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का सम्मान किया जाता है CLS में शिकायत संबंधी प्रावधान देखें:

- ILO सम्मेलन संख्या 87, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन (1948)
- ILO सम्मेलन संख्या 98, संगठित होने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी सम्मेलन (1949)
- ILO सम्मेलन संख्या 135, न्यूनतम आयु सम्मेलन (1971)
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) (आर्टिकल 20(1) और (2) तथा 23(4))





48.2 आवश्यकताएं

48.2.1 स्वतंत्र रूप से जुड़ने का अधिकार

उन देशों में जहां स्थानीय कानून कर्मचारियों को बना किसी हस्तक्षेप के अपनी पसंद के ट्रेड यूनियन और अन्य कर्मचारी 'संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का सम्मान किया जाता है CLS' को मान्यता देते हैं, वहां यह सुविधा केंद्र स्थानीय कानूनों का अनुपालन करेगा और इस कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। ये अधिकार रोजगार की संपूर्ण अवधि के दौरान जारी रहते हैं, जिसमें अंततः रोजगार की समाप्ति भी शामिल है।

कर्मचारियों को अपनी पसंद के ट्रेड यूनियन या अन्य कर्मचारी संगठनों में शामिल होने या न होने का अधिकार है।

जहां स्थानीय कानून संगठन बनाने की स्वतंत्रता को काफी हद तक प्रतिबंधित करते हैं, वहां सुविधा केंद्र को कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जुड़ने के लिए वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने चाहिए। कर्मचारियों को अपनी शक्तियों व्यक्त करने तथा कार्य स्थितियों एवं रोजगार की शर्तों के संबंध में अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। कम से कम, इसका मतलब एक प्रभावी शक्तियत प्रक्रिया का होना है। प्रभावी शक्तियत प्रक्रिया उपधारा देखें।

सुविधा केंद्र कर्मचारियों के वेतन से यूनियन के सदस्यता शुल्क, फीस, जुर्माने या अन्य करों की कटौती नहीं कर सकता या

किसी व्यक्तिगत कर्मचारी की स्पष्ट और लिखित सहमति के बिना मजदूरी का तब तक भुगतान नहीं कर सकता, जब तक कि स्वतंत्र रूप से बातचीत करके वैध सामूहिक सौदेबाजी समझौते में या कानून द्वारा अपेक्षित न हो।

स्थानीय कानूनों द्वारा तय की गई शर्तों के तहत या सुविधा केंद्र और यूनियन के बीच आपसी समझौते के तहत यूनियन प्रतिनिधियों की अपने सदस्यों तक पहुंच होनी चाहिए।

48.2.2 हस्तक्षेप न करना

कर्मचारियों को यूनियन के नेताओं और प्रतिनिधियों को चुनने और सुविधा केंद्र के हस्तक्षेप के बिना गतिविधियाँ संचालित करने का अधिकार है — जिसमें नयिक्ता के वरचस्व, वित्तपोषण या ट्रेड यूनियन के नयितरण को स्थापित या बढ़ावा देने वाले कार्य शामिल हैं।

स्थानीय कानून के अनुरूप, ऐसे मामलों में जहां एक ही यूनियन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता हो, वहां सुविधा केंद्र को श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे संगठन बनाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करने या उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुविधा केंद्र को एक यूनियन को दूसरे पर वरीयता देकर यूनियन बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सुझाई गई प्रक्रियाएं

1. स्थानीय कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, सुविधा केंद्र को श्रमिकों की उन समितियों में भागीदारी को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें वे स्वतंत्र रूप से चुनते हैं।
2. सुविधा केंद्र को यूनियन के प्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों (जैसे, शक्तियतों का निपटारा करना और सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना) को पूरा करने के लिए वेतन सहित उचित अवकाश देने तथा प्रतिनिधियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नयिक्ता सुविधाएं और उचित अवकाश, कई कारकों (जैसे, प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिकों की संख्या, यूनियन के प्रतिनिधियों की संख्या, सामूहिक समझौते में प्रावधान) के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।



NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS

सम्मानति

संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान किया जाता है

48.2.3 उत्पीड़न और प्रतیشोध नषिद्धि

सुवधि केंद्र को श्रमकों को डराने के लिए हिसा या पुलसि अथवा सैन्य उपस्थिति का उपयोग नहीं करना चाहिए या ऐसी किसी भी गतिविधि को रोकना, बाधति करना या भंग नहीं करना चाहिए, जो संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार के वैध और शांतपूरण प्रयोग का गठन करती हो। इसमें यूनियन की बैठके, संगठन की गतिविधियां, सभाएं और वैध हड़ताल शामिल हैं।

श्रमकों या भावी श्रमकों को किसी यूनियन या श्रमक संघ में सदस्यता के कारण या वैध ट्रेड यूनियन अथवा यूनियन बनाने के अधिकार का प्रयोग करने सहति संघ की स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा संरक्षति अन्य गतिविधियों में भाग लेने के कारण बर्खास्तगी, भेदभाव, उत्पीड़न, धमकी या प्रतیشोध का सामना नहीं करना पड़ सकता है।

स्वतंत्र रूप से जुड़ने के अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए ब्लैकलसिट का उपयोग वंशिष रूप से नषिद्धि है (उदाहरण के लिए, यूनियन की सदस्यता या यूनियन की वैध गतिविधि में भागीदारी के आधार पर ब्लैकलसिट करना)।

सुवधि केंद्र को स्थानीय कानूनों के ऐसे सभी संबंधति प्रावधानों का अनुपालन करना होगा, जो किसी यूनियन की गतिविधि (जैसे यूनियन गठन) में लगे श्रमकों या श्रमक प्रतनिधियों या किसी पद-प्रतिष्ठा वाले श्रमक प्रतनिधियों (जैसे यूनियन के संस्थापक सदस्य या वर्तमान यूनियन के पदाधिकारी) को वंशिष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

सुवधि केंद्र वैध हड़ताल का आयोजन करने या उसमें भाग लेने वाले श्रमकों पर प्रतबिंध नहीं लगा सकता है, न ही सुवधि केंद्र वैध हड़ताल को समाप्त करने या सदभावनापूर्वक बातचीत से बचने के प्रयास में प्रतसि्थापन श्रमकों को काम पर रख सकता है।

जनि श्रमकों को अनुचति रूप से बर्खास्त किया गया हो, पदावनत किया गया हो, या जनिहे अन्यथा रूप से यूनियन के भेदभाव के कारण कार्यस्थल पर अधिकारों और वंशिषाधिकारों से वंचति होना पड़ा हो, वे यदुचाहे तो स्थानीय कानून की अपेक्षाओं के अधीन, अपने सभी खोए हुए अधिकारों और वंशिषाधिकारों की बहाली के हकदार हैं। इसमें समान वेतन और वरषिठता पर इसी तरह या समान नौकरी पर पुनः नयुिक्तशामलि हैं।

श्रमकों और उनके यूनियन प्रतनिधियों को किसी प्रतशिोध के बिना सामूहिक सौदेबाजी समझौते के अनुपालन के बारे में प्रबंधन के समक्ष अपनी चतिएं उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

48.2.4 सामूहिक सौदेबाजी

सुवधि केंद्र में संगठति श्रमकों के सामूहिक सौदेबाजी में स्वतंत्र रूप से शामिल होने के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। सुवधि केंद्र को सदभावनापूर्वक सौदेबाजी करनी चाहिए।

सुवधि केंद्र को किसी भी हस्ताक्षरति सामूहिक सौदेबाजी समझौते की शर्तों का उस समझौते की अवर्षा के दौरान सदभावपूर्वक सम्मान करना होगा।

जहां स्थानीय कानून कुछ यूनियनों को वंशिष सौदेबाजी एजेंट के रूप में नरिदषिट करते हैं, वहां उस सुवधि केंद्र को वैध सामूहिक समझौते द्वारा कवर कए गए मामलों पर अन्य श्रमक समूहों या संगठनों के साथ सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

अनुशंसति प्रक्रिया

जहां सामूहिक सौदेबाजी समझौता मौजूद है, वहां सुवधि केंद्र को समझौते की प्रतियां समझौते के द्वारा कवर कए जाने वाले सभी श्रमकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहति किया जाता है।



48.2.5 प्रभावी शिकायत प्रक्रिया

सुवधि केंद्र को एक प्रभावी शिकायत प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, जो शर्मकों को नौकरी के दौरान अपने अनुभवों (जैसे, काम करने की स्थितियाँ, कंपनी की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ, रोजगार की शर्तें और नियम) के बारे में चर्चाएं व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। वशिष्ट शिकायत प्रक्रियाएँ सुवधि केंद्रों के आकार, स्थानीय कानूनों और संस्कृति जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं; हालांकि, एक प्रभावी शिकायत प्रक्रिया में कम से कम नमिन्लखित शामिल है:

शिकायत नीतियाँ और प्रक्रियाएँ

- एक औपचारिक, दस्तावेजीकृत प्रमाण वाली शिकायत नीति और संबंधित प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन करना, जिसमें ये शामिल हों:
- गोपनीय, समयबद्ध, गैर-प्रतियोधात्मक और पारदर्शी शिकायत प्रक्रिया के प्रत सुवधि केंद्र की वचनबद्धता। नीति में उद्देश्य, दायरा, मार्गदर्शक सिद्धांत, भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ, शिकायत प्रक्रिया और अपील प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए।

- शिकायतों को शर्मकी की भागीदारी, प्रबंधन से फीडबैक, शिकायतों के जवाब में की गई कार्रवाई (जैसे नीति अपडेट) और शर्मकों की वचनबद्धता के साथ समयबद्ध तरीके से निपटाने की एक स्पष्ट प्रक्रिया तथा संबंधित पक्षों को फॉलो अप की सूचना, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि समाधान ठीक से किया गया है और यदि आवश्यक हो, तो अपील करने का अवसर भी दिया जाता है।
- शर्मकों के लिए अपनी चर्चाएं व्यक्त करने तथा प्रबंधन को इनपुट देने के लिए अनेक चैनल:
 - शिकायत या सुझाव पेटी।
 - सुपरवाइज़र या टीम लीडर।
 - मानव संसाधन विभाग या परामर्शदाता।
 - खुले दरवाजे की नीति।
 - कंपनी हॉटलाइन।
 - तृतीय पक्ष, जैसे शर्मकी समितियाँ, ट्रेड यूनियन, शर्मकी प्रतिनिधि, तथा अनुबंधित तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता।
- यदि शर्मकी चाहे तो स्थानीय कानूनों की आवश्यकताओं के अधीन, प्रतियोध के भय के बिना, गोपनीय रूप से और / या गुमनाम रूप से अपनी चर्चाएं व्यक्त करने की क्षमता।
- अनुशासन या बर्खास्तगी के मामलों में सुवधि केंद्र को प्रत्यक्ष बातचीत और अपील की प्रक्रिया उपलब्ध करानी होगी, जिसमें जहाँ लागू हो, शर्मकी प्रतिनिधियों को शामिल करना होगा।
- ऊपर उल्लिखित क्रियावधियों के अतिरिक्त, सुवधि केंद्र Nike के स्पीक अप पोर्टल के साथ परिचितता बनाए रखता है और इसे संहिता के साथ-साथ CLS संबंधी चर्चाओं की रिपोर्टिंग के लिए Nike को सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों और उपठेकेदारों को आम तौर पर उपलब्ध कराता है। (ध्यान दें कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य इसको सुवधि केंद्र के मौजूदा शिकायत चैनलों या देश के स्तर पर उपलब्ध कानूनी उपायों के बदले में लाना या कमजोर करना नहीं है, बल्कि उनका पूरक बनना है।)

संचार और प्रशिक्षण

- सुवधि केंद्र को शिकायत नीति के बारे में शर्मकों को प्रभावी ढंग से बताना चाहिए ताकि उन्हें शिकायत प्रक्रिया और अपनी चर्चाओं को उठाने के अधिकार के बारे में जानकारी मिल सके।
- सुवधि केंद्र को शिकायतों पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए ज़िम्मेदार कर्मचियों तथा सभी जन प्रबंधकों और सुपरवाइज़रों को नीति को यथा अपेक्षित लागू करने और बनाए रखने में उनकी भूमिका और ज़िम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षण देना होगा।



NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS

सम्मानति

संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान किया जाता है



शिकायत का समाधान

- जन्मिंदार कर्मियों को प्रत्येक शिकायत की स्थिति के बारे में पारदर्शिता रखनी चाहिए (जैसे, शिकायत प्राप्त हुई, जांच की गई, लीडरशिप की समीक्षा में (नीतिपरिवर्तन लंबित), हल हो गई, बंद की गई)।
- जहां उपयुक्त हो, शिकायत समाधान को पोस्ट करना और श्रमकों के साथ साझा करना।
- जहां लागू हो, शिकायतों के समाधान में श्रमक प्रतिनिधियों को शामिल करना तथा श्रमकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- जहां लागू हो, वहां श्रमकों के प्रतिनिधित्व के साथ शिकायत समितिका गठन करना।
- सुविधा केंद्र के पास अपनी शिकायत प्रक्रिया की प्रभावशीलता को मापने के लिए डेटा संचालित पद्धति होना चाहिए (उदाहरण के लिए, प्रत्येक शिकायत चैनल का कतिनी बार उपयोग किया जाता है, अपेक्षित समय सीमा के भीतर कतिनी शिकायतों का समाधान किया जाता है, समाधान के बाद श्रमकों का फीडबैक, अपील के रिकॉर्ड)।
- शिकायतों का दस्तावेज तैयार करने और उन पर नज़र रखने की वधि विकसित करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमकों को समय पर जवाब मिले।

48.2.6 प्रशिक्षण

जैसा कि इस "संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का सम्मान किया जाता है" CLS में उल्लिखित है, यह स्वीकार करते हुए कि ये अधिकार लोकेशन के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, सभी श्रमकों को उनके अधिकारों पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

अनुशंसित प्रक्रिया

सुविधा केंद्र को शिकायत प्रक्रिया के ज़रिए श्रमकों द्वारा उठाई गई प्रणालीगत चिंताओं पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए योजनाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

48.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।



नष्टिपक्ष



49. उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाता है

49.1 मानक

यह सुवधि केंद्र शर्मकी के साथ गरमा और सम्मान के साथ व्यवहार करता है तथा शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या मौखिक उत्पीड़न या दुर्व्यवहार नहीं करता है

49.2 आवश्यकताएं

49.2.1 उत्पीड़न और दुर्व्यवहार संबंधी नीति

सुवधि केंद्र को, शर्मकी या यूनयिन प्रतिनिधियों के परामर्श से, लगि आधारित हिसा के जोखिमों सहित, परसिर में उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के वशिष्ट जोखिमों का आकलन करना चाहिए तथा इन जोखिमों से नपिटने के लिए उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के वरिद्ध एक लखित नीति विकसित करनी चाहिए।

उत्पीड़न और दुर्व्यवहार नीति में कम से कम ये शामिल होना ही चाहिए:

- एक कथन कि उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के रपिर्ट किए गए सभी मामलों की जांच की जाएगी।
- इस 'उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाता है CLS' और लागू स्थानीय कानूनों के अनुरूप उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाला एक कथन।
- कार्यस्थल और सुवधि केंद्र की संपत्ति पर दूसरे सभी क्षेत्रों में उत्पीड़न और अपमानजनक व्यवहार के संबंध में अर्जियां देने या शकियते करने के तरीके। (संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का सम्मान किया जाता है CLS देखें)।
- एक कथन कि आपत्तजनक व्यवहार के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें रोजगार से बर्खास्तगी या कानूनी प्राधिकारियों द्वारा अभियोजन भी शामिल है।
- एक कथन कि किसी भी कर्मचारी को उत्पीड़न या अपमानजनक आचरण या व्यवहार की सद्भावनापूर्वक रपिर्ट करने पर दंड या प्रतिशोध का सामना नहीं करना पड़ेगा।

संचार

सुवधि केंद्र को अपने उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार नीति को शर्मकी को प्रभावी ढंग से बताना चाहिए, ताकि वे उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार से मुक्त रहने के अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो सकें। प्रभावी संचार में ये चीजें शामिल हैं:

- नव-नयुक्ति ओरिएंटेशन एवं नियमिति रफ्रेशर प्रशिक्षण।
- सुपरवाइज़र और/या प्रबंधन प्रशिक्षण।
- नीति को नोटिस बोर्ड या अन्य उपयुक्त स्थानों पर लगाना जहां कर्मचारी इसे आसानी से पा सकें।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

सुवधि केंद्र को उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार नीति के कार्यान्वयन करने एवं प्रभाव में लाने के लिए ज़िम्मेदार सभी कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों में प्रशिक्षित करना होगा।



49.2.2 सुरक्षा कर्मी

साइट पर कार्यरत सुरक्षाकर्मियों को, चाहे वे सुवर्धिका केन्द्र के पूरणकालिक कर्मचारी हो या सेवा प्रदाता के ठेकेदार हो, उच्चतम स्तर की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए नयिमति और आपातकालीन गतिविधियां संचालित करनी चाहिए, साथ ही शर्मिकों की गरमा की भी रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षाकर्मियों को इन आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

लखित नीति

सुवर्धिका केन्द्र में सुरक्षाकर्मियों के लिए लखित सुरक्षा नीति होनी चाहिए जिसमें उपस्थिति, व्यक्तिगत आचरण, जमिंदारियां और स्थानीय कानूनों का ज्ञान शामिल हो। सुरक्षाकर्मियों को उनकी भूमिकाओं और जमिंदारियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

बल प्रयोग

सुरक्षाकर्मियों को सभी शर्मिकों और आगंतुकों के प्रति शिष्टाचार और सम्मान के साथ अपना दैनिक कर्तव्य निभाना चाहिए। नयिमति कार्य नष्टिपादन में किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सवाय उन स्थितियों के जब आत्मरक्षा आवश्यक हो (अर्थात्, स्वयं या अन्य शर्मिकों के लिए स्पष्ट और तात्कालिक खतरा हो)। इन सीमति परस्थितियों में बल का प्रयोग स्थिति के अनुरूप तथा स्थानीय कानूनों के दायरे में होना चाहिए।

संकट प्रबंधन

जब शर्मिकों या संपत्ति के वरिद्ध हसा या संभावित हसा से जुड़ा कोई संकट उत्पन्न होता है, तो सुरक्षाकर्मियों को तुरंत सुवर्धिका केन्द्र के प्रबंधन को सूचित करना चाहिए। ऐसी संकट की स्थितियों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

हथियारों का उपयोग

किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है, जब तक कि उन देशों में, जहां अक्सर हसा होती है, वहां शर्मिकों और संपत्ति की रक्षा करने के लिए सुरक्षाकर्मियों के लिए यह आवश्यक न हो। ऐसे मामलों में, सुवर्धिका केन्द्र या सुरक्षा सेवा प्रदाता के पास ऐसी प्रणाली मौजूद होनी चाहिए जो ऐसे हथियारों के उचित संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती हो। व्यक्तिगत हथियार को किसी भी समय सुवर्धिका केन्द्र में नहीं लाया जा सकता है।

शर्मिकों की तलाशी

यदि सुवर्धिका केन्द्र का मानना है कि चोरी या अवैध गतिविधियों से बचाव के लिए शर्मिकों की तलाशी आवश्यक है, तो परसिर को पहले ऐसी तलाशी लेने के लिए नयिमों के संबंध में स्थानीय शर्म ब्यूरो या अन्य उपयुक्त सरकारी एजेंसी से परामर्श करना चाहिए। शर्मिकों की तलाशी लेना, जिसमें उन्हें थपथपाना और उनका हैडबैग खोलकर देखना शामिल हो सकता है, सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वे किसी भी पद पर हों। सभी शर्मिकों की तलाशी खुले में की जानी चाहिए तथा कोई भी शारीरिक तलाशी (जैसे, हाथ से थपथपाना) सुरक्षाकर्मियों द्वारा की जानी चाहिए, जिनका लगी शर्मिक के समान हो तथा उनकी गरमा का सम्मान किया जाना चाहिए।

डॉरमेटरी

डॉरमेटरी में सुरक्षाकर्मियों को शर्मिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करनी होती हैं तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग स्थान बनाए रखने होते हैं। यदि कर्फ्यू लागू हो, तो यह उचित होना चाहिए तथा गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर लागू किया जाना चाहिए; शर्मिकों को कर्फ्यू लागू करने में सुरक्षाकर्मियों की भूमिका के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण

सभी सुरक्षाकर्मियों को सुवर्धिका केन्द्र की लखित सुरक्षा नीति तथा उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार नीति पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सभी नौकरी-संबंधी प्रशिक्षण का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

49.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।

सुवर्धिका केन्द्र को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोपों से संबंधित सभी दस्तावेज बनाए रखने होंगे तथा अनुरोध किए जाने पर Nike या नामित तृतीय-पक्ष के प्रतिनिधियों जैसे लेखा परीक्षकों या सत्यापनकर्ताओं को उपलब्ध कराना होगा।



50. काम के घंटे अत्यधिक नहीं है

50.1 मानक

सुविधा केंद्र में श्रमिकों से उस देश के कानून द्वारा अनुमत नियमिति और अनुमत ओवरटाइम घंटों से अधिक काम की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जहां वे कार्यरत हैं।

- नियमिति कार्य सप्ताह 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सुविधा केंद्र में श्रमिकों को प्रत्येक सात दिनों की अवधि में कम से कम 24 घंटे लगातार आराम की अनुमति होनी चाहिए।
- सभी ओवरटाइम कार्य सहमत होना चाहिए।
- सुविधा केंद्र को नियमिति आधार पर ओवरटाइम का अनुरोध नहीं करना चाहिए तथा सभी ओवरटाइम कार्य के लिए प्रीमियम दर पर मुआवजा देना चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, एक सप्ताह में नियमिति और ओवरटाइम घंटों का योग 60 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए।

50.2 आवश्यकताएं

50.2.1 नियमिति कार्य समय

काम किए जाने के घंटे

प्रति घंटा काम करने वाले श्रमिकों को काम किए गए सभी घंटों के लिए कम से कम न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। काम के घंटे स्थानीय कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मुआवजा और लाभों का समय पर भुगतान किया जाता है CLS देखें।

समय-देखरेख प्रणाली

सुविधा केंद्र को एक पर्याप्त समय-देखरेख प्रणाली बनाए रखनी चाहिए, जो सभी प्रति घंटा वाले श्रमिकों के लिए दैनिक प्रारंभ और समाप्ति समय को समय पर, खास तौर पर शफ्ट से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर सटीक रूप से रिकॉर्ड करता हो। श्रमिकों को स्वयं ही क्लॉक-इन और क्लॉक-आउट करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति की ओर से क्लॉक-इन या क्लॉक-आउट की अनुमति नहीं है, जब तक कि Nike द्वारा इसकी अनुमति न दी जाए।

नियमिति और ओवरटाइम, दोनों घंटों को एक ही प्रणाली का उपयोग करके एक ही समय रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाना चाहिए। जबकि समयबद्धता के तहत कार्य स्थल पर प्रवेश करने और वहां से नकिलने के लिए, क्लॉक इन या क्लॉक आउट की सुविधा देने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन बैठकों या प्रशिक्षणों में भाग लेने के समय किए गए सभी कार्यों को कार्य के समय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और तदनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए।

शफ्ट से पहले या बाद में श्रमिकों के दैनिक कार्य के घंटों को 30 मिनट के भीतर रिकॉर्ड करना समय पर माना जा सकता है, बशर्ते:

- श्रमिक कार्य पूरव और कार्य पश्चात महत्वपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं (उदाहरण के लिए, एक उच्च स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के लिए तकनीशियनों को स्वच्छ कक्ष के वातावरण में काम करना पड़ता है, जिसके लिए विशेष वर्दी पहनना और पारी से पहले और बाद में सुरक्षा जांच से गुजरना आवश्यक होता है)।
- यह स्थानीय कानूनों में काम किए गए घंटों की परिभाषा के अनुरूप है, जिसमें तैयारी के समय के लिए मुआवजे से संबंधित कोई भी आवश्यकता शामिल है।
- एक सहायक कारक वह सीमा होगी कि शफ्ट से पहले या बाद में 30 मिनट की अवधि में क्लॉक इन/आउट करना कर्मचारियों की सुविधा के लिए कितना पर्याप्त है।
- श्रमिकों को क्लॉक इन / क्लॉक आउट प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाता है।
- Nike ने लिखित रूप में इस अपवाद को मंजूरी दी है।

सटीकता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-देखरेख प्रणालियां यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। Nike को किसी भी अन्य प्रकार की समय-देखरेख प्रणाली (जैसे, हस्तलिखित टाइमकार्ड) को मंजूरी देनी होगी।

शफ्ट या कार्य समय में परिवर्तन

यदि किसी श्रमिक के कार्य घंटे में परिवर्तन होता है, तो उसे कम से कम 24 घंटे पूरव नोटिस दिया जाना चाहिए। बदले गए कार्य घंटों के उदाहरणों में सामान्य शफ्ट से लेकर मल्टीशफ्ट और शफ्ट रोटेशन शामिल हैं।



50.2.2 ओवरटाइम और कार्य घंटों की सीमा

सुवधि केंद्र को कार्य के घंटों और ओवरटाइम घंटों की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सीमाओं के संबंध में स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा।

प्रीमियम दर

ओवरटाइम का भुगतान श्रमिकों के मूल प्रतिघंटा दरों के 125% या स्थानीय कानून की आवश्यकताओं के अनुसार, जो भी अधिक हो, प्रीमियम दर पर किया जाना चाहिए।

ओवरटाइम सहित कुल कार्य घंटे प्रति सप्ताह 60 घंटे या स्थानीय कानूनों द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, से अधिक नहीं हो सकते, जब तक कि असाधारण परिस्थितियों द्वारा इसके लिए कोई औचित्य न हो। एक सप्ताह की अवधि स्थानीय कानूनों द्वारा निर्धारित की जाती है।

स्थानीय ओवरटाइम अनुमतियां

यदि स्थानीय कानून परिसर को कर्मचारियों को नियमिति रूप से अनुमत घंटों से अतिरिक्त काम करने की अनुमति के लिए आवेदन करने का अधिकार देते हैं, तो सुवधि केंद्र द्वारा ऐसी अनुमति के लिए आवेदन किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते:

- परमिट स्थानीय कानूनों की आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त किया जाता है, जो नगरपालिका स्तर या उससे उच्च स्तर पर जारी किया जाता है।
- इसकी एक प्रतिकावस्थल पर लगा दी जाती है।
- अतिरिक्त ओवरटाइम किया जाना स्वीच्छक है।
- सविय इसके कि असाधारण परिस्थितियां हो, कार्य के कुल घंटे प्रति सप्ताह 60 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए।

असाधारण परिस्थितियां

असाधारण परिस्थितियों की सीमिति स्थिति में, और जहां स्थानीय कानूनों द्वारा अनुमति दी गई हो, कार्य के कुल घंटे प्रति सप्ताह 60 घंटे से अधिक हो सकते हैं, बशर्ते:

- सुवधि केंद्र तुरंत सूचित करती है और Nike से पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करती है।
- अतिरिक्त ओवरटाइम की आवश्यकता को न्यूनतम करने के लिए सुवधि केंद्र द्वारा उचित कदम उठाए जाते हैं, तथा कोई भी अतिरिक्त ओवरटाइम कार्य केवल असाधारण परिस्थितियों से नपिटने के लिए आवश्यक कार्य तक ही सीमिति होता है।
- अतिरिक्त ओवरटाइम किया जाना स्वीच्छक है।

Nike असाधारण परिस्थितियों के दावों के तहत अतिरिक्त ओवरटाइम के अनुरोधों की मामले-दर-मामले के आधार पर समीक्षा करती है और यदि कोई हो, तो इस अपवाद के तहत अनुमत अतिरिक्त ओवरटाइम के स्तर और अवधि को निर्धारित करती है।



50.2.3 अवकाश के दिन (आराम का दिन)

सुविधा केंद्र को बरेक और आराम के दिनों के संबंध में स्थानीय कानूनों की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

संविा इसके कऱसाधारण परसिथितियों या स्वचिगि नीति (इस अनुभाग में नरिधारति) के अनुसार, शर्मकिों को प्रत्येक सात-दिन की अवधि में कम से कम 24 घंटे लगातार आराम (एक दिन के आराम) की अनुमति दी जानी चाहिए।

स्वचिगि नीति

सुविधा केंद्र द्वारा आराम का दिन बदला जा सकता है, बशर्ते:

- यह स्थानीय कानून के अनुरूप हो।
- शर्मकिों को कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाता हो।
- किसी भी लागू ट्रेड यूनियन या फरि कर्मचारी प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाता है।
- बदले गए दिन के परिणामस्वरूप कुल कार्य घंटे प्रति सप्ताह 60 घंटे या स्थानीय कानून द्वारा नरिधारति सीमा, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होंगे।

यदि सुविधा केंद्र 24 घंटे से कम समय की सूचना पर वशिराम का दिन बदलता है, तो काम किए गए दिन का भुगतान प्रीमियम ओवरटाइम की दर पर किया जाना चाहिए तथा यह स्वैच्छिक होना चाहिए।

देश-वशिष्ट स्वचिगि नीतियां कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं और सुरक्षा नरिधारति कर सकती हैं, जिनका पालन किया जाना चाहिए।

50.2.4 ओवरटाइम घंटे सहमति से तय होते हैं

सुविधा केंद्र को ओवरटाइम के घंटों के लिए कर्मचारियों की सहमति से संबंधित स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा।

जहां स्थानीय कानून के तहत अनिवार्य ओवरटाइम की अनुमति है, वहां कर्मचारियों को काम पर रखने के समय इस आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाना चाहिए तथा उनकी सहमति ली जानी चाहिए। जब भी सुविधा केंद्र में अनिवार्य ओवरटाइम की आवश्यकता हो, तो कर्मचारियों को यथासंभव कम से कम 24 घंटे पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। स्थानीय ओवरटाइम अनुमतियों के अंतर्गत कार्य किए गए किसी भी ओवरटाइम के घंटे, जैसा कि असाधारण परसिथितियों के मामले में होता है या 24 घंटे से कम अग्रिम सूचना के साथ काम के घंटे बदलना स्वैच्छिक होना चाहिए।

50.3 रकिॉर्ड प्रतिधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतिधारण आवश्यकताएं देखें।

सुझाई गई प्रक्रियाएं

1. जब भी संभव हो, प्रत्येक सप्ताह एक ही दिन आराम का दिन नरिधारति किया जाना चाहिए, ताकि शर्मकि अपने अवकाश के दौरान योजना बना सकें।
2. सुविधा केंद्र को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह पहले अपनी उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन कर्मचारियों से अनुरोध करे जो ओवरटाइम करना चाहते हैं।



51. मुआवजा और लाभ का समय पर भुगतान किया जाता है

51.1 मानक

सुविधा केंद्र यह स्वीकार करता है कि सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी लिंग के हों, नियमित कार्य सप्ताह के लिए पर्याप्त मुआवजे का अधिकार है, जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और विकाधीन आय प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो।

जब मुआवजा श्रमिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करता है और विकाधीन आय प्रदान नहीं करता है, तो सुविधा केंद्र को मुआवजा प्राप्त करने के लिए रणनीतियों को विकसित, कार्यान्वित और संप्रेषित करना चाहिए।

श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जाना चाहिए, कम से कम स्थानीय कानून द्वारा अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी या प्रचलित मजदूरी, जो भी अधिक हो।

इस सुविधा केंद्र में कानूनी रूप से अनिवार्य लाभ प्रदान किए जाने चाहिए, जिनमें रोजगार समाप्त होने पर छुट्टियां, अवकाश और वैधानिक बरखास्तगी शामिल हैं।

वेतन से अनुशासनात्मक कटौती नषिद्ध है।

51.2 आवश्यकताएं

सुविधा केंद्र यह स्वीकार करता है कि सभी श्रमिकों को, चाहे वे किसी भी लिंग के हों, नियमित कार्य सप्ताह के लिए पर्याप्त मुआवजे का अधिकार है, जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और विकाधीन आय प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो। जब मुआवजा कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करता है और विकाधीन आय प्रदान नहीं करता है, तो सुविधा केंद्र को मुआवजा प्राप्त करने की रणनीतियाँ विकसित, कार्यान्वित और संप्रेषित करनी चाहिए। उचित वेतन की प्रगतशील प्राप्त सब-सेक्शन देखें।

संसाधन

ये संसाधन मुआवजा और लाभ का नमिन CLS के मुताबिक समय पर भुगतान किए जाने की सुविधा का अनुपालन करने में सहायता करते हैं:

- Fair Labor Association (FLA) (उचित श्रम संगठन (FLA)) आचार संहिता
- ILO सम्मेलन संख्या 158, रोजगार समाप्त सम्मेलन (1982)

51.2.1 बुनयिदी मुआवज़ा संबंधी प्रक्रियाएं

कम से कम, कर्मचारियों को उस स्थान के स्थानीय कानूनों के अनुसार कानूनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, जहाँ सुवधि केंद्र स्थित है, जिसमें प्रीमियम दर पर ओवरटाइम का भुगतान भी शामिल है। काम के घंटे अत्यधिक नहीं हैं CLS देखें।

जहाँ रोजगार अनुबंध मौजूद है, वहां कर्मचारियों को अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन मिलना चाहिए, जो कानूनी न्यूनतम वेतन के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। नियमित एवं समय पर मजदूरी का भुगतान तथा लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे मुआवजे को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए तथा स्थानीय कानून की आवश्यकताओं के अनुसार उचित सरकारी प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, काम किए गए घंटों के लिए भुगतान को कानूनी रूप से आवश्यक करो या आवश्यक कटौतियों से बचने के उद्देश्य से भत्ते या भुगतान के अन्य रूप के रूप में गलत रूप से नहीं दर्शाया जा सकता।

मुआवजे का भुगतान कर्मचारियों को सीधे उनके लिए सुविधाजनक तरीके से किया जाना चाहिए, जैसे कि नकद, चेक या इलेक्ट्रॉनिक जमा के माध्यम से। यदि कर्मचारी प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक जमा का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें अपने बैंक के साथ ऐसे जमा अधिकृत करने होंगे और अपने खातों पर उनका एकमात्र नियंत्रण रखना होगा।

पीस-रेट और कोटा

पीस-रेट अनुबंधों या कोटा लक्ष्यों पर ध्यान दिए बिना, सुवधि केंद्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को कार्य किए गए घंटों के लिए कम से कम न्यूनतम कानूनी मजदूरी मिले और उन्हें स्थानीय कानूनों और इस CLS की आवश्यकताओं के अनुसार ओवरटाइम का भुगतान किया जाए।

पछिला वेतन

यदि सुवधि केंद्र को पता चलता है कि कर्मचारियों को उनके अर्जित वेतन का उचित भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें आधार और / या ओवरटाइम के वेतन का गलत लेखा-जोखा शामिल है, तो सुवधि केंद्र गलत गणना के समय से या कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए उन वेतनों के बकाया भुगतान के लिए ज़िम्मेदार होगा। स्थानीय कानून बकाया भुगतान के लिए ज़्यादा लंबी अवधि की बाध्यता निर्धारित कर सकते हैं।

गैर-भेदभाव

सभी श्रमिकों को, चाहे वे किसी भी लिंग के हों, समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। सुवधि केंद्र भेदभाव नहीं करता CLS देखें।

51.2.2 कटौतियाँ

उपकरणों की हानि या क्षति

कर्मचारियों को अपने कार्य नष्टिपादन हेतु उपकरणों के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्थानीय कानून के अनुसार, सुवधि केंद्र के उपकरणों या संपत्तिकी हानि या क्षति के लिए ज़िम्मेदार पाए जाने वाले कर्मचारियों को प्रतिस्थापन या मरम्मत की प्रत्यक्ष लागतों के लिए वित्तीय रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

वविकाधीन कटौतियाँ

कर्मचारियों को वेतन से कोई भी स्वैच्छिक कटौती करने के लिए सुवधि केंद्र को स्पष्ट रूप से अधिकृत करना होगा, जो कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया है, जैसे कि अतिरिक्त लाभ, बीमा और बचत कार्यक्रम। इन कटौतियों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कुल टेक होम वेतन में लागू कानूनी न्यूनतम वेतन से कम प्राप्त नहीं होना चाहिए। सुवधि केंद्र को सभी दस्तावेज़ सुरक्षित रखने होंगे।

अनुशासनात्मक कटौतियाँ

अनुशासनात्मक उद्देश्यों के लिए वेतन से कटौती नहीं की जा सकती। प्रदर्शन या व्यवहार संबंधी चर्चाओं से निपटने के लिए अन्य प्रदर्शन-प्रबंधन वधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें परामर्श, चेतावनी और / या नरितर प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं।

यह नीति सुवधि केंद्र या व्यक्तित्व प्रदर्शन के आधार पर वविकाधीन बोनस को प्रतिबंधित करने या समाप्त करने से नहीं रोकती है।

रोजगार पात्रता शुल्क

सुवधि केंद्र या कोई तृतीय पक्ष मजदूरी से रोजगार पात्रता शुल्क की कटौती नहीं कर सकता।

यूनियन बकाया

सुवधि केंद्र को कर्मचारियों के वेतन से यूनियन सदस्यता शुल्क, फ़ीस, जुर्माना या अन्य करों की कटौती नहीं करनी चाहिए, जब तक कि प्रभावित व्यक्तित्व कर्मचारी की स्पष्ट और लिखित अनुमति न हो, या यह किसी वैध सामूहिक सौदेबाजी समझौते में निर्दिष्ट न हो।



51.2.3 सेवानिवृत्ति/ वच्छेद नधि

सुवधि केंद्र को कानूनी रूप से सभी आवश्यक सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी, सेवानिवृत्ति या वच्छेद नधि (जिस कभी-कभी भवषिय नधि भी कहा जाता है) का पूर्ण रूप से वतितपोषण / भुगतान करना होगा तथा ऐसी नधियाँ में भुगतान और / या रखरखाव के पर्याप्त वतितय रकिॉर्ड बनाए रखना होगा।

सुवधि केंद्र में सभी वैधानिक वच्छेद और अन्य पृथक्करण लाभों (समाप्त भुगतान) के नधिरण के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके लिए कर्मचारी स्थानीय कानूनों के तहत हकदार है। रोजगार समाप्ति पर सुवधि केंद्र को श्रमिकों को पूर्ण भुगतान करना होगा।

51.2.4 परवीक्षाधीन एवं प्रशिक्षण वेतन

सुवधि केंद्र को प्रशिक्षण वेतन का भुगतान कानूनी न्यूनतम वेतन से कम नहीं करना चाहिए, जिसमें प्रीमियम दर पर ओवरटाइम का भुगतान भी शामिल है।

प्रशिक्षण वेतन का भुगतान या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के लिए स्थानीय कानूनों और नधिमति रोजगार उपलब्ध कराया जाता है CLS की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

51.2.5 संचार और सामाजिक संवाद

रोजगार में प्रवेश से पहले कर्मचारियों को उनकी समझ में आने वाली भाषा (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह समझी जाने वाली) में मजदूरी और लाभों सहित रोजगार की शर्तों के बारे में लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

वेतन प्रचियां

सुवधि केंद्र को कर्मचारियों को हर बार भुगतान के समय पूरी वेतन अवधि के लिए उनकी समझ में आने वाली भाषाओं (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह समझी जाने वाली) में मुद्रित भुगतान रकिॉर्ड उपलब्ध कराना होगा। यदि कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए सहमत देते हैं और उन्हें उचित पहुंच प्रदान की जाती है, तो सुवधि केंद्र प्रॉटि कएि गए भुगतान रकिॉर्ड की जगह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान रकिॉर्ड का उपयोग कर सकता है।

भुगतान रकिॉर्ड में कम से कम ये चीजें शामिल होनी चाहिए:

- भुगतान की अवधि और वेतन भुगतान की तिथियाँ।
- सभी नधिमति एवं ओवरटाइम वाले घंटे।
- काम के घंटों के लिए मजदूरी की दरें।
- नधिमति और ओवरटाइम मुआवजे के लिए चलति जोड़।
- सभी अतिरिक्त मुआवजे जैसे व्यक्तिगत / टीम बोनस।
- बीमा और / या अन्य कानूनी रूप से अनिवार्य कटौतियों के लिए सभी कटौतियाँ।
- कर्मचारियों को भुगतान परची प्रारूप को समझने में सहायता के लिए प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

सामूहिक सौदेबाजी

स्थानीय कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, सुवधि केंद्र, प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारियों के सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होने, सद्भावनापूर्वक सौदेबाजी करने और किसी भी हस्ताक्षरित सामूहिक सौदेबाजी समझौते की शर्तों का उस समझौते की अवधितक सम्मान करने के अधिकारों को मान्यता देने के लिए सहमत है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का सम्मान किया जाता है CLS देखें।



51.2.6 अवकाश और छुट्टियों की नीतियां एवं प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र में कानूनी रूप से आवश्यक छुट्टियों, बीमारी की छुट्टी, वार्षिक छुट्टी, प्रसूति अवकाश, पतित्व अवकाश, आपातकालीन पारिवारिक अवकाश और स्थानीय कानून द्वारा आवश्यक अन्य अवकाशों के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ होनी चाहिए। सुवधि केंद्र को अपनी छुट्टी और अवकाश नीति लागू करने के लिए ज़िम्मेदार कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए, जिसमें कर्मचारियों को नीति के बारे में प्रभावी ढंग से बताना भी शामिल है।

सुवधि केंद्र को सभी कानूनी रूप से आवश्यक छुट्टियाँ और अवकाश प्रदान करने होंगे तथा स्थानीय कानूनों के साथ असंगत न होने की सीमा तक, नीचे दी गई वशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा:

बीमारी के लिए अवकाश

कर्मचारियों को स्थानीय कानूनों की आवश्यकताओं के अनुसार बीमारी अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए।

वार्षिक अवकाश

जिन देशों में कानून द्वारा वार्षिक अवकाश अनिवार्य नहीं है, वहाँ सुवधि केंद्र को कर्मचारियों के मुआवजे और लाभ के पैकेज के भाग के रूप में वार्षिक अवकाश प्रदान करना आवश्यक है।

प्रसूति अवकाश

स्थानीय कानून द्वारा अपेक्षित न होने पर भी, महिला कर्मचारी अवैतनिक मातृत्व अवकाश की हकदार है। असाधारण परिस्थितियों, जैसे छंटी, को छोड़कर, महिला कर्मचारी उन्हीं या समकक्ष शर्तों पर अपने रोजगार पर वापस लौटने की हकदार है, जो छुट्टी लेने से पहले उन पर लागू थी और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या वरिष्ठता का हनन नहीं किया जाएगा।

मासिक धर्म अवकाश

यदि स्थानीय कानून के तहत मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य लाभ है, तो सुवधि केंद्र को इसकी पात्रता की पुष्टि के लिए शारीरिक परीक्षण करने पर प्रतर्बिध है।

सुझाई गई प्रक्रियाएं

- यदि स्थानीय कानून द्वारा ऐसा अपेक्षित न भी हो, तो भी कर्मचारियों को बीमारी या चोट से उबरने के लिए लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक द्वारा अपेक्षित अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। जब कोई नदिन या उपचार के लिए अनुशंसित मार्ग विवादग्रस्त हो, तो सुवधि केंद्र अपने खर्च पर किसी वैकल्पिक योग्य चिकित्सा प्रदाता से द्वितीय राय ले सकता है।
- जहाँ स्थानीय कानून कम से कम 14 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की गारंटी नहीं देता, वहाँ सुवधि केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के दशिया-नरिदेशों के अनुरूप 14 सप्ताह का अवकाश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, सुवधि केंद्र को पैतृक अवकाश नीति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें उन स्थानों पर भी पतित्व अवकाश की व्यवस्था की जाती है, जहाँ स्थानीय कानूनों के अंतर्गत अवकाश उपलब्ध नहीं है।

51.2.7 सुवधि केंद्र बंद करना और छंटनी

कसी सुवधि केंद्र के बंद होने या अन्य कॉर्पोरेट पुनर्गठन की स्थिति में, जसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की छंटनी या सेवा समाप्त होगी, सुवधि को कम से कम इस मार्गदर्शन का पालन करना होगा:

नोटिस

सुवधि केंद्र को कर्मचारियों, कर्मचारी प्रतिनिधियों (जहाँ लागू हो और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार) और संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को अतिरिक्तताएं / छंटनी के संबंध में यथासंभव अग्रिम सूचना और प्रासंगिक जानकारी देनी होगी।

प्रासंगिक सूचना में बंद करने या छंटनी के लिए औचित्य या मानदंड, प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या और श्रेणियाँ, तथा वह समयावधि जिसके दौरान सुवधि केंद्र द्वारा समाप्त की उम्मीद की जाती है, शामिल है।

कम से कम, सुवधि केंद्र को ऐसी नोटिस देना होगा या सूचना के बदले में भुगतान करना होगा (अर्थात्, 30 दिन की सूचना देने के बजाय 30 दिन का वेतन देना होगा) तथा स्थानीय कानून के तहत आवश्यक जानकारी देनी होगी।

वच्छेदन

सुवधि केंद्र को सभी वच्छेद भत्ते, सामाजिक सुरक्षा और अन्य पृथक्करण लाभों का पूर्ण भुगतान करना होगा, जिनके लिए श्रमिक स्थानीय कानून के तहत हकदार है।

दावों को छोड़ना

सुवधि केंद्र कर्मचारियों से अच्छे स्वास्थ्य, छूट या अन्य अधिकारों के त्याग की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की मांग नहीं कर सकता, जो कि बर्खास्तगी वेतन या अन्य लाभ प्राप्त करने की शर्त है, जसके वे कानूनी रूप से हकदार है। सुवधि केंद्र दावों की स्वीकृति और / या छोड़ने पर वविकाधीन या अतिरिक्त वच्छेद और लाभ की प्राप्ति की शर्त रख सकता है।

सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध

यदि प्रभावित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किसी ट्रेड यूनियन या कर्मचारी संगठन द्वारा किया जाता है, तो सुवधि केंद्र को नोटिस, परामर्श, वच्छेद भुगतान, वसिथापन या अन्य लाभों से संबंधित सभी लागू आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा, जो वर्तमान सामूहिक सौदेबाजी समझौते में दिए गए हैं या परिसर और ट्रेड यूनियन अथवा कर्मचारी संगठन के बीच अन्यथा सहमत है।

सुझाई गई प्रक्रियाएं

बंद होने या छंटनी की स्थिति में, स्थानीय कानूनों या सामूहिक सौदेबाजी समझौते द्वारा अपेक्षित के अलावा, सुवधि केंद्र को इन प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है — सीधे या सरकारी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) या अन्य तृतीय पक्षों के समन्वय में।

परामर्श

कर्मचारियों और / या कर्मचारी प्रतिनिधियों को, जहाँ लागू हो, मिलने और उन उपायों पर परामर्श करने का अवसर, जो अतिरिक्तताओं / छंटनी को रोकने या कम से कम करने के साथ-साथ कर्मचारियों पर छंटनी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।

स्थानांतरण

यदि उपलब्ध हो तो देश के भीतर अन्य नियोक्ता-स्वामित्व वाले सुवधि केंद्रों में तुलनीय वेतन पर स्थानांतरित होने का अवसर।

अपील प्रक्रिया

एक प्रक्रिया जिसके तहत कर्मचारियों को छंटनी प्रक्रिया के दौरान जवाब देने, चुनौती देने या अपील करने का अवसर मिलता है।

वसिथापन और पुनः प्रशिक्षण सहायता

उदाहरणों में ये शामिल हो सकते हैं:

- नौकरी बैक स्थापित करना या कर्मचारियों को नकिटवर्ती उद्योगों या समुदाय में रोजगार के अवसर दिलाने में सहायता करना।
- कर्मचारियों को संभावित नौकरी के अवसरों के बारे में सूचित करने की प्रक्रिया स्थापित करना।
- स्थानीय मीडिया में भुगतान वाले वजिजापन देकर संभावित नियोक्ताओं से प्रभावित कर्मचारियों को नई भर्ती में प्राथमिकता देकर उनकी सहायता करने का आह्वान करना।

चकित्सा लाभ

कानूनी रूप से अलावा सहायता के अतिरिक्त, गर्भवती कर्मचारियों तथा गंभीर चकित्सा स्थिति वाले कर्मचारियों को उनकी स्थिति के अनुरूप अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।

सरकारी लाभ प्राप्त करने में सहायता

कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में शक्ति करना तथा उपयुक्त स्थानीय सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करना। इसमें सरकारी एजेंसियों और उपयुक्त NGO को सुवधि केंद्र या किसी अन्य सुवधिजनक स्थान पर बुलाना शामिल हो सकता है, ताकि वे जानकारी दे सकें और सरकारी सहायता प्राप्त करने तथा सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच बनाने के लिए फॉर्म भरने में कर्मचारियों की सहायता कर सकें।



51.2.8 उचित वेतन की प्रगतशील प्राप्त

सुवधि केंद्र को ऐसी प्रक्रिया विकसित करने और लागू करने के लिए प्रतबिद्ध होना चाहिए जो कर्मचारी मुआवजे (मजदूरी और लाभ) को कर्मिक रूप से कर्मचारियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और विकाधीन आय प्रदान करने के लक्ष्य की ओर ले जाए। आगे दी गई कार्यवाहियाँ इस दायित्व को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

वेतन एवं लाभ का भुगतान

सुवधि केंद्र को संहिता और CLS में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करना जारी रखना होगा, ताकि अपने कर्मचारियों को स्थानीय कानून द्वारा अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी या प्रचलित मजदूरी, जो भी अधिक हो, का भुगतान सही ढंग से और तुरंत किया जा सके; छुट्टियों और अवकाशों सहित कानूनी रूप से ज़रूरी लाभ प्रदान किए जा सकें; तथा सामाजिक बीमा के सभी वनियमों का अनुपालन किया जा सके।

भुगतान प्रणालियाँ

सुवधि केंद्र को ऐसी वेतन प्रणाली स्थापित करनी होगी जो आगे दिए गए वचारों के आधार पर नयिमति रूप से कर्मचारी मुआवजे की समीक्षा और समायोजन करती है:

- स्थानीय कानून के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम मजदूरी।
- सुवधि केंद्र की व्यावसायिक ज़रूरतें।
- कंपनी में प्रत्येक पद के लिए कर्मचारियों को अलग अलग स्तर की शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और पेशेवर अनुभव का प्रदर्शन करना आवश्यक है।
- मुआवजा प्रोत्साहन कार्यक्रम जो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रदर्शन को प्रसूकृत करते हैं।
- श्रम बाजार में समान कंपनियों और / या सुवधि केंद्र के मुख्य प्रतस्पर्धियों की मुआवजा प्रथाओं के आधार पर प्रतस्पर्धी वेतन का भुगतान।
- मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्यों में परिवर्तन के विरुद्ध मजदूरी की निगरानी करना, ताकि कर्मचारियों को वास्तविक रूप में उनकी मजदूरी में कमी न हो।
- समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना तथा गैर भेदभावपूर्ण मुआवजा प्रथाएँ लागू करना।
- इस बात का ध्यान रखना कि कर्मचारियों को अत्यधिक घंटों तक काम करने की आवश्यकता न हो तथा ओवरटाइम घंटों के लिए प्रीमियम दरो पर भुगतान किया जाए।

नीतियाँ और प्रक्रियाएं

सुवधि केंद्र को इस 'मुआवजा और लाभ का समय पर भुगतान किया जाता है CLS' में दी गई प्रतबिद्धताओं को दर्शाने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करने या फिर से संरक्षित करने की योजना बनानी होगी। सुवधि केंद्र को मुआवजा प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के संबंध में प्रशिक्षित करना होगा।

संचार और सामाजिक संवाद

कर्मचारियों को मुआवजे के बारे में पर्याप्त और नरितर जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्थानीय कानूनों के अनुरूप, सुवधि केंद्र को अपने कर्मचारियों के संगठन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

प्रशिक्षण एवं विकास

सुवधि केंद्र को कंपनी के सभी स्तरों पर कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास कार्यक्रम प्रदान करना होगा, जिसमें संचालक, सुपरवाइज़र (टीम और समूह के लीडर), कर्मचारी और प्रबंधक शामिल हैं।



51.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रकिॉर्ड प्रतधिरण आवश्यकताएं देखें।





52. नयिमति रोजगार उपलब्ध कराया जाता है

52.1 मानक

कार्य स्थानीय कानून और व्यवहार के माध्यम से स्थापित मान्यता प्राप्त रोजगार संबंध के आधार पर किया जाना चाहिए।

Nike उत्पाद के निर्माण के लिए सुविधा केंद्र को किसी भी प्रकार की घरेलू कार्य व्यवस्था का उपयोग नहीं करना चाहिए।

52.2 आवश्यकताएं

52.2.1 पंजीकरण

सुविधा केंद्र को कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में स्थानीय कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

52.2.2 रोजगार के अनुबंध

सुविधा केंद्र को रोजगार अनुबंधों के उपयोग के संबंध में स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा, जिसमें कर्मचारियों के पास लिखित रोजगार अनुबंध होने की आवश्यकता के साथ ही रोजगार अनुबंध की शर्तें, अवधि और / या नवीनीकरण शामिल हैं।

सुविधा केंद्र को कर्मचारी के रोजगार अनुबंध में बताए गए नयिमों और शर्तों को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा, जो कि कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषाओं (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह समझी जाने वाली) में लिखी होनी चाहिए।

जहाँ रोजगार अनुबंधों का उपयोग किया जाता है, वहाँ कर्मचारियों को रोजगार में प्रवेश करने से पहले उनकी भाषा (मूल, पसंदीदा या सबसे अच्छी तरह समझी जाने वाली) में उनके रोजगार अनुबंधों की प्रतियाँ दी जानी चाहिए।

52.2.3 अस्थायी कर्मचारियों और अल्पकालिक अनुबंधों का उपयोग

सुविधा केंद्र को अस्थायी (केवल श्रम अनुबंध) या अल्पावधि नश्वर अवधि के अनुबंधों का बहुत ज्यादा उपयोग करके, नयिमति रोजगार संबंधों के तहत स्थानीय श्रम या सामाजिक सुरक्षा कानूनों में बताए गए दायित्वों से बचना नहीं चाहिए।

जहाँ कानूनी रूप से अनुमति हो, अस्थायी श्रमिकों का उपयोग, जहाँ तक संभव हो, केवल मौसमी कार्य, व्यस्ततम सीजन की मांग को पूरा करने, या अल्पकालिक रकितियों को भरने या एक वर्ष से कम अवधि वाली श्रमिकों की भरती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया जाना चाहिए।

अस्थायी श्रमिकों या अल्पकालिक अनुबंधों के संभावित अत्यधिक उपयोग के उदाहरणों में ये शामिल हैं:

- नरितर रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक अस्थायी श्रमिकों का व्यापक उपयोग।
- अल्पकालिक अनुबंधों का व्यापक नवीनीकरण, जहाँ इस तरह का अभ्यास श्रमिकों को बर्खास्तगी वेतन, सामाजिक सुरक्षा कार्यकाल और अन्य लाभों के पूर्ण अधिकार से वंचित करता है।
- आमतौर पर किसी सुविधा केंद्र में 15% से अधिक श्रमिक अस्थायी या अल्पकालिक अनुबंध पर होते हैं।

इस क्षेत्र में रोजगार के कानून और अभ्यास जटिल हैं तथा विभिन्न देशों में काफी अलग-अलग हैं। इस CLS का अनुप्रयोग स्थानीय कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है।



52.2.4 प्रशिक्षु कार्यक्रम

एक नयिम के रूप में, प्रशिक्षण मजदूरी का भुगतान या अप्रेंटिस प्रोग्राम में भागीदारी की अनुमति नहीं दी जाती है, जहां ऐसे प्रोग्राम के परिणामस्वरूप नयिमति श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन से कम मजदूरी का भुगतान या श्रमिक लाभ का प्रावधान होता है।

अपवाद के रूप में, ऐसे प्रोग्राम को मामला-दर-मामला आधार पर लिखित रूप में अनुमोदित किया जा सकता है, जहां प्रोग्राम इस प्रकार हो:

- स्थानीय कानून के अनुपालन में और उसके लिए प्रावधान किया गया हो।
- यह प्रशिक्षणार्थियों को कार्य के कौशल प्रदान करने और / या नयिमति रोजगार दिलाने के लाभ के लिए डिज़ाइन किया गया हो।
- प्रोग्राम में प्रशिक्षु की भागीदारी की अवधि सीमित होती है (आम तौर पर छह महीने से अधिक नहीं)।
- प्रशिक्षुओं को कानूनी न्यूनतम वेतन या उससे अधिक वेतन दिया जाता है।
- इस प्रोग्राम का उपयोग रोजगार संबंध से उत्पन्न श्रम या सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत सुविधा केंद्र के दायित्वों से बचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है।

52.2.5 घर से काम करने की व्यवस्था नबिद्धि

सुविधा केंद्र संहिता और CLS का अनुपालन करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए परसिर Nike उत्पाद के उत्पादन के लिए किसी भी रूप में घर से काम करने की व्यवस्था का उपयोग नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों को नयिमति कार्यस्थल के बाहर Nike उत्पादन कार्य नहीं करना होगा।

जहां सुविधा केंद्र ने अन्य खरीदारों (गैर-Nike उत्पादन) के लिए घर पर काम करने की व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, वहां परसिर को यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि Nike उत्पाद का उत्पादन जानबूझकर या अनजाने में घर पर नहीं किया जाता है।

52.3 रिकॉर्ड प्रतधारण संबंधी आवश्यकताएं

1.3 रिकॉर्ड प्रतधारण आवश्यकताएं देखें।



शब्दकोष

A

Abrasive blasting (एब्रेसिव ब्लास्टिंग)। डेनमि और अन्य परधिन उत्पादों को घिसा हुआ लुक देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई समापन तकनीकों में से एक। इस प्रक्रिया में ठोस एब्रेसिव के प्रभाव को तेज़ करने के लिए संपीडित वायु का उपयोग किया जाता है।

Abrasive blasting equipment (एब्रेसिव ब्लास्टिंग उपकरण)। एब्रेसिव ब्लास्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरण, जिनमें ब्लास्टिंग कैबिनेट, हॉपर डब्ले और स्प्रे होज़ शामिल हैं।

Abrasives (एब्रेसिव)। एक ऐसा ठोस पदार्थ, जिसमें क्रिस्टलीय सलिका हो सकती है, यहाँ तक कि अल्प मात्रा में भी, जिसका उपयोग किसी पदार्थ को घिसने के लिए किया जाता है। सामान्य एब्रेसिव के उदाहरणों में रेत, एल्युमीनियम ऑक्साइड, गार्नेट, एल्युमीनियम सलिकेट, कॉपर स्लैग और आयरन स्लैग शामिल हैं।

Acclimatization (पर्यनुकूलन)। विभिन्न वातावरणों (जैसे शोर, गंध और तापमान) में काम करने के लिए शरीर का अनुकूलन।

Additionality (अतिरिक्तता)। एक ऐसा लेन-देन, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अतिरिक्त स्रोत का निर्माण करता है, जो अन्यथा संभव नहीं होता।

Affected workers (प्रभावित श्रमिक)। वे लोग, जो खतरों और विशेष उपकरणों के साथ काम करते हैं, जिन्हें अतिरिक्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

ANSI अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान

Asbestos-containing material (एस्बेस्टस-युक्त सामग्री, ACM)। कोई भी ऐसी सामग्री, जिसमें भार के अनुसार 1% से अधिक एस्बेस्टस हो। एस्बेस्टस खनजि के प्रकारों में क्रोकोडिलाइट, एमोसाइट, क्राइसोटाइल, एंथोफिलाइट, ट्रेमोलाइट और एक्टनीलाइट शामिल हैं।

Asbestos (एस्बेस्टस)। यह लंबे पतले रेशों से बना एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनजि है। ये रेशे धूल के रूप में सांस के ज़रिए अंदर जाने पर खतरनाक हो सकते हैं और फेफड़ों के कैंसर के खतरे को बढ़ाने में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं।

B

Bargain in good faith (सद्भावनापूर्वक सौदेबाजी करें)। नियमिति रूप से मलिना और किसी मुद्दे पर सहमत तक पहुंचने की इच्छा के साथ चर्चा करना।

Biological hazard (जैविक खतरा)। एक वायुजनित कार्बनिक प्रदूषक, जो या तो किसी जीवित जीव द्वारा उत्पन्न होता है या स्वयं एक जीवित जीव होता है (जैसे बायो-एरोसोल के रूप में भी जाना जाता है)। सामान्य बायो-एरोसोल में बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फफूंद, भुकड़ी, धूल के कण, बीजाणु, लिजियिनेला और पराग शामिल हैं।

Blacklisting (ब्लैकलिस्ट करना)। कानूनी रूप से संरक्षित स्थिति या गैर-कार्य-संबंधी मानदंडों के आधार पर रोजगार देने से इनकार करना या किसी अन्य दंड के उद्देश्य से श्रमिकों या संभावित श्रमिकों की सूची बनाना, बनाए रखना, उपयोग करना और / या बताना।

Bloodborne pathogens (रक्त-जनित रोगजनक)। मानव रक्त में मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव, जो मनुष्यों में रोग पैदा कर सकते हैं। इन रोगजनकों में हेपेटाइटिस B वायरस (HBV) और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। रक्त के अतिरिक्त, रोगजनक अन्य तरल पदार्थों जैसे लार, नाक के स्राव, पसिना, मूत्र और मल में भी पाए जा सकते हैं।

Bonded labor (बंधुआ श्रम)। अनुबंध का एक रूप, जिसमें ऋण या कर्ज का भुगतान किसी श्रमिक या परिवार के सदस्य के प्रत्यक्ष श्रम द्वारा किया जाता है, तथा प्रदान किए गए श्रम का मूल्य (जैसा कि उचित रूप से मूल्यांकित किया गया हो) ऋण के परिसमापन के लिए लागू नहीं किया जाता है, या श्रम की अवधि और प्रकृति को उचित रूप से सीमित या परिभाषित नहीं किया जाता है।

C

Canister or cartridge (कैनिसटर या कार्ट्रिज)। एक ऐसा कैनिसटर, जिसमें फिल्टर, सोरबेंट या उत्प्रेरक, या इन वस्तुओं का संयोजन होता है, जो कैनिसटर से गुजरने वाली हवा से विशिष्ट प्रदूषकों को हटाता है।

Certified inspector (प्रमाणित निरीक्षक)। वह व्यक्ति, जो प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर किसी मशीन का अंतरराष्ट्रीय मशीन सुरक्षा मानकों के अनुसार मूल्यांकन कर सकता है। खास तौर पर, इस व्यक्ति को किसी प्रतष्ठित तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया होता है।

Chemical hazard (रासायनिक खतरा)। किसी रसायन के कारण उत्पन्न खतरा; यह शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी खतरा हो सकता है।



Chlorofluorocarbons (CFC) (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)। पूरण या आंशिक रूप से हैलोजनयुक्त पैराफिन हाइड्रोकार्बन, जिसमें केवल कार्बन (C), क्लोरीन (Cl) और फ्लोरीन (F) होते हैं। आमतौर पर वातानुकूलित इकाइयों या चिलर्स में रेफ्रिजरेट के रूप में उपयोग किए जाने वाले CFC के उदाहरणों में R-11 और R-12 शामिल हैं। CFC शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस (GHG) है, जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की तुलना में गर्मी को रोकने में अधिक प्रभावी है और इनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO₂ से सैकड़ों से हजारों गुना ज्यादा है।

Closed-loop recycling (बंद लूप रीसाइकलिंग)। रसाइकलिंग का एक रूप, जिसमें रद्दी सामग्रियों को उत्पादन में फिर से शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है। कारखाना या कोई बाहरी वकिरेता प्रोसेसिंग (जैसे पिसाई, फलिमांकन आदि) कर सकता है।

Coal (कोयला)। कार्बन और हाइड्रोकार्बन की उच्च मात्रा वाला एक ज्वलनशील काली या भूरी-काली तलछटी वाली चट्टान। यह एक गैर-नवीकरणीय ईंधन है, जिसका उपयोग आमतौर पर भाप उत्पादन में किया जाता है।

Compensation (मुआवजा)। वेतन और लाभ (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक), जो सुविधा केन्द्र श्रमिकों को प्रदान करती है।

Compressed air system (संपीड़ित वायु प्रणाली)। उप-प्रणालियों का एक समूह, जिसमें घटकों का एकीकृत सेट शामिल है, जिसमें एयर कम्प्रेसर, वायु उपचार उपकरण, नियंत्रण, पाइपिंग, वायवीय उपकरण, वायवीय रूप से संचालित मशीनरी, तथा संपीड़ित वायु का उपयोग करने वाले प्रक्रिया अनुप्रयोग शामिल हैं।

Confined space (सीमित स्थान)। कोई भी स्थान जो किसी व्यक्तिके प्रवेश के लिए पर्याप्त बड़ा हो, उसमें प्रवेश और निकास के लिए सीमित साधन हों, तथा उसे लगातार रहने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया हो। उदाहरणों में मैनहोल, सीवर, सुरंगें, बॉयलर, भंडारण टैंक और गड्ढे शामिल हैं।

Construction project (नरिमाण प्रोजेक्ट)। किसी भवन, संरचना या बुनियादी ढांचे के नरिमाण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए एक संगठित प्रक्रिया। नरिमाण परियोजना में आम तौर पर वनरिमाण, साज-सज्जा सामग्री या रखरखाव और सेवा कार्य की गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जो किसी भी नरिमाण गतिविधि से अलग होती हैं। नरिमाण के प्रोजेक्ट से तात्पर्य नए भवनों या अन्य महत्वपूर्ण सुधारों के नरिमाण या मौजूदा सुधारों में परिवर्तन से हैं, और इसमें ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, वसति और सैटेलाइट सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

D

Dead load (स्थिर भार)। किसी भवन या संरचना के सभी स्थायी संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक घटकों के वजन के कारण भार। उदाहरणों में दीवारें, फर्श, छत और स्थायी सेवा उपकरण शामिल हैं।

Document or documentation (दस्तावेज़ या दस्तावेज़ीकरण)। मुद्रति, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित जानकारी। इसमें अनुबंध और समझौते, रपिर्ट, नोटसि, घोषणाएं, श्रमिकों की शिकायतें और अभियोग, कंप्यूटर फाइलें, ईमेल, कर्मियों की फाइलें, पेरोल और समय देखरेख के रिकॉर्ड, उत्पादन रिकॉर्ड और अन्य पत्राचार शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

Domestic migrant workers (घरेलू प्रवासी श्रमिक)। उत्पादन या परिचालन श्रमिक, जिन्हें सीधे तौर पर या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से भर्ती किया जाता है और जो रोज़गार के वशिष्ट उद्देश्य से अपने स्थायी निवास के देश के भीतर ही अपने निवास स्थान से दूसरे राज्य या प्रांत में प्रवास करते हैं या कर चुके हैं। ये श्रमिक आमतौर पर अनुबंध द्वारा नरिधारित और अस्थायी आधार पर स्थानांतरित होते हैं।

Domestic wastewater (घरेलू अपशिष्ट जल)। अपशिष्ट जल, जिस सैनिटरी अपशिष्ट जल के रूप में भी जाना जाता है, रसोईघर, डॉरमेटरी, शौचालय, सिक और शायर सहित घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होता है, तथा आगे उपयोग के लिए अपर्याप्त गुणवत्ता का होता है।

Dormitory (डॉरमेटरी)। एक ऐसी आवासीय सुविधा, जिसमें एक कमरे में कई एकल बसितर होते हैं, तथा अक्सर साझा बाथरूम की सुविधाएं भी होती हैं।

Downcycling (डाउन साइकलिंग)। रसाइकलिंग का एक रूप, जहां एक बाह्य तृतीय-पक्ष Nike और Nike-प्रायोजति भागीदारों के अलावा अन्य पक्षों द्वारा उपयोग के लिए ठोस अपशिष्ट को रसाइकल करता है।

E

EHS पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

EHS Competent Person (EHS सक्षम व्यक्ती)। एक ऐसा पेशेवर, जो मौजूदा और पूर्वानुमानित खतरों (कार्य वातावरण में या कार्य स्थितियों में) की पहचान कर सकता है, जो श्रमिकों के लिए अस्वास्थ्यकर, खतरनाक या भयानक तौर पर घातक हों। सक्षम व्यक्ती पदनाम के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ती के पास खतरों को समाप्त करने के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार हो।

EHS Practitioner (EHS प्रैक्टिशियर)। एक ऐसा पेशेवर, जो खास तौर पर एक EHS पेशेवर द्वारा डिज़ाइन की गई रणनीति और कार्यों को लागू करता है। EHS प्रैक्टिशियर EHS प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने, प्रशिक्षण आयोजित करने, तथा EHS जोखिमों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों, प्रक्रियाओं और सामान्य अभ्यास समाधानों का उपयोग करके सुरक्षित कार्य वातावरण में सहायता करता है तथा तकनीकी आवश्यकताओं, लागू कानूनों और व्यवहारिक जोखिम नियंत्रणों के साथ मॉनिटरिंग और अनुपालन को बढ़ावा देता है।



EHS Professional (EHS पेशेवर)। व्यावसायिक प्रक्रियाओं और बाह्य वनियामक, बाज़ार और सामाजिक प्रभावों के व्यापक संदर्भ में EHS की संगठनात्मक क्षमताओं और प्रबंधन से जुड़ी रणनीति तैयार करता है। EHS पेशेवर एंटरप्राइज़ और सुविधा केंद्र जोखिमों के संबंध में संगठन को अलग-अलग प्रकार की सलाह, सहायता और वशिलेषण मुहैया कराते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी संगठन के EHS सक्षम व्यक्तियों को नामित करने की होती है।

Electronic waste or E-waste (इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई-वेस्ट)। वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो अपने उपयोगी जीवन के अंत तक पहुंच गए हैं, जिनमें सभी घटक, उप-संयोजन और उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं, जो त्यागने के समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का हिस्सा थीं।

Electric and magnetic field (EMF) radiation (इलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्षेत्र (EMF) रेडिएशन)। किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण के चारों ओर इलेक्ट्रिक और चुंबकीय बल। शोध में पाया गया है कि EMF रेडिएशन के उच्च स्तर से स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव पड़ता है।

Elevator (लफ्ट)। एक ऐसा उठाने वाला उपकरण, जिसमें एक प्लेटफॉर्म या पजिरा होता है, जिस एक खड़े कपि गए शॉफ्ट में यांत्रिक रूप से ऊपर उठाया और नीचे उतारा जाता है, ताकि लोगो या सामग्रियों को भवन में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाया जा सके।

Employment eligibility fees (रोजगार पात्रता शुल्क)। भरती (भर्ती शुल्क और संबंधित लागतों सहित) और रोजगार (जैसे वर्दी, नौकरी के उपकरण या सुरक्षा गियर) से जुड़े सभी शुल्क और लागतें।

Energy recovery (ऊर्जा पुनर्प्राप्ति)। एक ऐसी प्रक्रिया, जिसमें ठोस अपशिष्ट के सम्पूर्ण भाग या उसके एक भाग को सामग्री में से ताप का कंटेयट या अन्य प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया की जाती है।

Environmental Attribute (पर्यावरणीय वशिषता, EA)। किसी वशिष प्रोजेक्ट या यंत्र से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी की मान्यता।

Ergonomics (एर्गोनॉमिक्स)। लोगो और उनके काम के बीच सुरक्षित और कुशल संपर्क को अधिकतम करने के लिए उपकरणों और संचालन प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने का विज्ञान।

Extraordinary circumstances (असाधारण परिस्थितियाँ)। सुविधा केंद्र के नियंत्रण से बाहर की स्थितियों को खास तौर पर अप्रत्याशित घटना के रूप में समझा जाता है। इसमें प्राकृतिक आपदाएं (जैसे आग, बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा), दुश्मनी या नागरिक अशांति, तथा बजिली जैसी आवश्यक उपयोगिताओं में रुकावट या वफिलता शामिल हैं।

F

Fall protection system (गरिने से सुरक्षा की प्रणाली)। कई स्वीकृत सुरक्षा उपकरण घटक, जैसे कि बाँड़ी हार्नेस, शॉक एब्जॉर्बिंग लैन्यर, डिसिलेरेशन डविइस, खड़ी की गई लाइफलाइन और एंकरेज, मुक्त गिरावट को रोकने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं।

Finishing technique (फनिशिंग तकनीक)। भौतिक, जैविक या रासायनिक एजेंट का उपयोग करके उपभोक्ता उत्पाद के स्वरूप या बनावट को बदलना।

First aid (प्राथमिक चिकित्सा)। किसी घायल व्यक्ति को दिया गया मामूली चिकित्सा उपचार। जब तक कि व्यक्ति को पेशेवर चिकित्सा देखभाल नहीं मिल जाती, तब तक इसका उपयोग अकेले या प्रारंभिक उपचार के रूप में किया जा सकता है।

Fit test (फिट परीक्षण)। किसी व्यक्ति पर गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से श्वसनयंत्र के फिट होने का मूल्यांकन करने के लिए प्रोटोकॉल। गुणात्मक फिट परीक्षण (QLFT) और मात्रात्मक फिट परीक्षण (QNFT) भी देखें।

Forced labor (जबरन श्रम)। दंड की धमकी के तहत प्राप्त किया गया कोई कार्य या सेवा या जिसके लिए संबंधित व्यक्तियों स्वयं को स्वेच्छा से प्रस्तुत नहीं किया हो। Foreign migrant workers (वदेशी प्रवासी श्रमिक)। उत्पादन या परिचालन के ऐसे श्रमिक, जो प्रत्यक्ष रूप से या किसी तृतीय-पक्ष के ज़रिए भरती कपि जाते हैं, और रोजगार के वशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने मूल देश से किसी अन्य देश में प्रवास करते हैं या कर चुके हैं, जहां वे स्थायी नवासी नहीं हैं।

Freshwater (ताज़ा पानी)। आने वाले पानी के स्रोत: नगरपालिका / शहर का समग्र जल, भूजल, सतही जल, वर्षा जल, और संचनित पदार्थ का उपयोग जहां संचनित पदार्थ बाहरी भाप स्रोत से आता है, जिस संचालन के दौरान साइट पर उपयोग के लिए एक्टर या प्राप्त किया जाता है।

Fugitive emissions (क्षणभंगुर उत्सर्जन)। मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषकों का अनजाने में उत्सर्जन। उदाहरणों में टैंक उत्सर्जन, पाइप लीक और नरिमाण धूल शामिल हैं।

G

General contractor (सामान्य ठेकेदार)। ऐसा मुख्य या प्रमुख ठेकेदार, जो नरिमाण स्थल की दनि-प्रतदिनि की नगिरानी, वकिरेताओं और व्यापारियों का प्रबंधन, तथा नरिमाण के प्रोजेक्ट के दौरान सभी पक्षों को सूचना जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होता है।

Greenhouse gases (ग्रीनहाउस गैसें, GHG)। वायुमंडलीय गैसें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं। प्रमुख GHG कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄) और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) हैं। कम प्रचलित लेकिन बहुत शक्तिशाली GHG हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC), परफ्लोरोकार्बन (PFC) और सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆) हैं। GHG उत्सर्जन आम तौर पर जीवाश्म ईंधनों, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के दहन से जुड़ा होता है, जिनका उपयोग बजिली या तापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और औद्योगिक प्रक्रियाओं या उपकरणों में अनपेक्षित रिसाव से भी इसका उत्सर्जन होता है।



H

Hazardous energy (खतरनाक ऊर्जा)। कोई भी ऐसी संग्रहित या अवशेषित ऊर्जा, जो अप्रत्याशित रूप से ऊर्जा देने वाले आरंभ या संग्रहित ऊर्जा के मुक्त होने के परिणामस्वरूप नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, हाइड्रोलिक ऊर्जा, यांत्रिक गति तथा संभावित या संग्रहित ऊर्जा का कोई अन्य रूप शामिल है।

Hazardous material (खतरनाक सामग्री)। ऐसा पदार्थ या सामग्री, जो अपने उपयोग किए जाने, भंडारण या परिवहन किए जाने पर या अन्य कारकों के साथ अंतःक्रिया के ज़रिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण या संपत्ति के लिए खतरा पैदा करता है।

Hazardous waste (खतरनाक अपशिष्ट)। ऐसा अपशिष्ट, जो एक या अधिक विशेष गुण प्रदर्शित करता है — ज्वलनशीलता, संक्षारकता, प्रतिक्रियात्मकता या विषाक्तता — तथा अनुचित तरीके से उपचारित, संग्रहित या परिवहन किए जाने पर स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण या संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न करता है।

Hazardous waste contractor (खतरनाक अपशिष्ट ठेकेदार)। एक ऐसा तृतीय-पक्ष वकिरेता, जिसके साथ सुविधा केन्द्र खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन, परिवहन, उपचार या निपटान के लिए अनुबंध करता है।

Hearing conservation program (श्रवण संरक्षण कार्यक्रम)। एक ऐसी लिखित योजना, जो आरंभिक व्यावसायिक श्रवण हानि को रोकने, श्रवण शक्ति को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने, तथा श्रमिकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान एवं श्रवण सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए बनाई गई है।

Heat stress (ताप तनाव)। यह कई चिकित्सीय स्थितियों के लिए व्यापक शब्द है, जैसे कि गर्मी से थकावट, गर्मी से ऐठन (मांसपेशियों में दर्द या ऐठन), और लू लगना, जो गर्म जगहों में काम करने के कारण होता है।

Heavy fuel oil (भारी ईंधन तेल)। कच्चे तेल के आसवन और तत्पश्चात क्रैकिंग के बाद बचा हुआ अवशेषित तेल। अन्य प्रकार के ईंधन तेलों की तुलना में भारी ईंधन तेल के दहन के दौरान कार्बन उत्सर्जन अन्य प्रकार के ईंधन तेलों की तुलना में बहुत अधिक होता है। भारी ईंधन तेल गैर-नवीकरणीय है और इसका उपयोग अक्सर औद्योगिक अनुप्रयोगों में भाप उत्पादन के लिए किया जाता है।

Hot work (तप्त कार्य)। कोई भी वेल्डिंग, काटने, पीसने या अन्य गतिविधि जिसमें खुली लपेट, चिंगारी या अन्य प्रज्वलन स्रोत शामिल हों, जिससे धुआं या आग लग सकती है, या पहचान प्रणालियां ट्रिगर हो सकती हैं।

Hourly workers (प्रति घंटा काम करने वाले श्रमिक)। श्रमिक, जैसे उत्पादन और परिचालन श्रमिक, जिन्हें स्थानीय कानून के अनुसार प्रति घंटे के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाना आवश्यक है (गैर-छूट प्राप्त श्रमिक)। प्रति घंटा काम करने वाले कर्मचारियों में प्रबंधन स्टाफ या स्थानीय कानून द्वारा स्वीकृत के अनुसार वेतन के आधार पर भुगतान पाने वाले अन्य लोग शामिल नहीं हैं।

Hydrochlorofluorocarbons (हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC)। पूर्ण या आंशिक रूप से हैलोजनयुक्त पैराफिन हाइड्रोकार्बन, जिसमें केवल कार्बन (C), हाइड्रोजन (H), क्लोरीन (Cl), और फ्लोरीन (F) होते हैं। आमतौर पर वातानुकूलित इकाइयों या चिलर्स में रेफ्रिजेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले HCFC के उदाहरणों में R-21 और R-22 शामिल हैं। HCFC प्रभावकारी GHG है, जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की तुलना में गर्मी को रोकने में अधिक प्रभावी है और इनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO₂ से सैकड़ों से हजारों गुना ज्यादा है।

Hydrofluorocarbons (हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC)। पूर्ण या आंशिक रूप से हैलोजनयुक्त पैराफिन हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन (C), हाइड्रोजन (H), और फ्लोरीन (F) होते हैं। आमतौर पर वातानुकूलित इकाइयों या चिलर्स में रेफ्रिजेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले HFC के उदाहरणों में R-410A और R-134a शामिल हैं। CFC और HCFC के विपरीत, HFC ओजोन को नष्ट नहीं करते हैं। HFC प्रभावकारी GHG है, जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की तुलना में गर्मी को रोकने में अधिक प्रभावी है और इनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO₂ से सैकड़ों से हजारों गुना ज्यादा है।

I

Incineration (भस्मीकरण)। एक ऐसी प्रक्रिया, जिसमें ठोस अपशिष्ट को ऊर्जा की पुनः प्राप्ति के बजाए जला दिया जाता है। दहन को ऐसे कक्षों में नियंत्रित किया जाता है, जो अपशिष्ट को राख में परिवर्तित करने, दहन गैसों को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने तथा वायु उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं।

Indoor air quality (आंतरिक वायु गुणवत्ता)। भवनों के अंदर वायु की स्थिति, जिसमें सामग्री, प्रक्रियाओं और उपकरणों से निकलने वाले धुएं, धूल, तेज गंध से युक्त धुएं, धुंध, जैविक खतरों, गैसों और रसायनों के कारण होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं।

Infectious and contagious diseases (संक्रामक एवं संचारी रोग)। रोगजनक सूक्ष्मजीवों, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक के कारण होने वाली बीमारियां; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारियां फैल सकती हैं।

Involuntary servitude (अनैच्छिक दासता)। गंभीर क्षति, शारीरिक अवरोध या कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के वास्तविक या कथित खतरे के तहत किया गया कार्य या सेवाएं।



Ionizing radiation (आयोनाइजिंग रेडिएशन)। वदियुत चुंबकीय तरंगों और / या उपपरमाण्विक कणों के रूप में उत्सर्जित रेडिएशन का एक ऐसा रूप, जिसमें अणुओं में रासायनिक बंधनों को तोड़ने या परमाणुओं से कसकर बंधे इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। उदाहरणों में एक्स-रे, अल्फा और बीटा कण, तथा गामा रेडिएशन शामिल हैं।

L

Labor agents (श्रम एजेंट)। नज्दी रोजगार एजेंसियां, भर्ती एजेंसियां, श्रम भर्तीकर्ता, प्रेषण एजेंसियां, श्रम दलाल, तथा सुवधा केंद्र के श्रमिकों की भर्ती, चयन, नियुक्ति, परिवहन, और / या प्रबंधन में शामिल कोई भी अन्य तृतीय पक्ष।

Landfilling (लैंडफिलिंग)। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का ऐसा तरीका, जिसमें ठोस अपशिष्ट को एक योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए सुवधा केंद्र में जमीन की सतह पर या उसके नीचे रखा जाता है, जिससे इस तरह से डज़ाइन, निर्मित और संचालित किया जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव न्यूनतम हो।

Laser (लेजर)। ऐसा डिवाइस जो रोशनी की एक पतली सी शक्तिशाली करिण पैदा करता है, जो साधारण रोशनी से इस मायने में अलग होती है कि वह एकवर्णी (एक रंग), व्यवस्थित और दशात्मक होती है। लेजर का उपयोग आमतौर पर सामग्रियों को काटने के लिए किया जाता है।

Live load (सक्रिय भार)। किसी भवन के उपयोग और अधिभोग द्वारा लगाया गया भार।

Local laws or legal requirements (स्थानीय कानून या कानूनी आवश्यकताएँ)। देश स्तर से नीचे तक सभी लागू कानूनी और नयामक आवश्यकताएँ, जो किसी वशिष्ट स्थान पर किसी सुवधा केंद्र के संचालन पर लागू होती हैं। उदाहरणों में संघीय, क्षेत्रीय, राज्य, प्रांतीय और शहर की कानूनी और नयामक आवश्यकताएँ शामिल हैं।

Lock-out / Tag-out (लॉक-आउट / टैग-आउट, LOTO)। मशीनरी और उपकरणों के अप्रत्याशित रूप से वदियुतीकरण या चालू होने से या रखरखाव गतिविधियों के दौरान खतरनाक ऊर्जा के उत्सर्जन होने से, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वशिष्ट अभ्यास और प्रक्रियाएँ।

M

Machine guarding (मशीन की सुरक्षा)। ऐसे भौतिक उपकरण जिनका उपयोग ऑपरेटर और मशीनों के साथ काम करने वाले अन्य श्रमिकों को खतरों से बचाने के लिए किया जाता है, जैसे कि अंदर जाते हुए नपि पॉइंट, घूमते हुए पुरजे, उड़ते हुए मलबे के टुकड़े और चगारियाँ। सुरक्षा वधियों के उदाहरण हैं बैरियर गार्ड, दो-हाथ वाले ट्रिपिंग डिवाइस तथा इंटरलॉक।

Machine safety (मशीन सुरक्षा)। किसी मशीन का सुरक्षित डिजाइन, जिसमें वदियुतीय सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा शामिल है।

Management of Change (परिवर्तन प्रबंधन)। यह सुनिश्चित करने का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण कि महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करने से पहले वधिय वशिषज्जों द्वारा पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन किया जाए।

Manufacturing restricted substances list (वनिर्माण प्रतबंधित पदार्थों की सूची, MRSLS)। वनिर्माण वातावरण में जानबूझकर उपयोग से प्रतबंधित रासायनिक पदार्थों की सूची।

Material-handling equipment (सामग्री-प्रबंधन उपकरण, MHE)। सामग्रियों के प्रबंधन और संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले यांत्रिक डिवाइस। MHE में सामग्री प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले मैन्युअल (जैसे कि मैन्युअल पैलेट जैक) और पावर्ड (जैसे कि, फ़ोर्कलफ़्ट) उपकरण के साथ ही, उन सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण (जैसे कि स्टोरेज शेल्फ़ या रैक) शामिल हैं। MHE में ऑटोमैटिक संचालित औद्योगिक ट्रक (PIT) भी शामिल हैं, जिनके लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि ऑटोमैटिक गाइडेड वेहिकल (AGV) और ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट (AMR)।

Migrant workers (प्रवासी मजदूर)। सुवधा केंद्र के उत्पादन या परिचालन कर्मचारी, जिनहे सीधे या किसी तृतीय पक्ष के ज़रिए भर्ती किया गया है और रोजगार के वशिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने मूल देश, राज्य या प्रांत से किसी अन्य देश, राज्य या प्रांत में प्रवास करते हैं या कर चुके हैं, जहां वे स्थायी नवासी नहीं हैं। इस दस्तावेज़ में *प्रवासी मजदूरों* का उपयोग वदिशी प्रवासी मजदूरों और घरेलू प्रवासी मजदूरों, दोनों का प्रतनिधित्व करने के लिए किया गया है।

Modern slavery (आधुनिक गुलामी)। यह एक व्यापक शब्द है, जिसमें जबरन श्रम, ऋण बंधन और मानव तस्करी जैसी प्रथाएँ शामिल हैं।

Motorized passenger vehicle (मोटर चालित यात्री वाहन)। यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया गया मोटर चालित वाहन। उदाहरणों में शामिल हैं माइक्रो कार (गोल्फ़ कार्ट और अन्य वाहन जिनहे चलाने के लिए परिमटि की आवश्यकता नहीं होती), टैक्सी, यात्री कार, यात्री बसें, पकिअप ट्रक, बॉक्स ट्रक, सेमी-ट्रक और मोटरबाइक।

N

Near miss (नकिट चूक होना)। एक ऐसी अनयोजित घटना जिसके परिणामस्वरूप चोट, बीमारी, या संपत्ति या उपकरण की क्षति नहीं होती है, लेकिन ऐसा होने की संभावना होती है।

Night work (रात्रि कार्य)। स्थानीय कानूनी परिभाषा के अभाव में, रात्रि कार्य को किसी भी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पूर्णतः या आंशिक रूप से 22:00 बजे और 05:00 बजे के बीच किया जाता है।

Nike Restricted Substances List (Nike प्रतबंधित पदार्थों की सूची, RSL)। तैयार सामग्री, उत्पादों और संबंधित वस्तुओं में रासायनिक अनुपालन के लिए Nike का मानक। Nike RSL <https://chemistry.nike.com> पर उपलब्ध है।



NIOSH संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान।

Non-permit required confined space (बनि-अनुमत आवश्यकता वाला सीमित स्थान)। एक सीमित स्थान जिसमें मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला कोई खतरा न हो तथा जिसमें कोई वास्तविक या संभावित वायुमंडलीय खतरा न हो।

Non-point source emissions (गैर-बिंदु स्रोत उत्सर्जन)। उत्सर्जन के स्रोत जो अलग-अलग तरह के स्रोतों से वितरित होते हैं तथा जो मानवजनित या प्राकृतिक कारण हो सकते हैं।

O

Occupational noise (व्यावसायिक शोर)। कार्यस्थल पर ध्वनि सबसे आम व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता खतरों में से एक है। अत्यधिक व्यावसायिक शोर के संपर्क में लंबे समय तक रहने से व्यक्तियों की सुनने की क्षमता को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है तथा उसके जीवन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है।

On-site contractor or on-site subcontractor (साइट पर काम करने वाले ठेकेदार या उपठेकेदार)। कोई व्यक्ति या व्यवसाय जो सुविधा केंद्र के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुबंध के तहत कार्य कर रहा हो। साइट पर काम करने वाले उपठेकेदार का साइट पर काम करने वाले ठेकेदार के साथ एक संवैधानात्मक समझौता होता है और वह साइट पर काम करने वाले ठेकेदार के निर्देशन में कार्य करता है। वशिष्ट कार्य के उदाहरणों में सफाई, सुरक्षा, प्लंबिंग या वदियुत स्थापना शामिल हैं।

Operations worker (परिचालन कर्मचारी)। ऐसा कर्मचारी जिसकी प्राथमिक व्यावसायिक ज़िम्मेदारी सुविधा केंद्र में होने वाले उत्पाद को संभालना है। इसमें उठाना, पैक करना, प्राप्त करना, संग्रहण और संचालित औद्योगिक ट्रक (PIT) चलाना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। तृतीय पक्ष के ज़रिए नियुक्त किए गए अस्थायी परिचालन कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं।

OSHA संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन।

Overtime (ओवरटाइम)। स्थानीय कानून द्वारा परिभाषित नियमित कार्य घंटों के अतिरिक्त किया गया कार्य।

P

Permit-required confined space (परमिट की ज़रूरत वाला सीमित स्थान)। ऐसा सीमित स्थान जिसमें इनमें से एक या इससे ज्यादा वशिष्टताएँ हैं:

- खतरनाक वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता।
- ऐसी सामग्री जिसमें कोई कर्मचारी फंस सकता है।
- एक आंतरिक संरचना जिसके कारण किसी कर्मचारी को अंदर की ओर मुड़ी हुई दीवारों या नीचे की ओर ढलाने वाले तथा छोटे क्रॉस सेक्शन वाले फर्श के कारण फंसने या दम घुटने का खतरा हो सकता है।
- इसमें कोई अन्य ज्ञात गंभीर स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी खतरा शामिल हो।

Personal protective equipment (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, PPE)। आँखों, चेहरे, सरि और हाथ-पैरों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण; सुरक्षात्मक वस्त्र; तथा सुरक्षात्मक ढाले और अवरोध जनित उद्देश्य अवशोषण या शारीरिक संपर्क के माध्यम से कर्मचारियों को होने वाली शारीरिक हानि से बचाना है।

Physical abuse (शारीरिक दुर्व्यवहार)। शारीरिक अनुशासन (शारीरिक दंड) का प्रयोग या धमकी।

Physical hazards (शारीरिक खतरे)। असुरक्षित स्थितियों जो चोट, बीमारी या मृत्यु का कारण बन सकती हैं। उदाहरणों में शामिल हैं बनि सुरक्षा वाली मशीनरी, वदियुत संबंधी खतरे, गर्मी, अत्यधिक शोर, तथा फसिलकर गरिने के खतरे।

Point source emissions (बिंदु स्रोत उत्सर्जन)। वायु प्रवाह को किसी तरह से नियंत्रित किया जाता है और एक एकल स्रोत जैसे स्टैंक से वायुमंडल में छोड़ा जाता है।

Pollutants (प्रदूषक)। सामान्यतः, पर्यावरण में आया कोई भी पदार्थ जो किसी संसाधन की उपयोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

Pollution-control equipment (प्रदूषण नियंत्रण उपकरण)। कोई भी उपकरण या प्रक्रिया जो अंतिम निर्वहन से पहले वायु निकास को साफ करती है या अपशिष्ट जल का उपचार करती है। हवा के लिए प्राथमिक वर्धित ताजे पानी का उपयोग करके सफाई करना शामिल है। ताजे पानी और अपशिष्ट जल उपचार के लिए, सामान्य तरीकों में भौतिक उपचार (जैसे, तेल / ताजे पानी विभाजक), रासायनिक उपचार (जैसे, pH उदासीनीकरण) और जैविक उपचार शामिल हैं।

Polychlorinated biphenyls (पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनिल्स, PCB)। सथिटिक ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिकों का एक समूह, जो गैर ज्वलनशील और स्थिर होता है। इनका व्यापक रूप से वदियुत उपकरणों (ट्रंसफॉर्मर, कैपेसिटर, लाइट बलास्ट), हाइड्रोलिक तरल पदार्थ, अग्निरोधी, पेंट, स्याही, कीटनाशक और सरफेस कोटिंग में कूलंट और लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग किया जाता था। PCB पर्यावरण में विघटित नहीं होते तथा वन्य जीवों और मनुष्यों के लिए अत्यंत विषिले होते हैं।

Potable water (पेय जल)। पीने योग्य स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक जल।

Potential to emit (उत्सर्जन क्षमता, PTE)। किसी स्थिर स्रोत की अधिकतम भौतिक एवं परिचालन डिज़ाइन के अंतर्गत उत्सर्जन की अधिकतम क्षमता (इसमें उपचार / उपशमन शामिल नहीं है)।

Powered industrial truck (संचालित औद्योगिक ट्रक, PIT)। मोबाइल पावर से चलने वाला कोई भी वाहन जिसका उपयोग सामग्री को ले जाने, धकेलने, खींचने, उठाने, ढेर लगाने या स्तर बनाने के लिए किया जाता है। सामान्य उदाहरणों में फोर्कलफ्ट, पैलेट ट्रक, ट्रैक्टर, प्लेटफॉर्म लफ्ट ट्रक, मोटर चालित हैड ट्रक, ऑटोमैटिक गाइडेड वेहीकल (AGV), राइडर ट्रक, फोर्क ट्रक और लफ्ट ट्रक शामिल हैं।



Pressure vessel and system (दबाव पोत और प्रणाली)। एक कंटेनर या पाइपलाइन जिस परविशी दबाव से काफ़ी अलग दबाव पर गैसो या तरल पदार्थो को रखने या स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपकरण में स्टीम बॉयलर और संबंधित पाइपवर्क, दबावयुक्त गर्म पानी वाले बॉयलर, एयर कम्प्रेसर, एयर रसीवर और संबंधित पाइपवर्क, आटोक्लेव, डाई मशीन, गैस भंडारण टैंक और रासायनिक प्रतिक्रिया पोत शामिल हैं।

Prevailing wage (प्रचलित मजदूरी)। संबंधित देश या क्षेत्र में समान क्षेत्र में कार्य करने तथा समान स्तर की ज़िम्मेदारी और अनुभव के लिए आमतौर पर दी जाने वाली मजदूरी।

Production worker (उत्पादन कर्मचारी)। एक कर्मचारी जिसका प्राथमिक व्यावसायिक उत्तरदायित्व उत्पाद का निर्माण करना या सीधे उत्पाद के निर्माण में सहयोग करना है। इसमें आगे दिए गए परदृश्यों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं: लाइन कर्मचारी, पैकगिंग, गुणवत्ता, नमूना कक्षा, गोदाम, रखरखाव और मैकेनिक। इसमें उत्पादन कार्य में शामिल प्रशिक्षु और किसी तृतीय पक्ष या किसी अन्य रोजगार / संबद्धात्मक संबंध के माध्यम से नयोजित उत्पादन श्रमिक शामिल हैं।

Psychological and verbal abuse (मनोवैज्ञानिक और मौखिक दुर्व्यवहार)। ऐसे शब्दों या कार्यों का प्रयोग करना जो कर्मचारी के आत्मसम्मान को कम करने का प्रयास करते हों। इसमें कर्मचारियों पर चीखना-चिल्लाना, धमकी देना या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना शामिल है।

Psychosocial hazard (मनोसामाजिक खतरा)। कोई भी व्यावसायिक कारक जो कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है (जिस कार्यस्थल तनाव भी कहा जाता है)। मनोसामाजिक खतरों से मानसिक और संबंधित शारीरिक नुकसान की एक वसितुत श्रृंखला हो सकती है, जिसमें मानसिक थकान, अवसाद, चिंता, सामाजिक अलगाव, हसिया, मनोसामाजिक-संबंधित स्वास्थ्य लक्षण जैसे बेहोशी, मस्कुलोस्केलेटल स्थितियों और जठरांत्र और हृदय प्रणाली की गड़बड़ी शामिल हैं।

Q

Qualified machine (योग्य मशीन)। ऐसी मशीन जिसका मूल्यांकन एक प्रमाणित निरीक्षक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मशीन सुरक्षा मानकों के आधार पर किया जाता है, जो मशीन से संबंधित जोखिमों को स्वीकार्य स्तर तक कम कर देता है।

Qualitative fit test (गुणात्मक फिट परीक्षण, QLFT)। ऐसा पास / फेल फिट परीक्षण जो श्वसन यंत्र के फिट होने की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

Quantitative fit test (मात्रात्मक फिट परीक्षण, QNFT)। श्वसन यंत्र में रसाव की मात्रा को संख्यात्मक रूप से मापकर श्वसन यंत्र की पर्याप्तता का आकलन। QNFT उन श्वसनयंत्रों के लिए आवश्यक है जो 10 से अधिक फिट फैक्टर प्राप्त करेंगे।

R

Radio frequency (RF) radiation (रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) रेडिएशन)। 300 kHz और 100 GHz की फ्रीक्वेंसी के बीच गैर-आयनाइजिंग रेडिएशन। तापीय प्रभाव स्वास्थ्य के लिए मुख्य खतरा है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के उदाहरणों में हीट सीलर्स और उच्च आवृत्ति वेल्डर्स शामिल हैं।

Raw wastewater (खुला अपशिष्ट जल)। अपशिष्ट जल जिस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नद्वहन, या पुनर्चक्रण प्रयासों से पहले उपचारित नहीं किया गया है। यह अपशिष्ट जल लाभकारी उपयोग के लिए गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता।

Recycling (पुनर्चक्रण)। कोई भी प्रक्रिया जिसमें ठोस अपशिष्ट का उपयोग नये उत्पादों के निर्माण हेतु सामग्री के रूप में किया जाता है।

Renewable energy certificate (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र, REC) एक बाज़ार-आधारित साधन जो नवीकरणीय वद्वित उत्पादन के पर्यावरणीय, सामाजिक और अन्य गैर-वद्वित विशेषताओं के संपत्ति अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। REC तब जारी किए जाते हैं जब एक मेगावाट-घंटा (MWh) बजिली उत्पन्न की जाती है और उसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से वद्वित ग्रुडि तक पहुंचाया जाता है।

Respirator (श्वसनयंत्र)। एक प्रकार का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), जो पहनने वाले को खतरनाक वातावरण से बचाने के लिए नाक और मुंह या पूरे चेहरे या सरि को ढकता है। श्वसनयंत्र हो सकते हैं:

- **चुसत-दुरुस्त**। आधा मास्क जो मुंह और नाक को ढकता है, या पूरा मास्क जो बालों की रेखा से लेकर ठोड़ी के नीचे तक चेहरे को ढकता है।
- **ढीला-ढाला**। सरि को पूरी तरह ढकने वाले हुड या हेलमेट।

इसके अलावा, श्वसन यंत्रों के दो प्रमुख वर्ग हैं:

- **वायु शोधक**, जो हवा से प्रदूषकों को हटाते हैं।
- **वातावरण-आपूर्ति**, जो एक प्रदूषण मुक्त स्रोत से स्वच्छ, सांस लेने योग्य हवा प्रदान करते हैं। सामान्य नियम के अनुसार, वातावरण-आपूर्ति करने वाले श्वसनयंत्रों का उपयोग अधिक खतरनाक स्थितियों के लिए किया जाता है।



S

SAFE Machine (सेफ़ मशीन)। Nike किसी सुविधा केंद्र में मशीनों की समग्र सुरक्षा को मापने के लिए इस मीट्रिक का उपयोग करता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

- कुल मशीनों का प्रतिशत और इसमें वे मशीनें शामिल हैं जो योग्य मशीनें हैं।
 - + सुविधा केंद्र जोखिम आकलन (मशीन प्रभावों के साथ)
 - + कार्य जोखिम विश्लेषण
 - + सुरक्षा के स्टैंडर्ड कार्य
 - + कार्य संबंधी निर्देश प्रशिक्षण / प्रमाणन
- सभी तत्वों में परचालन एवं रखरखाव शामिल हैं।

Safety data sheet (SDS) (सुरक्षा डेटा शीट)। सारांश वाला एक दस्तावेज़, जो अक्सर बकिरी और परिवहन के लिए आवश्यक होता है, जो किसी उत्पाद के खतरो, उसकी रासायनिक संरचना, कानूनी आवश्यकताओं, सुरक्षा सावधानियों और श्रमिकों और पर्यावरण, दोनों के लिए आपातकालीन उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

Sanitation (स्वच्छता)। अपशिष्टों के खतरों के साथ मानव संपर्क की रोकथाम के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का स्वच्छ साधन। रोग के भौतिक, सूक्ष्म जैविक, जैविक या रासायनिक कारक खतरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करने वाले अपशिष्टों में मानव और पशु मल, ठोस अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट शामिल हैं।

Scope 1 GHG emissions (सीमा 1 GHG उत्सर्जन)। प्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन ऐसे स्रोतों से होता है जो कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में होते हैं। उदाहरण के लिए, सीमा 1 उत्सर्जन में वाहन, बॉयलरों या भट्टियों में ईंधन जलाने से होने वाले उत्सर्जन के साथ-साथ ये भी शामिल हैं:

- बजिली, गर्मी या भाप का उत्पादन।
- भौतिक या रासायनिक प्रोसेसिंग।
- सामग्री, उत्पाद, अपशिष्ट और कर्मचारियों का परिवहन।
- कृषि उत्सर्जन और प्रशीतक।

Scope 2 GHG emissions (सीमा 2 GHG उत्सर्जन)। बजिली, भाप, गर्मी या शीतलन की खरीद और उपयोग से होने वाले अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन। उदाहरण के लिए, सीमा 2 उत्सर्जन में बजिली से होने वाला उत्सर्जन शामिल है, जिस किसी यूटिलिटी से खरीदा जाता है और किसी भवन में उपयोग किया जाता है।

Scope 3 GHG emissions (सीमा 3 GHG उत्सर्जन)। रिपोर्टिंग कंपनी की मूल्य श्रृंखला में होने वाले सभी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (सीमा 2 में शामिल नहीं) जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों उत्सर्जन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, Nike के सीमा 3 उत्सर्जन में सभी आपूर्ति श्रृंखला निर्माता शामिल हैं।

Sexual harassment or abuse (यौन उत्पीड़न या दुरव्यवहार)। इसमें ये शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- अवांछित यौन टिप्पणियाँ, जिनमें किसी व्यक्ति के शरीर, रूप या यौन क्रियाकलाप के बारे में टिप्पणियाँ, तथा यौन प्रकृति के प्रस्ताव या पेशगी शामिल हैं।
- अवांछित शारीरिक आचरण जिसमें हमला, आवागमन में बाधा डालना या अवरोध उत्पन्न करना, शारीरिक हस्तक्षेप और आपत्तजनक इशारे शामिल हैं।
- यौन संबंध के बदले में वास्तविक या नहिंति रूप से पसंदीदा कार्य या व्यवहार की पेशकश करना।
- यौन संबंधों से इनकार करने पर बदले की भावना से श्रमिकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना।

Short-term contract (अल्पकालिक अनुबंध)। स्थानीय कानूनों में परिभाषा के अभाव में एक वर्ष या उससे कम अवधि का अनुबंध।

Solid waste (ठोस अपशिष्ट)। वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग तथा वस्तुओं के वननिर्माण से सुविधा केंद्र पर उत्पन्न त्यागी गई सामग्री। इस परिभाषा में खतरनाक अपशिष्ट शामिल नहीं है। ठोस अपशिष्ट के उदाहरणों में काटने और ढालने के अवशेष, भोजन और यार/बगीचे का अपशिष्ट, कागज, गत्ता, कपड़ा, चमड़ा, उत्पाद पैकेजिंग, कांच और धातु के कंटेनर शामिल हैं।

Solid waste contractor (ठोस अपशिष्ट के ठेकेदार)। कोई तृतीय-पक्ष व्यक्ति, जैसे कंटेनरपोर्टर, अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, डाउन-साइक्लर या नपिटान परसिर, जिसके साथ सुविधा केंद्र ठोस अपशिष्ट को संभालने, प्रबंधित करने, परिवहन करने, उपचारित करने, पुनर्चक्रित करने या नपिटान करने के लिए अनुबंध करता है।

Source (स्रोत)। उत्सर्जन कहीं से उत्पन्न होता है। उदाहरणों में पेट रूम में वेंटिलेशन सिस्टम, ड्रायर वेंट और बॉयलर एग्जॉस्ट शामिल हैं।

Source reduction (स्रोत में कमी)। एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धति जिसमें अपशिष्ट को स्रोत पर ही रोक दिया जाता है। इसमें उत्पाद या सामग्री का उसके उपयोगी जीवन के अंत तक पहुंचने से पहले और उसकी पहचान में कोई बदलाव किए बिना, फिर से प्रयोजन करना या फिर से उपयोग करना शामिल है।

Steam boiler (स्टीम बॉयलर)। एक बंद पात्र जिसमें पानी या अन्य तरल पदार्थ गरम किया जाता है। गर्म या वाष्पीकृत तरल पदार्थ बॉयलर से बाहर निकलकर विभिन्न प्रक्रियाओं या ताप अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आता है, जिसमें वननिर्माण प्रक्रियाएं, जल तापन, केंद्रीय तापन और खाना पकाना शामिल हैं।

Stormwater (स्टॉर्म वॉटर)। भारी वर्षा या हिमपात जैसे अवक्षेपण से उत्पन्न सतही जल। यदि तूफानी जल को एकत्रित कर उपयोग किया जाए, तो इसे ताज़े पानी का स्रोत माना जाता है।



Subcontractor (उपठेकेदार)। सामग्री या तैयार माल के वनिर्माण में शामिल एक साइट से दूर का स्थान, तृतीय-पक्ष द्वारा संचालित या आपूर्तिकर्ता के स्वामित्व वाली सुविधा केंद्र।

Suspected asbestos-containing material (Suspected ACM) (संदर्भित एसबेस्टस-युक्त सामग्री (संदर्भित ACM))। कोई भी सामग्री जिसके एसबेस्टस युक्त होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसकी विशेषताओं के कारण उसे एसबेस्टस युक्त माना जाता है। संदर्भित ACM में स्थानीय एसबेस्टस प्रतिलिपि से पहले निर्मित भवनों में प्रयुक्त सामग्री (जैसे, थर्मल सिस्टम इन्सुलेशन, सर्फेसिंग सामग्री) तथा भवन निर्माण सामग्री शामिल है, जिनमें उनकी विशेषताओं, जैसे आयु या दखावट के कारण एसबेस्टस शामिल माना जाता है और यह सर्फ़ इन्हीं तक सीमित नहीं है।

T

Temporary worker (अस्थायी कर्मचारी)। वह उत्पादन या परिचालन कर्मचारी जो सुविधा केंद्र की इमारत में काम करता है, लेकिन उसे किसी तृतीय-पक्ष जैसे क अस्थायी रोजगार एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाता है।

Type A Standards (प्रकार A मानक)। अंतर्राष्ट्रीय मशीन सुरक्षा मानक जो सभी मशीनों के लिए सामान्य सुरक्षित डिजाइन आवश्यकताओं को कवर करते हैं (ISO 12100 – मशीनों की सुरक्षा)।

Type B Standards (प्रकार B मानक)। अंतर्राष्ट्रीय मशीन सुरक्षा मानक जो सुरक्षा के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करते हैं (EIC 60204-1 – मशीनों के विद्युत उपकरण)।

Type C Standards (प्रकार C मानक)। अंतर्राष्ट्रीय मशीन सुरक्षा मानक जो विशिष्ट प्रकार की मशीनों पर लागू होते हैं (उदाहरण के लिए सिलाई मशीन)।

U

Unbundled renewable energy certificate (unbundled REC) (अनबंडल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (अनबंडल REC))। एक ऐसा साधन जो नवीकरणीय उत्पादन की पर्यावरणीय विशेषताओं (EA) को अंतरनिहित ऊर्जा से अलग बेचता है। अनबंडल REC से नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक लचीलापन मिल सकता है, क्योंकि वे सोर्सिंग के लिए स्थानीय परियोजनाओं पर निर्भर नहीं होते हैं; हालांकि, वे आम तौर पर अतिरिक्तता में नहीं बदलते हैं।

Underage worker (नाबालग कर्मचारी)। वह कर्मचारी जिसकी आयु स्थानीय कानूनों द्वारा निर्धारित न्यूनतम कानूनी कार्य आयु या लागू मानक द्वारा अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम हो।

Underground storage tank (भूमिगत भंडारण टैंक)। ईंधन या अन्य रसायनों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टैंक, जिसकी संरचना का 10% या उससे अधिक भाग (भूमिगत पाइपिंग सहित) जमीन की सतह के नीचे स्थित होता है।

Union or trade union (यूनियन या ट्रेड यूनियन)। एक संगठन जिसे कार्यस्थल पर एक साथ आने वाले कर्मचारियों ने बनाया है। ट्रेड यूनियन वेतन, लाभ, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा अन्य कार्य-संबंधी चर्चाओं पर नयिक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर सकती है।

W

Wastewater (अपशिष्ट जल)। वह जल जो किसी निश्चित परिचालन उद्देश्य के लिए उपयोग योग्य नहीं माना जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुविधा केंद्र से छोड़ा जाता है।

Worker representative (कर्मचारी प्रतिनिधि)। संयुक्त श्रम / प्रबंधन समितियों में श्रमिकों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहकर्मियों द्वारा चुना गया गैर-प्रबंधकीय पद पर आसीन व्यक्ति।

Work-related injury or illness (कार्य-संबंधित चोट या बीमारी)। कार्यस्थल पर कोई घटना या जोखिम, जिसके कारण चोट या बीमारी हुई हो या उसमें योगदान हुआ हो या पहले से मौजूद चोट या बीमारी को बढ़ा दिया हो।

Z

Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) Foundation (खतरनाक रसायनों के शून्य नर्वहन (ZDHC) फाउंडेशन)। Nike सहित 320 से अधिक योगदानकर्ताओं का एक वैश्विक बहु-हितधारक संगठन, जिसका उद्देश्य कपड़ा, परिधान, चमड़ा और जूते की मूल्य श्रृंखलाओं से खतरनाक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।



वचनबद्धता ही
सब कुछ है

NIKE CODE LEADERSHIP STANDARDS

© 2025 NIKE, INC. सर्वाधिकार सुरक्षित।